सोमवार, 30 जून, 1980

9 आषाढ़ 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 15, सोमवार, 30 जून, 1980/9 आषाढ़, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1-18
*तारांकित प्रश्न संख्या	305 से 309, 312, 318 और 319	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		18-28
तारांकित प्रश्न संख्या	310, 311, 313 से 317 और 320 से 324	
अतारांकित प्रश्न संख्या	2314 से 2404, 2406 से 2442 और 2444 से 2476	28-175
विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में		176-182
सभा पटल पर रखे गये पत्र		182-183
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		183-194
दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर ताजा पानी के एक पम्पिंग टैंक में एक गले-सड़े शव का पाया जाना		183-192
श्री सुशील भट्टाचार्य		183-185
श्री सी० के० जफर शरीफ		185-186
श्री राम विलास पासवान		186
श्री नीरेन घोष		186-187
श्री कमलापति त्रिपाठी		187-192
दिल्ली और दिल्ली-शाहदरा स्टेशनों के बीच दिनांक 27.6.1980 को हुई रेल टक्कर के संबंध में वक्तव्य		193-194
समिति के लिए निर्वाचन		
पशु कल्याण बोर्ड		194
नियम 377 के अधीन मामले		194-197
(एक) पश्चिम बंगाल में चाय बागानों को रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई स्थगित की जाना		
श्री सुबोध सेन		194-195
(दो) जूनियर डाक्टर्स फैडरेशन, दिल्ली की हड़ताल को टालने के उपायों के बारे में		
श्री जी० एम० बनातवाला		195

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) घग्गर बाढ़ परियोजना और राजस्थान नहर परियोजना के कारण पानी रुकने से किसानों को हुई हानि	
श्री मनफूल सिंह चौधरी	195-196
(चार) हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादकों को आर्थिक सहायता देने के बारे में	
श्री चिन्तामणि जैना	196
(पाँच) कोचीन पत्तन के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण केरल में वाणिज्यिक गतिविधियां समाप्त होने के बारे में	
श्री वी० एस० विजय राघवन	196-197
बजट (सामान्य) 1980-81—सामान्य चर्चा जारी	197-259
श्री मनोरंजन भक्त	197-199
श्री अरविन्द नेताम	199-202
श्री सतीश अग्रवाल	202-211
श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल	211-214
श्री आर० पी० गायकवाड़	214-215
श्री टी० एस० नेगी	215-217
श्रीमती कृष्णा साही	217-221
श्री रामनाथ दुबे	221-223
श्री चन्द्रपाल शैलानी	223-224
श्री मूलचन्द डागा	225-229
श्री दलबीर सिंह	229-232
श्री जी० एम० बनातवाला	232-236
श्री मगन भाई बरोट	236-241
श्री बी० आर० भगत	241-246
श्री रणजीत सिंह	246-248
श्री आर० आर० भोले	248-251
श्री सुनील मैत्रा	251-257
श्री गिरधर गोमांगो	257-259

लोक सभा

—

सोमवार, 30 जून, 1980/9 आषाढ़, 1902 (शक)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वाडगे तट पर मछली पकड़ने की क्षमता

*305. **श्री के० ए० राजन :**

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वाडगे तट की मछली पकड़ने की क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में पता है;

(ख) क्या वाडगे तट भारत के राज क्षेत्रीय जल की सीमा के भीतर आता है, और

(ग) क्या उक्त तट पर सरकार की अनुमति से अथवा उसके बिना विदेशी हितों द्वारा मछलियां पकड़ी जा रही हैं

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां,

(ख) अधिकार क्षेत्र 12 मील तक फैला हुआ है । समुद्र के हाल ही के कानून के तहत भारतीय समुद्री सीमा अपने एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में 200 मील तक फैली हुई है । वाडगे तट पूरी तरह से भारत के एकमात्र आर्थिक क्षेत्र के अन्दर आता है ।

(ग) जी नहीं ।

श्री के० ए० राजन : हमारा देश वाडगे तट, जहां मछलियों के विपुल साधन हैं, में मछली पकड़ने की क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया है । अनुमान लगाया गया है कि चोरी से मछली पकड़ने के कारण हमें प्रतिवर्ष 40 अथवा 50 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है । इसके मुख्य कारण ये हैं : गहरे सागर उत्पादों सम्बन्धी हमारे बेड़े में लगभग 40 पोत हैं । यदि इसकी तुलना अन्य देशों से करें तो हमें पता चलेगा कि जापान के पास 15,000 ट्रालर हैं । तैवान के पास 7,000 ट्रालर हैं और मैक्सिकों के पास 4,000 ट्रालर हैं । पिछले वर्ष सभी अखबारों में यह समाचार

छपा था कि तैवान आधुनिकतम तथा अच्छे ट्रालरों के द्वारा मछलियां पकड़ रहा है। लेकिन अच्छे ट्रालर न होने के कारण हम वाडगे तट में मछलियां नहीं पकड़ सकते।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजन, इसे संक्षप्ति कीजिये, अनुपूरक प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिये।

श्री के० ए० राजन : क्या मंत्री महोदय अच्छे औजारों से सम्पन्न ट्रालरों का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं और क्या इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे संसाधन बर्बाद न हों।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : आर्थिक जोन सम्बन्धी अधिनियम 1977 में लागू किया गया। यह 1976 का अधिनियम है। वाडगे तट क्षेत्र में 3,4 वर्षों तक मछलियां पकड़ने के बारे में हमने श्रीलंका से समझौता किया है। यह समझौता इस वर्ष जनवरी में समाप्त हुआ है। उसके बाद ट्रालरों की संख्या में वृद्धि करना हमारी जिम्मेवारी है। हम अधिक डालरप्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरे क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण कर रहे हैं। लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र का सर्वेक्षण उचित ढंग से किया जा चुका है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि देश मछली सम्बन्धी साधनों का पूरा-पूरा उपयोग करे। हमने श्रीलका के साथ समझौते की अवधि में वृद्धि नहीं की है।

श्री के० ए० राजन : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि क्या वह चोरी से मछलियां मारने के बारे में कोई ठोस कदम उठायेंगे। कहा जाता है कि कुछ देश इस तट में हस्तक्षेप करके सभी मछलियां पकड़ रहे हैं। इसका निवारण करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : हमारे तट पर तैनात गार्ड इस बारे में प्रभावशाली कदम उठा रहे हैं। दो, तीन बार कुछ तैवानी ट्रालरों को पकड़ा गया था और उनके विरुद्ध उचित कार्य-वाही की गयी और उन्हें कड़ी चेतावनी के बाद रिहा किया गया। गार्ड हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : समुद्री सम्पति का उपयोग करने सम्बन्धी किसी भी योजना का लाभ-पोतानी, चोघात, तिरूर, तनूर तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों के मछुओं को पहुंचेगा। अतः मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या इन संसाधनों के विकास के सरकार प्राथमिकता देगी ? इसके अतिरिक्त सरकार ने यह स्पष्टीकरण भी किया है कि वह इन साधनों का विकास करने की आवश्यकता को समझती है। मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार यह स्पष्ट करे कि इन ट्रालरों के अतिरिक्त सरकार ने और क्या उपाय किये गए हैं। गहरे पानी में मछली पकड़ने, यंत्रीकृत ट्रालरों तथा प्रशीतल सुविधाओं वाले ट्रालरों के बारे में इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन गरीब मछुओं के हितों को क्षति न पहुंचे। क्या इस बात की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा ? क्या सर-कार के पास शीत गृह सुविधाओं सहित पोतानी मत्स्य बन्दरगाह को विकसित करने सम्बन्धी कोई योजना विचाराधीन है ? सरकार उन विचाराधीन उपायों के बारे में कुछ बताये जो साधनों के अधिकतम उपयोग से सम्बन्धित हैं और इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुये क्या इस कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिये हमारे पास 78 ट्रालर हैं। लेकिन तटवर्ती क्षेत्रों में हम मछुआ सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि वे अपना

जीवन यापन कर सकें । हम उन्हें ट्रालर, ऋण तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने पर भी विचार कर रहे हैं । अगले कुछ वर्षों के अन्दर हम यंत्रीकृत किश्तियों की संख्या को 15,000 से भी अधिक बढ़ाना चाहते हैं । हम 1988 तक ट्रालरों की संख्या भी 800 से अधिक करना चाहते हैं । तटवर्ती क्षेत्रों के यंत्रीकृत नावों वाले अनेक मछुए इस काम को कर रहे हैं, जिन्हें हम पूरा प्रोत्साहन देना चाहते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि समूचे तटवर्ती क्षेत्र में यंत्रीकृत किश्ती और गैर-यंत्रीकृत किश्ती वाले मछुओं के बीच संघर्ष चल रहा है । यदि आप ट्रालरों की संख्या में भारी वृद्धि करना चाहते हैं तो क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इससे छोटे मछुओं को नुकसान पहुंचेगा । इन ट्रालरों द्वारा क्या आप छोटे मछुओं की रक्षा कर सकेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : हमें उनकी जरूरतों की जानकारी है । हम स्थानीय मछुओं के हितों की रक्षा कर रहे हैं । छोटी किश्तियों और यंत्रीकृत किश्तियों के लिये क्षेत्रों का सीमांकन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है । जहां तक यंत्रीकृत और गैर-यंत्रीकृत किश्तियों के बीच संघर्ष का प्रश्न है, इस बारे में हम कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठा सकते । ट्रालर यदि समुद्र में दूर तक जाते हैं तो गैर-यंत्रीकृत किश्तियां भी तट से कुछ दूर तक तो अवश्य ही जाती हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मुझे कुछ बोलने की अनुमति दें ।

यद्यपि आपने वैसा कर दिया है, फिर भी घूमने-फिरने वाली पुलिस इस बात का कोई ध्यान नहीं रखती कि इन शर्तों का पालन किया जाता है तथा छोटे मछुओं के हितों को क्षति पहुंच रही है । क्या आप गश्त करने वाली किश्तियों की संख्या बढ़ायेंगे ताकि आपके द्वारा बतायी गयी मार्गदर्शी बातों को पूर्णतः लागू किया जा सके ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : सरकार तट रक्षा दल तथा पुलिस गश्त में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ।

श्री जेवियर अराकल : तटवर्ती क्षेत्रों में यंत्रीकृत किश्ती मालिकों तथा मछुओं के बीच लगातार संघर्ष हैं । हम उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और गरीब मछुओं की स्थिति में सुधार करने के लिये हमने कई बार अभ्यावेदन भेजे हैं । कोचीन में एक समेकित मत्स्य परियोजना की है जो क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करती है । मैंने उस परियोजना में सुधार लाने के लिये कई अभ्यावेदन दिये हैं ताकि तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को लाभ पहुंच सके । क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय परियोजना में सुधार करने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं ताकि गरीब मछुओं और यंत्रीकृत किश्ती मालिकों के बीच संघर्ष कम हो ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं जो प्रो० दंडवते ने पूछा था ।

पटपड़गंज-दिल्ली में दुकान-व-कार्यालय काम्प्लैक्स

***306. श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार क्षेत्र, विशेषकर पटपड़गंज क्षेत्र, दिल्ली में दुकान-व-कार्यालय काम्प्लैक्स के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस स्तर पर कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती है ।

श्री फूलचन्द वर्मा : यमुना पार क्षेत्र में पटपड़गंज क्षेत्र जैसी घनी आबादी वाली कितनी बस्तियां हैं ? क्या शासन विचार कर रहा है कि इन सभी बस्तियों में कम्प्लैक्स आदि की सुविधायें दी जाएंगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : सब से बड़ी बस्ती है जो वह सब सैंट्रल बिजिनस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आफिस और इंस्टीट्यूशनल कम्पलैक्स है जो करीब 100 हैक्टर का है । दूसरे पटपड़गंज रोड़ का लक्ष्मीनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर कहलाता है । यह करीब 13.5 हैक्टर का है । लोनी रोड़ डिस्ट्रिक्ट सेंटर है जो करीब 20 हैक्टर का है । चार कम्युनिटी सैंटर्ज का प्रोपोजल है और लोकल कनवीनियेट शापिंग सेंटर नौ बनाने का विचार है ।

श्री फूलचन्द वर्मा : जब जब भी ऐसी गन्दी बस्तियों में इस प्रकार के कम्पलैक्स या अन्य प्रकार के निर्माण कार्य होते हैं तो वहां रहने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता न देकर उन दुकानों को नीलाम किया जाता है । ऐसी जो पिछड़ी बस्तियां हैं जहां पर दुकानें या कम्पलैक्स या कार्यालय वगैरह आप बना रहे हैं क्या वहां पर जो पहले से ही दुकानदार हैं, उनको प्राथमिकता देंगे ? साथ ही जो हरिजन आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी प्राथमिकता के आधार पर दुकानें देने का आप विचार कर रहे हैं ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यमुना पार क्षेत्र में कुल कितनी अनधिकृत बस्तियां हैं और उनको कब तक अधिकृत करने का सरकार विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न इस प्रश्न से पैदा नहीं होता है ।

श्री फूलचन्द वर्मा : आप प्रश्न को देख लें । पैदा होता है ।

श्री पी० सी० सेठी : दुकानें बेचने का तात्पर्य यह होता है और नीलामी करने का तात्पर्य यह होता है कि डिवेलेपमेंट करने में गवर्नमेंट का बहुत कास्ट लगता है । दिल्ली की पैरीफरी में इस समय इस प्रकार की आथोराइज्ड और अनआथोराइज्ड सब प्रकार की कालोनीज की संख्या बहुत अधिक है । 611 अनआथोराइज्ड कनगलोमारेशन हैं, 27 झुग्गी झौंपड़ी कालोनियां हैं, 111 अनर्थनाइज्ड विल्लेजिज हैं । वाल्ड सिटी है, ट्रांस यमुना एरिया इनक्ल्यूडिंग शाहदरा है । इन सब का अगर डिवेलेपमेंट किया जाए तो पुरानी कास्ट के हिसाब से 1100 करोड़ रुपया खर्च होगा और अगर कास्ट एसकेलेशन लगा दें तो करीब 1800 करोड़ खर्च होगा । इसलिए पार्टली हम सबसिडाइज करते हैं और पार्टली उनसे डिवेलेपमेंट चार्जिज लेते हैं । कमर्शियल कम्प्लैक्सिस में नीलामियां जो की जाती है उनमें अनआथोराइज्ड जो रह रहे हैं उनको भी नीलामी लगाने का अधिकार रहता है । उन्होंने पहले ही इतना अधिक लाभ उठा

लिया है कि वे इसको वहन कर सकते हैं। जहां तक हरिजनों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने के बारे में माननीय सदस्य महोदय के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह कार्यवाही किये जाने हेतु एक सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे।

सेन्ट्रल बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन द्वारा आयोजित परीक्षाएं

*307. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन छात्रों की दो श्रेणियों की परीक्षाएं आयोजित कर रहा है जिनमें से एक श्रेणी के छात्र देशभर के और दूसरी श्रेणी के छात्र दिल्ली के होते है;

(ख) क्या इन दोनों श्रेणियों के पाठ्यक्रम और शिक्षा स्तर समान हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि उक्त छात्रों की परीक्षाएं एक ही बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रश्न पत्रों के आधार पर आयोजित की जा रही हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, पाठ्यचर्यायें और पाठ्यक्रम एक जैसे ही हैं और शिक्षा का स्तर एक जैसा है।

(ग) दो प्रकार की परीक्षायें, जो विभिन्न पाठ्यचर्याओं के कारण 1977 तक भिन्न-भिन्न रहीं, प्रशासनिक कारणों से भिन्न चली आ रही हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : बिना सहायता प्राप्त स्कूल और सैंट्रल स्कूल, जहां अमीर एवं समृद्ध परिवारों के लड़के-लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, आल इण्डिया सेकेन्डरी स्कूल बोर्ड से सम्बन्धित है। सहायता प्राप्त स्कूल और दिल्ली नगर निगम के स्कूल, जिनमें गरीब लोगों के लड़के-लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, केन्द्रीय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित हैं। इन दोनों के बीच भेदभाव है। जबकि पहली श्रेणी के स्कूलों के लिए परीक्षा केन्द्र आमतौर पर उन्हीं स्कूलों में निर्धारित किए जाते हैं, जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, दूसरी श्रेणी के स्कूलों के मामले में परीक्षा केन्द्र आमतौर पर विभिन्न स्कूलों में निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा, अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा के मामले में प्रश्न पत्र आसान होते हैं परन्तु केन्द्रीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा बोर्ड के मामले में प्रश्न पत्र बहुत ही कठिन होते हैं। इस भेदभाव को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? जहां तक राजधानी का सम्बन्ध है, क्या सरकार प्रथक बोर्ड स्थापित करने जा रही है?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य महोदय ने विभिन्न स्कूलों में होने वाले दाखिलों के बारे में बताया है। छात्रों का दाखिला छात्रों की गरीबी अथवा अमीरी पर आधारित नहीं होता है। इसके बाद माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने, पाठ्यक्रम या परीक्षा के स्तर में भेदभाव होता है यह सही नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी : परीक्षा के दौरान नकल करने तथा धोखाधड़ी के दूसरे साधनों को हमारे समय में अत्यन्त ही गंभीर दुराचरण माना जाता था।

अध्यक्ष महोदय : अब क्या माना जाता है ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोजित एक चयन परीक्षा में 3,000 छात्रो में से 315 परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकायें एक समान थीं। क्या इस तरह के कदाचार को दूर करने के लिए कोई उपाय सरकार के विचारधीन है ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य महोदय ने प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रश्न रखा है। मुख्य प्रश्न में से यह पैदा ही नहीं होता।

देश में टेलीफोन कनेक्शन और हाजीपुर तथा दिल्ली के बीच डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था

*308 : **श्री रामविलास पासवान** : क्या **संचार मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय समूचे देश में कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं;

(ख) इस समय बिहार में कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं; और

(ग) क्या सरकार का बिहार में हाजीपुर से दिल्ली तक डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1-4-80 तक समूचे देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 20,14,148 थी।

(ख) 1-4-80 तक बिहार में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 54,601 थी।

(ग) जी नहीं। हाजीपुर में इस समय 200 लाइनों की क्षमता का हस्तचलित एक्सचेंज कार्य कर रहा है। एक स्वचल एक्सचेंज की संस्थापना के उपरान्त यथासमय दिल्ली के लिए एस टी डी सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

श्री रामविलास पासवान : जहां तक टेलीफोन कनेक्शन का सम्बन्ध है, उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक भ्रष्टाचार है। जिन लोगों के पास टेलीफोन है, उन्हें यह बात मालूम है। स्टीफन साहब को मालूम होगा कि जब टेलीफोन का कनेक्शन दिया जाता है, तो चार पांच हजार रुपये घूस ली जाती है और उसके बाद क्या क्या धांधलियां होती हैं, यह भी उन्हें मालूम होगा। इस बारे में मैंने उनको एक पत्र लिखा था। उन्होंने मुझे एक नम्बर भी दिया था और कहा था कि आप उस नम्बर को डायल कर लें। लेकिन वह नम्बर भी हमेशा बिजी मिलता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि टेलीफोन कनेक्शन देने क क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम हैं।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : कोई टेलीफोन ठीक नहीं रहता है। सब के टलीफोन खराब हैं। जो लोग कहते हैं कि उनका टेलीफोन ठीक है, वे गलत कहते हैं।

श्री रामविलास पासवान : कोई टेलीफोन काम नहीं कर रहा है। मैंने पूछा है कि

क्या टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई नियम बना हुआ है या नहीं। इसके अलावा प्रायर्टी बेसिस पर अफसरों, मंत्रियों और बी० आई० पीज० को जो रेजीडेंशल कनेक्शन दिया जाता है, उसके लिए भी कोई नियम बना हुआ है या नहीं ? यदि ऐसे कोई नियम हैं, तो कितने दिनों में कनेक्शन दे दिया जाता है और विभाग के पास जो एप्लिकेशन्ज पेंडिंग हैं, वे अधिक से अधिक कितने समय से पड़ी हुई हैं। उन एप्लिकेशन्ज के पेंडिंग होने का मैक्सिमम पीरियड क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है उससे इस प्रश्न का स्पष्टत : कोई सम्बन्ध नहीं है। यह केवल पटना में टेलीफोन कनेक्शन तथा दूसरी बातों के बारे में हैं। परन्तु इस अवसर पर स्थिति को स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा। ऐसी बात नहीं है कि वहां कोई नियम नहीं है। नियम हैं। वहां दो प्रकार के आवेदन पत्र आते हैं। एक तो 'ओ वाई टी' (ओन योर टेलीफोन) नाम से जाना जाता है, जिसके लिए आपको पांच हजार रुपए का भुगतान करना होगा और अपना पंजीकरण कराना होगा। दूसरा नियम सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आता है। इसमें आपको 1000 रुपये का भुगतान कर स्वयं को पंजीकरण कराना होता है और इन दोनों मामलों में एक विशेष श्रेणी होती है। इस बारे में विशेष श्रेणी के रूप में किसको माना जाना चाहिए, कुछ निश्चित नियम हैं। डाक्टर उस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, बड़ी प्रतिष्ठा वाले सार्वजनिक कार्यकर्ता उस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, और सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी, जो एक विशेष स्तर पर हैं, इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। महोदय, कुछ विशेष मामले हैं वे अकेले ही विशेष श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : ''ओ वाई टी'' क्या है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : 'ओन योर टेलीफोन'।

प्रो० मधु दण्डवते : ''ओवर इंडलजैस इन टेलीफोनिंग'' टेलीफोन अधिक करना।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैंने कहा था 'ओ वाई टी' और न कि 'ओ आई टी'। यही अन्तर है। (व्यवधान) और यदि कोई व्यक्ति इस बात का दावा रखता है कि वह विशेष श्रेणी के अन्तर्गत आना चाहिए परन्तु उसे उस श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो इसके लिए टेलीफोन सलाहकार समिति है। यह समिति कार्यवाही कर सकती है और इस सम्बन्ध में अपनी राय दे सकती है कि उसे इस श्रेणी के अन्तर्गत आना चाहिए अथवा दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत। और तब यह केवल पंजीकरण की तारीख के अनुसार दिया जाता है। यह स्थिति वहां एक विशेष लघु कोटा है जो प्राथमिकता के आधार पर दिया जा सकता है और उसके लिए अधिकार क्षेत्र टेलीफोन सलाहकार समिति के पास हैं। वहां, स्थिति यह थी कि टेलीफोन सलाहकार समिति का प्रत्येक सदस्य दो टेलीफोन कनेक्शन दे सकता था। मंत्री बनने के बाद मैंने उसे रद्द कर दिया है। उसके लिए किसी को अधिकार नहीं दिये गए हैं। केवल टेलीफोन सलाहकार समिति ही, मत दान द्वारा, इस बात का निर्णय करती है कि क्या एक खास तरीके से प्राथमिकता दी जानी चाहिए और कोई इसके निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकता। और अगर यह विपरीत जाता है तब प्राथमिकता निदेशालय स्तर पर ही किया जा सकता है। मैंने ऐसा कदम उठाया है कि बारी आने से पहले टेलीफोन कनेक्शन बिलकुल नहीं दिये जाएंगे। जो वर्तमान निदेशक ने अब ऐसी प्रक्रिया शुरू की है।

अब मेरी कठिनाई यह है कि मुझे अपने साथियों से लगातार बारी आने से पहले कनेक्शन दिए जाने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। किसी भी वस्तु, जो बारी आने से पहले दी जाती है, अर्थ है कि हजारों लोग लाइन में खड़े हैं और आप उन सबको लांघकर उन्हें पीछे धकेल रहे हैं। मेरी दृष्टि में यह सर्वाधिक अनुचित बात है। इसे बिलकुल नहीं किया जा सकता यह कड़ा रुख अपनाया जा रहा है।

मैं श्री पासवान को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि टेलीफोन कनेक्शन वैधनिक नियमों के अधीन दिया जाता है। मेरे विचार में यदि इसके उलंघन की कोई घटना होती है तो उन्हें उसको ठीक कराने के लिए न्यायिक अधिकार भी प्राप्त है, क्योंकि यह सांविधिक उपबंधों के अधीन होता है। श्री पासवान ने कहा कि मैं जानता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है और एक व्यक्ति को 5,000 रुपए का भुगतान करना होता है। मैं ऐसी पूर्व-आवश्यकता से परिचित नहीं हूं कि किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा हो यदि किसी व्यक्ति को 'ओ वाई टी' के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराना हो तो उसे 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा अन्यथा नहीं स्थिति यह है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्षजी, मेरे पहले प्रश्न का जवाव नहीं आया है। मैंने पांच हजार रुपए 'ओ वाई टी' के लिए नहीं कहे थे, मैंने कहा था कि जब पांच हजार रुपए घूस देते हैं तब उनको टेलीफोन का कनेक्शन मिलता है। मैं इसकी एग्जाम्पल दूंगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं माननीय सदस्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह मुझे एक उदाहरण दें और मैं उस पर सख्ती से कार्यवाही करूंगा।

श्री रामविलास पासवान : मेरा कथन था कि आपके यहां कितने दिनों के अन्दर सामान्यतया टेलीफोन कनेक्शन मिल जाता है और मैक्सिमम कितने पीरियड से एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मुझे उसका भी उत्तर देना है। वह प्रतीक्षा सूची के ऊपर निर्भर करता है। सम्पूर्ण भारत में प्रतीक्षा सूची में लोगों की कुल संख्या 3,50,000 है। उदाहरण के लिए, बम्बई में प्रतीक्षा सूची में लोगों की संख्या 110,000 है, दिल्ली में 54,000 कलकत्ता में भी इतने ही हैं लोग प्रतीक्षा सूची में पिछले छः--सात वर्ष से हैं। इसलिए, इस बात का कोई विवरण नहीं है कि कनेक्शन कब दिये जा सकते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन (संचार मंत्री) : अब मैं वृहत पैमाने पर आयात कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूं जिससे कि यह प्रतीक्षा सूची को निपटाया जा सके और हमें आशा है कि 1882 तक यह किया जा सकता है। पिछले तीन वर्षों में उत्पादन कार्यक्रम पूर्णतः ठप्प पड़ा रहा। हमारे पास उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन कार्यक्रम था जिसके द्वारा इस समय तक हम अपनी जरूरत पूरी कर सके उत्पादन कार्यक्रम रायबरेली में होना चाहिये था। हो सकता है, यह रायबरेली होने के कारण है या कुछ अन्य कारणों से, सम्पूर्ण कार्यक्रम ठप्प पड़ा रहा, जिसके परिणाम स्वरूप अब मुझे इकट्ठे 3,50,000 कनेक्शंस की मांग को पूरा करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब यह आयात करने से ही पूरा किया जा सकता है। जिसका भार राजकोष पर पड़ेगा। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यही कार्यक्रम है जिसे शुरू किया जा रहा है। उत्पादन कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। दोनों "इलैक्ट्रोमैकेनिकल" एवं "इलैक्ट्रानिक्स" के क्षेत्रों में कार्यक्रम ठीक

चल रहा है । उस बारे में कोई विशेष वक्तव्य नहीं दिया जा सकता । अमुक समय के भीतर कनेक्शंस दे दिये जायेंगे । यह प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा ।

श्री राम विलास पासवान : मेरा दूसरा प्रश्न एस० टी० डी० के सम्बन्ध में है·····

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या उन्होंने पहले से ही दो प्रश्न नहीं पूछे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह उनका दूसरा पूरक प्रश्न है ।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं अभी व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहा हूं । अभी माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न शुरू कर रहे हैं तो यह कब पूरा होगा, कोई लिमिट है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह संगत प्रश्न नहीं है ।

श्री रामविलास पासवान : मेरा दूसरा प्रश्न एस० टी० डी० के सम्बन्ध में था । मैं जानना चाहता हूं आप जो एस० टी० डी० देते हैं उसका क्या क्राइटीरिया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

श्री रामविलास पासवान : वह एस० टी० डी० के बारे में नहीं, लोकल के बारे में था ।

मैंने हाजीपुर से पटना तक सीधी लाइन के सम्बन्ध में पूछा था, तो आपने कह दिया "जी नहीं" । मैं यह कहना चाहता हूं कि पटना के बगल में हाजीपुर है, पटना के लिए डायलिंग करें तो दो मिनट में दिल्ली से मिल जाता है, लेकिन हाजीपुर लगाने के लिए दिन भर इन्तजार करते हैं, फिर भी नहीं मिलता है । हाजीपुर जिला मुख्यालय भी है । मैं पूछना चाहता हूं कि डायरेक्ट एस. टी. डी. के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? इस नीति के तहत जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्स हैं, जैसे हाजीपुर और वैशाली, वह आते हैं या नहीं ? अगर आते हैं तो आपने "न" कैसे कह दिया ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उमराव) : माननीय सदस्य की चिंता की सराहना करता हूं । परन्तु कुछ नियम हैं जिनके निर्देश का हमें पालन करना पड़ता है । नि.संदेह हाजीपुर एक जिला मुख्यालय है । यहाँ 200 लाइनों वाला हस्तचालित एक्सचेंज है । एस. टी. डी. कनेक्शन के लिये स्वचालित एक्सचैंज की पहले जरूरत होती है ।

श्री रामविलास पासवान : इसका मानदण्ड क्या है ?

श्री कार्तिक उमरांव : जब तक आपके पास हाजीपुर में स्वचालित एक्सचैंज नहीं हो जाता तब तक आप दिल्ली या अन्य जगहों से एस. टी. डी. कनेक्शन नहीं लगा सकते हैं । पहले हाजीपुर में स्वचालित एक्सचैंज लगाना होगा और तभी पटना से स्वचालित एक्सचैंज जोड़ा जायगा । और केवल तभी आपको एस. टी. डी कनेक्शंस मिल सकता है ।

श्री रामविलास पासवान : कौन देगा, आप ही दीजियेगा । रूल क्या है ?

श्री कार्तिक उमरांव : उसके कुछ नियम है । पहले जिला मुख्यालयों को राज्यों की राजधानियों से जोड़ना होगा । तभी आप एस. टी. डी. की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री निरेन घोष : सम्पूर्ण टेलीफोन की व्यवस्था ही अव्यवस्थित है । हम संसद सदस्यों के पास एस. टी. डी. की सुविधा होनी चाहिये । मेरा टेलीफोन तीन बार बदला गया है । मैं उसमें काल नहीं कर सकता । अभी भी वह काम नहीं कर रहा है । सदस्यों के साथ इस प्रकार की

बात है। मैं अब अच्छी तरह समझ सकता हूं और हमें आशंका है कि इसे बीच में सुना भी जाता है।

अध्यक्ष महोदय : इसका मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। कृपया संगत प्रश्न पूछिये।

श्री निरेन घोष : एस. टी. डी. की सुविधा के सम्बंध में दूरभाषों को सही रखा जाना चाहिये जिससे इस सुविधा के हकदार इससे वंचित न हों।

श्री सी. एम. स्टीफन : सर्व प्रथम मैं अपने दोस्त के दिमाग से यह भ्रम दूर करना चाहता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि संसद सदस्यों के पास कोई एकमात्र विशेष सुविधा एस. टी. डी. के लिए नहीं होती है। इस तरह की कोई बात नहीं है। एस. टी. डी. की सुविधा उन सारे लोगों को है जिन्हें एस. टी. डी. सुविधा वाली टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त है। अगर संसद सदस्य एस. टी. डी. डायल करना शुरू करेंगे तो कुछ एस. टी. डी. के काल करने के बाद वे 500 काल की सीमा पर पहुंचेंगे और उन्हें पैसा देना होगा मेरे माननीय मित्र को इस विचार से मुक्त होना चाहिये और उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिये। 'एस. टी. डी.' काल करने में यांत्रिक कार्यविधि है। इसे विभिन्न एक्सचैंजों के माध्यम से जाना चाहिये तभी काल किया जा सकता है। मशीन और तार संसद सदस्यों या मंत्री के प्रति कोई विशेष आदर नहीं रखते हैं।

सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में लघु सिंचाई

*309. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों में लघु सिंचाई के अन्तर्गत आवंटित की गई राशियां बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान कितनी राशि बढ़ाई जाएगी ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) सरकार छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए लघु सिंचाई हेतु धनराशि के आवंटन के बारे में विचार कर रही है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि राज्य सरकारों ने सूखा प्रवण क्षेत्रों में लघु सिंचाई के लिए आवंटन की जाने वाली राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है और यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार उनके प्रस्तावों को स्वीकार कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण पुर्नानर्माण मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि छठी योजना के अंतर्गत सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए लघु सिंचाई हेतु धनराशि का आवंटित किया जाना विचाराधीन है। निर्णय लेते समय सभी राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। वास्तव में, अब तक लघु सिंचाई कार्यक्रम को सूखे प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यों के लिये धनराशि का आबंटन राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। केन्द्र द्वारा राज्यों को मार्गदर्शक सिद्धांत दिये जाते है। खर्च का 50% भारत सरकार और 50% राज्य सरकार के द्वारा वाहन किया जाता

है। अतः केन्द्रीय सरकार के पास केवल लघु सिंचाई पर खर्च करने का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या भूमिगत जल का पता लगाने के लिये सरकार धनराशि देगी और हां तो क्या सरकार किसानों को कुएँ खोंदने और कुओं से पानी सीमेंट-पाइपों द्वारा खेतों तक ले जाने के लिये भी राज सहायता दे रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : वह एक अलग कार्यक्रम है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो किसानों की सहायता करता है। उस कार्यक्रम को हम पहले से क्रियान्वित कर रहे हैं। परन्तु माननीय सदस्य के और सहायता के लिये सुझाव पर यदि राज्य सरकारों से प्रस्ताव आते हैं, विचार किया जायेगा। जहां समन्वेषी नलकूप कार्यों का सम्बन्ध है केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। अतीत में भी समन्वेषी नलकूप लगाये गये हैं। परन्तु हाल ही में इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पर राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया है। पिछली सरकार के द्वारा यह किया गया था।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गए हैं वे कितनी राशि के हैं ? क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं और प्रस्तावों पर कब और किसके द्वारा विचार किया जा रहा है ? इस पर केवल राष्ट्रीय विकास परिषद या केवल योजना आयोग के द्वारा विचार किया जा रहा है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : जैसा कि मैंने बताया है कि केन्द्रीय सरकार के पास सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत विभिन्न दूसरी योजनाओं के साथ-साथ छोटी सिंचाई कार्यों के लिये राजसहायता दी जा रही है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड को 7.5 लाख रुपये देने की हमारी योजना है और इतनी ही राशि प्रत्येक खण्ड के लिए राज्यसरकार के द्वारा खर्च की जायेगी। अभी तक हम इसी आधार पर यह खर्च पूरा कर रहे हैं। परन्तु यदि धनराशि का आबंटन बढ़ाया जाना है, तो इस पर विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्तावों को ध्यान में रखने के बाद ही विचार किया जायेगा। यह अभी तर्क नहीं किया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या प्रस्तावों की मांग की गई है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : जी हां।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस सामान्य योजना आवंटन धननाशि को प्रतिवर्ष के बजट दस्तावेजों में दर्शाया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने संसद में जो बजट पस्तुत किया है उसे देखा है जिसमें यह दिखाया गया है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और कमान क्षेत्र आदि के लिए केन्द्रीय योजना आवंटन धनराशि में भारी कमी की गई है। यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय ने इस मामले को वित्त मन्त्री महोदय के साथ उठाया है और जनता शासन के दौरान नियत की गई धनराशि की तुलना में जो भारी कटौती की गई है उसको देने की बात की है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : देश के 74 जिलों में 557 खण्डों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत हैं और प्रत्येक ब्लाक के लिये 7.5 लाख रुपये आवंटन होता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह जानना चाहता था कि यह सच है कि कमान क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आदि के लिये बजट में आवंटन राशि में कटौती की गई है और क्या उन्होंने वित्त मंत्री महोदय से इस मामले पर उन कटौतियों को पूरा करने के लिये बात की है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : प्रत्येक ब्लाक को 7.5 लाख रुपये देने की योजना है और वह दिया जायेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या यह सच है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पुरानी परियोजनाओं को, जिनको पुनः शुरू किये जाने की आवश्यकता है पुनः शुरू करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। इसमें केवल नये आरंभ किये जाने वाले कार्यों की बात की गई है। इन 74 जिलों में बहुत सी पुरानी परियोजनाएं हैं जिनको मरम्मत करने की आवश्यकता है और सरकार को नीति बदलने के लिये एक अभ्यावेदन दिया गया है। क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं आती हैं। इसके अन्तर्गत सूखे के प्रभाव को कम करने, विशेषकर गरीब वर्ग के लोगों की आय को स्थिर करने और पर्यावरण में संतुलन लाने के कार्य किये जाते हैं इसके अतिरिक्त विभिन्न दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत जलसंसाधनों के विकास और प्रबन्ध का कार्य किया जाता हैं, मिट्टी एवं नमी संरक्षण के लिये भी कदम उठाये जाते हैं तथा वनरोपण, चरागाह भूमि का विकास किया जाता है। इन सभी कार्यक्रमों की सहायता हमारी वर्तमान सुविधाओं के लिये की जा रही है। नई योजना के अन्तर्गत सतह पर जल और जलाशयों के निर्माण का कार्य शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा तालाबों का निर्माण, अवरोधक बांध, तटबंधों का निर्माण, ये सब कार्य हैं और इसके अलावा भी लोगों के लाभ के लिये विभिन्न कार्य किये जा सकते हैं।

डा० कृपासिन्धु भोई : पहले निर्णय की गलती के कारण डी० पी० ए० पी० के अंतर्गत कुछ सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार या मंत्री महोदय उन सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को, जिनके लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने प्रार्थना की है, सम्मिलित करने के बारे में विचार कर रहे हैं ? इन सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया है जबकि उनके पास के कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के लिए पदमपुर उप-मंडल, बांगोमुण्डा, कपराकोल, चांदाहांडी ब्लाक इत्यादि क्षेत्रों के बारे में उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा आवेदन किया गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि इन क्षेत्रों को डी० पी० ए० पी० के कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए मंत्री महोदय विचार कर रहे हैं ? ये क्षेत्र पंद्रह वर्ष से भी अधिक समय से सूखा से पीड़ित रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : सूखा प्रवण क्षेत्रों का पता राज्य सरकारों और केन्द्रीय दलों की सिफारिशों से लगा था। जैसा कि मैंने कहा इस योजना के अन्तर्गत देश का सम्पूर्ण क्षेत्र नहीं आया है। अभी तक केवल 557 ब्लाकों में कार्य शुरू किया गया है। तत्पश्चात दूसरे क्षेत्रों के लिये दूसरी योजनाएं भी हैं। समेकित ग्रामीण विकास एवं रेगिस्तान विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी सहायता की जाती है। अतः हम पूरे देश के सूखे से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को एक या दूसरी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लाभ पहुंचाने की कोशिस कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न—श्री नारायण चौबे । श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

उसके बाद प्रश्न सं० 311-श्रीमती प्रमिला दंडवते । श्री अर्जुन सेठी ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या मैं उपनाम के आधार पर प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । दूसरा प्रश्न प्रो० अजित कुमार मेहता श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा—वह यहां हैं । फिर वही बीमारी शुरू हो रही है ।

"ए मच वान्टेड न्यूसेन्स" शीर्षक समाचार

*312 : **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2 जून 1980 के इंडियन एक्सप्रेस में "ए मच वान्टेड न्यूसेन्स" (वहुअपेक्षित व्यवधान) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) टेलीफोन प्रयोक्ताओं को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां । दिनांक 2-6-80 के इण्डियन एक्सप्रेस में छपे लेख के बारे में विभाग को जानकारी है ।

(ख) जैसा कि लेख में बताया गया है, उपभोक्ताओं को नीचे बताई गई किस्म की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

(क) गलत नम्बर मिलना तथा व्यस्त टोन,

(ख) लंबे समय तक लाइन खराब रहना,

(ग) अधिक राशि के बिल आना,

(घ) अवांछनीय तत्वों द्वारा टेलीफोन का दुरुपयोग,

(ङ) शिकायतें दर्ज न करना,

(ग) स्वयं लेख में बताया गया है कि उपचार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं । विभाग द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :

(1) अतिरिक्त नई लाइनें चालू करना,

(2) क्षेत्रीय प्रबंधक संगठनों का सुदृढ़ीकरण,

(3) जिला शिकायत कक्ष की स्थापना,

(4) केबुलों का दाबीकरण तथा लचकीला करके लगाना,

(5) तार अधिनियम में संशोधन,

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में कोई डेढ़ लाख से अधिक टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके लिए 42 एक्सचेंज हैं और 12 हजार से ज्यादा स्टाफ है । इस के बावजूद, 4, 5 शिकायतें जो 2 जून,

1980 के इन्डियन एक्सप्रैस में आई हैं, उनका कोई निदान नहीं दिया है बल्कि एक सदस्य की तरह से केवल सुझाव दिया है। सरकार की ओर से क्या व्यवस्था हुई है, उसकी कोई जानकारी नहीं दी है। आप यह भी जानते हैं कि हम लोगों को भी प्रति दिन टेलीफोन की जो व्यवस्था है, उसमें भयंकर कठिनाई अनुभव होती है। हम यह देखते हैं कि लेख में चार-पाच कठिनाइयां बताई गई हैं लेकिन उनके बारे में जो बताया गया है वह यह है कि हम नई लाइनें चालू कर रहे हैं, क्षेत्रीय प्रबंधक संगठनों का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, जिला शिकायत कक्ष की स्थापना, केबलों का दाबीकरण तथा लचकीला करके लगाना और तार अधिनियम में संशोधन करने जा रहे हैं लेकिन इन्होंने उत्तर में यह नहीं बताया है कि कितनी नई लाइनें चालू कर रहे हैं, कितने क्षेत्रीय संगठन होंगें और कितने डिस्ट्रिक्ट कम्पलेंट सैल होंगें, यह कोई जानकारी नहीं दी है। मंत्री जी ने तो केवल सुझाव दे दिया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे यह बतलाएं कि कितनी नई लाइनें चालू करेंगें और क्या-क्या प्रबन्ध उन्होंने इस सब के बारे में किये हैं, यह स्पष्ट रूप से बताएँ ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो वता दिया है और क्या बताएंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप और स्पष्टीकरण चाहते हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : मैं पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर चुका हूं। श्रीमान, यह प्रश्न एक समाचार पत्र में एक लेख के ऊपर आधारित है इसका निष्कर्ष इस प्रकार से है;

टेलीफोन विभाग टेलीफोन प्रयोक्ताओं की समस्याओं से भली भांति परिचित है और उसे कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना और अधिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू करना, वर्तमान टेलीफोन सक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि लाइनों में कोई रुकावट न हो, खराब हस्तचालित तथा जांच करने वाले उपस्करों को बदला जाये और बेहतर वातानुकूलित संयंत्रों की स्थापना की जाये'' यह प्रमाण-पत्र इस लेख ने दिया है जिसमें विभाग की आलोचना की गई है तथा जो कुछ किया जा रहा है उसका भी इसमें उल्लेख हुआ है। लेखक मामले के तथ्य से अवगत है। समूची स्थिति यह है कि यहाँ एक बड़ी प्रतीक्षा सूची है। हमें इस का निपटान करना है। हमारे पास दिल्ली क्षेत्र में 42 एक्सचेंज हैं तथा उनमें से अधिकांश पर अत्याधिक कार्य भार है। इसका एक मात्र उत्तर है—और अधिक लाइनें लगाना। 1981-82 में दिल्ली टेलीफोन प्रणाली में 45,000 लाइनें जोड़ने का एक कार्यक्रम है। 1980-81 से राजौरी गार्डन एक्सचेंज 10,000 लाइनों के साथ चालू किया जाना है। इसके अतिरिक्त, उपनगरीय क्षेत्रों को भी शामिल किया जाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, करौल बाग का 2000 लाइनों से चालू वर्ष में तथा अन्य 2000 लाइनों के साथ वर्ष 1982-83 में विस्तार किया जा रहा है 2700 ''चेनल'' के क्षमता के साथ ''सहअक्षीय'' (कोएक्सियल) तार से गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने का भी विचार है जिसमें से 900 इसी वर्ष चालू होगें। एक बार सेवा शुरू होने के बाद इस एक्सचेंज द्वारा दी गई सेवा में पर्याप्त रूप से सुधार होगा। 1981-82 के दौरान चालू किये जाने वाले महत्वपूर्ण एक्सचेंज इस प्रकार है :

करौल बाग और नेहरू प्लेस प्रत्येक को 10,000 लाइनों के साथ। नेहरू प्लेस एक्सचेंज हौज खास की सहायता करेगा, जो सभी नये कनेक्शन हैं। परन्तु जो नेहरू प्लेस के

अतिरिक्त जोर बाग पर कार्य का भारी दवाव होने के कारण बेकार है। यह चालू न्यूनतम कार्यक्रम है जिससे हम इसमें सुधार कर सकेंगे, विशेष रूप से उस समय जब सह-अक्षीय तार डाले जाते हैं और लाइनों के कस्तन होने पर हम कुछ हद तक सुधार कर सकेंगे। उस पर पर्याप्त कार्य-भार है जिसके परिणाम स्वरूप यह प्रभावित होता है। अब इस कमी को दूर कर दिया गया है।

अब जहां तक शिकायत का संबंध है, हम इसे विस्तार से व्यक्त कर चुके है। निस्सन्देह एक शिकायत अनुभाग (सेल) है। हमने एक शिकायत अनुभाग (सेल) की स्थापना की है। जो शिकायतें प्राप्त करेगा और बाद में उन पर निगरानी रखेगा ये बातें केन्द्रीय क्षेत्र में की जानी है। इसलिए हम देखेंगे कि उन क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या वढ़ा दी जाये इससे इन बातों पर निगरानी रखी जायेगी और सहायता की जा सकेगी। केबिल की छेड़ छाड़ की जाती है। इसे दूर करने के लिए हमारा विचार तार में गैस का दवाब देना है। इसे पी०वी०सी० पाइप में रखना है, जिस पर कंडींट की परत चढ़ाई जाएगी ताकि इसे कोई छेड़ न सके और तार के माध्यम से कार्य बिना रुकावट के हो सके। एक परिचालनात्मक संयंत्र भी है जिसकी स्थापना हमने सेवा की देख-भाल करने तथा इस बात की योजना बनाने के लिए की है कि नए एक्सचेंजों में कहां सुधार किया जाना है। हमने कुछ उपाय किये है। अब लाइनों को छेड़ा जाता है और गलत कनेक्शन है जिनके परिणामस्वरूप मीटर गलत हो जाते हैं। इसका एक मात्र उत्तर टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन करना है। अब समूचे टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन पर कार्यवाही हो रही है। इस सदन में शीघ्र ही नया टेलीग्राफ अधिनियम संशोधन विधेयक आयेगा, जो कमियों को दूर करेगा तथा उनको कठोर दंड देगा जो प्रयोक्ताओं के 'कालों' को नुकसान पहुंचा कर 'कालों' की चोरी करते हैं। ये वे उपाय हैं जो हम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वर्मा, क्या आप अपना पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने आखिर में अपने कार्यक्रम को बतलाया कि गाजियाबाद 85, शाहदरा 20, तीसहजारी 22 दिल्ली गेट 27 और 26 हैं। ये एक्सचेंजिज बहुत इनइफेक्टिव हैं। तीस हजारी का एक्सचेंज तो आउट डेटिउ और आउट मोडिड एम्सचेंज है, इस दृष्टि से वहां बहुत कठिनाई है। क्या इनको भी चेंज करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने बता दिया है।

श्री बापूसाहिव परुलेकर : श्रीमान प्रश्न के भाग (ख) के (ग) में उल्लिखित उप-भोक्ताओं की एक कठिनाई अधिक राशि के बिल आने के बारे में है। इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि अधिक राशि के बिल किस प्रकार आते हैं। इसलिए क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि उप-भोक्ताओं की कठिनाई यह है कि एस. टी.डी. लाइनों को उन वार्ताओं के बाद तुरन्त नहीं काटा जाता है जिनके कारण अधिक राशि के बिल आते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं कि इन लाइनों को तुरन्त काट दिया जाये ? उल्लिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं देखता हूं कि उत्तर नहीं दिया गया है।

जहाँ तक भाग (ग) का संबंध है यह बेईमान तत्वों द्वारा टेलीफोन का दुरुपयोग है श्रीमान, महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी इसका उत्तर नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वार्ता के बाद एस. टी. डी. का तुरन्त कनेक्शन न काटे जाये दूसरे बेईमान तत्वों के कारण अधिक राशि के बिल आने की बात को ध्यान में रखकर सरकार का कौन-कौन से उपाय करने का विचार है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : जहाँ तक अधिक राशि के बिल आने का संबंध है, मैं इस बात को तुरन्त स्वीकार करता हूं कि गलत मीटर के कारण ऐसे मामले हो रहे हैं परन्तु प्रतिशतता इतनी नहीं है जितनी हम समझते हैं। कुल राष्ट्रीय प्रतिशतता केवल 0·7 प्रतिशत है जिसको हम निकाल सके हैं। जहाँ तक दिल्ली का संबंध है, यह थोड़ी ज्यादा है। यह 1·6 प्रतिशत है। श्रीमान, पहले स्थिति यह थी कि या तो इस ओर या उस ओर चालू रहे तो मीटर भी चालू रहेगा। अब स्थिति यह है कि यदि दोनों में से एक रख देता है तो टेलीफोन कट जाएगा। परन्तु हमने अपनी निदेशिका में उपभोक्ताओं को इसको न रखने तथा इसे छोड़कर न चले जाने की चेतावनी दी है। क्योंकि मीटर चालू रह सकता है। इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि मीटर बन्द कर दिया गया है। अन्यथा, इसके चालू रहने की संभावना है। जब कभी ऐसी शिकायत आती है तो इसकी जांच की जाती है। कुछ सही मामले हैं तथा पांच मामलों में से हमने एक मामला पकड़ा हमने अपने कर्मचारी को सेवा से निलम्बित कर दिया क्योंकि वह इस मामले में शामिल था। एक अन्य मामले में 4 से 5 व्यक्ति तक शामिल थे और कार्यवाही की जा रही है। तीसरे मामले में स्टाक बोकर फर्म ने इसमें हस्तक्षेप किया और लाभ उठाया उसका टेलीफोन काट दिया गया था परन्तु न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और हमने उसे पुनः लगा दिया था। अब, टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। हमने यह भी देखा है कि अनेक मामलों में उपभोक्ता महसूस नहीं करते हैं और वे एस० टी० डी० पर उस समय बातचीत करते रहते हैं जब एस० टी० डी० मीटर भी चालू रहता है। इसलिये जब आप एस० टी० डी० पर बात करते हों तो आप को सावधानी बरतनी पड़ेगी।

श्रीमान, अनेक मामलों में हमने बिल की धन राशि वापस की है परन्तु कुछ मामलों में हम राशि वापस नहीं कर सकते, क्योंकि जांच पड़ताल से स्पष्ट होता है कि ऐसा नहीं है। हम पहले बिलों से मिलान करते हैं और मशीन पर भी ध्यान रखते हैं और यदि हमें यह मालूम होता है कि उसमें मशीन संबंधी कोई दोष नहीं है तो हम बिल की धन राशि वापस नहीं कर सकते हैं। एक सीमा तक हम उपभोक्ताओं को सन्देह का लाभ देते हैं परन्तु जब तथ्यों से मालूम होता है कि मीटर ठीक है तब संदेह का लाभ विभाग को दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न माननीय सदस्य यहाँ पर नहीं हैं। अगला प्रश्न फिर भी संबंधित सदस्य उपस्थित नहीं हैं। मुझे इस बारे में कुछ करना पड़ेगा।

राइस मिलिंग उद्योग, पश्चिम बंगाल को पुनर्जीवित करना

*318. **श्री समर मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राइस बंगाल मिल्ज एसोसियेशन, कलकत्ता से दिनांक 28 अप्रैल, 1980 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें पश्चिम बंगाल में राइस मिलिंग उद्योग को पुनर्जीवित करने के सुझाव हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन की एक प्रति पश्चिमी बंगाल सरकार, जोकि उसमें उठाए गए अधिकांश प्रश्नों से संबंधित हैं, को भेज दी गई है और उन्होंने भारत सरकार को सूचित किया है कि इसकी जांच की जा रही है । राज्य सरकार के टिप्पण प्राप्त होने के बाद इस मामले पर आगे विचार किया जाएगा ।

श्री समर मुखर्जी : मेरा पूरक प्रश्न यह है इस राज्य सरकार को कब भेजा गया था ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकार ने मिलों को लगाने तथा उन्हें चालू रखने से संबंधित कोई प्रस्ताव इस ज्ञापन को उन्हें भेजे जाने से पूर्व प्रस्तुत किया था, अर्थात उन्हें इस ज्ञापन को वापस भेजने से पूर्व क्या उन्होंने पहले आपको कोई प्रस्ताव या सिफारिश भेजी है ? यह मेरा प्रश्न है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं तुरन्त इस बारे में ब्यौरे देने में असमर्थ हूं कि इस ज्ञापन को प० बंगाल को कब भेजा गया था । मैं इसके बारे में माननीय सदस्य को बता दूंगा ।

खाद्यान्न के भण्डारण के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें

*319. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न के भण्डारण के बारे में कृषि मूल्य आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) उन्हें लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) किसानों को उचित भण्डारण के लाभों से अवगत कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) कृषि मूल्य आयोग, भण्डारण, भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारण क्षमता की उचित योजना बनाने और उसकी समीक्षा करने और बफर स्टाक की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता तैयार करने और यथोचित ध्यान देने के बारे में सिफारिशें करता रहा है ।

(ख) कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांण्डागार निगम जैसी सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा भण्डारण क्षमता का निर्माण करवाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है ।

(ग) सरकार खाद्यान्नों की क्षति को कम करने के लिए उचित भण्डारण की आवश्यकता के बारे में किसानों को जानकारी देने और खाद्यान्नों के भण्डारण तथा परीक्षण के उन्नत तरीके अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए देशभर में 'अन्न सुरक्षा अभियान' योजना को चला रही है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने परसेंट काश्तकार इन भण्डारन का उपयोग करते हैं और उपयोग न करने का क्या कारण है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जहां भी इस प्रकार की सुविधायें विद्यमान हैं वे उनका प्रयोग कर सकते हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, जब सवाल हिन्दी में किया जाये और जवाब अंग्रेजी में दिया जाये तो यह क्या बचत हुई ?

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं (व्यवधान)** कृपया शान्त रहिये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में सवाल किया जाता है तो हिन्दी में जवाब देते हैं और हिन्दी में सवाल किया जाता है तो अंग्रेजी में जवाब दिया जाता है, यह तो एक कायदा है जो यहां चलता है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : स्पीकर साहब, यह मैं मानता हूं कि स्टोरेज, गोदामों की कमी है । अभी तक एफ० सी० आई० के पास भी अपने भंडार रखने के लिये काफी गोदाम नहीं हैं, किराये पर लिये जाते हैं । सैंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन भी किराये पर गोदाम लेकर अनाज रखती है । बहुत सारा हमारा अनाज ओपन प्लेटफार्मों पर ढक कर रखा जाता है, ऐसी हालत में यह कहना ठीक नहीं कि हम काश्तकारों को इंडिविजुअली उचित सुविधा अभी तक दे पाये हैं । हमारी स्कीम है कि गांव में भी गोदाम बनें जिनका वह इस्तेमाल करें और इसके लिये हम को-आपरेटिव्ज को एन्करेज कर रहे हैं और जितना हो सकता है इसको बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शालीमार गांव, दिल्ली में मकान आदि का गिराया जाना

*310. **श्री नारायण चौबे :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में शालीमार गांव में अनेक छोटी फैक्टरियां तथा रिहायशी मकान गिराए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनकों वैकल्पिक स्थान देने के लिए कोई कदम उठाए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) 31-5-1980 और 6-6-80 के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शालीमार बाग में 58 संरचनाओं को गिराया क्योंकि वे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबंधों का उल्लंघन करके बनाई गई थीं, दिल्ली

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि शालीमार बाग में कोई रिहायशी मकान नहीं गिराया गया। अधिकांशतः फैक्टरियों, गोदामों के प्रयोग के लिए गैर-कानूनी तौर पर निर्माणाधीन पहले ही बनाई गई संरचनाओं को हटाया गया था। केवल 4 संरचनाओं में कुछ व्यक्ति थे जो कुछ औद्योगिक गतिविधियों की स्थापना की प्रक्रिया में व्यस्त थे।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तारों का गन्तव्य स्थलों पर न पहुंचाया जाना

*311. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से तार अपने गंतव्य स्थलों पर कभी भी नहीं पहुंचते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि भेजने वाले का तार गंतव्य स्थल पर समय पर न पहुंचे अथवा पहुंचे ही नहीं, तो क्या उसे तार की राशि लौटाई जाती है; और

(घ) भेजने वाले को इस बात का कैसे संतोष हो कि उसका भेजा हुआ तार पहुंचा दिया गया है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यदि तार न पहुंचे अथवा तार सेवा की खराबी की वजह से तार बहुत अधिक देरी से पहुंचे तो दिए गए तार का शुल्क लौटा दिया जाता है ।

(घ) प्रेषक निम्न सुविधाओं का लाभ उठा सकता है :

(i) "वितरण की अधिसूचना" सुविधा

अथवा

(ii) अतिरिक्त तार प्रभार की अदायगी करने पर "दत्त शुल्क संज्ञापन" सुविधा।

अन्तःसागरीय (सबमेंरीन) टेलीफोन केबल सम्पर्क (लिंक)

*313. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तःसागरीय टेलीफोन केबल सम्पर्क की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या निष्पादित की जा रही परियोजना राष्ट्रमंडल के सात देशों का बहुमुखी उद्यम है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे अत्यधिक क्षमता वाली अन्तर्राष्ट्रीय अन्तःसागरीय केबल

व्यवस्था (नेट वर्क) के साथ पहली बार भारत को जोड़ते हुए पेनांग के साथ मद्रास को जोड़ा जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस व्यवस्था के साथ किन-किन अन्य देशों को जोड़ा जायेगा और इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां । मद्रास और मलेशिया में पेनांग के बीच समुद्री टेलीफोन केबल सम्पर्क की स्थापना के लिए हिन्द महासागर राष्ट्रमण्डल केबल (आई० ओ० काम०) नामक परियोजना पर काम चल रहा है ।

(ख) यह परियोजना, सात राष्ट्रमण्डल देशों यथा–भारत, मलेशिया, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका और कनाडा के बाहरी दूरसंचार प्रशासनों का संयुक्त उपक्रम है ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस केबल प्रणाली के साथ आरम्भ में नीचे लिखे देशों को जोड़ने का प्रस्ताव है :

1. मलेशिया
2. सिंगापुर
3. हांगकांग
4. जापान
5. फिलिपीन्स
6. आस्ट्रेलिया
7. संयुक्त राज्य अमेरिका
8. कनाडा ।

समुद्री केबल और उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा संसार के अन्य देशों के साथ भी संचार सम्पर्क स्थापित किया जा सकेगा ।

केबल की लागत में भारत का हिस्सा 20.19 करोड़ रुपए का होगा और मद्रास स्थित पारेषण/अभिग्रहण अन्तस्थ कम्पलेक्स (स्विचिंग केन्द्र) के लिए 10.09 करोड़ रुपए लगेंगे ।

पटना में टेलीफोन व्यवस्था

*314. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में टेलीफोन व्यवस्था शोचनीय अवस्था में है;

(ख) क्या पटना से प्रकाशित होने वाले "इंडियन नेशनल सर्चलाइट" आदि दैनिक समाचार पत्रों में पटना में विद्यमान टेलीफोन व्यवस्था के विरुद्ध शिकायतें अक्सर छपती रहती हैं;

(ग) क्या इस तरह की शिकायतें सरकार को भी भेजी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है; और

(ङ) टेलीफोन प्रयोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । लेकिन सर्चलाइट समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख के बारे में जिला प्रबंधक टेलीफोन, पटना को 22-5-80 को जानकारी मिली ।

(ग) और (घ) जी नहीं ।

(ङ) तथापि "सर्चलाइट" समाचार पत्र में प्रकाशित लेख कुछ खास नम्बरों के बारे में था। खराबियां दूर कर दी गई हैं।

सेवानिवृत्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों की मूल्य निर्धारकों के रूप में नियुक्ति

*315. **श्री के० मालन्ना : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवानिवृत्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों सहायक इंजीनियरों को, जिनके पास डिप्लोमा है, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों द्वारा कराये जाने वाले काम का निरीक्षण करने के लिए स्नातक इंजीनियरों के समकक्ष समझा जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मूल्यांकन सेल बनाये जाने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों सहायक इंजीनियरों को, जिनके पास डिप्लोमा है उस सेल में मूल्य निर्धारण के कार्य के लिए उसी हैसियत में नियुक्त किया जा रहा है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर-बोर्ड द्वारा संपदा शुल्क तथा धन-कर के लिए मूल्य निर्धारकों के रूप में सेवानिवृत्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों का जिनके पास डिप्लोमा है, पंजीकरण नहीं किया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उनको अधिकृत मूल्य निर्धारिक के रूप में पंजीकृत करने का है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) यह सही है।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकन कक्ष में नियुक्तियां अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर की जाती हैं चाहे वे स्नातक हों या डिप्लोमाधारी।

(ग) सरकार केवल उन व्यक्तियों को स्वीकृत मूल्यांकन के रूप में पंजीकृत करती है जो सम्पत्ति कर और सम्पदा-ड्यूटी नियमों में निर्धारित कसौटी को पूरा करते हैं। यहां तक कि डिप्लोमा धारियों को भी जो केन्द्रीय सरकार के अधीन उच्चतर पदों/सेवाओं पर भर्ती के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त हैं, अनुमोदित मूल्यांकन के रूप में पंजीकृत किया जाता है।

(घ) सरकार का उन डिप्लोमाधारी सेवानिवृत्त कार्यपालक इंजीनियरों को पंजीकृत करने का प्रस्ताव नहीं है जो सरकार द्वारा अपने उच्च पदों/सेवाओं पर भर्ती के प्रयोजनों के लिये मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कर्मचारियों द्वारा लेखा परीक्षा

*316. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के लेखा परीक्षा कर्मचारियों को विभिन्न निकायों का लेखा परीक्षा कार्य सौंपा गया था और यदि हां, तो कब से;

(ख) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार दिल्ली के लेखा परीक्षा कर्मचारियों के कार्यों का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या हाल में लेखा परीक्षा कार्य प्राइवेट चार्टर्ड एकाउटेंटों को सौंपा गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या लेखा परीक्षा कर्मचारियों ने नवम्बर, 1979 में अभ्यावेदन दिया था यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) सहकारी समितियों के पंजीयक अपनी सांविधिक ड्यूटी पूरी करने के लिए लेखा परीक्षा स्टाफ को पंजीकृत सहकारी समितियों के खातों की लेखा-परीक्षा करने के लिए तैनात करते हैं, जोकि उनकी सामान्य ड्यूटी का एक भाग है।

(ग) जी हां। कुछ सहकारी समितियों के मामले में ऐसा किया गया है।

(घ) विभागीय लेखा परीक्षा स्टाफ की कमी होना इसका मुख्य कारण है।

(ङ) तथा (च) जी हां। दिल्ली स्थित सहकारी समितियों के पंजीयक को एक अभ्यावेदन भेजा गया था। सक्षम प्राधिकारी के रूप में दिल्ली प्रशासन इस अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों के प्रति जागरूक है।

उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद

*317. **श्री दया राम शाल्य** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश से जिला-वार कितनी गेहूं की खरीद की गई;

(ख) इस प्रयोजन के लिये राज्य में कितने कर्मचारी नियुक्त किए गए थे;

(ग) क्या सरकार को यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि किन्हीं स्थानों पर किसानों को गेहूं का खरीद मूल्य प्राप्त करने में दिक्कतें उठानी पड़ी थीं; यदि हां, तो ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ख) जिन तीन राज्य एजेन्सियों ने उत्तर प्रदेश में वसूली सम्बन्धी कार्य शुरू किया है, उन्होंने लगभग 10,100 व्यक्ति इस कार्य पर लनाए हैं। भारतीय खाद्य निगम के फील्ड यूनिटों द्वारा वास्तव में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थीं। तथापि, राज्य सरकार ने रामपुर और शाहजहांपुर जिलों से दो शिकायतें प्राप्त होने के बारे में सूचित किया है। रामपुर के बारे में जो शिकायत उनके ध्यान में लायी गई थी, उसको पहले ही दूर कर दिया गया है और राज्य सरकार ने किसान मजदूर वाहिनी, शाहजहांपुर द्वारा की गई शिकायत के बारे में भी कार्यवाई शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चालू मौसम के दौरान राज्य में क्रय कार्य निर्विघ्न रहा है।

विवरण

रबी विपणन मौसम 1980-81 के दौरान उत्तर प्रदेश में गेहूं की जिलावार वसूली

(26-6-80 की स्थिति)

(आंकड़े मीटरी टन में)

जिले का नाम	वसूली की गई मात्रा
देहरादून	121
सहारनपुर	43,952
मुजफ्फरनगर	24,716
मेरठ	22,760
गाजियाबाद	13,137
बुलन्दशहर	91,413
बिजनौर	6,313
अलीगढ़	16,520
मथुरा	2,885
आगरा	29
मैनपुरी	101
एटा	987
मुरादाबाद	33,212
रामपुर	35,655
पीलीभीत	41,117
बदायूं	13,371
बरेली	12,840
शाहजहाँपुर	43,808
नैनीताल	63,682
झांसी	1
बांदा	11
इटावा	14
फरुखाबाद	30
कानपुर	6
फतेहपुर	5
इलाहाबाद	4
लखीमपुर	13,135
सीतापुर	179
हरदोई	115
उन्नाव	14
लखनऊ	2

रायबरेली		40
गोंडा		33
बहराइच		5
फैजाबाद		65
सुलतानपुर		11
बाराबंकी		123
प्रतापगढ़		2
बस्ती		142
देवरिया		5,604
गोरखपुर		18,288
आजमगढ़		34
	जोड़	504,482

पुनर्वास कालोनियों के निवासियों को ऋण

*320. **श्री चिरंजीलाल शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों के निवासियों को आवास संबंधी ऋण देने के संबंध में अब तक किए गए उपायों का स्वरूप और ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितना ऋण वितरित किया गया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में आंशिक रूप से बने मकानों को पूरा करने के लिए 8.84 करोड़ रुपये ऋण के रूप में वितरित किये हैं।

गुजरात में गंदी-बस्तियां हटाने का कार्य

*321. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां बड़े शहरों के 15 से 25 प्रतिशत तक लोगों के पास नियमित मकान न होने के कारण गंदी बस्तियां हटाने का कार्य बहुत बड़ा हो गया है; और

(ख) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम ने गुजरात स्लम-क्लियरेंस (गन्दी-बस्ती हटाने वाले) बोर्ड को राज्य में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु उसकी योजना के लिए धनराशि मंजूर की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) भारत सरकार को मालूमहै कि गुजरात के प्रमुख शहरों की कतिपय प्रतिशत आबादी गंदी बस्ती क्षेत्रों में रहती है।

(ख) 9-6-1980 को आवास तथा नगर विकास निगम ने गुजरात गंदी बस्ती सफाई

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत 18 आवासीय योजनाओं को मंजूरी दी है । इन योजनाओं की कुल परियोजना लागत 751.24 लाख रुपये है जिसमें 627.55 लाख रुपये की निगम की ऋण वचनबद्धता शामिल है । ये योजनाएं राज्य के विभिन्न नगर केन्द्रों में लागू हैं और इन योजनाओं के पूर्ण हो जाने के बाद, इससे 4998 आर्थिक दृष्टि से कममोर वर्गों और 9670 निम्न आय वर्गों के परिवारों के लिए रिहायशी वास की व्यवस्था हो जायेगी ।

आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में डाक तथा तार कार्यालय खोला जाना

*322. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेश रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक डाक तथा तार कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो नए डाकघर तथा तारघर खोलने की कसौटी क्या है; और

(ग) आगामी योजनावधि के दौरान गुजरात राज्य में कितने डाकघर तथा तारघर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां ।

(ख) सूचना दर्शाने वाले विवरण पत्र सभा पटल पर रखे जा रहे हैं ।

(ग) 1980-85 की अवधि की नयी पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है । नयी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात प्रतिवार्षिक आधार पर राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे ।

विवरण -I

देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए नए मानदंड :

ग्रामीण इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

(1) सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर और

(2) पहाड़ी, आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर ।

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर :

(1) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलो मीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो ।

(2) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) उस गांव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए ।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलो मीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

2. पहाड़ी, आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर :

(1) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलो मीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

विवरण-2

तारघर खोलने हेतु नीति :

स्थानों की श्रेणियां

1. जिला मुख्यालय,
2. उप-मंडलीय मुख्यालय,
3. तहसील मुख्यालय,
4. उप-तहसील मुख्यालय,
5. ब्लाक मुख्यालय,
6. ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो,
7. वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।

संयुक्त डाकघर खोलने हेतु शर्तें:

साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत तथा पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

8. **ग्राम रास्ते से दूर के स्थान :**

संयुक्त डाकघर खोलने हेतु शर्तें

(क) मौजूदा तारघर से 20 किलो मीटर से बाहर (अरीय दूरी) होनी चाहिए।

(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

9. **पर्यटन/तीर्थ/केन्द्र/कृषि/सिंचाई/विद्युत परियोजना स्थल/नगर**

संयुक्त डाकघर खोलने हेतु शर्तें :

(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए ।

10. **सभी अन्य स्थान :**

संयुक्त डाकघर खोलने हेतु शर्तें :

वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या घाटे के मामलों में किराये और गारंटी के आधार पर ।

नोट–1 : केवल आदिवासी क्षेत्रों के मामलों में किसी केन्द्रीय ग्राम से 10 किलो मीटर की अरीय दूरी के ग्राम समूहों को छोड़कर, जन संख्या संबंधी आंकड़े पर विचार करते समय केवल अकेले नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार करना चाहिए न कि नगरों या ग्रामों के समूहों की जनसंख्या पर ।

नोट–2 : यदि प्रस्तावित तारघर के 8 किलोमीटर के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई भी तारघर नहीं खोला जाना चाहिए ।

कर्नाटक में गरीब तबके के लोगों के लिए मकान

*323. **श्री ओस्कर फर्नांडीस** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में और विशेष रूप से समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए आवास की समस्या का समाधान करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण निर्धनों के लिए 12,352 मकानों का निर्माण करने के लिए 7.58 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग करते हुए सितम्बर, 1979 में एक प्रस्ताव भेजा था ।

(ख) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के परामर्श से प्रस्ताव पर विचार किया गया था और इसमें पाई गई कमियों के साथ-साथ प्राक्कलनों में मितव्ययिता बरतने के सुझाव राज्य सरकार को नवम्बर, 1979 में भेज दिया गया था । राज्य सरकार से परिशोधित प्राक्कलन की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है ।

चीनी उद्योग प्रोत्साहन

*324. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चीनी मिल संगठन और सहकारी चीनी कारखानों

के राष्ट्रीय संघ के प्रतिनिधियों को उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि सम्पत समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रश्न को जल्दी ही तय किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है और उसका ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो कब तक किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चीनी उद्योग के ऊंची लागत के यूनिटों–दोंनों नयी फैक्ट्रियों तथा विस्तार वाली फैक्ट्रियों–को परिवर्तित पैरामीटरों की दृष्टि में आर्थिक रूप से सक्षम बनाने से संबंधित दिसम्बर, 1975 में लागू की गई प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना की समीक्षा और उसमें संशोधन करने के लिए गठित किए गए अन्तर-मंत्रालीय ग्रुप की रिपोर्ट सरकार को मई, 1980 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हो गई है। इस रिपोर्ट पर विचार करने और उस पर सरकार के निर्णय को घोषित करने का कार्य अग्रता के आधार पर शुरू कर दिया गया है।

डी० डी० ए० कर्मचारियों द्वारा स्टाफ कार का उपयोग

2314. **श्री० एस० एम० कृष्ण : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० के फील्ड विभाग में तथा सचिवालय में अधिकारियों की किन श्रेणियों को अपने उपयोग के लिए 'स्टाफ कार' का लेबल लगी हुई जीपें दी गई हैं और यदि हां, तो डी० डी० ए० के पास ऐसी कितनी जीपें हैं;

(ख) यह वाहन अपने निवास स्थानों में रखने की किन अधिकारियों की अनुमति है;

(ग) क्या वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी यह आदेश कि वाहनों को अधिकारियों के निवास स्थानों पर नहीं रखा जाना चाहिए, डी० डी० ए० पर लागू नहीं होता है यदि हां, तो क्यों नहीं;

(घ) क्या गैर सरकारी प्रयोग के लिए ऐसे वाहनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गई है यदि हां, तो क्या है; और

(ङ) क्या निवास स्थान से कार्य स्थल तक जाने और वापिस आने के लिए निःशुल्क परिवहन की इस परिलब्धि की ऐसे उपयोगकर्ताओं से वसूल किए जाने वाले आयकर की गणना करते समय उसमें शामिल किया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जिन अधिकारियों को काफी यात्रा करनी पड़ती है उनको या तो स्टाफ कार दी गई है या उनको यात्रा भत्ता मंजूर किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुल 47 जीपें हैं।

(ख) तथा (ग) उपाध्यक्ष की विशिष्ट मंजूरी के बिना किसी भी अधिकारी को कार्यालय की गाड़ी अपने निवास स्थान पर खड़ी करने की इजाजत नहीं है।

(घ) लाग-बुकों में नियमित रूप से इन्दराज किए जाते हैं और किसी भी दुरोपयोग को रोकने के लिए उनका नियमित निरीक्षण किया जाता है। जब कभी निजी प्रयोजनों के लिए कोई गाड़ी प्रयोग की जाती है, तो गाड़ी प्रयोग करने वाले अधिकारी के वेतन से आवश्यक कटौती की जाती है।

(ङ) आयकर की गणना करने के लिए, सरकारी वाहनों का उपयोग करने वाले अधिकारी को केवल 1000 रुपये की मानक छूट दी जाती है। परिलब्धियों की गणना आयकर प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

राज्य में मद्यनिषेध के मामले में प्रगति

2315. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राज्यों में मद्यनिषेध के मामले में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ कमियों के कारण जो राज्य शुष्क भी हैं उनमें शराब पीने वालों को पहिले की भांति हमेशा शराब मिलती है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि डाक्टरी आधार पर परमिट बड़ी उदारता से दिए जाते हैं जब कि पियक्कड़ों की संख्या कम है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बिहार, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में पूर्ण मद्यनिषेध है। कुछ राज्यों ने विशिष्ट इलाकों में मद्यनिषेध घोषित कर रखा है। अन्य राज्यों द्वारा किए गए उपाय विभिन्न प्रकार के हैं, जिनमें मद्यवर्जित दिनों की संख्या को बढ़ाना, शराब से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना, पेय एल्कोहल को सप्लाई में कमी करना, इत्यादि शामिल हैं।

(ख) और (ग) मद्यनिषेध वाले राज्यों में कानून का उलघन करने वाले व्यक्तियों से निपटना संबंधित राज्यों की जिम्मेदारी है जो कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने में समर्थ हैं। इसी प्रकार मैडिकल आधार पर परमिट देने सम्बन्धी उपबंधों के गलत प्रयोग को रोकना भी राज्य सरकारों के अधिकारियों के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

दिल्ली के लिए नई उत्पाद-शुल्क नीति

2316. **श्री भीकू राम जैन** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रति सप्ताह कितने दिन शराब की बिक्री बंद रहती है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में जिन दिनों शराब की दुकानें बंद रखी जाती हैं उनमें से अधिकांश दिन लोग हरियाणा जाकर शराब पी आते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछली सभी सरकारी छुट्टियां शराब "निषेध" दिवस (ड्राइ डेज) हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली के बारे में उत्पाद-शुल्क नीति में कुछ नई बात जोड़ने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 65 (1 अप्रैल, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि के लिए)।

(ख) दिल्ली में निषेध दिवस चूंकि अधिकतर हरियाणा राज्य में निषेध दिवसों के समान ही हैं, इसलिए दिल्ली में अधिकतर "निषेध दिवसों" में शराब पीने के लिए लोगों के हरियाणा जाने की बहुत ही कम सम्भावना है।

(ग) जी नहीं। केवल राजपत्रित सार्वजनिक छुट्टियों को ही दिल्ली प्रशान द्वारा निषेध दिवसों के रूप में घोषित किया गया है।

(घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा इस समय ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

पुणे के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से गृह निर्माण अग्रिमों के बारे में अभ्यावेदन

2317. **श्री आर० के० महालगी** : **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पुणे (महाराष्ट्र) के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से गृह निर्माण अग्रिम के बारे में दिनांक 30 जनवरी, 1979 का अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) उक्त अभ्यावेदन के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं और कर्यवाही कब तक की जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) पुणे से भेजा गया 30-1-1979 का अभ्यावेदन लगभग 13 व्यक्तियों से प्राप्त हुआ था।

(ख) यह मांग गृह-निर्माण अग्रिम की न दी गई किस्तों को देने के बारे में थी जबकि एक या दो किस्तें दे दी गई थीं और मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो गया था।

(ग) यह अभ्यावेदन साधारण किस्म का था और इस पर विचार किया गया। क्योंकि अभ्यावेदकों ने अपना पता या पद नाम नहीं लिखा था, इसलिए मन्त्रालय कोई उत्तर नहीं दे सका। इसके अतिरिक्त संबंधित मन्त्रालयों/विभागों द्वारा अलग-अलग मामलों में निधियों की स्वीकृति एवं निधियां प्रदान की जानी हैं क्योंकि इस कार्य को 1-4-1978 से विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

इस अभ्यावेदन में उल्लिखित प्रकृति के मामलों को निपटाने के लिए, जुलाई, 1979 में ये आदेश दिए गए थे कि 'वचनबद्ध देयता' पर सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाए और विशेष तौर पर उन सभी मामलों का निपटान किया जाए जहां गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और मकान बनाने के लिए पहली किस्त 1-4-79 से पूर्व दे दी गई है तथा दूसरी एवं बाद की किस्तें दी जानी हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मछली पकड़ने वाली यंत्रचालित नौकाओं में पूंजी निवेश

2318. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1980 को भारत में दर्ज मछली पकड़ने वाली यंत्रचालित नौकाएं कितनी थीं,

(ख) इन पोतों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है, अर्थात 40 फुट लम्बाई से कम की कितनी मत्स्यग्रहण नौकाएं, मत्स्यग्रहण पोत, पर्स साइनर्स, मदर शिप और फैक्ट्री शिप हैं, और

(ग) भारत में 1 जनवरी, 1980 तक, मछली पकड़ने वाली यंत्रचालित नौकाओं में कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी और उसमें सरकारी क्षेत्र की कितनी पूंजी लगी हुई है ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय खाद्य निगम में बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण

2319. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण होने के कारण भारतीय खाद्य निगम में असन्तोष व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस असंतोष को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम में श्रेणी 1 के अधिकारियों के स्थानान्तरण के कारण किसी असन्तोष की घटना की सरकार को कोई जानकारी नहीं है । इस प्रकार के स्थानान्तरण उच्चतर स्तरो की श्रेणी में पदोन्नतियों, श्रेणी 2 से श्रेणी 1 के पदों पर पदोन्नतियों, सेवा-निवृत्ति, त्यागपत्र देने और प्रतिनियुक्तियों से वापसी तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से करने पड़े थे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि उत्पादों के लिये निर्धारित समर्थन मूल्य

2320. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं, धान, गन्ना, कपास, प्याज, आलू तथा अन्य अनाजों तथा दालों जैसे कृषि उत्पादों के लिए राज्यवार क्या-क्या समर्थन मूल्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) 1 जनवरी, 1979 से 31 मार्च, 1980 तक उपरोक्त मदों के समर्थन मूल्यों तथा बाजार मूल्यों में राज्यवार तथा महीनेवार कितना-कितना अन्तर रहा ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) 1978-79 और 1979-80 में गेहूं, धान, गन्ना, कपास, प्याज, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, अरहर और मूंग के संबंध में सरकार द्वारा घोषित अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है । (विवरण–1) ।

(ख) अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य उपर्युक्त प्रत्येक कृषि जिन्स की औसतन अच्छी किस्म से संबंधित हैं, जबकि बाजार मूल्य एक किस्म से दूसरी किस्म और एक मण्डी से दूसरी मण्डी में भिन्न-भिन्न हैं। अतः उपयुक्त जिन्सों के लिये बाजार मूल्यों और अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्यों के बीच के विशेष अन्तर को बताना सही नहीं होगा।

विवरण-1

खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति मूल्य (विपणन वर्ष के अनुसार)

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	1978-79	1979-80
1	2	3
धान (मानक किस्म)	85.00*	95.00*
ज्वार	85.00	95.00
बाजरा	85.00	95.00
मक्का	85.00	95.00
गेहूं	112.50	115.00

*—मोटी किस्मों के लिये।

*—साधारण किस्मों के लिये (इसमें बोल्ड/शार्ट बोल्ड)

(कृषि जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य) विपणन वर्ष के अनुसार

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	1978-79	1979-80
1	2	3
चना	125.00	140.00
अरहर	155.00	165.00
मूंग	165.00	175.00
उड़द	ड० न०	175.00
कपास	255.00 (अमरीकन 320-एफ)	275.00 (320-एफ/414-एफ/जे-34)
प्याज	ड० न०	40.00
आलू	ड० न०	ड० न०
गन्ना	10.00*	12.50*

ड० न०=घोषित नहीं की गई।

ड. न.=घोषित नहीं की गई।

*ये मूल्य 1978-79 और 1979-80 के मौसमों के दौरान 8.5 प्रतिशत से अधिक की वसूली में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिये क्रमशः 11.76 और 14.71 पैसे प्रति क्विंटल प्रीमियम के साथ 8.5 प्रतिशत या कम से कम की वसूली के साथ संबंद्ध हैं।

प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा परराष्ट्रीय आय का पूंजी निवेश

2321. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, अलग-अलग प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा पर राष्ट्रीय आय के पूंजीनिवेश की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या भविष्य में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और गुणात्मक सुधार में अधिक पूंजी-निवेश किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शकरानन्द) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें उत्तरोतर पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्राथमिक, माध्यमिक और विश्व-विद्यालीय शिक्षा के लिये शिक्षा के अन्तर्गत योजनागत आवंटनों की प्रतिशतता दर्शाई गई है। विभिन्न वर्षों में राष्ट्रीय आय की तुलना में शिक्षा पर सरकारी खर्च की प्रतिशतता दर्शाने वाला अलग से एक और भी विवरण-2 संलग्न है।

(ख) और (ग) प्रारभिक शिक्षा के विस्तार और कोटि सुधार के लिए खर्च की जाने वाली राशि को बढ़ाने के प्रश्न पर पंचवर्षीय योजना, 1980-85 तैयार करते समय, यथोचित विचार किया जाएगा।

विवरण–1

योजनाएं	शिक्षा के अन्तर्गत मुख्य उप क्षेत्रों के लिए योजनागत आवंटनों की प्रतिशतता		
	प्रारंभिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	विश्वविद्यालीय शिक्षा
पहली योजना	58	13	9
दूसरी योजना	35	19	18
तीसरी योजना	34	18	15
चौथी योजना	30	18	25
पांचवीं योजना	32	19	23
छठी योजना प्रारूप (1978-83)	45	14	13

विवरण–2

वर्ष	राष्ट्रीय आय की तुलना में शिक्षा के कुल सरकारी व्यय (योजनागत और योजनेतर) की प्रतिशतता
1950-51	1.2
1955-56	1.9
1960-61	2.4
1965-66	2.9
1970-71	3.2
1975-76	3.5
1977-78	3,6
1978-79	3.7

देश में पीने योग्य पानी की अनुपलब्धता

2322. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे गांवों की राज्य-वार संख्या तथा प्रतिशतता कितनी है जहां पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है; और

(ख) ऐसे समस्त गांवों को जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है पीने के पानी की व्यवस्था करने में सरकार का कितना समय लग जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) पेय जल की व्यवस्था करना राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार के कहने पर 1972 में एक सर्वेक्षण किया गया था। परिणामस्वरूप देश के कुल 5.76 लाख ग्राम में से 1.53 लाख समस्याग्रस्त ग्रामों का पता लगाया गया। ये वे ग्राम है जहां 1.6 किलो मीटर से अधिक की दूरी पर या 15 मीटर से अधिक गहराई पर जल स्रोत हैं या जल स्रोत रोगाणुओं से दूषित हैं या जहां जल स्रोत में अत्यधिक खनिज हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। 1-4-1980 तक शेष जिन समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल की सुविधा दी जानी थी उनकी संख्या अनुलग्नक (विवरण) में दी गई है।

(ख) 1972 के सर्वेक्षण के पश्चात राज्य सरकारें समय-समय पर यह बताती आ रही हैं कि सर्वेक्षण अधूरा था और समस्याग्रस्त ग्रामों की श्रेणी में और भी अधिक ग्राम आते हैं। राज्यों को ऐसे समस्याग्रस्त ग्रामों की अन्तिम सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी संख्या दो लाख के करीब होगी। वर्ष 1980-85 के दौरान शेष सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को जल देने का विचार है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1-4-1980 तक जल की व्यवस्था करने के लिए शेष समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या	जिन ग्रामों के लिए अभी जल की व्यवस्था करनी है उनकी प्रतिशतता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	*	*
2.	असम	5504	82.39
3.	बिहार	*	*
4.	गुजरात	341	43.06
5.	हरियाणा	3928	90.57
6.	हिमाचल प्रदेश	6098	71.51
7.	जम्मू व कश्मीर	2847	89.22
8.	कर्नाटक	शून्य	शून्य
9.	केरल	432	92.90

1	2	3	4
10.	मध्य प्रदेश	2381	32.63
11.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य
12.	मणिपुर	1007	94.82
13.	मेघालय	3013	94.60
14.	नागालैण्ड	*	*
15.	उड़ीसा	*	*
16.	पंजाब	710	72.38
17.	राजस्थान	*	*
18.	सिक्किम	307	70.14
19.	तमिलनाडु	*	*
20.	त्रिपुरा	1703	73.53
21.	उत्तर प्रदेश	10670	83.94
22.	प्रश्चिम बंगाल	*	*
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	44	77.20
24.	अरुणाचल प्रदेश	*	*
25.	दिल्ली	96	76.80
26.	गोआ, दमण तथा दीव	*	*
27.	मिजोरम	*	*
28.	पांडिचेरी	54	72.00

सरकारी आवास

2323. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आबंटन वर्ष 1979-80 के दौरान उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उच्च श्रेणी का सरकारी आवास प्रदान करने की क्या व्यवस्था की है जिनके वेतन में जुलाई, 1978 से जून, 1980 तक की अवधि में संशोधन किया गया है और जो उच्चतर श्रेणी, अर्थात् 'बी' और 'सी' टाइप आवास पांने के हकदार हो गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उच्च श्रेणी अर्थात् 'बी' और 'सी' टाइप आवास की पात्रता के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का वेतन किस माह से गिना जाता है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) किसी विशिष्ट आबंटन वर्ष में, आबंटन के लिये किसी अधिकारी की पात्रता, इस प्रयोजन के लिये निश्चित एक विशिष्ट

*इन राज्यों से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

तारीख को उसके द्वारा ली जा रही परिलब्धियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। आबंटन के प्रयोजनों के लिए 1978-80 के आबंटन वर्ष में 1-7-78 को ली गई परिलब्धियों को ध्यान में रखा गया है। इस तारीख के बाद पुनरीक्षण के फलस्वरूप, यदि बाद की तारीख से परिलब्धियों में किसी प्रकार की वृद्धि हो जाती है तो आने वाले आबंटन वर्ष में उनकी पात्रता निर्धारित करने के लिये उसे ध्यान में रखा जाएगा।

अजमेर में स्थापित श्रमिक विद्यापीठ

2324. **श्री भगवान देव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के अजमेर नगर में एक 'श्रमिक विद्यापीठ' की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना वार्षिक व्यय किया जायेगा और क्या केन्द्रीय सरकार इसका समूचा व्यय वहन करेगी अथवा क्या राज्य सरकार भी इसमे अपना हिस्सा देगी;

(ग) उक्त विद्यापीठ में कितनी महिलाओं और बच्चों को प्रशिक्षित करन का विचार है; और

(घ) क्या सरकार वहां प्रशिक्षित महिलाओं और बच्चों को रोजगार देन की भी व्यवस्था करेगी ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) श्रमिक विद्यापीठ, अजमेर की स्थापना अजमेर प्रौढ़ शिश्रा संघ के तत्वावधान में की गई है।

(ख) इस संस्थान पर वर्ष 1979-80 के दौरान 1,25,345/- रुपय खर्च किये गये थे तथा वर्ष 1980-81 के लिए 1.80 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, श्रमिक विद्यापीठ अपनी निधि को शिक्षा शुल्क, चन्दे अथवा राज्य सरकार से सहायक अनुदानों/नियोक्ताओं इत्यादि से बढ़ा सकता है।

(ग) श्रमिक विद्यापीठ कामगारों के विशेष वर्गो तथा उसके परिवारों के सीखन तथा व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखकर आवश्यकता पर आधारित शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। श्रमिक विद्यापीठ के अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1980-81 के दौरान लगभग 1500 कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है।

(घ) श्रमिक विद्यापीठ का मुख्यत: संबंध संगठित, अर्धसंगठित तथा असगठित क्षेत्रों में कामगारों की शैक्षिक तथा कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाने की है।

मध्य प्रदेश में पीने के पानी की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

2325. **श्री माधव राव सिंधिया ;** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य को पीने के पानी की योजना के लिए मार्च, 1980 तक कुल कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि इसमें अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो प्रगति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) केन्द्रीय सरकार त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत जो 1977 में आरम्भ की गई थी, राज्य सरकारों को पेयजल योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 1980 तक मध्य प्रदेश को 899.95 लाख रुपये दिये गये हैं।

(ख) तथा (ग) राज्यों को वित्तीय सहायता संसाधनों की उपलब्धता, समस्या का स्वरूप, विशेष शर्तें, यदि कोई हों, इत्यादि, जैसे कारणों के द्वारा निर्धारित की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता उत्तरोत्तर बढ़ती रही है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट हो जायेगा :

वर्ष	दी गई राशि
1977-78	252.80 लाख रुपये
1978-79	290.00 लाख रुपये
1979-80	357.15 लाख रुपये

कोको का उत्पादन

2326. **श्री वी० के० नायर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कोको का कितना उत्पादन हुआ और भविष्य में इसका कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) इस पदार्थ को साफ करने तथा इससे विभिन्न उपभोक्ता वस्तुएं तैयार करने की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इससे बनी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए नये कारखाने खोलने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) विभिन्न राज्यों में कोको उत्पादन के सरकारी अनुमानों को संकलित नहीं किया जा रहा है। तथापि, अत्यंत मोटे अनुमान के अनुसार 1979 के दौरान कुल लगभग 1,000 मीटरी टन कोको की फलियों का उत्पादन हुआ था।

(ख) संगठित क्षेत्र में कोको के विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण के लिए, कोको की फलियों के रूप में 6009 मीटरी टन की वर्तमान क्षमता होने का अनुमान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

उन फर्मों के नाम जिन्हें नियंत्रित दरों पर कागज उपलब्ध कराया गया

2327 : **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी फर्मों/संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान कापियां बनाने के लिये नियंत्रित दरों पर कागज उपलब्ध कराया गया था;

(ख) कागज के आवंटन के लिये अपनाये गये नियम और मानदंड क्या हैं;

(ग) किन-किन निर्माताओं के खिलाफ घोटाला करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं; और

(घ) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार 1977-78 में दिल्ली प्रशासन द्वारा नियमित दरों पर कागज (1) दिल्ली राज्य कापी निर्माता संघ और (2) लघु उद्योग कापी निर्माता संघ को उनकी मांगों और अन्त:विभागीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वितरित किया गया था।

भारत सरकार द्वारा जारी की गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं का अनुपालन करते हुए जुलाई सितम्बर, 1978 और उससे आगे कागज आबंटित करने के लिए मार्च, 1978 में दिल्ली प्रशासन द्वारा अपनाए गए मानदण्ड ये थे :

(क) कापी निर्माता के पास अपेक्षित मशीनरी और निगम का लाइसेंस होना चाहिए।

(ख) कापी निर्माता को राज्य के उद्योग विभाग के पास लघु उद्योग के रूप मे पंजीकृत होना चाहिए।

(ग) केवल वे ही कागज के आबंटन के लिए पात्र होंगे जिन्होंने जून, 1978 अंत तक उद्योग विभाग में पंजीकरश के लिए आवेदन कर दिया था।

(घ) कापी निर्माताओं को पिछली तिमाही के कागज की खपत का विस्तृत परीक्षित लेखा प्रस्तुत करना चाहिए।

(ङ) कापी निर्माता भारत सरकार द्वारा परिचालित मानकीकृत पद्धति और संशोधित दरों के अनुसार अभ्यास पुस्तिकाएँ तैयार करेंगे।

उन कापी निर्माताओं की सूची संलग्न है जिन्हें समय-समय पर रियायती कागज जारी किया गया। उनमें से प्रत्येक को किया गया वास्तविक आवंटन प्रायः 2·5 टन से लेकर 7 टन प्रति तिमाही रहा जो दिल्ली प्रशासन को आबटित की गई कागज की मात्रा और राज्य स्तरीय समिति द्वारा अपनाए गए मानदण्डों के अनुसार था।

इनके अलावा, कुछ तिमाहियों में सुपर बाजार, दिल्ली विश्वविद्यालय, दि काउंसिल आफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी टोरों को कागज दिया गया।

(ग) और (घ) 106 निर्माताओं ने अपेक्षित मात्रा में अभ्यास पुस्तिकाओं की आपूर्ति नहीं की। दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दोषी निर्माताओं के विरुद्ध समुचित कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन द्वारा जिन कापी निर्माताओं को रियायती दर का कागज आबंटित किया गया था उनकी सूची

क्रम संख्या	फर्म का नाम व पता
1.	मैसर्स आदर्श कापी हाउस, 365 चितला गेट, दिल्ली ।
2.	,, अग्रवाल ब्रा० कटरा घूमिमल, चावड़ी बाजार, दिल्ली ।
3.	,, अमर कापी हाउस, 2437, धर्मपुरा, दिल्ली ।
4.	,, अग्रवाल सेल्स कार्पोरेशन, 2165 बाजार सीताराम, दिल्ली ।
5.	,, अहूजा कापी हाउस, 2923, गली तक्षशिला खुर्द, सीताराम बाजार दिल्ली ।
6.	,, एवन कापी हाउस, 3763, शाहगंज, अजमेरी गेट, दिल्ली ।
7.	,, अजन्ता कापी मैन्यूफैक्चर्स, पहाड़ी इमली, 1255 जामा मस्जिद दिल्ली ।
8.	,, अर्जुनदास एण्ड सन्स, 5542, न्यू मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली ।
9.	,, अल्पना कापी प्रोडक्ट्स, 51 गली राजा केदारनाथ, चावड़ी बाजार दिल्ली ।
10.	,, आनन्द सेल्स कार्पोरेशन, 3970, चावड़ी बाजार, दिल्ली ।
11.	,, अनिल ब्रादर्स 2899/15, सदर बाजार, दिल्ली ।
12.	,, आर्य ट्रेडिंग क० बी-475 रघवीर नगर, नई दिल्ली ।
13.	,, अरोड़ा बाइन्डिंग हाउस, 2448, नाईवाड़ा, दिल्ली ।
14.	,, अनेजा ट्रेडर्स 3618/26, सुदर्शन मार्किट, चावड़ी बाजार दिल्ली ।
15.	,, भाटिया एण्ड कं० चूना मण्डी, पहाड़ गंज, नई दिल्ली ।
16.	,, बिन्दरबन राम दर्शन, छोटा छीपीवाड़ा, चावड़ी बाजार, दिल्ली ।
17.	,, बिशन स्वरूप वेद प्रकाश, 2448, नाईवाड़ा, चावड़ी बाजार, दिल्ली ।
18.	,, बद्री प्रसाद एण्ड सन्स, 502, चितलागेट, दिल्ली ।
19.	,, बब्बर ब्रा० 365, चितला गेट, दिल्ली ।
20.	,, बिन्दरबन दिनेश कुमार, नई मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली ।
21.	,, भारत कापी हाउस, 5420 न्यू मार्किट, सदर बाजार दिल्ली ।
22.	,, भाटिया ट्रेडिंग कं० 694 अजमेरी गेट दिल्ली ।
23.	,, बन्ता कापी हाउस 2712, चूड़ीवालान, दिल्ली ।
24.	,, बिन्दरबन सत्य नारायण, 2726 चौक रायजी, चावड़ी बाजार दिल्ली ।
25.	,, बिन्दल कापी हाउस, 3862, चावड़ी बाजार, दिल्ली ।
26.	,, सेन्ट्रल कापी सप्लाई मैन्यू० 691 चितला गेट, दिल्ली ।
27.	,, कर्मशियल ट्रेडिंग क० 4407, नई सड़क, दिल्ली ।
28.	,, कर्मशियल पेपर कं० 938/1, छत्ता शाहजी, दिल्ली ।
29.	,, चावला पेपर प्रोडक्ट्स, 2968, कूचा माईदास, बाजार सीताराम, दिल्ली ।
30.	,, चावला कापी हाउस, 5318/4, सदर बाजार, दिल्ली ।
31.	,, दिल्ली कापी हाउस, 141, गली बताशा, चावड़ी बाजार, दिल्ली ।

32. मैसर्स दुर्गे कापी हाउस, कूंचा मीर आशिक, चावड़ी बाजार
33. ,, दरबारी लाल एण्ड सन्स, 56 खुर्शीद मार्किट, दिल्ली
34. ,, दामोदर दास कालू राम, 331 कूंचा मीर आशिक, चावड़ी बाजार दिल्ली
35. ,, डीलक्स कापी प्रोडक्ट्स, 5345, कूचा काशगीरी बाजार सीताराम
36. ,, दीपक वाइंडिंग हाउस, 981(4, छोटा छीपीवाड़ा, चावड़ी बाजार
37. ,, दुर्गा कापी हाउस, 3156 लाल दरबाजा बाजार सीताराम।
38. ,, फैन्सी कापी हाउस 5418, सदर ढाजार दिल्ली;
39. ,, फ्रन्टियर कापी हाउस, 271 कूंचा मीर आशिक, चावड़ी बाजार
40. ,, जनरल कापी हाउस, 4/991, चावड़ी बाजार दिल्ली
41. ,, गुलाटी ट्रेडर्स 6113 सदर बाजार दिल्ली
42. ,, गोपाल दास देश राज, 442, चितला गेट दिल्ली
43. ,, गिरधारी लाल पद्म कुमार, 349/1, चावड़ी बाजार दिल्ली
44. ,, गुलाटी पेपर एण्ड स्टेशनर्स मार्ट, 4079 नई सड़क दिल्ली
45. ,, गोयल सेल्स कार्पो० 2968 कूचा माई दास, बाजार सीताराम
46. ,, गोपीचन्द जैन एण्ड सन्स, 1201 चारहट जामा मस्जिद
47. ,, जनरल कापी कार्पो० 991/4, चावड़ी बाजार, दिल्ली
48. ,, गोविन्द राम मोतीवल चन्द 703, चावड़ी बाजार दिल्ली
49. ,, हरियाणा ट्रेडर्स चर्खेवालान, चावड़ी बाजार
50. ,, हिमालय ट्रेटर्स 2968 रघुगंज दिल्ली, (चावड़ी बाजार)
51 ,, हिन्दुस्तान ट्रेडर्स, 4036 चावड़ी बाजार, दिल्ली
52. ,, हरियाणा पेपर कनवर्टर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, दिल्ली
53. ,, हरबन्स लाल एंड कं०, दिल्ली
54. ,, हिन्द नेशनल बाइन्डिग हाउस, चावड़ी बाजार, दिल्ली
55. ,, इन्डियन कापी हाउस, 376/2, चितला गेट, दिल्ली
56. ,, इंटरनेशनल कापी हाउस, 24421, नाई बाड़ा, दिल्ली
57. ,, जगदीश कापी मैन्यू० 326 कूचा मीरआशिक, चावड़ी बाजार
58. ,, जगदीश ट्रेडिंग क० गली पहाड़ वाली, चावड़ी बाजार
59. ,, जगजीत ट्रेडर्स, 4036 चावड़ी बाजार, दिल्ली
60. ,, जयन्ती प्रसाद रोमेश चन्द्र 397/1, चितला गेट, दिल्ली
61. ,, जगन्नाथ एण्ड सन्स, न्यू मार्किट सदर वाजार, दिल्ली
62. ,, कालीराम रामअवतार, 310 कूचा मीर आशिक, चावड़ी बाजार
63. ,, जगत कापी प्रोडक्ट्स 580-81/4, मक्की मार्किट दिल्ली
64. ,, जिन्दल सेल्स कारपोरेशन, चूड़ीवालान, चावड़ी बाजार दिल्ली
65. ,, जैन ब्रा० 848, चितला गेट दिल्ली
66. ,, जैन ट्रेडर्स 437, चितला गेट, दिल्ली
67. ,, जनता कापी हाउस, ए-12/फेज-1, नारायणा, नई दिल्ली
68. ,, जैन फाइल प्रोडक्ट्स, 437, चितला गेट, चावड़ी बाजार

69. मैसर्स कथूरिया ट्रेडिंग कं०, 169 डी० बी० गुप्ता मार्किट, करोल बाग, नई दिल्ली
70. ,, खुराना बाइन्डिग हाउस, 627 चूड़ी वालान, दिल्ली
71. ,, के० बी० प्रोडक्ट्स, 5302 फस्ट फ्लोर, सिन्धी मार्किट सदर बाजार, दिल्ली
72 ,, कन्हैया लाल हरबन्स लाल, 2273 गली पहाड़वाली चावड़ी बाजार दिल्ली
73. ,, कन्हैया लाल, नरायन दास, 2356 धर्मपुरा, चावड़ी बाजार
74. ,, कंवल कापी कोपो०, 629 चूड़ीवालान, दिल्ली
75. ,, कमल कापी प्रोडक्ट्स, 5037 चौक राय, शाहगंज अजमेरी गेट
76. ,, कंवल ट्रेडिंग कं० 5414, न्यू मार्किट सदर बाजार, दिल्ली
77. ,, लक्ष्मी पेपर मार्ट 946 छत्ता शाहजी चावड़ी बाजार दिल्ली
78. ,, लकी पेपर प्रोडक्ट्स, 949 चावड़ी बाजार, दिल्ली
79. ,, मदन बाइन्डिग हाउस, 441 चितला गेट, दिल्ली
80. ,, मिनोचा बाइन्डिग हाउस, 2654, धर्मपुरा, दिल्ली
81. ,, मिनोचा एण्ड क० 424, मटिया महल, जामा मस्जिद
82. ,, मिलन कापी हाउस, 492 गली मटिया महल, जामा मस्जिद
83. ,, मनोहर सन्स, 310 कूचा मीर आशिक, चावड़ी बाजार दिल्ली
84. ,, मोहिन्दर बाइन्डिग हाउस, 5419/9 न्यू मार्किट सदर बाजार
85. ,, एन० ए० ट्रेडर्स, 39 ए० कमला नगर दिल्ली
86. ,, नेशनल कापी ट्रेडर्स 1181-82 जामा मस्जिद
87. ,, नेशनल ट्रेडर्स 692 चावड़ी बाजार दिल्ली
88. ,, नेशनल कापी सप्लाई कार्पो० 690 चितला गेट
89. ,, नवीन ट्रेडर्स 2210, गली पहाड़ वाली, दिल्ली
90. ,, नेशनल इन्टरप्राजिज, 826 चितला गेट, दिल्ली
91. ,, न्यू माडर्न रूलिंग एण्ड बाइन्डिग हाउस, चावड़ी बाजार दिल्ली
93. ,, नव भारत कापी हाउस, 4649 चर्खेवालान, दिल्ली
93. ,, नेशनल प्रोडक्ट्स, 970 छीपीवाड़ा, चावड़ी बाजार दिल्ली
94. ,, नावल्टी ट्रेडर्स, 4089 नई सड़क, दिल्ली
95. ,, नितिन एण्ड क० 174 गाँव किरारी पो० आ० नागलोई दिल्ली
96. ,, प्रताप ट्रेडर्स, 213 मस्जिद खजूर, चावड़ी बाजार
97. ,, प्रकाश कापी प्रोडक्टस 2321 धर्मपुरा, दिल्ली
98. ,, पोखरदास एण्ड सन्स, 2411, नाईवाड़ा, चावड़ी बाजार दिल्ली
99. ,, प्रभात पेपर एण्ड स्टेशनरी मार्ट, 5428 न्यू मार्किट सदर बाजार दिल्ली
100. ,, पंजाब कापी हाउस, 5297 न्यू मार्किट सदर बाजार दिल्ली
101, ,, फोनेक्स सेल्स, कार्पोरेशन, 456, चितला गेट, दिल्ली
102. ,, पायनियर पेपर प्रोडक्टस, 3871, दरियागंज, दिल्ली
103. ,, प्यारे लाल राम कुमार, 5535 गांधी मार्किट, सदर बाजार दिल्ली
104. ,, पेपर कन्वरटर्स एण्ड प्रिन्टर्स, 2343 छत्ता शाहजी, दिल्ली
105. ,, पारस ट्रेडर्स, 4579, कूचा बीबी गेट, चावड़ी बाजार, दिल्ली

दक्षिणी जोन

12. आन्ध्र प्रदेश
13. कर्नाटक
14. केरल
15. तमिलनाडु

पश्चिमी जोन

16. मध्य प्रदेश
17. महाराष्ट्र

इण्डोर स्टेडियम का निर्माण

*217. **श्री नारायण चौबे** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास 30,000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक विशाल इण्डोर स्टेडियम बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी निर्माण लागत क्या होगी और वार्षिक रख-रखाव खर्च क्या होगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्रस्तावित इण्डोर स्टेडियम की निर्माण की लागत अनुमानतः 12 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें वातानुकूलन भी शामिल है । इसके वार्षिक रख-रखाव के प्रभारों का हिसाब अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है ।

समाज कल्याण परामर्शदात्री बोर्डों को धन का आबंटन

*218. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के लिए समाज कल्याण परामर्शदात्री बोर्ड हेतु प्रत्येक राज्य को कितना धन आबंटित किया है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्यों ने आबंटित धन का पूरा उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार ने उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) एक विवरण जिसमें केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान विभिन्न राज्य बोर्डों को उपलब्ध की गई धनराशियों तथा इन तीन वर्षों में उनके द्वारा उपयोग न की गई शेष राशियों के बारे में विवरण के रूप में जानकारी दी गई है, संलग्न है ।

2. कुछ विकेन्द्रित योजनाओं को छोड़कर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड प्रत्येक राज्य बोर्ड को राज्यवार आबंटन नहीं करता है । राज्य बोर्डों से समय-समय पर मिले प्रस्तावों के अनुसार केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अधिकतर धनराशियां मंजूर और उन्मोचित की जाती हैं ।

(घ) बोर्ड के कार्यक्रमों को स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ।

विभिन्न राज्य बोर्डों के पास विभिन्न कारणों, जैसे समय पर स्वयंसेवी संस्थाओं से लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त न होना, स्वयंसेवी संस्थाओं का सामर्थ्य, इत्यादि से उपयोग न की गई धनराशियां शेष पड़ी रहती हैं। तो भी केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अगले अनुदानों का उन्मोचन करते समय विभिन्न राज्य बोर्डों के पास पड़ी उपयोग न की गई धनराशियों का समायोजन कर लिया जाता है। राज्य बोर्डों के पास उपयोग न की गई धनराशियों को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बना कर तथा अन्यथा प्रयत्न किए जा रहे हैं।

देश में गन्दगी और दूषण

*219. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण से देश के जलीय पर्यावरण के लिए गन्दगी और दूषण की विकट समस्या उत्पन्न हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या जल दूषण निवारण के विशेषज्ञ इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि देश के जलीय पर्यावरण में तब तक कोई महत्वपूर्ण सुधार होना सम्भव नहीं है जब तक नगरों का गन्दा पानी बिना साफ हुए प्राकृतिक जल मार्गों पर पड़ता रहेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या शहरीकरण के साथ-साथ सीवर सेवा और उद्योगों के कचरे और बेकार पानी की सफाई में सुधार नहीं हुआ है जिसके कारण अनेक नगरों में बहुत गन्दगी की स्थिति पैदा हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार ने देश में जल के प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण तथा जल की स्वास्थप्रदता को बनाए रखने तथा पुनः स्वास्थप्रद बनाने के लिए जल प्रदूषण (निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 बनाया। इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य निकाय के रूप में कार्य करने के लिए तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य बोर्ड के रूप में जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण का केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की है। इसी प्रकार से विभिन्न राज्य सरकारों ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के लिए राज्य बोर्डों की स्थापना की है।

अपशिष्ट को एकत्र, शोधन तथा निपटान के प्रबन्ध करने की जिम्मेवारी, राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों की है और उनको इसके लिए आवश्यक कार्यवाई करनी पड़ती है।

तूना मत्स्य-ग्रहण

220. **श्री के० ए० राजन :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्द महासागर के तूना संसाधनों का लाभप्रद उपयोग करने की सम्भावना की जांच करायी है ;

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) ग्रामीण डाकघरों हेतु प्रस्तावों पर निरन्तर विचार किया जाता है और जो मौजूदा निर्धारित मापदण्डों को पूरा करते हैं, प्रत्येक मंडल हेतु निर्धारित सीमा तक स्वीकृत किए जाते हैं। इस समय बाड़मेर जिले में पचपड़ तहसील के सिमारखिया और कांकरला में तथा सिवान तहसील के मोतीसारा में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। जैसलमरे जिले और जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में, सभी ग्राम पंचायत वाले ग्रामों तथा 1,000 तथा इससे अधिक की जनसंख्या वाले ग्रामों में पहले ही डाकघरों की व्यवस्था की जा चुकी है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

अलग-अलग जोनों में लेवी चीनी की अलग दरें

2329. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलग-अलग जोनों में लेवी चीनी की अलग-अलग दरें नियत करने के क्या कारण हैं और क्या कुछ जोनों में ये दरें उत्पादन लागत से भी कम हैं; यदि हां, तो किस जोन में और उसके क्या कारण हैं;

(ख) उन जोनों के नाम क्या हैं जिनमें लेवी चीनी की दरें सबसे अधिक हैं और उनमें उत्पादन लागत क्या है; और

(ग) गुजरात में लेवी चीनी की न्यूनतम दर निर्धारित करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) (क) : लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन से देश को टैरिफ आयोग और औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो जैसे विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों के आधार पर 16 भौगोलिक जोनों में बांटा गया है। इन निकायों ने अतीत में चीनी उद्योग के लागत ढांचे की जांच की है। निस्सन्देह यह ठीक है कि दक्षिणी बिहार को छोड़कर सभी जोनों में लेवी चीनी के दाम उत्पादन की लागत से कम हैं। इसका कारण यह है कि मौजूदा दोहरी मूल्य नीति के अधीन फैक्ट्रियों को लेवी चीनी के रूप में सरकारी नामितों को उत्पादन का 65 प्रतिशत बेचना पड़ता है और अपने उत्पादन के शेष 35 प्रतिशत को वे खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं। लेवी चीनी के लिए दिए जाने बाले मूल्य की गणना करते समय फैक्ट्रियों को खुले बाजार में बेची जाने वाली 35 प्रतिशत चीनी का जो मूल्य मिलेगा उसे ध्यान में रखा जाता है। इस आधार पर फैक्ट्रियों को लेवी चीनी और खुली बिक्री की चीनी दोनों को मिलाकर जो राशि प्राप्त होती है, उससे उनकी उत्पादन लागत पूरी हो जाएगी, जिसमें उचित लाभ भी शामिल है।

(ख) लेवी चीनी का मूल्य दक्षिण बिहार जोन में सबसे अधिक है, यहां उत्पादन की लागत 306.19 रुपये प्रति क्विंटल है।

(ग) गुजरात के बारे में लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करने में वही सिद्धान्त अपनाये गए हैं जोकि अन्य जोनों के लिए अपनाये जाते हैं।

आरालम स्टेट फार्म, कैनानौर में हड़ताल

2330. **श्री बी० के० नायर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैरानौर जिले के आरालम स्थित सेन्ट्रल स्टेट (केन्द्र-राज्यीय) फार्म में श्रमिकों की हड़ताल अभी भी चल रही है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस मामले में समझौता कराने तथा संबंधों को मधुर बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव): (क) जी हां ।

(ख) आरालम में हड़ताल का मुख्य कारण यह है, कि दैनिक वेतन पाने वाले श्रमिक वेतन बढ़वाने की मांग कर रहे हैं । यह नीति संबंधी विषय है और भारतीय राज्य फार्म निगम अपने विभिन्न फार्मों में काम करने वाले दैनिक श्रमिकों को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कृषि श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की हुई दरों पर मजदूरियां दे रहा है । आरालम फार्म में भी, केरल सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार भुगतान किया जा रहा है । हड़ताल समाप्त कराने के बारे में भारतीय राज्य फार्म निगम, केरल सरकार तथा भारत सरकार के बीच बातचीत हो रही है ।

भारतीय खाद्य निगम के उत्तर जोन में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नतियां

2331. **श्री चन्द्र पाल शैलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम अपने उत्तर क्षेत्र में श्रेणी-3 तथा श्रेणी-2 में चयन द्वारा पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण के नियमों का पालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो (एक) 1976 तथा 1979 में वर्ष-वार कितने उम्मीदवार पदोन्नत किये गये (दो) प्रत्येक सूची में अनु-जाति तथा अनु-जनजाति के कुल कितने उम्मीदवार थे और कितने पदोन्नत किये गये और (तीन) प्रत्येक सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल कितने उम्मीदवार थे और कितने उम्मीदवारों के बारे में विचार किया गया;

(ग) यदि अनु-जाति तथा अनु-जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे तो क्या आवेदन करने के पात्र अनुसूचित जातियों के मामले पर अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित कोटे के समक्ष विचार किया गया; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों के कितने पद अनुसूचित जनजातियों से और अनुसूचित जनजातियों के कितने पद अनुसूचित जातियों से भरे गये ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) 1978 में कई एक संवर्गों में विचारार्थ जोन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे । अतः परस्पर-समायोजन नहीं किया जा सका था । 1979 में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 6 पदों को अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भरा गया था । अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोई भी पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से नहीं भरा गया था ।

क्रम सं०	संवर्ग	सूची में नाम देने की तारीख	विवरण: जिन उम्मीदवारों को परदोन्नति दी गई उनकी संख्या	विवरण: अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पदोन्नति — अनु०जाति	विवरण: अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पदोन्नति — अनु०जन जाति	विवरण: जिन उम्मीदवारों के बारे में विचार किया गया उनकी संख्या	विवरण: जिन अनु०जाति और अनु०जनजाति के उम्मीदवारों के बारे में विचार किया गया — अनु०जाति	विवरण: जिन अनु०जाति और अनु०जनजाति के उम्मीदवारों के बारे में विचार किया गया — अनु० जन जाति	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1978									
1.	सहायक प्रबन्धक (डिपो)	24-4-78	34	4	—	141	13	1	सतर्कता संबंधी क्लीयरेन्स प्राप्त न होने के कारण अनुसूचित जाति के एक अधिकारी की पदोन्नति लम्बित पड़ी है।
2.	वही	22-12-78	11	—	—	64	4	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	सहायक प्रबन्धक (गु० नि०)	2-5-78	37	3	–	111	4	–	सतर्कता संबंधी क्लीयरेन्स प्राप्त न होने के कारण अनुसूचित जाति के एक अधिकारी की पदोन्नति लम्बित पड़ी हैं।
4.	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	22-12-78	2	1	–	4	1	–	
5.	सहायक प्रबन्धक (मैक०)	वही	2	–	–	2	–	–	
6.	सहायक प्रबन्धक (संचलन)	2-5-78 और 22-12-78	8	–	–	17	–	–	विचारार्थ जौन में कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे ।
1979									
1.	सहायक प्रबन्धक (डिपो)	7-5-70	63	15	–	210	29	1	सतर्कता संबंधी क्लीयरेन्स प्राप्त न होने के कारण 3 अनुसूचित जातियों और एक अनुसूचित जन जाति

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									के अधिकारी की पदोन्नति लम्बित पड़ी है । अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 6 पदों को अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा गया ।
2.	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	7-5-79	32	8	–	120	8	–	
3.	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	3/4-9-79	10	–	–	13	–	–	विचारार्थ जौन में कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारी उपलब्ध नहीं थे ।
4.	सहायक प्रबन्धक	वही	5	–	–	23	–	–	वही

इंडियन स्कूल आफ माइन्स में अनियमितताओं से संबंध में तथ्यों का पता लगाने वाली समिति

2332. **श्री ए० के० राय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्मचारी बोर्ड के अध्यापक-प्रतिनिधियों और इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के निदेशक के बीच अनवरत तनाव की जानकारी है जिससे गत कुछ वर्षों से अध्यापन और संस्थान के शान्तिपूर्ण वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार संस्थान में पुनः शान्ति लाने हेतु मामले को मैत्रीपूर्ण ढंग से हल करने के लिए हस्तक्षेप करेगी;

(ग) क्या इंडियन स्कूल आफ माइन्स में कुछ अनियमितताओं की जांच करने के लिए जनता शासन के दौरान गठित तथ्यों का पता लगान वाली समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) सरकार को स्कूल में किसी प्रकार के तनाव की कोई जानकारी नहीं है, जो अध्ययन तथा परिसर के शांत वातावरण को प्रभावित कर रहा है। तथापि, कार्यकारी बोर्ड के अध्यापक-प्रतिनिधियों द्वारा निदेशक के विरुद्ध कुछ शिकायतें की गई हैं। कार्यकारी बोर्ड ने इन शिकायतों की जांच करने के लिए तथ्य का पता लगाने वाली एक समिति नियुक्त की है।

(ख) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सरकार तथ्य पता लगाने वाली समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

(ग) जी, नहीं। स्कूल के कार्यकारी बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति से अपनी रिपोर्ट जल्दी ही प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा आधार पर अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन

2333. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा आधार पर छह महीने के लिये मंजूर किये गये अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र नहीं दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979-80 में, राज्यवार, छह महीने के लिए अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों के कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे;

(ग) उनमें से कितने आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिये गये थे और उनमें से कितने आवेदन-पत्र बकाया हैं जिन्हें अभी तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिये गये हैं;

(घ) क्या छः महीने के लिए अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन शेष आवेदकों को दे दिए जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) मंजूर किए गए अस्थायी टेलीफोन निर्धारित प्रभारों की अदायगी के पश्चात बगैर किसी परिहार्य विलंब के दे दिए जाते हैं परन्तु यदि केवल युग्म उपलब्ध न हों तो कुछ मामलों में कनेक्शन देने में देरी हो सकती है।

(ख) और (ग) सामान्यतः आवेदन पत्रों की सूचियां तैयार नहीं रखी जाती हैं और सिर्फ मंजूर किए गए मामलों का ही रिकार्ड रखा जाता है। फिर भी कुछ मामलों में सूचना संकलित की गई है और यह सूचना अनुबंध "क" में दी गई है।

(घ) और (ङ.) जी नहीं। आवेदन पत्रों को प्रतीक्षा सूची में नहीं रखा जाता और यदि उनको किसी कारणवश मंजूर नहीं किया जाता तो प्राप्त होने के तुरंत बाद मामला समाप्त हुआ समझा जाता है।

विवरण

अनुबंध–क

क्र. स.	दूरसंचार सर्किल टेलीफोन जिले का नाम	1979-80 के दौरान छः महीनों के लिए अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्राप्त आवेदन पत्र	प्रदान किए गए अस्थायी टेली-फोनों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें टेली-फोन नहीं दिए गए
1	2	3	4	5
	दूरसंचार सर्किल			
1.	गुजरात	53	37	15
2.	केरल	140	99	41
3.	उत्तर प्रदेश	189	144	45
	टेलीफोन जिला			
1.	अमृतसर	22	22	कुछ नहीं
2.	बड़ौदा	17	11	6
3.	जलंधर	36	16	कुछ नहीं
4.	लुधियाना	36	36	कुछ नहीं
5.	मदुरै	6	5	1
6.	नागपुर	21	16	5
7.	इन्दौर	5	2	3
8.	सूरत	12	8	4

देश के अर्ध नगरीय क्षेत्रों में पेय जल की सुविधायें

2334. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने अर्ध नगरीय क्षेत्रों सहित पेय जल की सुविधाओं वाले समस्यामूलक गाँवों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो वार्षिक योजनाओं में पेय-जल उपलब्ध कराने के लिये, राज्यवार कितने समस्यामूलक गाँवों को लिया गया है;

(ग) पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था के लिये राज्यों के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में राज्यवार कितने आदिवासी गांवों को चुना गया था और इन क्षेत्रों के लिए राज्य क्षेत्र से कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में धनराशि खर्च करने के लिए अब तक राज्यों को इस मन्त्रालय द्वारा कितनी राशि निर्धारित की गई है और रीलीज की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 1972 में केन्द्रीय सरकार के कहने पर एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 1-53 लाख समस्यामूलक ग्रामों का पता लगाया गया, जिनमें स्वच्छ पेय जल की सुविधाओं की कमी है । सर्वेक्षण 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्व ग्रामों के आधार पर किया गया था ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए चुने गए आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में आदिवासी ग्रामों की संख्या और इन क्षेत्रों के लिए राज्य क्षेत्र से उपलब्ध कराई गई निधियों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(घ) पेय जल सुविधायें देना राज्य का विषय है । तथापि, त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल की सप्लाई की गति बढ़ाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देती है । वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान निधियों के राज्यवार आबंटन का एक विवरण संलग्न है । आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण-I

1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गए ग्रामों की संख्या का विवरण ।

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम ।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	218	332	×
2.	असम	54	34	11

1	2	3	4	5
3.	बिहार	1399	1486	×
4.	गुजरात	192	73	129
5.	हरियाणा	55	55	65
6.	हिमाचल	308	792	639
7.	जम्मू व कश्मीर	23	90	33
8.	कर्नाटक	345	132	449
9.	केरल	6	12	13
10.	मध्य प्रदेश	50	170	1335
11.	महाराष्ट्र	261	162	479
12.	मणिपुर	3	11	15
13.	मेघालय	शून्य	11	56
14.	नागालैण्ड	3	39	×
15.	उड़ीसा	898	1967	×
16.	पंजाब	143	115	58
17.	राजस्थान	150	155	143
18.	सिक्किम	शून्य	15	4
19.	तमिलनाडु	224	878	×
20.	त्रिपुरा	194	शून्य	63
21.	उत्तर प्रदेश	52	146	398
22.	पश्चिम बंगाल	965	418	×
23.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	42	×
24.	गोआ-दमण तथा दीव	1	शून्य	×
25	मिजोरम	शून्य	शून्य	×
26.	पांडिचेरी	शून्य	7	6
27.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2	2	9
28.	दिल्ली	शून्य	10	10

*इन राज्यों से सूचना अभी प्राप्त होनी है।

विवरण-2

केन्द्र द्वारा परवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम

1977-78, 1978-79, तथा 1979-80 में राज्य/संघ राज्यों को दी गयी निधियां

(राशि लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	1977-78	1978-79	1979-80
1.	आन्ध्र प्रदेश	152.30	351.11	215.60
2.	असम	57.60	149.57	323.15
3.	बिहार	242.80	504.20	680.45
4.	गुजरात	332.80	260.85	127.80
5.	हरियाणा	142.10	200.79	260.19
6.	हिमाचल प्रदेश	222.60	425.12	392.86
7.	जम्मू व कश्मीर	152.80	200.00	182.05
8.	कर्नाटक	142.30	107.70	69.00
9.	केरल	102.00	278.00	282.35
10.	मध्य प्रदेश	252 80	290.00	357.15
11.	महाराष्ट्र	312.80	403.97	378.30
12	मणिपुर	52.50	53.57	53.55
13.	मेघालय	25.00	103.77	111.60
14.	नागालैण्ड	77.50	97.00	139.57
15.	उड़ीसा	182.80	218.00	209.00
16.	पंजाब	102.10	174.90	68.40
17.	राजस्थान	252.30	353.27	205.00
18.	सिक्किम	36.50	43.13	26.00
19.	तमिलनाडू	217.30	408.00	219.37
20.	त्रिपुरा	80.50	113.50	97.15
21.	उत्तर प्रदेश	352.80	617.50	709.55
22.	पश्चिम बंगाल	242.80	534.01	672.72
23.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	32.00	46.80
24.	गोआ, दमण तथा दीव	10.00	9.50	11.95
25.	मिजोरम	15.00	18.50	19.05
26.	पांडिचेरी	10.00	17.00	12.00
27.	अण्डमान तथा निकोबार (दीप समूह)	20.00	18.50	15.50
28.	दिल्ली	10.00	14.00	13.10
	योग	3820.00	5998.46	5898.61

आंकड़ों में प्रबोधन और जांच एककों के खर्च के लिये दी गई निधियाँ भी शामिल हैं।

दिल्ली में साहित्यिक केन्द्रों का पुनरीक्षण

2335. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले शासन के दौरान दिल्ली में खोले गए 2000 से कुछ अधिक साहित्यिक केन्द्रों में से वास्तव में केवल 50 केन्द्रों में ही कार्य हो रहा है;

(ख) यदि हां, तोउनको दी जा रही वित्तीय सहायता को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि अभी तक उनकी कोई निगरानी नहीं रखी जा रही है, तो क्या सरकार का ऐसे केन्द्रों का पुनरीक्षण करना शुरू करने का कोई विचार है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस समय चल रहे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की कुल संख्या 1597 हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फ्रेन्डस सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट एम्पलाईज कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी की सदस्यता और चुनाव

2336. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समिति विभाग, दिल्ली ने फ्रेन्डस सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट एम्पलाईज कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी की प्रबन्ध समिति का चुनाव कराया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार और किन तिथियों को;

(ग) क्या इन चुनावों में केवल वास्तविक सदस्यों को भाग लेने और मतदान करने की अनुमति दी गई थी; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या वास्तविक सदस्यों, जिन्हें प्रत्येक ऐसे चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, की सूची की प्रतियां सभा–पटल पर रखी जायेंगीं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) सहकारी समितियों के पंजीकार ने सूचना दी है कि उनके द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा तीन बार अर्थात 30–4–,42 17–3–-74 और 1-1-78 को चुनाव करवाये गये ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सदस्यों की सूची सहकारी समितियों के पंजीकार के पास उपलब्ध हैं ।

कृषि श्रमिकों तथा गरीब किसानों को पेंशन दिए जाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

2337. **श्री गदाधर साहा** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन राज्यों को वित्तीय सहायता अनुदान देने पर विचार कर रही है जिन राज्यों ने कृषि मजदूरों तथा गरीब किसानों को पेंशन देने के उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां. तो प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली प्रस्तावित राशि कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सातवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य को उसकी पूर्वानुमानित अवधि 1979-84 के लिए पर्याप्त व्यवस्था स्वीकृत की है ताकि राज्य सरकारें 1971 की जनगणना के आधार पर साधारणतया वृद्धों और निराश्रित लोगों की लगभग 0·1 प्रतिशत जन संख्या को वृद्धवस्था पेंशन के रूप में 60 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मास की अदायगी कर सकें। इसलिए कोई अलग सहायता देने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में भू-कटाव को रोकना

2338. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में धनलाधर पर्वत के भू-कटाव को रोकने के लिये जर्मन संघीय गणतंत्र के साथ एक तकनीकी सहयोग उद्यम के रूप में एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की जायेगी; और

(ख) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) जर्मन संघीय गणतंत्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में धौलाधार रेंज के समेकित विकास के लिये "धौलाधार रेंज भू-क्षरण निवारण" नामक एक मार्गदर्शी परियोजना को सहायता देना स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार और जर्मन संघीय गणतंत्र सरकार के बीच इस मार्ग-दर्शी परियोजना के बारे में पत्रों का आदान प्रदान 13-5-80 को पूरा हो गया था। परियोजना का उद्देश्य एक ऐसे समेकित मॉडल का विकास करना है, जिसका हिमालय पर्वत की तलहटियों में रहने वाले लोगों की रहन सहन की स्थितियों में सुधार करने, विन्वा नदी के मध्यवर्ती और निचले क्षेत्रों में बाढ़ की आपदा के खतरे को दूर करने और जलाशयों में गाद भरने को रोकने एवं स्थानीय लोगों की सहायता से बाढ़ नियंत्रण में बार-बार प्रयोग किया जा सके।

परियोजना का क्रियान्वयन 8 वर्षों की अवधि में 3 चरणों में किया जायेगा। दो वर्ष की अवधि का चरण-1 प्रारंभिक चरण होगा। चार वर्षों की अवधि का चरण-2 मुख्य कार्यान्वयन चरण होगा तथा दो वर्ष की अवधि का चरण-3 मार्गदर्शी परियोजना का अंतिम चरण होगा।

इस परियोजना पर आठ वर्षों में लगभग 1060 लाख रुपये का कुल व्यय होने का अनुमान है।

कालेज आफ एग्रीकल्चर, कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा कम अवधि में पैदा होने वाले तोरिया और सरसों संबंधी परियोजना पर कार्य किया जाना

2339. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिवर्सिटी कालेज आफ एग्रीकल्चर, कलकत्ता विश्वविद्यालय का एक मुख्य

अनुसंधानकर्ता अपने बरनीपुर और बर्दबान फार्मों पर, कम अवधि में पैदा होने वाले तोरिया और सरसों संबंधी एक परियोजना पर कार्य करने की कोशिश कर रहा था;

(ख) क्या आई० सी० एम० आर० के शासी निकाय की एक बैठक में यह योजना 74.700 रुपयें की राशि तक की लागत पर शत प्रतिशत आधार पर स्वीकार की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या आई० एन० सी० ए० आर० ने यह योजना अब वस्तुतः स्थगित कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) नहीं, श्रीमान ।

(घ) कोल्वीसीन तथा अन्य रसायन मुटाजीन्स के उपचार से पश्चिम बंगाल में **ओस** तथा **अमन** परती भूमियों में उगाने के लिए 1975 में मुख्य अनुसंधानकर्त्ता **"ब्रासिका कम्पेस्ट्रोस वर तोरिया** के विकास की एक योजना" भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्रस्तुत की लेकिन वैज्ञानिक पैनल ने योजना की सिफारिश नहीं की । शासी निकाय ने दिनांक 5-6-79 को अपनी बैठक में पश्चिम बंगाल में तिलहन अनुसंधान कार्य को बढ़ाने की अत्यावश्यकता पर वैज्ञानिक पैनल की सिफारिश पर विचार करते हुए यह कहा कि योजना में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए और यदि सम्बद्ध वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष संशोधित योजना की मंजूरी दे दें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सदस्य (वित्त) की सहमति से स्वीकृति दे सकती है । तदनुसार, तदर्थ योजनाओं के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रस्तावित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए योजना संशोधित की गई तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 20 जुलाई, 1979 को कुल 74.700 रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी । मुख्य अनुसंधानकर्त्ता ने इस योजना को दिनांक 1-8-1979 से कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया है ।इस समय इस योजना पर कार्य हो रहा है ।

बूचड़खाना

2340. **कुमारी कमला कुमारी : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विश्वासनगर, दिल्ली-32 के ब्लाक 31, 32 और 33 के निकट खुले खेत में बूचड़खाना है और समूची बस्ती मरे हुए जानवरों से बुरी तरह से प्रभावित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे हटाने का है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इन ब्लाकों के नजदीक कोई बूचड़खाना नहीं है परन्तु इन ब्लाकों के बाहर

दो स्थल हैं जहां मृत जानवरों कीं हड्डियों को शाहदरा से बाहर ले जाने के लिए एकत्र किया जाता है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाए गए हैं।

वायु-प्रदूषण

2341. **डा० जगदीश राय : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार को पता है कि दुर्गापुर में दामोदर घाटी निगम की विद्युत उत्पादन इकाइयों ने वायु-प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं किया हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शुद्ध पेय जल की अनुपलब्धता के कारण

दिल्ली में बीमारियां

2342. **श्री तारिक अनवर :**

श्री कृष्ण चन्द पाण्डे : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निवासियों को शुद्ध पेय जल प्राप्त नहीं होता जिसके कारण 90 प्रतिशत लोग अस्वस्थ हैं;

(ख) क्या संबंधित अधिकारियों की लापरवाहियों के कारण पानी में कभी-कभी मिट्टी, गन्दगी आदि भी मिल जाती है;

(ग) क्या नव-निर्मित बहु-मंजिली इमारतों में ऊपरी मंजिलों में पानी नहीं पहुच पाता है और वहां स्थापित पानी के टैंक खुले रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : जी, नहीं। दिल्ली जलपूर्ति तथा मल संस्थान ने सूचित किया है कि उनके द्वारा सप्लाई किया गया जल शुद्ध और पौष्टिक है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नवनिर्मित क्वाटंरों में जल की सप्लाई ऊपरी टंकियों से होती हैं। जब कुल उपलब्ध जल की मात्रा पर्याप्त नहीं होती तो ऊपर की मंजिलों में कभी-कभी अन्य मंजिलों के मुकाबले पानी का दबाव कम होता है। नवनिर्मित बहुमंजिले क्वार्टरों में लगाई पानी की टंकियो मे ढक्कन लगे हैं और उनको बन्द रखा जाता है और वे खुली नहीं रहतीं।

(घ) जहां कहीं आवश्यक हो, संबंधित अभिकरणों द्वारा जल का पर्याप्त दबाव बनाये रखने के लिए अतिरिक्त नलकूप खोदने, ऊपरी टंकियां बनाने जैसे उपाय किये जाते हैं।

पीने का पानी

2343. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कितने गांवों में अभी तक पीने के पानी की कमी है और उनमें से कितने गाँव मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना और विदिशा जिलों में हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पेय-जल की कमी वाले गांवों में पेय-जल की व्यवस्था करने की कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के उक्त जिलों में कितने गांवों को वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में उन योजनाओं के अधीन लिया गया ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार को अद्यतन आंकड़े भेजने को कहा गया है। उन्हीं की प्रतीक्षा है।

(ख) पेय जल की व्यवस्था करना राज्य का विषय है। तथापि, त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को पानी की कमी वाले ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए 100 प्र० श० सहायता अनुदान देती है।

(ग)

जिलों का नाम	पानी मुहैया कराये गये ग्राम	
	1978-79	1979-80
राजगढ़	5	3
गुना	3	6
विदिशा	...	133

(इन आंकड़ों में राज्य सरकार की पेयजल की व्यवस्था की योजना के अन्तर्गत पानी मुहैया कराये गए ग्राम सम्मिलित नहीं हैं)

उत्तर प्रदेश की गेहूं, चीनी और चावल की मांग तथा उसे दी गई मात्रा

2344. **श्री जैनुल बशर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य की गेहूं, चीनी तथा चावल की मांग कितनी थी तथा इस राज्य को फरवरी 1980 से मई 1980 तक इन वस्तुओं की कितनी मात्रा प्रदान की गई है; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को गेहूं, चीनी और चावल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं कर पाई अथवा राज्य सरकार इन वस्तुओं का प्रभावी वितरण नहीं कर पाई है ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) फरवरी से मई, 1980 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की मांग, केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा रोलर आटा मिलों के लिए सप्लाई किए गए गेहूं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और चीनी का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

गेहूं	मांग	सप्लाई
सार्वजनिक वितरण के लिए	396.0	267.1
रोलर आटा मिलों के लिए	263.0	139.9
चावल	234.0	123.9
चीनी	200.0	177.49

(ख) भारतीय खाद्य निगम राज्य के अन्दर उनकी मांग को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक रखता है। विभिन्न डिपो में स्टाक के असमान वितरण से पैदाशुदा किन्हीं कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए अन्तर-राज्यीय और अन्तः राज्यीय रेल तथा सड़क द्वारा भी संचलन किए जाते हैं ताकि अपेक्षित मात्रा में स्टाक उपलब्ध किया जा सके।

जहां तक चीनी का संबंध है, चार महीनों के लिए राज्य के 1, 67, 126 मीटरी टन के लेवी कोटे के प्रति वास्तव में 1, 77, 494 मीटरी टन का कोटा सप्लाई किया गया है।

वन क्षेत्र और उसकी प्रतिशतता

2345. **श्री जी० नरसिंहा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, कुल कितने क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन काटे गये;

(ख) इस समय कितने प्रतिशत वन विद्यमान हैं और राज्यवार रखे जाने वाले कितने प्रतिशत की सिफारिश की गई थी; और

(ग) प्रत्येक राज्य में बनों की अपेक्षित सिफारिश की गई प्रतिशतता को बनाये रखने के लिये केन्द्रीय सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अनुबंध-I में वर्ष 1977-78 के दौरान कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में राज्यवार आधार पर वन क्षेत्र की प्रतिशतता दे दी गई है। राष्ट्रीय वन नीति (1952) के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कुल भूमि क्षेत्र के 20 प्रतिशत भाग तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 60 प्रतिशत भाग में वन होने चाहिए, ताकि कुल मिलाकर देखा जाए तो देश का 33 प्रतिशत भाग वनों के अन्तर्गत रहे। तथापि भारत सरकार की ओर से कोई ऐसी सिफारिश नहीं है कि प्रत्येक राज्य में वनों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की प्रतिशतता क्या हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल भौगोलिक भाग की तुलना में वन क्षेत्र की प्रतिशतता
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	23.25
2.	असम	39.24
3.	बिहार	16.84
4.	गुजरात	9.99
5.	हरियाणा	3.30
6.	हिमाचल प्रदेश	39.11
7.	जम्मू व कश्मीर	9.47
8.	कर्नाटक	19.59
9.	केरल	29.15
10.	मध्य प्रदेश	36.67
11.	महाराष्ट्र	21.67
12.	मणिपुर	26.92
13.	मेघालय	28.32
14.	नागालैंड	17.48
15.	उड़ीसा	43.61
16.	पंजाब	4.09
17.	राजस्थान	10.11
18.	सिक्किम	38.63
19.	तमिलनाडु	17.33
20.	त्रिपुरा	57.53
21.	उत्तर प्रदेश	17.24
22.	प० बंगाल	13.47
	संघ राज्य क्षेत्र	
23.	अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह	90.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	61.67
25.	दादर तथा नगर हवेली	40.82
26.	दिल्ली	2.68
27.	गोवा, दमन तथा दीप	34.38
28.	मिजोरम	33.81
29.	अखिल भारत	22.74

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

2346. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए दिए गये धन की राज्यवार राशियां कितनी-कितनी हैं;

(ख) इस योजना के कार्यान्वयन का संचालन करने वाली एजेन्सियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में और विशेष रूप से गुजरात राज्य में जिले-वार लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विवरण संलग्न है। (विवरण-I)

(ख) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली एजेन्सियां राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन, स्वैच्छिक संगठन, नेहरू युवक केन्द्र तथा विश्वविद्यालय और कालेज, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि हैं।

(ग) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा कार्यान्वयन करने वाली विभिन्न एजेन्सियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, उन व्यक्तियों का राज्यवार विवरण संलग्न है, जिन्होंने 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ उठाया है; संलग्न है। (विवरण-II)

(विवरण-I

(लाखों में रुपये)

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1977-78	1978-79	1979-80
	1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.28	44.70	29.01
2.	असम	7.49	0.30	29.10
3.	बिहार	7 59	45.54	122.44
4.	गुजरात	30.16	68.78	79.53
5.	हरियाणा	5.85	25.16	37.52
6.	हिमाचल प्रदेश	3.76	2.85	12.09
7.	जम्मू तथा कश्मीर	2.66	9.90	7.00
8.	कर्नाटक	6.89	9.61	86.52
9.	केरल	3.71	15.79	29.53
10.	मध्य प्रदेश	7.01	39.66	93.60
11.	महाराष्ट्र	5.82	69.77	120.96
12.	मणिपुर	1.64	6.20	11.20
13.	मेघालय	2.20	3.22	8.27

1		2	3	4
14.	नागालैंड	1.84	4.75	9.99
15.	उड़ीसा	4.57	13.73	73.67
16.	पंजाब	6.66	26.16	10.48
17.	राजस्थान	13.02	47.93	76.76
18.	सिक्किम	2.00	0.05	5.26
19.	तमिल नाडु	11.51	37.92	70.44
20.	त्रिपुरा	1.55	8.33	15.65
21.	उत्तर प्रदेश	14.10	27.31	211.27
22.	पश्चिम बंगाल	7.44	12.62	41.75
23.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	---	1.29	1.42
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	2.54	2.50
25.	चण्डीगढ़	—	0.22	0.56
26.	दादर तथा नागर हवेली	—	0.30	—
27.	दिल्ली	7.63	14.83	15:23
28.	गोआ, दमन और दिप	—	0.03	—
29.	लक्षब्वीप	---	0.35	0.18
30.	मिजोरम	---	0.28	5.24
31.	पांडिचेरी	---	4.52	2.23
	योग	162.38	535.69	1209.80

विवरण-II

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1977-78	1978-79	1979-80 31-1-80 को स्थिति
	1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	21,681	45,310	1,146,484
2.	असम	34,743	38,430	97,272
3.	बिहार	12,791	33,000	2,56,149
4.	गुजरात	77,620	3,01,264	3,25,227
5.	हरियाणा	1,16,925	68,660	83,610
6.	हिमाचल प्रदेश	18,207	32,070	27,051
7.	जम्मू और कश्मीर	4,133	10,103	42,296
8.	कर्नाटक	1,40,079	1,72,000	1,31,096

	1	2	3	4
9.	केरल	10,656	77,100	1,26,636
10.	मध्य प्रदेश	49,921	1,28,850	1,76,281
11.	महाराष्ट्र	65,013	4,63,800	4,59,299
12.	मणीपुर	8,192	29,970	34,909
13.	मेघालय	5,850	14,465	9,650
14.	नागालैंड	10,518	17,700	16,844
15.	उड़ीसा	33,135	1,04,252	2,95,041
16.	पंजाब	14,404	38,100	18,320
17.	राजस्थान	20,333	95,826	2,23,852
18.	सिक्किम	8,415	384	11,574
19.	तमिलनाडु	55,829	1,21,910	4,00,092
20.	त्रिपुरा	5,792	35,248	43,425
21.	उत्तर प्रदेश	1,16,389	1,58,247	1,30,364
22.	पश्चिम बंगाल	1,08,700	1,26,780	1,10,104
23.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	970	2,940	3,584
24.	अरुणाचल प्रदेश	5,850	9,880	5,645
25.	चण्डीगढ़	194	2,800	3,307
26.	दादर और नागर हवेली	118	992	3,163
27.	दिल्ली	10,009	19,320	32,862
28.	गोआ, दमन और दीव	454	9,030	2,962
29.	लक्षद्वीप	111	312	315
30.	मिजोरम	4,263	5,265	8,241
31.	पांडिचेरी	1,307	6,960	7,436
	योग	9,62,602 अथवा 9.63 लाख कहें	21,70,868 अथवा 21.77 लाख कहें	32,32,088 अथवा 32.33 लाख कहें

सेकेण्डरी और हाई स्कूल स्तर की परीक्षाओं में सुधार

2347. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेकेण्डरी और हाई स्कूल स्तर की परीक्षाओं में सुधार करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिए गए हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख)

1. परीक्षा सुधार एक सतत प्रक्रिया है। सरकार काफी समय से अपने विशेषज्ञ निकायों के माध्यम से इस ओर निरन्तर ध्यान दे रही है।

2. सुधार की प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में दी गई भूमिका पर आधारित है, कि "परीक्षा सुधार का प्रमुख उद्देश्य परीक्षाओं को विश्वसिनीयता और वैधता को बढ़ाना और मूल्यांकन को एक सतत् प्रक्रिया बनाना, जिसका उद्देश्य छात्र को अपनी उपलब्धि के स्तर को सुधारने में छात्र को सहायता करना है न कि कुछ क्षणों में दिए गए उसके निष्पादन का प्रमाण-पत्र देना।"

3. इस प्रक्रिया की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :

(1) बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार की लिखित परीक्षाओं में सुधार।

(क) प्रश्नों और प्रश्नपत्रों में सुधार।

(ख) प्राप्तांक प्रक्रियाओं में सुधार।

(ग) परीक्षा फलों के प्रतिपालन में सुधार।

(2) प्रयोगात्मक परीक्षाओं में सुधार।

(3) मौखिक परीक्षाओं में सुधार।

(4) स्कूलों में आन्तरिक मूल्यांकन लागू करना।

(क) परीक्षा की उन्नत विधि।

(ख) निदान-विद्या परीक्षा लागू करना।

(ग) रुझान, रुचियों और व्यक्तिगत तथा सामाजिक विशेषताओं का मूलयांकन।

(घ) सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों और खेल-कूद का मूल्यांकन।

(ङ) वैज्ञानिक ढंग से अभिलेखों का रख-रखाव।

(च) परीक्षाफलों के मूल्यांकन का वैज्ञानिक प्रतिपादन।

4. निम्नलिखित कार्यवाही कार्यक्रम विकसित किए गए हैं :

(1) प्रश्नपत्रों में सुधार के लिए सभी महत्वपूर्ण विषयों के प्रश्न-पत्र बताने वालों को प्रशिक्षण देना

(2) संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।

(3) कक्षा परीक्षाओं में सुधार लाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देना।

(4) शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को परीक्षा सम्बन्धी तकनीकों में प्रशिक्षण देना।

(5) आन्तरिक मूल्यांकन के लिए साधनों और तकनीकों का विकास करना।

चीनी का स्टाक

2348. **श्री सोमनाथ चटर्जी क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के स्टाक की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रतिमास कितनी चीनी जारी की जाती है;

(ग) वर्ष 1980-81 में त्यौहारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुमानत: कितनी चीनी की जरूरत पड़ी; और

(घ) इसी अवधि के दौरान चीनी का कितना स्टाक अगले वर्ष के लिये स्टाक में जोड़ा गया ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) फैक्ट्रियों के पास 15-6-1980 को 18-52 लाख मीटरी टन चीनी का स्टाक था ।

(ख) चीनी पर 17-12-1979 से आंशिक नियंत्रण फिर लागू करने से राज्य सरकारों को आवंटन करने के लिए प्रति मास 2.71 लाख मीटरी टन लेवी चीनी दी जा रही है । जहां तक खुली बिक्री की चीनी के मासिक कोटे को जारी करने का सम्बन्ध है, जनवरी, 1980 और उससे आगे की स्थिति इस प्रकार है

(लाख मीटरी टन में)

मास	खुली बिक्री के कोटे की मात्रा
जनवरी, 1980	1.50
फरवरी, 1980	1.25
मार्च, 1980	1.25
अप्रैल, 1980	1.25
मई, 1980	2.75
जून, 1980	1.75
जुलाई, 1980	1.25

(ग) और (घ) अनुमान है कि 1-10-1980 को चीनी का पिछला बचा स्टाक लगभग 5.4 लाख मीटरी टन होगा । दशहरा तथा दीवाली जैसे प्रमुख त्यौहारों, जोकि 1980-81 चीनी मौसम अर्थात अक्तूबर तथा नवम्बर, 1980 के पहले 2 महीनों में पड़ते हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी की अधिक मात्रा जारी करने के बारे में विचार किया जाएगा जिसमें 1980-81 मौसम के उपर्युक्त पहले दो महीनों में उत्पादन की प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाएगा ।

आवास तथा नगरीय विकास निगम और जीवन बीमा निगम द्वारा दुर्बल वर्गों के लिए आवास योजनाएं

2349. **श्री एन० ई० होरो** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण समुदाय के दुर्बल वर्गों की मकानों की आवश्यकता पूरी करने हेतु आवास तथा नगरीय विकास निगम और जीवन बीमा निगम को कुछ विशेष योजनाएं बनाने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए केन्द्रीय सरकार चालू

वर्ष के दौरान उनको क्रियान्विति हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए सहमत हो गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रतिष्ठित अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

2350. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिष्ठित अध्यापकों को दिये जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार की राशि अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों को दी जाने वाली राशि से काफी कम है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विषमता को दूर करने के लिये कदम उठाने का है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षकों के लिए केवल आदर के प्रतीक हैं जिनका उद्देश्य शिक्षकों को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें सार्वजनिक सम्मान देना है। केवल आर्थिक आधार पर ही इनका मूल्यांकन करना ठीक नहीं है। फिर भी, यदि पुरस्कारों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाए तब भी, असमानता का प्रश्न ही नहीं उठता।

मोहिन्दू एंक्लेव, दिल्ली में अनधिकृत इमारतों का गिराया जाना

2351. **श्री पीयूष तिरकी** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उत्तरी दिल्ली में मोहिन्दू एंक्लेव में बड़ी संख्या में अनधिकृत इमारते गिराई;

(ख) क्या सरकार दिल्ली में सभी गैर सरकारी बस्तियों की जांच करेगी जहां लोगों ने अवैध-रूप से अपने मकान बनाये हैं; और

(ग) यदि हां, सभी गैर कानूनी इमारतों को कब तक गिरा दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उत्तरी दिल्ली में मोहिन्दू एंक्लेव में लगभग 150 अनधिकृत संरचनाएं गिराई गई जिनमें प्रत्येक में एक एक कमरा और चहार दीवारी थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के "विकास क्षेत्रों" में अनधिकृत रूप से बनाए जा रहे मकानों के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन नोटिस जारी किये जाते हैं तथा आवश्यक आदेश पारित किये जाते हैं।

(ग) यह एक सतत प्रक्रिया है। सरकारी नीति के अनुसार इमारत गिराने का कार्य यथा समय किया जाना है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के साथ विदेशी सहयोग

2352. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों ने वनस्पति तेल दानस्वरूप देने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को अपना सहयोग दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और उसका ब्यौरा क्या है;

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव : (क) जी हाँ,

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका का सहकारी संघ (जो एक सहकारी संगठन है) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को खाद्य तेल व तिलहन उत्पादन तथा विपणन नामक परियोजना के लिए आठ वर्ष की अवधि में 1,60,000 मीटरी टन वनस्पति आयत उपहार स्वरूप देने को सहमत हो गया है।

कनाडा का सहकारी संघ भी (जो एक सहकारी संगठन है) सिद्धान्त रूप में वनस्पति आयल को उपहार स्वरूप देने लिए तैयार हो गया है, परन्तु इसके बारे में अभी ब्यौरा तैयार नहीं हुआ है।

पंजाब में गेहूं की वसूली

2353. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में अधिक उत्पादन होने के बावजूद पंजाब में इस वर्ष गेहूं की वसूली निर्धारित लक्ष्य से कम होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) क्योंकि सभी खरीदारी मूल्य समर्थन के रूप में की जा रही है, इसलिए सरकार ने गेहूं की वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। चालू रबी विपणन मौसम में अब तक पंजाब में गेहूं की वसूली (42. 27 लाख मीटरी टन) गत मौसम की वसूली (41.92 लाख मीटरी टन) की तुलना में अधिक है।

डाक–तार विभाग में कर्मचारियों की संख्याकम करने का प्रस्ताव

2354. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक तथा तार विभाग में कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी करने के लिए कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फरीदकोट (पंजाब) में धान की खरीद के सिलसिले में आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) को दी जाने वाली राशि

2355. **श्री गुरचरण सिंह** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिला फरीदकोट (पंजाब) में धान के कितने बोरे खरीदे गए;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने धान की खरीद के सिलसिले में आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) को उनकी कमीशन का भुगतान नहीं किया है और भारतीय खाद्य निगम से उन्हें कुल कितनी रकम लेनी है; और

(ग) भुगतान रोके रखने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने फरीदकोट जिले (पंजाब) में वर्ष 1978-79 के दौरान धान की 18,17,963 बोरियाँ खरीदी हैं ।

(ख) कमीशन एजेंटों को धान की खरीदारी के लिए धनराशि दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गन्दी बस्तियों के निवासियों का सर्वेक्षण

2356. **श्री के• प्रधानी** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, राज्यवार, देश के शहरी क्षेत्रों की गंदी बस्तियों और खराब स्थितियों में रह रहे व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है; और

(ग) गंदी बस्तियों में सुधार लाने और इनको बढ़ाने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) नगर क्षेत्रों के पर्यावरणीय सुधार की योजना में ऐसी गन्दी बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं को जुटाने का विचार है जिन्हें कम से कम 10 वर्ष तक हटाने का विचार नहीं है । यह योजना 1-4-1974 से राज्य क्षेत्र में है तथा राज्य सरकारें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अंग के रूप में इसका कार्यान्वयन करती हैं ।

रक्षात्मक और उत्पादक वानिकी में संतुलन

2357. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिस्थिति विज्ञान (इकालोजी) और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं को हल करने के निर्देश देने तथा समन्वित कार्यवाही आयोजित करने के लिए एक नई केन्द्रीय सरकारी एजेंसी गठन करने का प्रस्ताव है,

(ख) क्या सरकार महसूस करती है कि ''रक्षात्मक'' और ''उत्पादक'' वानिकी के बीच उचित संतुलन होना चाहिये, और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी ।

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) इस सम्पूर्ण मामले पर विचार करने के लिए फरवरी, 1980 में विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा योजना आयोग के उपाध्यक्ष की देखरेख में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है ।

(ख) जी हां।

(ग) 1952 में अपनाई गई राष्ट्रीय वन नीति (जो इस समय भी चालू है) के अनुसार "संरक्षण" तथा "उत्पादन" वानिकी में उचित संतुलन होना चाहिये। तथापि पारिस्थितिक व पर्यावरण की दृष्टि से वन संसाधनों से सतत आधार पर अधिकतम माल तथा सेवाएं प्राप्त करने के लिए इस समय सरकार वानिकी नीति में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

फालतू भूमि का अधिग्रहण और उसका वितरण

2358. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल सैम्पल सर्वे आफ इंडिया के अनुसार देश में 8 करोड़ 90 लाख एकड़ भूमि केवल 4 प्रतिशत परिवारों के पास है तथा वे उसके भू-स्वामी हैं ;

(ख) क्या 30 एकड़ की अधिकतम सीमा के आधार पर देश में 5 करोड़ 30 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की जा सकती; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भू-स्वामियों से फालतू भूमि प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने का है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह) : (क) भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 26वें दौर के अनुसार, वर्ष 1971-72 में 20 एकड़ से ऊपर की 2.7 प्रतिशत पारिवारिक मलकियत जोतों के अन्तर्गत 92.7 मिलियन एकड़ भूमि की। तथापि, वर्ष 1976-77 में की गई कृषि संबंधी जनगणना के अनुसार प्रतिशत अधिक परिचालित जोतों (25 एकड़ और ऊपर) के अन्तर्गत 101.8 मिलियन एकड़ भूमि थी।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आँकड़ों के आधार पर फालतू भूमि का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि कानून के अधीन अधिकतम सीमा का निर्धारण भूमि की किस्म तथा परिवार के आकार जैसे तथ्यों पर विचार करते हुए किया जाता है। अधिकतम सीमा में मानक एकड़/हैक्टेयर का उल्लेख है और एक मानक एकड़/ हैक्टेयर एक सामान्य एकड़/हैक्टेयर से अधिक होगा जबकि भूमि की किस्म घटिया होगी। इसके अलावा, अधिकतम सीमा कानूनों में बड़े परिवारों के लिए अधिकतम सीमा के अतिरिक्त अधिकता (एक उच्च सीमा के अधीन) की अनुमति है और कुछ मामलों में बालिग पुत्र के लिए अलग इकाई की अनुमति भी है। इससे फालतू भूमि कम हो जाएगी क्योंकि कुछ फालतू भूमि परिवार तथा बालिग पुत्रों द्वारा रखी जाएगी।

राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, ऐसे क्षेत्र जिसके फालतू घोषित किए जाने की संभावना है, का 51.42 लाख एकड़ का अनुमान है।

(ग) राज्य सरकारें संशोधित भूमि अधिकतम सीमा कानूनों को कार्यान्वित कर रही हैं। उनसे कार्यान्वयन गति में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि आबंटियों के कब्जे में दखलअन्दाजी न की जाए।

राज्यों को चीनी की सप्लाई

2359. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्र से चीनी की अपर्याप्त सप्लाई के कारण राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण केन्द्रों को इसका आवंटन नहीं कर सकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को उनके दावे के अनुसार चीनी की सप्लाई करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) 17 दिसम्बर, 1979 से चीनी पर आंशिक नियंत्रण लागू होने से लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे 16 अगस्त, 1978 को चीनी से नियंत्रण उठाने से तुरन्त पूर्व आंशिक नियंत्रण के दौरान उनके चल रहे कोटों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं । 1979-80 में चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट और बाद में लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता की दृष्टि में किसी भी राज्य का कोटा बढ़ना सम्भव नहीं हुआ है ।

2.17 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश फैक्ट्रियों से आवंटित चीनी को उठाने के लिए स्वयं प्रबन्ध कर रहे हैं जबकि शेष 14 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के बारे में फैक्ट्रियों से चीनी उठाने की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जा रही है। चीनी पर फिर से आंशिक नियंत्रण लागू करने के तुरन्त बाद परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों, जिनमें परिवहन सम्बन्धी अड़चनें भी शामिल हैं, के कारण आरम्भिक अवस्थाओं में फैक्ट्रियों से चीनी उठाने की स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी । बाद में इन कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया था और लेवी चीनी सप्लाई में पर्याप्त सुधार हुआ है । मध्य दिसम्बर 1979 से मई, 1980 तक कुल आवंटित 14.77 लाख मीटरी टन लेवी चीनीं में से मई, 1980 के अन्त तक 13.7 लाख मीटरी टन लेवी चीनी भेजी गई थी। शेष केवल 1.07 लाख मीटरी टन की मात्रा को अभी भेजा जाना था । इसमें से 89,000 मीटरी टन मात्रा भारतीय खाद्य निगम और 18,000 मीटरी टन चीनी सीधे अलाटी राज्यों द्वारा उठाई जानी है । लेवी आवंटन आदेशों की वैधता अवधि को भी समय-समय पर बढ़ाया जाता है ताकि फैक्ट्रियों से सारी आवंटित मात्रा को उठाने और उसे विभिन्न राज्य सरकारों को सप्लाई करने के कार्य को पूरा किया जा सके ।

भिखारी समस्या

2360. **श्री टी० आर० शमन्ना** : **क्या समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भिखारी-उपद्रव विशेष रूप से पूजा स्थलों, बस स्टैण्डों, शहर के व्यस्त क्षेत्रों, रेल डिब्बों आदि में वृद्धि पर है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि कुष्ट रोगी और सम्प्रेषणीय रोगों वाले भिखारियों की भी बहुत भारी संख्या है; और

(ग) यदि हां, तो भिखारी समस्या का नाश करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) भिक्षा-वृत्ति की रोकथाम और नियंत्रण मुख्यतया राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । इस समय 15

राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने भिक्षानिरोधक कानून अधि-नियमित कर रखे हैं तथा अधिकतर भिखारियों की देखभाल, उपचार और पुनर्वास के लिए संस्थाएं स्थापित कर रखी हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों से अनुरोध करती रही है कि वे विस्तृत भिक्षानिरोधक कानून बनाएं तथा भिक्षावृत्ति पर नियंत्रण करने के लिए सेवाएं कार्यान्वित करें।

कुष्ठ रोगी भिखारियों अथवा संम्प्रेषणीय रोगों से पीड़ित भिखारियों की प्रतिशतता के बारे में कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

राई में एशियाई खेल, 1982 का आयोजन

2361. **श्री अरविंद नेताम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने राई (हरियाणा) में एशियाई खेल 1982 आयोजित करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र इसका समूचा व्यय वहन करेगा अथवा राज्य सरकार भी अंशत: इसका व्यय वहन करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा परिवहन और भण्डारण में खाद्यान्न की हानि

2362. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न के लाने ले जाने और भण्डारण में खाद्यान्न की कितनी प्रतिशत हानि होती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस तरह की चोरी के लिए कितने लोगों के विरुद्ध कार्य-वाही की गई है; और

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में उस हानि का प्रतिशत बढ़ता रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) क्रय और विक्रय पर प्रतिशतता के रूप में भारतीय खाद्य निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मार्ग में और भण्डारण में हुई हानियों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

1977-78	1.2%
1978-79	1.3%
1979-80	1.3%

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी चोरी के लिए पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दोरान हानि की प्रतिशतता में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है।

बम्बई में टेलीफोन और पी० बी० एक्स० का कार्यकरण

2363. **श्री आर० आर० भोले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई शहर में टेलीफोनों और पी० बी० एक्स के कार्यकरण के खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बहुत से मामलों में प्रयोक्ताओं के अधिक राशि के बिल भी बनाये गये हैं और इस बारे में अभ्यावेदन करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला है; और

(ग) टेलीफान विभाग को जिम्मेदार और कुशल बनाने के लिये समकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) पिछले कुछ महीनों में शिकायतों में कमी आई थी। परन्तु मानसून की भारी वर्षा के प्राथमिक प्रभाव के कारण हाल ही में इनमें दोबारा वृद्धि हुई है।

(ख) जी नहीं, सभी शिकायतों की पूर्णतया जांच की जाती है और सही मामलों में छूट दी जाती है। सभी मामलों में उपभोक्ताओं को जांच के परिणामों से अवगत कराया जाता है।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ, कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(1) सभी शिकायतों की तुरन्त जांच-पड़ताल करने के लिए जिला शिकायत कक्ष खोलना।

(2) लाइन के गैर प्राधिकृत विपथन को ज्ञातव्य अपराध वनाने के लिए तार अधिनियम का संशोधन।

(3) क्षेत्रीय प्रबंधक के संगठन को मजबूत करना।

(4) गैस दाबीकरण और नलियों में केबुल बिछाना।

(5) कार्य निष्पादन में सक्रियता लाने के लिए संचालन योजना कक्षों की स्थापना।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना

2364. **श्री राम सिंह यादव : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने दिल्ली पर पड़ने वाले आबादी के दवाव पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना प्रारम्भ की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को 1971 में तैयार किया गया था और भारत सरकार द्वारा 1972 में इसे पूर्ण रूप से अनुमोदित कर दिया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के तीन में से दो चरणों को संबंधित राज्यों द्वारा पूरा कर लिया गया था और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों को केन्द्रीय सहायता के माध्यम से 120 करोड़ रुपये दे दिए गये थे;

(घ) क्या यह सच है कि जनता सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को बिना किसी कारण के 1978 में समाप्त कर दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का योजना में रखे गये क्षेत्रों को विकसित करने के विचार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को फिर से चालू करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड ने सितम्बर, 1973 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को अनुमोदित किया।

(ग) उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों की राष्ट्रीय राजधानी कस्बों की अर्ध संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए मार्च, 1980 तक 638.40 लाख रुपये का कुल ऋण दिया गया।

(घ) जी, नहीं। परन्तु निवेश कम कर दिया गया था।

(ङ) जी, हां।

फरीदाबाद स्थित कोका-कोला संयंत्र को अधिकार में लिया जाना

2365. **श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी जिससे कि फरीदाबाद स्थित कोका-कोला संयंत्र को मै० माडर्न बेकरीज (इंडिया) लि० द्वारा जल्दी ही अपने अधिकार में ले लिया जाए ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : सरकार ने माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड के कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, फरीदाबाद के कंसनट्रेट प्लाट को खरीदने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था। कम्पनी ने तदनुसार प्लांट को खरीदने के लिए पक्की पेशकश की है लेकिन मैसर्स कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन से अब तक कोई अन्तिम निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

चीनी के वितरण पर पूर्ण नियंत्रण

2366. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या यह सच है कि सरकार चीनी के वितरण पर सम्पूर्ण नियंत्रण लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : जी नहीं। चीनी के वितरण पर पूर्ण नियंत्रण लागू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अधीन चीनी के कुल उत्पादन के 65 प्रतिशत को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित मूल्यों पर वितरित किया जाता है और शेष 35 प्रतिशत को फैक्ट्रियों द्वारा खुले बाजार में बेचने की अनुमति है।

कागज मिलों द्वारा दिल्ली की फर्मों को कागज की सप्लाई

2367. **श्री निहाल सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कागज मिलों के क्या नाम हैं जो दिल्ली में कागज का कोटा सप्लाई करते/देते हैं और उन फर्मों तथा कम्पनियों के नाम क्या हैं जो उसे प्राप्त करती हैं और उन्हें जनवरी, 1979 से मई, 1980 तक हर मास कितना कागज मिलता है;

(ख) क्या यह सच है कि इन फर्मों तथा कम्पनियों ने बाजार से कागज गायब कर दिया है जिसके फलस्वरूप 96 पृष्ठ की एक कापी जिसका नियंत्रण मूल्य 65 पैसे है, अब 1.50 रुपए की बिक रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिल्ली में कापियों के लिए जनवरी, 1979-मई, 1980 के दौरान जिन कागज मिलों ने कागज की पूर्ति की, वे इस प्रकार हैं :

(1) ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटिड

(2) आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स, लिमिटिड

(3) वल्लरपुर इंडस्ट्रीज लिमि०

(4) सिरपुर पेपर मिल्स लिमि० ।

इन व्यावसायिक उद्यमों (फर्मों) को दिल्ली प्रशासन द्वारा विभिन्न तिमाहियों में कापियों के लिए कागज की निम्नलिखित मात्रा आवंटित की गयी थी :

(1) जनवरी-मार्च, 1979 की तिमाही के लिए 750 टन ।

(2) अप्रैल-जून, 7979 की तिमाही के लिए 1200 टन ।

(3) जुलाई-सितम्बर, 1979 की तिमाही के लिए ०00 टन ।

(4) अक्टूबर-दिसम्बर, 1979 की तिमाही के लिए 500 टन ।

(5) जनवरी-मार्च, 1980 की तिमाही के लिए 500 टन ।

(6) अप्रैल-जून, 1980 की तिमाही के लिए 500 टन ।

उन व्यावसायिक उद्यमो (फर्मों) के नाम, जिन्होंन मार्च, 1980 तक कापियों के लिए समय-समय पर कागज प्राप्त किया, संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली के कापी निर्माताओं ने दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को स्कूलों, उचित दर की दुकानों और सहकारी समितियों तथा फुटकर (खुदरा) विक्रेताओं को प्राधिकृत दर पर दी जाने वाली 2.40 करोड़ कापियों की तुलना में दो करोड़ से भी कम कापियां प्रदान की हैं ।

कुछ निर्माता, क्योंकि अपेक्षित मात्रा में कापियां मुहैया करने में असफल रहे, अतः दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि भारतीय दंड संहिता तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 106 दोषी निर्माताओं के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

विवरण

जनवरी-मार्च, 1979

(क) संलग्न सूची में से 'क' श्रेणी के 135 कापी निर्माता से प्रत्येक को 5 टन की दर से 675 टन

(ख)	संलग्न सूची में से 'ख' श्रेणी के कापी निर्माता में से प्रत्येक 14 को 3 टन की दर से	42 टन
(ग)	सुपर बाजार	27 टन
(घ)	राजधानी कोपी उद्योग के लिए निर्धारित कागज, जिसने मुकदमा दायर किया था।	6 टन
	कुल	750 टन

अप्रैल-जून, 1979

(क)	संलग्न सूची में से 149 कापी निर्माता	1196.1 टन
(ख)	राजधानी कापी उद्योग के लिए निर्धारित कागज	3.9 टन
	कुल	1200.0 टन

जुलाई-सितम्बर, 1979

(क)	संलग्न सूची में से 154 कापी निर्माता	597.370 टन
(ख)	राजधानी कापी उद्योग के लिये निर्धारित कागज	2.630 टन
	कुल	600.000 टन

अक्टूबर-दिसम्बर, 1979

(क)	संलग्न सूची में से 158 कापी निर्माता	495.410 टन
(ख)	राजधानी कापी उद्योग के लिए निर्धारित कागज	1.410 टन
	कुल	496.820 टन

जनवरी-मार्च, 1980

	संलग्न सूची के अनुसार 165 कापी निर्माता	499.981 टन

अप्रैल-जून, 1980

दिल्ली प्रशासन ने अपने अधीन एक स्वायत संगठन दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो को कापियां तैयार करने और उनकी पूर्ति के लिए 500 टन सफेद प्रिंटिंग कागज आवंटित किया है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन द्वारा जिन कापी निर्माताओं को रियायती दर का कागज आवंटित किया गया था उनकी सूची

क्रम सं०	फर्म का नाम और पता
1.	मैसर्स आदर्श कापी हाउस, 365 चितला गेट, दिल्ली
2.	,, अग्रवाल ब्रा० कटरा धूमिमल, चावडी बाजार, दिल्ली
3.	,, अमर कापी हाउस, 2437, धर्मपुरा, दिल्ली
4.	,, अग्रवाल सेल्स कार्पोरेशन, 2165 बाजार सीताराम, दिल्ली
5.	,, आहूजा कापी हाउस, 2923, गली तक्षशिला खुर्द, सीताराम बाजार
6.	,, एवन कापी हाउस, 3763, शाहगंज, अजमेरी गेट, दिल्ली
7.	,, अजन्ता कापी मेन्यूफेक्चर्स, पहाड़ी इमली, 1255 जामा मस्जिद
8.	,, अर्जुन दास एण्ड सन्स, 5442, न्यू मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली
9.	,, अल्पना कापी प्रोडक्ट्स, 51 गली राजा केदारनाथ, चावड़ी बाजार
10.	,, आनन्द सेल्स कार्पोरेशन, 3970, चावड़ी बाजार, दिल्ली
11.	,, अनिल ब्रादर्स 2899/15, सदर बाजार, दिल्ली
12.	,, आर्य ट्रेडिंग क० बी-475 रघुबीर नगर, नई दिल्ली
13.	,, अरोडा वाइन्डिग हाउस, 2448, नाईवाडा, दिल्ली
14.	,, अनेजा ट्रेडर्स 3618/26, सुदर्शन मार्किट, चावडी बाजार दिल्ली
15.	,, भाटिया एण्ड क० चूना मण्डी, पहाड़ गंज, नई दिल्ली
16.	,, बिन्दरबन राम दर्शन, छोटा छीपीवाड़ा, चावड़ी बाजार, दिल्ली
17.	,, बिशन स्वरूप वेद पकाश, 2448, नाईवाडा, चावडी बाजार, दिल्ली
18.	,, बद्री प्रशाद एण्ड सन्स, 502, चितला गेट, दिल्ली
19.	,, बब्बर ब्रा० 365, चितला गेट, दिल्लो
20.	,, बिन्दरबन दिनेश कुमार, नई मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली
21.	,, भारत कापी हाउस, 5420 न्यू मार्किट, सदर बाजार दिल्ली
22.	,, भाटिया ट्रेडिंग क० 694 अजमेरी गेट दिल्ली
23.	,, बन्ता कापी हाउस 2712, चूडीवालान, दिल्ली
24.	,, बिन्दरबल सत्य नारायण, 2726 चौक रायजी, चावड़ी बाजार
25.	,, बिन्दल कापी हाउस, 3862, चावडी बाजार, दिल्ली
26.	,, सेन्ट्रल कापी सप्लाई मैन्यू० 691 चितला गेट, दिल्ली
27.	,, कर्मशियल ट्रेडिंग क० 4407, नई सड़क, दिल्ली
28.	,, कर्मशियल पेपर क० 938/1, छत्ता शाहजी, दिल्ली
29.	,, चावला पेपर प्रोडक्टस, 2968, कूचा माई दास, बाजार सीताराम, दिल्ली
30.	,, चावला कापी हाउस, 5318/4, सदर बाजार, दिल्ली
31.	,, दिल्ली कापी हाउस, 141, गली बताशा, चावड़ी बाजार, दिल्ली

32. मैसर्स दुर्गे कापी हाउस, कूंचा मीर आशिक, चावड़ी बाजार
33. ,, दरबारी लाल एण्ड सन्स, 56, खुरशीद मार्किट, दिल्ली
34. ,, दामोदर दास कालू राम, 331 कूचा मीर आशिक, चावड़ी बाजार
35. ,, डीलक्स कापी प्रोडक्टस, 5345, कूचा काशगीरी बाजार सीताराम
36. ,, दीपक बाइन्डिग हाउस, 981/4, छोटा छीपीवाड़ा, चावड़ी बाजार
37. ,, दुर्गा कापी हाउस, 3156 लाल दरवाजा बाजार सीताराम
38. ,, फेन्सी कापी हाउस, 5418, सदर बाजार दिल्ली
39. ,, फ्रन्टियर कापी हाउस, 271 कूंचा मीर आशिक, चावड़ी बाजार
40. ,, जनरल कापी हाउस, 4/991, चावड़ी बाजार दिल्ली
41. ,, गुलाटी ट्रेडर्स 6113 सदर बाजार दिल्ली
42. ,, गोपाल दास देश राज, 442, चितला गेट, दिल्ली
43. ,, गिरधारी लाल पद्म कुमार, 349/1 चावड़ी बाजार दिल्ली
44. ,, गुलाटी पेपर एण्ड स्टेशनर्स मार्ट, 4079 नई सड़क दिल्ली
45. ,, गोयल सेल्स कापो० 2968 कूचा माई दास, बाजार सीताराम
46. ,, गोपी चन्द जैन एण्ड सन्स, 1201 चारहाट जामा मस्जिद
47. ,, जनरल कापी कोपो० 991/4, चावड़ी बाजार, दिल्ली
48. ,, गोविन्द राम मोतीवल चन्द 703, चावड़ी बाजार दिल्ली
49. ,, हरियाणा ट्रेडर्स चर्खेवालान, चावड़ी बाजार
50. ,, हिमालय ट्रेडर्स 2968 रघुगज दिल्ली,
51. ,, हिन्दुस्तान ट्रेडर्स, 4036 चावड़ी बाजार, दिल्ली
52. ,, हरियाणा पेपर कनवर्टर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, दिल्ली
53. ,, हरबन्स लाल एण्ड क०, दिल्ली
54. ,, हिन्द नेशनल बाइन्डिग हाउस, चावड़ी बाजार, दिल्ली
55. ,, इंडियन कापी हाउस, 376/2, चितला गेट, दिल्ली
56. ,, इंटरनेशनल कापी हाउस, 24421, नाई वाड़ा, दिल्ली
57. ,, जगदीश कापी मैन्यू० 326 कूचा मीर आशिक, चावड़ी बाजार
58. ,, जगदीश ट्रेडिंग क० गली पहाड़ वाली, चावड़ी बाजार
59. ,, जगजीत ट्रेडर्स, 4036 चावड़ी बाजार, दिल्ली
60. ,, जयन्ती प्रसाद रोमेश चन्द्र 397/1, चितला गेट, दिल्ली
61. ,, जगन्नाथ एण्ड सन्स, न्यू मार्किट सदर बाजार, दिल्ली
62. ,, कालीराम रामअवतार, 310 कूचा मीर आशिक, चावड़ी बाजार
63. ,, जगत कापी प्रोड्क्ट्स 580-81/4, मक्की मार्किट दिल्ली
64. ,, मैसर्स जिन्दल सेल्स कारपोरेशन, चूड़ीवालान, चावडी बाजार दिल्ली
65. ,, जैन ब्रा० 848, चितला गेट, दिल्ली
66. ,, जैन ट्रेडर्स 437, चितला गेट, दिल्ली
67. ,, जनता कापी हाउस, ए-12/फेज-1, नारायणा, नई दिल्ली
68. ,, जैन फाइल प्रोडक्ट्स, 437 चितला गेट, चावडी बाजार

69. मैसर्स कथूरिया ट्रेडिंग क०, 169 डी बी गुप्त मार्किट, करोल बाग, नई दिल्ली
70. ,, खुराना बाइन्डिंग हाउस, 627 चूडीवालान, दिल्ली
71. ,, के० बी० प्रोडक्टस, 5302 फस्ट फ्लोर, सिन्धी मार्किट सदर बाजार, दिल्ली
72. ,, कन्हैया लाल हरबन्स लाल, 2273 गली पहाड़वाली चावडी बाजार, दिल्ली
73. ,, कन्हैया लाल, नरायन दास, 2356 धर्मपुरा चावडी बाजार
74. ,, कंवल कापी कोपो०, चूडीवालान, दिल्ली
75. ,, कमल कापी प्रोडक्टस, 5037 चौक राय, शाहगंज अजमेरी गेट
76. ,, कंवल ट्रेडिंग क० 5414, न्यू मार्किट सदर बाजारु, दिल्ली
77. ,, लक्ष्मी पेपर मार्ट, 946 छत्ता शाहजी, चावडी बाजार दिल्ली
78. ,, लकी पेपर प्रोडक्टस, 949 चावडी बाजार, दिल्ली
79. ,, मदन बाइन्डिंग हाउस, 441 चितना गेट, दिल्ली
80. ,, मिनोचा बाइन्डिंग हाउस, 2654, धर्मपुरा, दिल्ली
81. ,, मिनोचा एण्ड क० 424, मटिया महल, जामा मस्जिद
82. ,, मिलन काफी हाउस, 492, गली मटिया महल, जामा मस्जिद
83. ,, मनोहर सन्स, 310 कूचा मीर आशिक, चावडी बाजार दिल्ली
84. ,, मोहिन्दर बाइन्डिंग हाउस, 5419/9 न्यू मार्किट सदर बाजार
85. ,, एन ए ट्रेडर्स, 39 ए कमला नगर दिल्ली
86. ,, नेशनल कापी ट्रेडर्स 1181-82 जामा मस्जिद
87. ,, नेशनल ट्रेडर्स 692 चावडी बाजार दिल्ली
88. ,, नेशनल कापी सप्लाई कार्पो० 690 चितला गेट
89. ,, नवीन ट्रेडर्स 2210, गली पहाड़ वाली, दिल्ली
90. ,, नेशनल इन्टरप्राजिज, 826 चितला गेट, दिल्ली
91. ,, न्यू मार्डन रूलिंग एण्ड बाइन्डिंग हाउस, चावड़ी बाजार दिल्ली
92. ,, नव भारत कापी हाउस, 4649 चरखेवालान, दिल्ली
93. ,, नेशनल प्रोडक्टस, 970 छीपीवाड़ा, चावड़ी बाजार दिल्ली
94. ,, नावल्टी टेडर्स, 4089 नई सड़क, दिल्ली
95. ,, नितिन एण्ड क० 174 गाँव किरारी पो० आ० नागलोई दिल्ली
96. ,, प्रताप ट्रेडर्स, 2139 मस्जिद खजूर, चावड़ी, बाजार
97. ,, प्रकाश कापी प्रोडक्टस 2321 धर्मपुरा, दिल्ली
98. ,, पोकार दास एण्ड सन्स, 2411, नाईवाड़ा, चावड़ी बाजार दिल्ली
99. ,, प्रभात पेपर एण्ड स्टेशनरी मार्ट, 5428 न्यू मार्किट सदर बाजार दिल्ली
100. ,, पंजाब कापी हाउस, 5297, न्यू मार्किट सदर बाजार दिल्ली
101. ,, फोनेक्स सेल्स, कारपोरेशन, 456, चितला गेट, दिल्ली
102. ,, पायनियर पेपर प्रोडक्टस, 3871, दरियागंज, दिल्ली
103. ,, प्यारे लाल राम कुमार, 5535 गाँधी मार्किट, सदर बाजार दिल्ली
104. ,, पेपर कन्वरटर्स एण्ड प्रिन्टर्स, 2343, छत्ता शाहजी, दिल्ली
105. ,, पारस ट्रेडर्स, 4579, कूचा बीबी गेट, चावड़ी बाजार, दिल्ली

106. मैसर्स रीतू पेपर प्रोडक्टस, 17/132, गीता कालोनी, दिल्ली
107. ,, राष्ट्रीय बाइन्डिग हाउस, 2201, गली पहाड़वाली. दिल्ली
108. ,, रघुवर दयाल रोहतास कुमार, 2542, नाईवाड़ा, चावड़ी बाजार दिल्ली
109. ,, राम प्रकाश एण्ड सन्स, 2712, चुड़ीवालान दिल्ली
110. ,, रामा कापी हाउस, 3867, चर्खेवालान, चावड़ी बाजार, दिल्ली
111. ,, रामधन मल राम चितामल, 2647, चर्खेवालान, चावड़ी बाजार दिल्ली
112. ,, राम स्वरूप नरसिंह लाल, 2671 चूड़ीवालान दिल्ली
113. ,, राज कापी हाउस, 2343 धर्मपुरा, दिल्ली
114. ,, रायल कापी हाउस ए० 85/1, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-11, नारायणा
115. ,, राजधानी कापी हाउस 1257 पहाड़ी इमली दिल्ली
116. ,, रेनबो पेपर प्रोडक्टस 1272 वकीलपुरा, दिल्ली
117. ,, सूरी कापी मैन्यूफैक्चरर्स 173 कटरा गोकुल शाह जामा मस्जिद, दिल्ली
118. ,, सुरेन्द्र कापी हाउस, 502, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली
119. ,, सुनेजा कापी हाउस एण्ड स्टेशनरी मार्ट, 5344, कूँचा काशीगरी बाजार सीताराम दिल्ली
120. ,, सचदेवा कापी हाउस, 2555, नाई वाड़ा, दिल्ली
121. ,, श्याम कापी हाउस, 119, कटरा गोकुल शाह जामा मस्जिद दिल्ली
122. ,, शिव बाईन्डिग हाउस, 272, कूचा मीर आशिक चावड़ी बाजार दिल्ली
123. ,, सुरेश कापी हाउस, 216, गली पहाड़वाली, अजमेरी गेट, दिल्ली
124. ,, श्याम कापी मैन्यूफैक्चरर्स कंपनी, 2726 चौक रायजी नई सड़क दिल्ली
125. ,, सचदेवा ट्रेडर्स 2654 चूड़ीवालान दिल्ली
126. ,, सचदेवा एण्ड कंपनी 2695 चूड़ीवालान दिल्ली
127. ,, सुरेन्द्र पेपर प्रोडक्टस 2654 रोशनपुरा नई सड़क दिल्ली
128. ,, सेन स्टेशनरी मार्ट, 112, जामा मस्जिद के सामने दिल्ली
129. ,, एस० के० वर्मा एण्ड कंपनी, 5952 गली सटटेवाली नई सड़क दिल्ली
130. ,, विशाल कापी हाउस, 2673, छीपीवाड़ा, चावड़ी बाजार दिल्ली
131. ,, सुरेश कापी हाउस 5, महिला कालोनी दिल्ली (गाँधी नगर)
132. ,, वेद प्रकाश सुनील दत्ता छोटा छीपीवाड़ा चावड़ी बाजार दिल्ली
133. ,, ओम बाइन्डिग हाउस 215 अजमेरी गेट दिल्ली
134. ,, गोपाल दास एण्ड ब्रदर्स 2509 नाईवाड़ा चावड़ी बाजार दिल्ली
135. ,, गुप्ता कागज कनवरटर्स 2518/4, शीश महल चूड़ी वालान दिल्ली
136. ,, जे० एस० भल्ला एंड ब्रदर्स, जामा मस्जिद के पीछे, दिल्ली
137. ,, जैन कंपनी 374, चितला गेट चावड़ी बाजार दिल्ली
138. ,, केदारनाथ एण्ड सन्स, 2090 काली मस्जिद तुर्कमान गेट, दिल्ली
139. ,, शिव लाल काशी राम, 1829 खारी बावली, दिल्ली
140. ,, ओम सन्स, 3811, चर्खेवालान, दिल्ली
141. ,, बिड़ला पेपर प्रोडक्टस, 3036 बल्ली मारान चावड़ी बाजार दिल्ली

142. मैसर्स गुप्ता कापी हाउस, ई-46, सीलमपुर दिल्ली
143. ,, अब्दुल हफीज एड संस, 424, चितला गेट, दिल्ली
144. ,, सुनील कुमार गुप्ता कापी हाउस बी 154 न्यू सीलमपुर दिल्ली
145. ,, उषा मल्होत्रा बुक बाइन्डिंग हाउस ए/120 बजीराबाद रोड, नार्थ गोंडा, शाहदरा
146. ,, स्मार्ट प्लास्टिक, 35 बसन्त नगर, सदर बाजार, दिल्ली
147. ,, प्रकाश कापी प्रिन्टर्स, 2821 छोटी नाहरवाली गेट धर्मपुरा चावड़ी बाजार, दिल्ली
148. ,, मैटरो आफ सेट प्रिन्टर्स ए-21/11 नारायणा, इन्डस्ट्रीयल स्टेट, फेस-11
149. ,, वी० टी० मैन्युफैक्चरर्स, 69/8, गली होशियार सिंह, गली नं० 16 (विश्वभारती सिस्टम निकेतन) पो० आ० सीलमपुर दिल्ली
150. ,, सी० पी० कापी हाउस 2410 छीपीवाड़ा, दिल्ली
151. ,, हरी चन्द अशोक कुमार 258 चितला गेट, दिल्ली
152. ,, मधु ट्रेडर्स 464 चितला गेट, दिल्ली
153. ,, नीलम पेपर एजेन्सी 3273, लाल दरबाजा बाजार सीताराम दिल्ली
154. ,, पारस राम सत प्रकाश 2329 चूड़ीवालान चावड़ी बाजार दिल्ली
155. ,, विक्रान्त प्रेस शेड 32 न्यू बाजीरपुर इन्डस्ट्रीयल काम्पलेक्स दिल्ली
156. ,, विवेक पुस्तिका उद्योग 3007/68 कूचा राजा सोहन लाल बाजार सीता राम दिल्ली
157. ,, भारत प्रकाशन 2640 रोशनपुरा नई सड़क दिल्ली
158. ,, नागपाल बुक बाइन्डिंग हाउस 2915 बाजार तुर्कमान गेट दिल्ली
159. ,, स्टार बुक बाइन्डिंग हाउस 2379 अबूल खां मार्ग, तुर्कमान गेट, दिल्ली
160. ,, राजधानी कापी उद्योग (इण्डिया) 212 गली लोहावन अजमेरी गेट दिल्ली
161. ,, बोबी कापी सप्लाई कारपोरेशन 951 ए छोटा छीपीवाड़ा दिल्ली
162. ,, जय रामदास ज्ञानचन्द 512 टिकरी वालान चावड़ी बाजार दिल्ली
163. ,, रघु श्री पेपर प्रोडक्टस 2530 चूड़ीवालान चावड़ी बाजार दिल्ली
164. ,, इन्द्रा कापी मैन्यूफैक्चरर्स 872/23 चूड़ी वालान चावड़ी बाजार दिल्ली
165. ,, शम्भू नाथ गुप्त एण्ड कं० 422 चितला गेट चावढ़ी बाजार दिल्ली

चीनी उद्योग में पूंजी निवेश

2368. **श्री के० ए० राजन** : क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि : 1976-77 में 1979-80 तक प्रत्येक वर्ष के अन्त तक चीनी उद्योग में कितनी-कितनी पूंजी लगाई गई ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : वर्ष 1976-77 से 1979-80 के दौरान चीनी उद्योग में लगाई गई पूंजी के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस संबंध में हाल में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, चीनी उद्योग जांच आयोग ने, 1974 में प्रस्तुत की गई

अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 1969-70 के अंत में इस उद्योग में लगाई गई कुल पूंजी 457.91 करोड़ रुपये थी और लगाई गई पूंजी का प्रति फैक्ट्री औसत 221-21 लाख रुपये बैठा था।

चीनी उद्योग का लाभ सूचकांक

2369. **श्री के० ए० राजन** : क्या **कृषि मंत्री** यह जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1970-71 को आधार मानकर वर्ष 1976-77 और वर्ष 1977-78 के लिये चीनी उद्योग का लाभ सूचकांक क्या है ?

कृषि मंत्री श्री (बीरेन्द्र सिंह राव) : प्रश्न में उल्लिखित समस्त अवधि के लिए तथा 1970-71 को आधार मानते हुए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, भारत के रिजर्व बैंक के जून, 1979 के बुलेटिन में प्रकाशित बड़ी-बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के वित्त का अध्ययन करने के साथ-साथ चीनी उद्योग का भी अध्ययन किया गया। भारत के रिजर्व बैंक के सांख्यिकीय विभाग के कम्पनी वित्त-1 प्रभाग द्वारा किए गए अध्ययन में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं :

	कर के बाद निवल मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ	
1975-76	1976-77	1977-78
3.0	8.7	4.0

विचाराधीन-पत्र

2370. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि टेलीफोनों के खराब कार्यकरण, गलत राशि के बिल, ट्रंक कालों को मिलाने में विलंब और अन्य मामलों की शिकायत करते हुए राजधानी में टेलीफोन प्रयोक्ताओं द्वारा महाप्रबंधक, दिल्ली टेलीफोन, के नाम पर लिखे गये पत्रों का उत्तर वे नहीं देते हैं;

(ख) क्या ऐसे पत्र क्षेत्रीय प्रबंधकों को भेज दिये जाते हैं जहां वे रिकार्ड में रखे जाते हैं;

(ग) क्या दिल्ली में क्षेत्रीय प्रबंधकों के कार्यालयों के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) 31 मई, 1980 को क्षेत्रीय प्रबंधक (दक्षिण) के कार्यालय में उत्तर देने के लिए कुल कितने पत्र लंबित पड़े हुए थे और इन बकाया पत्रों के निपटान के लिये और प्रयोक्ताओं को इनके उत्तर भेजने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) दिल्ली टेलीफोन के महाप्रबन्धक के नाम भेजे गए पत्रों की पावती या तो उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा उनकी ओर से किसी अन्य अधिकारी द्वारा भेजी जाती है।

(ख) टेलीफोनों के दोषपूर्ण कार्यकरण, गलत टेलीफोन बिल बनाने तथा अन्य मामलों से संबंधित पत्र क्षेत्रीय प्रबन्धकों सहित संबंधित अधिकारियों को भेज दिए जाते हैं जो पत्र की जांच तथा संभव एवं आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात संबंधित पार्टी को उत्तर भेजते हैं।

(ग) जी नहीं। क्षेत्रीय प्रबन्धकों के कार्यालयों के कार्यकरण के संबंध में कोई भी औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि उनकी अभी भी स्थायीकरण की प्रक्रिया जारी है।

(घ) 31-5-80 को निपटान के लिए अनिर्णित पड़े विभिन्न मामलों के पत्रों की कुल संख्या 836 थी जिनके उत्तर दिए जाने हैं।

इस प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक की सहायता हेतु एक उपक्षेत्रीय प्रबन्धक तथा एक जनसम्पर्क अधिकारी की व्यवस्था की गई है।

देश में पेय जल की उपलब्धता

2371. **श्री समर मुखर्जी : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश भर में पेय जल की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) पेय जल की पूर्ति के लिए गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार और राज्यवार कितने नलकूप और कुएं खोदे गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) पेय जल की व्यवस्था करना, राज्य का विषय है और राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत निधियाँ दी जाती हैं। तथापि, समस्याग्रस्त गामों में पेय जल की व्यवस्था करने में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1977-78 में त्वरित ग्रामीण पेय जल पूर्ति कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत राज्यों को इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) पेय जल के प्रावधानों का प्रबोधन, पानी मुहैया किए गए ग्रामों की संख्या के आधार पर किया जाता है और न कि नलकूपों तथा कुओं की संख्या पर। पिछले तीन वर्षों में राज्यवार जिन ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था की गई, उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण-I

जिन ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था की गई है, उनकी संख्या

		1977-78	1978-79	1979-80
1.	आन्ध्र प्रदेश	478	360	×
2.	असम	390	1470	×
3.	बिहार	4333	3140	×

× इसमें आंशिक रूप से पानी मुहैया कराये गये ग्राम सम्मिलित हैं।

		1977-78	1978-79	1979-80
4.	गुजरात	309	782	816
5.	हरियाणा	125	130	182
6.	हिमाचल प्रदेश	497	1289	1302
7.	जम्मू व कश्मीर	177	216	215
8.	कर्नाटक	3666	3924	3864
9.	केरल	31	15	24
10.	मध्य प्रदेश	1857	1654	5315
11.	महाराष्ट्र	261	2010	2635
12.	मणिपुर	18	29	*
13.	मेघालय	8	28	*
14.	नागालैण्ड	47	44	*
15.	उड़ीसा	898	2993*	*
16.	पंजाब	202	136	135
17.	राजस्थान	365	353	*
18.	सिक्किम	शून्य	119	*
19.	तमिलनाडु	2006 (छ)	1485 (छ)	*
20.	त्रिपुरा	784	300	513
21.	उत्तर प्रदेश	859	1585	*
22.	पश्चिम बंगाल	1415	432	*
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	9	4	18
24.	अरुणाचल प्रदेश	69	69	*
25.	दिल्ली	शून्य	11	20
26.	गोआ, दमण तथा दीव	12	2	*
27.	मिजोरम	6	2	*
28.	पांडिचेची	10	12	14
		18,832	22,632	15,053

जलाशय और सिंचाई परियोजनाओं में सघन मत्स्य पालन

2372. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(छ) इसमें झोंपड़ियों के समूह भी सम्मिलित हैं।

*इन राज्यों से 79-80 की सूचना की अभी तक प्रतीक्षा है।

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान भारत में सिंचाई और पन बिजली परियोजनाओं के जलाशयों से कुल कितनी मात्रा में मछलियां पकड़ी गईं;

(ख) क्या उपर्युक्त जलाशयों में से किसी में सघन मत्स्य पालन की कोई योजना अभी चल रही है, और

(ग) यदि हां, तो भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुण्ड परियोजनाओं के जलाशयों में मत्स्य पालन की क्या योजनाएं हैं और इन जलाशयों से 1978-79 और 1979-80 में कुल कितनी मात्रा में मछलियां पकड़ी गई ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्राकृतिक विपदाओं के कारण हुई हानि

2373. **श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में देश में आई सूखा, तूफान, बाढ़ और बवण्डर जैसी प्राकृतिक विपदाओं से फसल, पशु, मानव जीवन को होने वाले नुकसान की गणना की है,

(ख) यदि हां तो उपरोक्त वर्षों में राज्य-वार, श्रेणी-वार तथा वर्ष-वार कितनी हानि हुई तथा उनका अनुमानित मूल्य क्या है;

(ग) इन वर्षों में राज्य वार क्या राहत कार्य किए गए और इनमें कितना व्यय किया गया, और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इन वर्षों में राहत कार्यों पर खर्च करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को कितने धन का आवंटन किया था ?

कृषि मंत्री (बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पररख दी जाएगी ।

मछली पकड़ने के लिए मत्स्य नौका

2374. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कितनी मत्स्य नौकाओं का उपयोग किया जा रहा है,

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कोई सरकारी संस्था अथवा निगम इस प्रकार का कार्य कर रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव): (क) 78 नौकाएं ।

(ख) अधिकांश नौकाएं पूर्वी तट पर और शेष पश्चिमी तट पर चल रही हैं।

(ग) जी हां ।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित प्रतिष्ठान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के 14 जलयान चला कहे हैं :

(1) राज्य मात्स्यकी निगम, प० बंगाल	4
(2) केरल मात्स्यकी विकास निगम	4
(3) तमिलनाडु मात्स्यकी विकास निगम	2
(4) आन्ध्र प्रदेश मात्स्यकी विकास निगम	2
(5) गुजरात एग्रो-मेरीन प्राडक्टस लि०	2
योग :	14

गोबर गैस संयंत्र में सुधार

2375. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय गोवर गैस संयंत्र अव्यवस्थित है और इनका डिज़ाइन खराब बनाया गया है जिसके परिणामस्वरूप उनमें से निरन्तर गैस निकलती थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संयंत्र में सुधार लाने के लिये, विशेष रूप से पूरे देश में और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान बिजली की कमी के सन्दर्भ में, कोई विशेष समिति गठित करने का है ?

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) गैस के रिसने की दृष्टि से गोबर गैस संयंत्र की भारतीय डिजाइन में कोई दोष नहीं है । तथापि, प्रबन्ध स्तरों में विभिन्नता है और आमतौर से दोषपूर्ण निर्माण तथा स्वामियों द्वारा ठीक ढंग से रख-रखाव न करने के कारण यह रिसन होती है ।

(ख) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने पहले ही एक तकनीकी समिति गठित की है जो गोवर गैस संयंत्रों के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए डिजाइन तथा प्रबंध सम्बन्धी पहलुओं पर विचार कर रही है ।

गन्ने का उत्पादन

2376. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गन्ने के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में गन्ने के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव): (क) 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के तीन वर्षों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर गन्ने के उत्पादन के अनुमान क्रमशः 1530.1, 1769.7 तथा 1564.5 लाख मीटरी टन है। वर्ष 1979-80 के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 1979-80 के दौरान गन्ने का उत्पादन वर्ष 1978-79 की अपेक्षा कम होने की संभावना है।

(ख) गन्ने के उत्पादन में कमी होने के निम्नलिखित कारण हैं :

(1) वर्ष 1977-78 के दौरान गन्ने का अधिक उत्पादन होने से उसके निपटान की समस्या पैदा हो गयी, जिसके फलस्वरूप किसानों को कम मूल्य मिला। इसकी वजह से बाद के वर्षों में गन्ने की खेती के लिए कम आदानों का विनियोजन किया गया।

(2) वर्ष 1979 के दौरान गंभीर सूखे की स्थिति का होना; और

(3) सिंचाई के प्रयोजनों के लिए बिजली तथा डीजल तेल की कमी का होना।

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान गन्ना उत्पादन का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। वर्ष 1976-77 से 1978-79 तक के 3 वर्षों के लिए राज्यवार गन्ने के उत्पादन का ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के परामर्श से 1980-81 के दौरान गन्ना उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक कार्यकारी योजना तैयार की है, जो कि क्रियान्वित की जा रही है। कार्यकारी योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

(1) गन्ने के अतिरिक्त पौद रोपण का बढ़ाना,

(2) उन्नत प्रबन्ध संबंधी पद्धतियों का प्रयोग,

(3) बहुत बड़े क्षेत्र में वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाना,

(4) मूढ़ी फसलों का बेहतरीन प्रबंध, और

(5) गहन विस्तार अभियान।

भारत सरकार के वर्ष 1980-81 के दौरान गन्ने से संबंधित वनस्पति रक्षण उपायों को सुदृढ़ करने के लिए 2 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय की व्यवस्था की है।

विवरण

गन्ने का उत्पादन (हजार मीटरी टन में)

राज्य	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80+
आन्ध्र प्रदेश	10.80.5	12847.4	9481.9	
असम	1665.2	1429.6	1658.0	
बिहार	4175.8	4957.8	4175.8	
गुजरात	2716.8	3486.7	3286.6	

राज्य	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80+
हरियाणा	7280.0	8970.0	6850.0	
हिमाचल प्रदेश	41.9	72.0	72.0	
जम्मू व कश्मीर	14.9	29.9	35.1	
कर्नाटक	9985.3	11605.8	11822.7	
केरल	404.6	377.6	408.6	
मध्य प्रदेश	2317.9	1681.7	2107.0	
महाराष्ट्र	21498.9	23319.6	22482.0	
मणिपुर	54.4	82.5	82.5	
मेघालय	9.4	9.7	9.7	
नागालैण्ड	95.0	105.0	150.0	
उड़ीसा	2770.0	2600 0	2810.0	
पंजाब	6070.0	6520.0	6050.0	
राजस्थान	1990.9	2828.1	2194.4	
तमिलनाडु	14245.5	16994.7	17925.2	
त्रिपुरा	93.4	87.6	77.2	
उत्तर प्रदेश	65215.5	76818.6	62612.2	
पश्चिम बंगाल	1812.4	1906.8	1884.9	
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	4.1	1.9	1.9	
दिल्ली	3.0	2.3	1.7	
गोवा, दमन तथा दीव	61.1	64.1	64.1	
मिजोरम	20.5	7.9	9.1	
पांडिचेरी	179.7	158.2	197.4	
अखिल भारत	153006.7	176965.5	156450.0	

+1979-80 के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना

2377. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ नई योजनाएं आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया है तथा जूनियर कालेजों में व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो उन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां ।

(ख) आजकल कुछ नई योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। उन्हें अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही ब्यौरे उपलब्ध होंगे।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जूनियर कालेजों अर्थात + 2 स्तर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना और चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन

2378. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष तथा भविष्य में गन्ना और चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं अथवा देने का विचार है; और

(ख) इस संबंध में गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे वे गन्ना खण्डसारी आदि बनाने वालों को न देकर चीनी मिलों को दें ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) 1980-81 के दौरान गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की 20 तथा 21 मार्च, 1980 को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और उक्त बैठक में लिए गये निर्णयों के आधार पर उन मुद्दों को तैयार किया गया है जिन पर कार्यवाही करनी है। सरकार गन्ने की फसल के संबंध में पौध संरक्षण के उपाय करने के लिए 2 करोड़ रुपये के परिव्यय की राशि देने के लिए सहमत हो गई है।

1980-81 में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार 1980-81 में पेराई कार्य शीघ्र शुरू करने पर उत्पादन शुल्क में रिवेट के रूप में चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन देने संबंधी प्रस्ताव के ब्यौरों को अन्तिम रूप दे रही है। नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना और वर्तमान फैक्ट्रियों का विस्तार करने के लिए लाइसेंस दे करके चीनी उद्योग की पेराई क्षमता में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय किया गया है।

(ख) सत्री स्वीटनिंग तत्वों को गन्ने की सप्लाई के बारे में बेहतर संतुलन बनाएं रखने के लिए सरकार ने 1979-80 में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 10 रुपये क्विंटल के पहले के मूल्य से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति क्विंटल पहले ही कर दिया है। सरकार राज्य सरकारों की एजेंसियों के माध्यम से और गम्भीर मामलों में चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्राहणन) अधिनियम, 1978 के उपबन्धों का साहरा लेकर गन्ने की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करवाने के लिए ठोस कार्यवाही भी कर रही है।

राज्य आवास बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सहायता से निर्मित की जाने वाली आवास कालोनियां

2379. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आवास कालोनियों के राज्यवार नाम क्या हैं जिन्हें राज्य आवास बोर्डों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता से निर्मित किए जाने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या कुछ ऐसी कालोनियां हैं जिन्हें स्वीकृति तो दे दी गई थी परन्तु जिनका निर्माण नहीं हो पाया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक वर्ग जैसे (एक) निम्न आय वर्ग (दो) माध्यम आय वर्ग (तीन) उच्च आय तथा जनता टाइप के फ्लैटों/बंगलों का तुलनात्मक विक्रय मूल्य क्या है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को दी जाती है न कि सीधे राज्य आवास बोर्डों को।

राज्य आवास बोर्ड अपने आवास कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार के उपक्रम आवास तथा नगर विकास निगम से वित्तीय सहायता ले रहे हैं। हुडको ने अपने आरम्भ होने की तारीख से 31-12-1979 तक राज्य आवास बोर्डों की 755 योजनाएं मंजूर की हैं। मंजूर की गई योजनाओं के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिये गए हैं। स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली आवास कालोनियों तथा जो राज्य आवास बोर्डों द्वारा तत्पश्चात आरम्भ नहीं की गई हैं उनके नाम उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) हुडको अपनी वित्त पोषित रिहायशी एककों की सब चीजों को मिलाकर अधिकतम सीमा निर्धारित करता है और न कि विक्रय मूल्य।

तथापि, राज्व आवास बोर्ड अपनी सरकार के परामर्श से विक्रय मूल्य निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं। इसलिए इस संबंध में तुलनात्मक आंकड़े देना संभव नहीं है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंजूर की गई योजनाओं की संख्या (31-12-79 की स्थिति के अनुसार
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	66
2.	असम	2
3.	बिहार	14
4.	गुजरात	84
5.	हरियाणा	41
6.	हिमाचल प्रदेश	17
7.	जम्मू व काश्मीर	3
8.	कर्नाटक	35
9.	केरल	24
10.	मध्य प्रदेश	71
11.	महाराष्ट्र	23
12.	उड़ीसा	14

1	2	3
13.	पंजाब	15
14.	राजस्थान	83
15.	तमिलनाडु	161
16.	उत्तर प्रदेश	67
17.	पश्चिम बंगाल	19
18.	चण्डीगढ़	12
19.	गोआ, दमण, न दीव	3
20.	पांडिचेरी	1
	कुल :	755

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन, टैलीफोन और टेलीफोन एक्सचेंज

2380. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान हिमाचल प्रदेश में लगाये गये सार्वजनिक टेलीफोन टेलीफोन और टेलीफोन एक्सचेंज के नाम क्या हैं;

(ख) ऐसे कौन-कौन से सार्वजनिक टेलीफोन, टेलीफोन और टेलीफोन एक्सचेंज हैं जिन्हें मंजूरी दी गई थी लेकिन उन्हें उपरोक्त वर्ष के अन्तर्गत लगाया नहीं जा सका;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनके कब तक लगाये जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) विवरण–1 के अनुसार ।

(ख) विवरण–2 के अनुसार ।

(ग) मंजूरी के बाद सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा एक्सचेंज खोलने में भंडार जुटाने तथा लाइन खींचने, उपस्करों का संस्थापन कार्य पूरा करने आदि में अक्सर 18 से 24 माह तक का समय लग जाता है ।

(घ) मार्च, 1981 तक ।

विवरण-I

अनुबंध-I

हिमाचल प्रदेश के उन स्थानों के नाम जहां वर्ष 1980-81 के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन, संयुक्त डाक तारघर, टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किए गए :

सार्वजनिक टेलीफोन्स :

(1) बगसाईद (2) बलियाली (3) भाली (4) हरियाल (5) हटवार (6) इंदेली (7) कंडवाल (8) कण्डरोल (9) नाम्होल (10) नेखा और (11) शिलाई ।

संयुक्त डाक तारघर :

(1) बगसाईद (2) बलिर ली (3) भाली (4) दादहू (5) हरियाल. (6) हटवार (7) जयसिंहपुर (8) झझेली (9) कंडवाल (10) कंडरोल (11) नाम्होल (12) नेखा और (13) शिलाई।

टेलीफोन एक्सचेंज :

(1) बधू (2) भगताल (3) दरलाघाट (4) दौलतपुर (5) देहार (6) हरियाल (7) जवाली (8) मरहोग (9) रेहण (10) तलाई और (11) थूराल।

विवरण-2

हिमाचल प्रदेश में 1979-80 के दौरान मंजूर किए गए सार्वजनिक टेलीफोन, संयुक्त डाक तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम जिन्हें संस्थापित नहीं किया जा सका।

(1) **सार्वजनिक टेलीफोन तथा संयुक्त डाक तारघर :**

(I) गेलोर और (II) कनरौर।

(2) **टेलीफोन एक्सचेंज :**

(I) बगहैद (II) छडियार (III) चारी (IV) कतौला (V) साहू।

पेरा गया गन्ना और उत्पादित चीनी

2381. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान, राज्यवार प्रमुख गन्ना उगाने वाले राज्यों में कितना क्षेत्र गन्ने के अन्तर्गत आता है;

(ख) समीक्षाधीन इन राज्यों में वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान उत्पादित गन्ने की मात्रा कितनी है;

(ग) वर्ष 1979-80 के पेराई मौसम के दौरान राज्यवार, चीनी कारखानों द्वारा पेरे गये गन्ने की मात्रा कितनी है;

(घ) वर्ष 1979-80 के पेराई मौसम के दौरान उत्पादित चीनी की मात्रा क्या है; और

(ङ) समीक्षाधीन इस अवधि के दौरान, राज्यवार और तिमाहीवार भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाई गई चीनी की मात्रा कितनी है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) 1978-79 के दौरान, प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र तथा गन्ने के उत्पादन के राज्यवार आंकड़े विवरण-1 के विवरण में दिए गए हैं। जहाँ तक 1979-80 मौसम का संबंध है, इस संबंध में पक्के अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, अखिल भारतीय गन्ना द्वितीय अनुमान के अनुसार, 1979-80 मौसम में इस फसल के अन्तर्गत क्षेत्र का अस्थायी तौर पर अन्दाजा लगाया गया है जोकि लगभग 25.6 लाख हैक्टर बैठता है। अस्थायी अनुमान के अनुसार चालू मौसम 1979-80 में गन्ने का उत्पादन लगभग 1300 लाख मीटरी टन होगा।

(ग) तथा (घ) ये आंकड़े विवरण-II के विवरण में दिए गये हैं ।

(ङ) चालू मौसम 1979-80 में, भारतीय खाद्य निगम ने 17-12-1979 से चीनी पर फिर से आंशिक नियंत्रण लागू होने के बाद फैक्ट्रियों से लेवी चीनी उठाना शुरू कर दिया है। चीनी उत्पादक राज्यों की फैक्ट्रियों से 17-12-1979 से 29-2-1980 और 1-3-1980 से 31-5-1930 तक की अवधि के दौरान निगम द्वारा उठाई गई चीनी की मात्राएं विवरण-III के विद्वरण में दी गई है ।

विवरण-I

देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में 1978-79 के दौरान गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र और उत्पादन बताने वाला विवरण

राज्य	क्षेत्र (000 हैक्टर)	उत्पादन (हजार मीटरी टन गन्ना)
आन्ध्र प्रदेश	142.0	9482
असम	47.9	1658
बिहार	131.3	4176
गुजरात	57.9	3287
हरियाणा	190.0	6850
कर्नाटक	157.8	11823
मध्य प्रदेश	71.9	2107
महाराष्ट्र	244.1	22482
उड़ीसा	46.0	2810
पंजाब	107.0	6050
राजस्थान	59.5	2194
उत्तर प्रदेश	1634.9	62612
तमिलनाडु	171.7	17925
पश्चिमी बंगाल	32.1	1885
अखिल भारत	3119.0	156450

विवरण-II

चीनी फैक्ट्रियों द्वारा चीनी मौसम 1979-80 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान पेरे गए और उत्पादित चीनी का राज्यवार ब्यौरा बताने वाला विवरण

राज्य	पेरा गया गन्ना (अनुमानित)	(लाख मीटरी टन) उत्पादित चीनी (अनुमानित)
आन्ध्र प्रदेश	23.28	2.01
असम	0.87	0.07
बिहार	18.06	1.63
गोआ	0.67	0.06
गुजरात	20.95	2.24
हरियाणा	9.78	0.92
कर्नाटक	29.40	3.00
केरल	2.23	0.18
मध्य प्रदेश	2.66	0.25
महाराष्ट्र	131.50	14.01
नागालैंड	0.75	0.07
उड़ीसा	1.15	0.10
पंजाब	5.15	0.53
पांडिचेरी	2.08	0.17
राजस्थान	1.03	0.11
उत्तर प्रदेश	102.05	10.16
तमिलनाडु	43.57	3.95
पश्चिमी बगाल	0.41	0.03
अखिल भारत	395.59	39.49

विवरण-III

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी उत्पादक राज्यों से उठाई गई लेवी चीनी की मात्रा

(मीटरी टन)

उत्पादक राज्य का नाम	From 17.12.79 से 29.2.80 तक	1.3.80 से 31.5.80 तक	जोड़
	फैक्ट्रियों से उठाई गई मात्रा		
1	2	3	4
महाराष्ट्र	84939.0	194818.4	279757.4
उत्तर प्रदेश	76655.9	240438.6	317094.5

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	19.5	508.9	528.4
बिहार	13000.0	52321.9	65321.9
मध्य प्रदेश	1459.0	7956.3	9415.3
उड़ीसा	505.2	3696.4	4201.6
आन्ध्र प्रदेश	8182.9	819.1	9002.0
असम	200.0	585.1	785.1
तमिलनाडु	94.0	617.1	711.1
जोड़	185055.5	501761.8	686817.3

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा स्थापित विज्ञान केन्द्र

2382. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने यह निर्णय किया है कि विज्ञान और औद्योगिकी का प्रचार करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में 20 जिलों में विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य से राजस्थान में चुने जिलों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में केवल 5 जिला विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है।

(ख) और (ग) इन पांच केन्द्रों में से दो केन्द्र अर्थात् पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में तथा कर्नाटक में और गुलबर्गमें पहले से स्थापित किए जा चुके हैं। बाकी तीन केन्द्रों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद अब संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से स्थानों को चुनेगी।

स्कूलों में नैतिक शिक्षा देना

2383. **श्री भगवान देव** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जहां स्कूलों में नैतिक शिक्षा दी जाती है और यह किस कक्षा से और कौन सी कक्षा तक दी जाती है;

(ख) क्या सरकार से आग्रह किया गया है कि वे अन्य राज्यों के स्कूलों में भी नैतिक शिक्षा को लागू करें ताकि बच्चों में ईमानदारी, प्रेम, निष्ठा, अनुशासन और भाईचारे की भावना जागृत की जा सके; और

(ग) चालू वर्ष के दौनान नैतिक शिक्षा के विस्तार के लिये सरकार द्वारा बनाई गई योजना क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सभी राज्यों में सारी स्कूली अवधि के दौरान किसी न किसी रूप में नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है।

असम, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्य भी इस प्रयोजन हेतु अलग पाठ्यचार्याएं/पाठ्यपुस्तकें या पूरक पठन सामग्री तैयार करने के प्रयास कर रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में नैतिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन कर रही है। विभिन्न स्कूली स्तरों पर नैतिक शिक्षा की पाठ्यचर्या के प्रारूप तैयार किए जाने के औचित्य पर इसकी रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी।

दिल्ली में अवैध निर्माण कार्य

2384. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ समय के दौरान दिल्ली में अवैध निर्माण तथा भूखण्डों के अवैध कब्जों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में इस प्रकार के निर्माण को गिरा देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि पिछले कुछ समय में अनधिकृत निर्माणों तथा भूमि पर अतिक्रमणों में वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि विकास क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों व भूमि के अतिक्रमण को हटाने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

अनाज की प्रति व्यक्ति खपत में कमी

2385. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि देश में अनाज की प्रति व्यक्ति खपत में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा निकाली गई अनुसंधान रिपोर्ट में भारतीय खाद्यान्न उत्पादन और खपत से सम्बन्धित आंकड़ों के दो विश्लेषण में "राष्ट्रीय खाद्य तुलन पत्र" तथा "राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आंकड़ों" से भारत में खाद्यान्नों की खपत के रुख के बारे में अध्ययन किया है। खाद्य तुलन पत्रों में बीज, आहार और छीजन (12.5 प्रतिशत स्थिर) को सकल उत्पादन से निकाला जाता है और शेष को निवल आयात और सरकारी भण्डारों में परिवर्तन के साथ जोड़ दिया जाता है। सामान्यतया इनका सही आशय "खपत" की बजाए "उपलब्धि" है जहां तक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों का सम्बन्ध है, ये वर्ष

1973-74 से आगे के उपलब्ध नहीं हैं और वर्ष 1961-62, 1964-65, 1972-73 और 1973-74 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की खपत के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन द्वारा इनकी तुलना की गई है। इन दो स्रोतों से अध्ययन द्वारा उल्लिखित सम्बंधित आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

खाद्य तुलन पत्र—1950-52, 1960-62, 1970-72 और 1975-77 की प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धि और विकास दर के अनुमान :

अवधि	खाद्यान्न	विकास दर
	(किलोग्राम/वर्ष)	(प्रतिशत)
1950-52	147.4	—
1960-62	168.0	1.32
1970-72	169.4	0.08
1975-77	158.9	1.27

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण–प्रति व्यक्ति खाद्यान्न खपत के अनुमान :

वर्ष	राष्ट्रीय औसत
	प्रति वर्ष खपत (किलोग्राम में)
1961-62	220.7
1964-65	205.4
1972-73	186.4
1973-74	185.3

यह उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अध्ययन के उपर्युक्त आंकड़ों में कुछ कमियों और दोषों का उल्लेख किया है। खाद्य तुलन पत्र के सम्बन्ध में इस बात का उल्लेख किया है कि वे व्यापारियों और उत्पादकों द्वारा उनके निजी रूप से भण्डारण में परिवर्तन को नहीं लेते हैं। इसके अतिरिक्त बीज के उत्पादन, आहार और छीजन के लिए 12.5 प्रतिशत की जो रियायत दी जाती है वह भी घट-बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के संबंध में अध्ययन से यह पता चला है कि ये आंकड़े कम व्यय वाले वर्गों में खपत को अनुमान से कम और अधिक व्यय वाले वर्गों में खपत को अनुमान से अधिक प्रदर्शित करते हैं।

दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोनों को सिक्का पद्धति उपकरण में बदलना

2386. **श्री राम विलास पासवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस समय दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोनों की एक सूची सभा पटल पर रखेंगी;

(ख) गत तीन वर्षों में उनमें से कितने टेलीफोन सामान्य उपकरण के हैं और कितने सिक्का पद्धतिके उपकरण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने टेलीफोन हैं जिन्हें प्रारंभ में प्राइवेट दुकानों पर सिक्का पद्धति उपकरण के रूप में लगाया गया था लेकिन बाद में उन्हें सामान्य उपकरण के रूप में बदल दिया गया था;

(घ) क्या दुकानदारों द्वारा टेलीफोन करने से मनाही किये जाने पर जनता को होने वाली असुविधा को देखते हुए सरकार सभी सार्वजनिक टेलीफोनों को सिक्का पद्धति के उपकरणों में बदलना सुनिश्चित करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) नवीनतम टेलीफोन डायरेक्टरी में विभागीय सार्वजनिक टेलीफोन घरों की सूची दी गई है। इस समय समस्त सार्वजनिक टेलीफोन घरों की सूची सभा पटल पर रखने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन घरों में साधारण उपकरण के 66 तथा सिक्का पेटियों वाले 1986 टेलीफोन कार्यरत हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया।

(घ) एवं (ङ) विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार सभी निजी गारंटी शुदा सार्वजनिक टेलीफोन घरों में सिक्का पेटियां लगाई जानी हैं। फिर भी निजी सार्वजनिक टेलीफोन घर, जहां सिक्का पेटियां नहीं लगी हुई हैं, वहां उपलब्धता के आधार पर ये स्थापित की जा रही हैं।

पुस्तक सामने रख कर परीक्षा देने की प्रणाली

2387. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में पुस्तक सामने रख कर परीक्षा देने की प्रणाली की एक ऐसी योजना का प्रस्ताव विचाराधीन है अथवा कार्यान्वित किये जाने की स्थिति में है जिसके अन्तर्गत कई पश्चिमी देशों में अपनाई जा रही प्रणाली की भांति, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें साथ ले जाकर परीक्षा देने की अनुमति होगी;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उपरोक्त प्रणाली को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जायेगा और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कच्चे काजू

2388. **श्री बी० के० नायर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे काजू का राज्य-वार उत्पादन कितना-कितना था;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने सम्पूर्ण फसल की अकेले ही वसूली करने के लिए शासकीय तंत्र का गठन कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उनके द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितना काजू वसूल किया गया है; और

(घ) केरल में कम वसूली किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे काजू के राज्य-वार उत्पादन के सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) राज्यों से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक के जरिए ग्रामीण वनरोपण

2389. **श्री दया राम शाक्य** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई ग्रामीण वनरोपण योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 जिलों में शुरू किया है; यदि हाँ, तो इस पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी, राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की जायेगी और विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि दी जायेगी और इसके भुगतान का तरीका क्या है; और

(ख) क्या अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करने वाले इन किसानों को इस योजना के अन्तर्गत वृक्ष निःशुल्क अथवा सस्ते दरों पर दिये जायेंगे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी, हाँ। विश्व बैंक से मिलने वाले ऋण की सहायता से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सामाजिक वानिकी परियोजना नामक वनरोपण योजना शुरू की गई है। यह एक पंचवर्षीय परियोजना है, जो कार्य कर रही है और 1-1-1979 से ही वित्तीय सहायता की व्यवस्था से जनवरी, 1980 से चालू हो गई है। इस परियोजना पर कुल 4000 लाख रुपए (465 लाख अमरीकी डालर) की पूंजी लगायी है जिसमें भारत सरकार को विश्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण 230 लाख अमरीकी डालर है। विश्व बैंक की रकम उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार के माध्यम से दी जायेगी। भारत सरकार की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 70 प्रतिशत विश्व बैंक सहायता राज्यों को दे दी जाती है, जो राज्य संसाधनों के अतिरिक्त होता है।

(ख) अन्य कार्यों के साथ निजी भूमि में वृक्ष-रोपण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए परियोजना में स्थानीय किसानों आदि को बहुत कम मूल्य पर वृक्ष के 80 लाख पौध किस्मों को वितरित करने की व्यवस्था है ताकि वे बेकार न जाएं। पोलीपोट पौध (अधिकांशतः जलावन लकड़ी की किस्में) के लिए 10 पैसे और पिण्डी पौध (जैसे फल वृक्ष) के लिए 25 पैसे लिए जायेगें। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान इसं मूल्य के स्तर की समीक्षा की जाएगी।

30 मई, 1980 तक खाद्यान्नों की खरीद

2390. **श्री दया राम शाक्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू रबी मौसम में 30 मई, 1980 तक देश में राज्यवार कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की गई और खरीदी गई मदों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गये खाद्यान्न में से इस समय कुल कितना खाद्यान्न गोदामों से बाहर पड़ा हुआ है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किए गये अनुदेशों के अनुसार यह सुनिश्चित करना होता है कि मण्डियों में खरीदे गये खाद्यान्नों के समूचे स्टाक को खरीदारी करने के 48 घंटे के अन्दर भण्डारण केन्द्रों को भेज दिया गया है। भण्डारण स्थान की कमी के कारण कुछ स्टाक कैप स्टोरेज (कवर एण्ड प्लिंथ) में रखा जाता है। पहली मई, 1980 को भारतीय खाद्य निगम के कैप स्टोरेज में कुल 37.45 लाख मीटरी टन खाद्यान्न रखा हुआ था।

विवरण

(हजार मीटरी टन में)

	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	गेहू	जौ	चना	अरहर	मसूर	जोड़
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बिहार	8.3	—	—	—	—	8.3
2.	हरियाणा	983.0	0.3	4.9	—	—	988.2
3.	हिमाचल प्रदेश	0.2	—	—	—	—	0.2
4.	जम्मू और कश्मीर	11.8	—	—	—	—	11.8
5.	मध्य प्रदेश नग		—	—	1.0	0.5	1.5
6.	पंजाब	3929.2	—	—	—	—	3929.2
7.	राजस्थान	14.6	—	11.3	—	—	25.9
8.	उत्तर प्रदेश	423.3	—	—	1.8	0.3	425.3
9.	चण्डीगढ़	0.2	—	—	—	—	0.2
10.	दिल्ली	3.7	—	—	—	—	3.7
	जोड़	5374.2	0.3	16.2	2.8	0.8	5394.3

नग–50 मीटरी टन से कम।

संसद सदस्यों के बंगलों के रख रखाव पर खर्च

2391. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात से संसद सदस्यों के बंगलों की आम सफाई, फर्नीचर, पौधों एवं घास के उद्यानों के रख रखाव पर मदवार कितना खर्च हुआ है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : 8,89,850/- रुपये का कुल खर्चा हुआ। मदवार खर्च निम्न प्रकार से है :

(1) सामान्य सफाई	62,100 रुपये
(2) साज सज्जा	1,07,300 रुपये
(3) पर्दे	1,07,000 रुपये
(4) उद्यानों का रख रखाव	6,13,450 रुपये ।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मंजूर किए गए ऋण

2392. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग द्वारा व्यक्तियों और एजेन्सियों को दिये गये ऋण देश-भर में एक समान नहीं होते;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा क्या है;

(ग) क्या किसी व्यक्ति को केवल 300 रुपये अथवा इसके लगभग ऋण दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार इस राशि को स्वयं के उद्योग की स्थापना के लिए पर्याप्त मानती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो व्यक्तियों के लिये ऋण की राशि की मात्रा को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जाते हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) पर्वतीय और सीमा-वर्ती क्षेत्रों को छोड़कर, जहां ऋण-शर्तें अपेक्षाकृत उदार हैं, खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा दिए गए ऋण प्रतिमान में देश भर में एक जैसे हैं। तथापि, ऋण की मात्रा एक उद्योग से दूसरे उद्योग और एक योजना से दूसरी योजना के लिए भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) व (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन के पास अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत 26 ग्रामीण उद्योग हैं जिनमें खादी भी शामिल है। प्रत्येक उद्योग के अधीन विभिन्न प्रकार की इकाइयां है इसलिए पूंजी व्यय, कार्यकारी पूंजी, प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों आदि के लिए वित्तीय सहा-यता के संबंध में उनके लिए भिन्न-भिन्न प्रावधान किए गए हैं। वित्तीय सहायता के लिए अधि-कतम सीमा को सक्षमता, अगुआई प्रयास, लाभभोगियों के वर्गीकरण, प्रचालन क्षेत्र आदि तथ्यों पर विचार करने के पश्चात निर्धारित किया जाता है।

(घ) सहायता प्रतिमान अलग-अलग उद्योगों की तर्कसंगत आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तीर्थ केन्द्रों पर टेलीफोन सुविधाएं

2393. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्श्वनाथ मंदिर, शिखरजी (गिरिडीह) जैसे महत्वपूर्ण तीर्थों के यात्रियों और आस-पास के ग्रामों की जनता के लिए डाकघर और टेलीफोन की सुविधाएं अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार डाक और टेलीफोन की पर्याप्त सुविधाएं देकर उनकी मांग पूरी करेगी और यदि हां, तो कैसे और कब ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं । इस समय 45 टेलीफोन कनेक्शनों सहित 100 लाइनों वाला नान मल्टीपल करचल एक्सचेंज पार्श्वनाथ रोड (गिरिडीह जिले में ईश्वरी बाजार) की सेवा प्रदान कर रहा है ।

(ख) उक्त क्षेत्र में टेलीफोन और डाक सुविधाओं को बढ़ाने की किसी भी विशेष मांग पर उनके गुणक्रम के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

तुगलकाबाद एक्सटेंशन एरिया को नियमित किया जाना

2394. **श्री अजित कुमार मेहता** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तुगलकाबाद एक्सटेंशन एरिया को निकट भविष्य में नियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी : (क) जी, हां । सरकार कीनीति के अनुसार ।

(ख) तथा (ग) कार्य के रूप को देखते हुए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

धनबाद और उसके प्रखंडों के बीच आटोमैटिक डायलिंग व्यवस्था

2395. **श्री ए० के० राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि धनबाद और इसके अधिकांश प्रखंडों (ब्लाकों) के बीच टेलीफोन कनेक्शन में आटोमैटिक डायलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे संदेश भेजने में बड़ी कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो विस्तृत ब्यौरा और तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि धनबाद जिले के चन्दन केयरी प्रखंड में कोई टेलीफोन लाइन नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) धनबाद जिले में 10 प्रखंड हैं। इनमें से चार प्रखंडों में धनबाद, सीनिडिह, झरिया, लोयाबाद और कटरासगढ़ के स्वचल टेलीफोन केन्द्रों के माध्यम से एक दूसरे स्थान के लिए अन्तर डायलिंग सुविधा उपलब्ध है। चन्दन केयारी के अलावा अन्य प्रखंडों में हस्तचल ट्रंक लाइनों से जुड़े हुए टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा यह सुविधा उपलब्ध है ।

(ग) और (घ) इस समय चन्दन केयारी प्रखंड में कोई टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। परन्तु इस प्रखंड के लिए लम्बी दूरी की सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

स्थायी टेलीफोन कनेक्शन के लिए योजना

2396. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1980 में नये टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई नई योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्षेत्रवार कुल कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) से (ग) 1980-81 के वित्तीय वर्ष (अप्रैल 1980 से मार्च 1981 तक) के दौरान देश भर में 1.7 लाख अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

इनको मोटे तौर पर निम्न प्रकार से उपलब्ध कराये जाने की आशा है :

1.	4 महानगर (दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास)	–	64,000
2.	422 अन्य बड़े शहर	–	26,000
3.	देश के शेष भाग में	–	80,000

मध्य प्रदेश में पोषण कार्यक्रम

2397. **श्री माधव राव सिंधिया : क्या समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पोषण कार्यक्रम के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना की मार्च, 1980 तक की प्रगति क्या है; और

(ख) उक्त योजना पर कुल कितनी राशि खर्च की गई और उक्त अवधि तक क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में पोषाहार के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित ऐसी कोई योजना नहीं है। तो भी, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली "पोषाहार के लिए खाद्य" की योजना के अन्तर्गत जनसंख्या के अत्यंत कमजोर वर्गों अर्थात् 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं, वृद्धों, अशक्तों, निराश्रितों और विकलांग व्यक्तियों को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को 30 अगस्त, 1980 तक उपयोग करने के लिए 20,000 मैट्रिक टन खाद्यान्न (चावल और गेहूं) मुफ्त दिया गया है। प्रासंगिक खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने की आशा है तथा वह ही इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सीधे जिम्मेदार है। राज्य के सूखा प्रभावित जिलों में लगभग 13.30 लाख लाभ प्राप्तकर्ताओं को इस योजना के

अन्तर्गत लाने की व्यवस्था है। मार्च, 1980 के अन्त तक भारतीय खाद्य निगम ने राज्य को 1042.15 मैट्रिक टन खाद्यान्न दिया था तथा भारत सरकार ने खाद्यान्न की कीमत, लगभग 14 लाख रुपए थी, वहन की थी।

गौतमपुरी दिल्ली का विकास

2398. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार कालोनी गौतमपुरी में सड़कों, गलियों और नालियों के निर्माण के लिए कुछ धन आवंटित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कितना धन दिया गया था और इसमें से कितने धन का उपयोग हुआ ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि निधियों का नियतन अलग अलग अनधिकृत कालोनियों के लिए नहीं किया गया है। तथापि, उन्होंने वर्ष 1979-80 के दौरान निगम की राजस्व निधियों से गौतमपुरी कालोनी में सड़कों, गलियों तथा नालियों के सुधार पर लगभग 1,72,000 रुपये की लागत का कार्य किया है।

गौतमपुरी दिल्ली का विकास

2399. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गौतमपुरी, शाहदरा-153 के यमुना पार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सड़कों, गलियों और नालियों की खराब हालत के कारण अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बस्ती का विकास कब किया जाएगा;

(ग) यदि इस बस्ती का विकास करने का विचार नहीं है तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में आरम्भ किये जाने वाले विकास कार्य का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी०सी० सेठी): (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस कालोनी में कुछ सुधार कार्य किए गए थे, परन्तु समग्र रूप से इस अनधिकृत कालोनी का उचित प्रकार से विकास कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) चूंकि कालोनी का नियमित करने तथा विकास प्रभार इत्यादि निर्धारित करने के पश्चात विकास किया जाएगा। अतः कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(घ) कालोनी को नियमित करने के पश्चात् दिल्ली नगर निगम द्वारा इसके ब्यौरे का हिसाब लगाया जाएगा।

निर्माण और आवास मंत्रालय में सरकारी वाहनों द्वारा खर्च किए गए पेट्रोल और डीजल आदि का मूल्य

2400. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्तमान सरकार के गठन के बाद निर्माण और आवास मंत्री द्वारा प्रयुक्त की गई सरकारी गाड़ियों द्वारा खपत किए गए पेट्रोल, डीजल और मोबिल आयल की मात्रा और मूल्य क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : सूचना इस प्रकार है :

1. पैट्रोल	3043 लीटर
2. मोबिल आयल	45.50 लीटर
3. डीजल	शून्य
4. कुल लागत	13971.60 रुपये

इसमें दिल्ली से बाहर जैसे जयपुर, आगरा आदि के दौरे के लिए उपयोग किया गया पैट्रोल/मोबिल आयल भी शामिल है ।

खादी भवन, नई दिल्ली द्वारा साड़ियों की खरीद

2401. **श्री निहाल सिंह** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी भवन, 24, रीगल बिल्डिंग, नई दिल्ली ने वर्ष 1974-75 में बीरभूम खादी और ग्रामोन्नयन केन्द्र, बेनीओर से 2.50 लाख रुपये मूल्य की रेशमी साड़ियां खरीदी थीं जबकि इस केन्द्र को वर्ष 1964 में आयोग द्वारा निरनुमोदित कर दिया गया था, और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र से वस्तुएं खरीदने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) व (ख) खादी ग्रामोद्योग भवन, 24, रीगल बिल्डिग, नई दिल्ली ने 9-9-1975 से 31-10-1975 की अवधि में वीरभूम खादी तथा ग्रामोन्नयन केन्द्र, बेनीओर, जिला बीरभूम से 2.06 लाख रुपये के मूल्य की सिल्क की साड़ियां खरीदी थीं । बीरभूम खादी तथा ग्रामोन्नयन केन्द्र, बेनओर के पास 1.4.1962 से 31-3-1964 तक प्रमाण-पत्र था । संस्था 1-4-1964 से 31-3-1972 तक बंद पड़ी रही । प्रमाणन समिति ने संस्था को कभी भी अप्राधिकृत घोषित नहीं किया था और ना ही इसे अप्रमाणित घोषित किया था । जब इस संस्था ने अप्रैल, 1972 में अपनी गतिविधियां पुनः आरम्भ कीं तब इसने 1-4-1964 से प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्रार्थना पत्र दिया । इस संस्था को 1-4-1972 से 31-3-1978 तक नया प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया था ।

होटल प्रबन्ध खान पान तथा पोषाहार संस्थान को पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय को स्थानान्तरित किया जाना

2402. **श्री निहाल सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूसा स्थित होटल प्रबन्ध खान पान तथा पोषाहार संस्थान के विद्यार्थियों की कार्य समिति ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें संस्थान को कृषि मंत्रालय से स्थानान्तरित करके पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय को सौंपने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है ।

धान के लिए समर्थन मूल्य

2403. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग ने धान के लिये कितने समर्थन मूल्य की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि मूल्य आयोग से धान के लिये और अधिक समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने का अनुरोध करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) उर्वरकों और पेट्रोलियम के पदार्थों के मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि से पूर्व प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में कृषि मूल्य आयोग ने विपणन मौसम 1980-81 के लिए धान की साधारण किस्मों के लिए 95/- रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य की सिफारिश की थी । धान की उत्पादन लागत पर उर्वरकों और पेट्रोलियम के पदार्थों के मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभाव को ध्यान में रखने के बाद आयोग ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में धान की साधारण किस्मों के लिए 100/- रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य की सिफारिश की है । कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

उर्वरकों के मूल्य

2404. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपलब्ध नवीनतम वार्षिक आंकड़े के अनुसार देश में तैयार तथा आयातित उर्वरकों के प्रति क्विंटल औसत मूल्य क्या-क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में उर्वरकों में मूल्य बहुत ऊँचे हैं और इनकी खपत कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) उर्वरकों के फुटकर विक्रय मूल्यों में 8 जून, 1980 में संशोधन कर दिया गया है । कुछ प्रमुख उर्वरकों (आयातित तथा देशी) के प्रति क्विंटल चालू विक्रीय मूल्य नीचे दिये गये हैं :

उर्वरक का नाम	प्रति क्विंटल बिक्री मूल्य रु०
यूरिया	200.00
डाई अमोनियम फास्फेट	305.00
म्यूरियेट आफ पोटाश	110.00
काम्पलेक्स 17-17-17	220.00
काम्पलेक्स 10-26-26	250.00

(ख) भारत में उर्वरकों के मूल्य सबसे ऊंचे नहीं हैं और खपत भी सबसे कम नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में पेय जल की व्यवस्था

2406. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में विशेषकर राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल समस्या की गम्भीरता के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पेय जल समस्या को हल करने के लिए अपेक्षित संसाधनों के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(ग) क्या सरकार ने ऊर्जा संकट के बारे में भी कोई अध्ययन किया गया है जोकि पेय जल समस्या से संबंधित है?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। अपेक्षित संसाधनों का हिसाब वर्तमान कीमतों पर अनुमानतः 2000 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ग) जी, हां।

दक्षिण दिल्ली में प्राचीन मूर्तियों की बरामदगी

2407. **श्री निहाल सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दक्षिण दिल्ली में मारे गये छापे में 88 दुर्लभ प्राचीन मूर्तियां बरामद हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो इन मूर्तियों का मूल्य क्या है और वे किस अवधि की हैं; और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके मामलों की प्रगति क्या है?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दक्षिण दिल्ली में मारे गए छापे में 88 वस्तुएं बरामद हुई थीं जिसमें 67 वस्तुएं पुरावशेष पाई गयीं।

(ख) इन 67 पुरावशेषों का मूल्य 1,54,550 रुपये आंका गया था। ये वस्तुएं लगभग तीसरी/दूसरी ईसा शताब्दी पूर्व से लेकर मध्य उन्नसवीं शताब्दी तक की अवधि की हैं।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक किसी व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। फिर भी श्री मणि राम गुप्ता के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था और जिला तथा सेशन जज, दिल्ली की अदालत ने उनकी प्रत्याशित जमानत मंजूर कर ली है।

भारतीय डेरी निगम का टेट्रापैक से सहयोग

2408. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डेरी निगम, स्वीडन की एक फर्म 'टेट्रापैक इन्टर नेशनल'' के साथ 2.5 करोड़ रुपए की आरंभिक लागत की परियोजना में संकट में पड़ गया है। जिसमें आयात, दूध भरने और ठंडा करने की मशीनों की 11 करोड़ रुपए अतिरिक्त लागत आयेगी;

(ख) क्या निगम ने इसके बाद टेट्रापैक कन्टेनरों (डिब्बों) में विपणन किये जाने वाले दूध पर तीन प्रतिशत रायल्टी देना स्वीकार किया है;

(ग) क्या इस पैक किये गए दूध के ठीक हालत में रहने की अवधि तीन महीने है जैसा कि उक्त फर्म ने दावा किया था, बल्कि दो सप्ताह की है;

(घ) क्या निगम ने तीन माह दूध सुरक्षित रखने के भ्रमिक लाभ को देखते हुए तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में काफी धनराशि खर्च की है; और

(ङ) सरकार इस मामले में क्या कदम उठाना चाहती है;

कृषि मत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) सहयोग मंसर्स टेट्रापैक डेवेलपमेन्ट लिमिटेड स्विटजरलैण्ड से है और यह 2.59 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत से कागज परतीकरण संयंत्र की स्थापना तक सीमित है । अन्य मशीनों की खरीद कथित सहयोग से अलग है, इन मशीनों की खरीद कागज परतीकरण संयंत्र में उत्पादित कागज से बड़े कन्टेनरों में निर्जीवीकृत दूध हेतु परिर्संस्करण और पैकिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए किया जाना है।

इस विदेशी सहयोग के सम्बंध में कोई कठिनाई नहीं रही है ?

(ख) टेट्रापैक कन्टेनरों में दूध के विपणन के लिए कोई भी रायल्टी नहीं दी जाती है। तथापि, व्यापारिक उत्पादन होने के प्रारम्भ होन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए उत्पादित परतीकृत कागज के कारखाने से बाहर विक्री मूल्य पर 2 और 3 प्रतिशत की रायल्टी देय होगी। इस रायल्टी को देने का दायित्व सहयोग समझौते का हमेशा एक अनिवार्य अंग रहा है और इसे बाद में नहीं जोड़ा गया है।

(ग) यद्यपि उपयोग किए जाने वाले परतीकृत कागज की किस्म में परिवर्तन करके पैक किये जाने वाले निर्जीवीकृत दूध की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन भारतीय डेरी निगम द्वारा निर्माण किए जाने वाले प्रस्तावित परतीकृत कागज में पैक किए जाने वाले दूध की न्यूनतम अवधि को केवल कागज और पालीथेलिन तक सीमित परतों के कारण हमेशा दो सप्ताह कहा गया है।

(घ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित रायल्टी परतीकृत कागज के उत्पादन की विदेशी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए देय है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

राजस्थान में पेय जल की समस्या

2409. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने गांवों में पेय जल उपलब्ध नहीं है और वर्ष 1960 में यह कितने गांवों में उपलब्ध नहीं था; और

(ख) जनता पार्टी सरकार ने कितने गांवों में पेय जल उपलब्ध किया और राजस्थान के कितने गांवों में पेय जल की व्यवस्था की गई और क्या इसकी एक सूची सभा पटल पर रखी जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 1960 में जिन ग्रामों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं था उनकी संख्या का पता नहीं है। भारत सरकार के कहने पर 1972 में एक सर्वेक्षण किया गया था और यह अनुमान लगाया गया था कि देश के समस्त 5.76 लाख ग्रामों में से 1,53 लाख "समस्या ग्रस्त" ग्राम हैं।

(ख) राजस्थान राज्य और शेष भारत के उन ग्रामों को जिन्हें जल उपलब्ध कराया गया है, उनके वर्षवार आंकड़े निम्नलिखित हैं :

	राजस्थान	शेष भारत
(1) 1-4-1977 से 31-3-1978	365	12557
(2) 1-4-1978 से 31-3-1979	353	20567
(3) 1-4-1979 से 31-3-1980	शून्य ×	11056 **

गन्दी बस्तियों को साफ करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से वित्तीय सहायता

2410. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में गन्दी बस्तियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार की विश्व स्वास्थ्य संगठन से वित्तीय अनुदान लेने की कोई योजना है; और

(ख) महानगर क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों की सफाई और स्वास्थ्य जनजीवन के अनुरक्षण के लिए निर्धारित वर्तमान धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार तथा नगर गन्दी बस्ती का पर्यावरणीय सुधार की जो योजनाएं गन्दी बस्ती की समस्या का समाधान करने के लिए बनाई गई हैं, राज्य क्षेत्र में हैं। और उनका कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा उनको इन योजनाओं के लिए दिए गए वार्षिक योजना नियतनों में से किया जाता है। मद्रास और कलकत्ता में गन्दी बस्ती सुधार योजनाओं को विश्व बैंक से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्थान की ऋण सहायता से बहु क्षेत्रीय नगर परियोजनाओं के भाग के रूप में आरम्भ किया गया है। इन दो योजनाओं के अतिरिक्त दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी हटाओ योजना भी चलाई जा रही है।

× 1972 में पता लगाए गए सभी समस्या ग्रस्त ग्रामों को जल उपलब्ध करा दिया गया है।

** कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभी सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। सूची को सभा पटल पर रखने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

शहरी सम्पति पर अधिकतम सीमा लागू करना

2411. **श्री रामविलास पासवान :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लागू करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लागू की जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) प्रारम्भ में सरकार का यह विचार था कि मुद्रा मूल्य के आधार पर नगरीय सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लगाई जाए । इस प्रस्ताव में कई व्यवहारिक कठिनाइयां है जो इस प्रकार हैं :

(1) ऐसी सम्पत्तियों का मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन कार्य है;

(2) यह एक नगरीय क्षेत्र से दूसरे नगरीय क्षेत्र में तथा एक ही क्षेत्र में भी भिन्न भिन्न है और हो सकता है कि यह एक समान रूप से लागू न हो;

(3) हमारी मुद्रा स्फीतिकारी स्थिति में सम्पत्तियों के मूल्य समय पर शीघ्रता से बदलते हैं;

(4) व्यक्तियों द्वारा मकानों और भवनों में पूंजी लगाना किसी अन्य पूंजी निवेश की तरह ही है और सामाजिक प्रयोजनार्थ इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है; और

(5) सम्पत्तियों का प्रबंध जो अधिकतम सीमा लगाने के कारण सरकार के पास आ सकता है कई गम्भीर समस्याएं उत्पन्न करेगा सम्भवतः ऐसी सम्पत्तियां बहुत सी गन्दी बस्तियों या जीर्ण शीर्ण भवनों के रूप में हों और अन्य टाइप के मकानों के बारे में उनका प्रबंध और विक्रय करना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी न हो ।

अतः सरकार ने इस विचार को छोड़ दिया है और इसके बजाए यह निर्णय लिया है कि नगर समूहों में रिक्त भूमि पर अधिकतम सीमा लागू की जाए और नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 को लागू किया ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता नगरीय परिवहन की स्थिति में सुधार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से ऋण

2412. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन ने कलकत्ता नगरीय परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए 560 लाख डालर के ऋण की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुदान की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या उक्त ऋण विशिष्ट परिवहन सुविधाओं और सेवाओं के लिए निर्धारित है; और

(घ) प्रस्तावित परियोजना किन किन एजेन्सियों के माध्यम से क्रियान्वित और संचालित की जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां। परन्तु औपचारिक समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(ख) संभावित, सामान्य शर्तें इस प्रकार होंगी :

(1) परियोजना की अवधि 4 वर्ष (1980-81 से 1983-84)

(2) वापिस करने की अवधि 40 वर्ष, अर्ध वार्षिक किस्तों में।

(3) छूट अवधि 10 वर्ष, इसके पश्चात् वसूली आरम्भ हो जाएगी।

(4) जमा पर कोई ब्याज नहीं है; और

(5) आई.डी.ए. को समय समय पर वापिस ली गई ऋण की मूल राशि तथा जमा पर 1% का 3/4वां हिस्सा सेवा प्रभार देना होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) कलकत्ता राज्य परिवहन निगम, कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी तथा कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण, कलकत्ता।

फसल और मवेशी बीमा

2413. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादों और मवेशियों के लिए बीमा योजना के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या किसी राज्य ने यह योजना आरम्भ की है;

(ग) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं; और

(घ) क्या सरकार इस योजना को देश भर में अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कोई विधेयक लाने पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) भारत सरकार के अनुरोध पर जनरल इन्स्योरेन्स कार्पोरेशन आफ इंडिया क्षेत्र पर आधारित एक मार्गदर्शी फसल बीमा योजना क्रियान्वित कर रहा है। यह योजना इस समय गुजरात, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित की जा रही है। फसल बीमा की इस योजना के तहत 1979-80 के दौरान 130.78 लाख रुपए के मूल्य का 13052.45 हैक्टयर क्षेत्र लाया गया, जिससे 16,256 किसान सम्बद्ध हैं। चालू वर्ष के दौरान यह योजना इन राज्यों में और अधिक क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है। जनरल इन्स्योरेन्स कार्पोरेशन आफ इंडिया इस योजना का अन्य राज्यों में विस्तार करने के बारे में सक्रिय रूप से कार्यवाई कर रहा है।

जहां तक पशु बीमा का सम्बन्ध है, जनरल इंस्योरेन्स कार्पोरेशन आफ इंडिया की सहायक कम्पनियां 1974 से पशु बीमा योजना चला रही हैं। लघु कृषक विकास एजेंसी/सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक/सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम/अन्त्योदय तथा आई० आर० डी० जैसे विशेष कार्यक्रम वाले क्षेत्रों के लिए प्रीमियम पर राजसहायता देकर दुधारू पशुओं/ओसरों का बीमा करने की एक योजना तैयार की गई है, जो 1977 से सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। 1978-79 के दौरान 32.30 लाख पशुओं के लिए बीमे की व्यवस्था की गई थी।

विशेष कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में कमजोर वर्गों द्वारा बछड़ा पालन कार्यक्रम के तहत मादा बछड़ियों/ओसरों के बीमे की ऐसी ही एक योजना को हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है। यह योजना भी उन सभी राज्यों में क्रियान्वित की जाएगी जहां कमजोर वर्गों के विशेष कार्यक्रमों की सहायता से बछड़ा/ओसर पालन योजना चलाई जाती है।

(घ) जी, नहीं।

'ब्रीच आफ इंडो–सोवियत कांट्रेक्ट एट आई० आई० टी० खड़गपुर'' शीर्षक से समाचार

2414. **श्री नारायण चौबे :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ''ब्रीच आफ इंडो–सोवियत कांट्रेक्ट एट आई० आई० टी० खड़गपुर (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में भारत–सोवियत संघ करार का उल्लंघन)'' शीर्षक लेख की ओर दिलाया गया है जो 3 फरवरी, 1980 की एक स्थानीय पत्रिका ''स्वाधीन पत्रिका'' में प्रकाशित हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में भारत–सोवियत समझौते का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है जैसा कि लेख में आरोप लगाया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के कार्यक्रम और गतिविधियां

2415. **श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ''अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष'' के दौरान कार्यक्रमों और गतिविधियों पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) क्या सरकार ने बच्चों को हुए लाभ का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री : (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष (1979) को समर्थन और कार्यक्रमों को चलाने के दोहरे उद्देश्यों से मनाया गया था। कार्यक्रम नए तथा चालू रहने वाले थे। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष पर होने वाले खर्च को बच्चों को लाभ पहुंचाने वाले खर्च से अलग करना कठिन है। तो भी, अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान कार्यक्रमों और गतिविधियों को चलाने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की 1980 की वार्षिक योजनाओं में 570 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की गई थी। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष समर्थन कार्यक्रमों के लिए 10 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई थी। केन्द्र तथा राज्यों में बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए बजट व्यवस्था भी बढ़ा दी गई थी तथा वर्ष 1979-80 के लिए ऊंचा लक्ष्य प्राप्त किया गया था।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष को एक वर्षीय कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य नहीं था। बच्चों के लिए स्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के परिणामों और संवेग को एकीकृत करना और बनाए रखना होगा। बच्चों को लाभ पहुंचाने में इन कार्यक्रमों के प्रभाव को शिशु मृत्युता की दरों, स्कूलों में भरती की दरों तथा अन्य संबंधित बाल कल्याण संकेतकों के समय-समय पर मूल्यांकन द्वारा आंका जाएगा।

समग्र-उत्थान के लिये गांवों का अपनाया जाना

2416. **श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण लोगों के समग्र-उत्थान के लिए प्रायोगिक आधार पर देश के विभिन्न भागों में कुछ गांवों को अपनाया था;

(ख) यदि हां, तो अपनाये गये गांवों के नाम क्या हैं;

(ग) इस प्रयोग के दौरान शुरू किये गये कार्यक्रमों और गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन प्रयोगों का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां। राष्ट्रीय कृषि आयोग/केन्द्रीय दल द्वारा जैसे सिफारिश की गई थी उसके अनुसार, पूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम हेतु बिहार (37 गांव), उड़ीसा (6 गाँव), तमिलनाडु (4 गांव) तथा उत्तर प्रदेश (5 गाँव) के राज्यों मे फैले कुल 52 गांवों को प्रायोगिक आधार पर अपनाया गया था।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम को लगभग समूचे समुदाय के लिए विकसित करना था, ताकि इसे उत्थान हेतु सामान्य कार्यवाही में प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयोजन से कृषि में सुधार और आधुनिकीकरण एवं इसकी उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि करना था। कार्यक्रम की मुख्य विषय वस्तु में ये शामिल थे : (1) चकबंदी, (2) शुष्क इलाकों में अधिकतम जल नियंत्रण तथा नमी संरक्षण के लिए समस्त भूमि विकास की योजना, (3) सिंचाई सहायता को अधिकतम मात्रा तक बढ़ाना किन्तु अतिरिक्त संभव उत्पादन द्वारा निवेश ऋण की वापसी अदायगी के लिए आवश्यकता पर आधारित निवेश की अधिकतम सीमा प्रति एकड़ होगी और (4) सिंचाई का उत्तम उपयोग तथा सिंचाई और जल निकास का उत्तम नियंत्रण सुनिश्चित करन हेतु गांव के लिए शस्योत्पादन कार्यक्रम।

(घ) व (ङ) कार्यक्रम अपने 4 से 5 वर्षों की पूरी अवधि को पूर्ण नहीं कर सका तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के परिणामस्वरूप इसे राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया था। संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है। बिहार के मामले में, मूल्यांकन अध्ययन राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, हैदराबाद के माध्यम से शुरू करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

विवरण

गांव, जिनमें पूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा था, को दर्शाने वाला विवरण

	राज्य	जिले	खंड/तालुका	गांव
1.	बिहार	मुजफ्फरपुर	मुसहरी	(1) अस्थराम टोला (2) गांधी टोला (3) कस्बा टोला (4) वाखेड़ी हरपुर (5) चक गाजी (6) अकबरपुर (7) भगवन्तीपुर (8) सिघनपुरलाला (9) वेला छपरा (10) मादापुर (11) चन्सीमा, (12) सुस्ता (13) तरोरा (14) वुधनाग्रा राधो (15) मनिके हरकेश (16) मेमीनपुर (17) डुमरी (18) नरूलिया डिस (19) वुधनगर जगन्नाथ (20) छपरा वंकुल (21) छपरा रूपनाथ (22) बैकतपुर (23) माधोपुर।
2.	बिहार	रोहतास	अधौरा	(1) वढेरा (2) पिप्री (3) पिपरा (4) गमहारिया कलां (5) गड़ा (6) धोवाहिन [7) देवरी (8) सिकरवाड़ (9) स्काड़ी (10) कोलहुआ (11) गमहारिया खुर्द (12) दरीहारा (13) माहकल (14) वैरडीहा।
3.	उड़ीसा	पुरी	नीमपाड़ा	(1) हरिपुर (2) सैंनासन (दखिना रादास शामिल है)
		वालासौर	जलेसवर	(1) नम्पो।
		मयूरभंज	सारसकोना	(1) देवली (2) अस्तिया (3) वानासादा
4.	तमिलनाडु	त्रिरुनलवेली	मैलानीड़ियानुलु	(1) चिन्नाकोइलाँकुलम (2) नादुवाकुरीची (छोटा) (3) पट्टादइकट्टी (4) नादुवाकुरीची (वड़ी)।
5.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	भाभनी	(1) वाकुलिया (2) खैरा (3) धनकौर (4) घाघरा (5) जुड़ा।

स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या

2417. **श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979 में दसवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) वर्ष 1979 में डिग्री अथवा डिप्लोमा लेने से पूर्व कालेज अवस्था में इनकी संख्या कितनी है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) सारे देश में वर्ष 1965-66 से 1976-77 तक की अवधि के दौरान, जिसकी सूचना उपलब्ध है, I—X तक की कक्षाओं में नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर यह देखा गया है कि वर्ष 1975-76 तक स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता लगभग स्थिर सी रही और वर्ष 1976-77 में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता कम हो गई। तथापि पूर्णरूपेण वर्ष 1975-76 तक स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की कुल संख्या में वृद्धि हुई तथा वर्ष 1976-77 में प्रतिशतता कम हो गई। स्कूल छोड़गे वाले छात्रों की संख्या तथा वर्ष 1963-64 से वर्ष 1976-77 तक की अवधि के दौरान I-X तक की कक्षाओं में नामांकित छात्रों की संख्या पर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है विवरण-I)

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमानित कालेज स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या तथा उनकी प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (विवरण-2)

विवरण-1

माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की प्रतिशतता

क्रम संख्या	कक्षा 1 में नामांकन	कक्षा X में नामांकन	स्कूल छोड़ने वालों की संख्या	स्कूल छोड़ने वाल का प्रतिशत
1.	1,88,89,970 (1965-66) (1965-66)	23,35.890 (1974-75)	17,782	84.80
2.	1,95,33,259 (1966-67)	29,27,951 (1975-76)	1,66,05,308	85.01
3.	1,97,50,974 (1967-68)	37,37,481 (1976-77)	1,60,13,493	81.01

(कोष्ठकों की संख्या वर्ष दर्शाती है)

विवरण-2

डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 'पहले वर्ष' तथा 'अन्तिम वर्ष' की कक्षाओं में नामांकन तथा स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता

(कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय)

(क) डिग्री स्तर

(1) तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम (पास/आनर्स सम्मिलित)

	बी० ए०	बी० एस० सी०	बी० काम
नामांकन पहले वर्ष (1976-77)	2,47,655	1,26,968	1,37,707
नामांकन तीसरे वर्ष (1978-79)	1,86,608	87,238	1,06,322
पड़ाई छोड़ने वालों की प्रतिशतता	24.6	31.3	22.8

(II) द्विवार्षिक डिग्री पाठ्यक्रम (पास/आनर्स)

	बी० ए०	बी० एस० सी०	बी० काम०
नामांकन पहले वर्ष (1977-78)	1,97,003	67,742	60,698
नामांकन दूसरे वर्ष (1978-79)	1,51,330	57,304	46,801
पढ़ाई छोड़ने वालों की प्रतिशतता	23.2	15.4	22.9

(ख) स्नातकोत्तर स्तर

	एम० ए०	एम० एस० सी०	एम० काम०
नामांकन पहले वर्ष (1977-78)	70,670	24,323	17,849
नामांकन दूसरे यर्ष (1978-79)	60.839	21,723	13,109
पढ़ाई छोड़ने वालों का प्रतिशत	13.9	10.7	26.5

गेहूं की वसूली

2418. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लक्षित किया है अथवा उसका यह विचार है कि जून के अन्त तक खाद्यान्नों का स्टाक 200 लाख टन हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस अवधि में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की मूल वसूली में 7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ग) कितने राज्यों में गेहूं की वसूली का कार्य पूरा हो गया है;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम ने वसूल किये गये खाद्यान्नों के भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था कर ली है क्योंकि शीघ्र ही वर्षा ऋतु आने वाली है;

(ङ) क्या विभिन्न मंडियों में पड़ा हुआ गेहूं अब तक उठा लिया गया है और गोदामों में रख दिया गया है, यदि नहीं, तो उसे कब तक गोदामों में पहुंचा दिया जायेगा; और

(च) क्या पिछले वर्ष वर्षा से बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं मंडियों में खराब हो गया था ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) बफर स्टाक की नीति के अनुसार, सरकार प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई को 82 से 88 लाख मीटरी टन के परिचालन स्टाक के अलावा 120 लाख मीटरी टन का बफर स्टाक रखती है ।

(ख) चालू रबी विपणन मौसम 1980-81 के दौरान 26-6-1980 तक 57.80 लाख मीटरी टन गेहूं की कुल वसूली की गई बतायी जाती है जबकि पिछले मौसम में उसी अवधि के दौरान 74.26 लाख मीटरी टन की वसूली की गई थी. अतः वसूली में लगभग 22 प्रतिशत की कमी हुई है ।

(ग) रबी वसूली मौसम अप्रैल से मार्च की अवधि तक चलता है । हालांकि अधिकांश वसूली अप्रैल-जून में की जाती है, लेकिन मौसम की शेष अवधि में भी मामूली मात्रा खरीदी जाती है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम खरीदारी करने के 48 घंटों के अंदर-अंदर मंडियों से स्टाक उठाकर गोदामों में भेजने के प्रयास कर रहा है । तथापि, क्योंकि वसूली कार्य अभी भी चल रहा है, इसलिए इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कुछ स्टाक मंडियों में पड़ा है, जिसे अभी गोदामों में पहुंचाना है ।

(च) जी नहीं ।

अन्तर्राष्ट्रीय जन संख्या अध्ययन संस्थान के प्रकाशन के निष्कर्ष

2419. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारत में करीब दो करोड़ बच्चे पितृहीन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में लगभग 20 प्रतिशत बच्चे 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही अपने मां-बाप में से एक को खो बैठते हैं;

(ग) क्या ये निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रीय जन संख्या अध्ययन संस्थान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष 1979 के दौरान निकाले गए एक प्रकाशन में दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उन बच्चों के लिए कोई योजना बनाने पर विचार किया जाएगा जो माता-पिता तथा पालन-पोषण कर्त्ता विहीन हो जाते हैं; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या-क्या प्रस्ताव किए जाने की संभावना है ताकि ऐसे बच्चों की देखभाल समाज कल्याण संगठनों द्वारा की जा सके ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अनाथ बच्चों के बारे में सरकारी आधार पर सामग्री उपलब्ध नहीं है । फिर भी एक अनुसंधानकर्त्ता जिसका लेख इंटरनेशनल फार पापुलेशन स्टडीज, बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया था, के अनुसार 1961-71 में लगभग 2 करोड़ बच्चों के पिता नहीं थे तथा उसी अवधि में भारत में लगभग 20 प्रतिशत बच्चों को 10 वर्ष की आयु से पहले ही पिता या माता को खो देने का डर था ।

(घ) और (ङ) भारत सरकार वर्ष 1974-75 से अनाथ और अन्य निराश्रित बच्चों के लिए स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना चला रही है । इस योजना का उद्देश्य इन बच्चों को खाना, आश्रय, वस्त्र और डाक्टरी देखभाल तथा शिक्षा, व्यवसाय-पूर्व और व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक निर्देशन, मनोरंजन, सांस्कृतिक विकास और नागरिक शिक्षा सम्बंधी विकासात्मक सेवाएं प्रदान करके उनका सामान्य नागरिकों के रूप में पुनर्वास करना है । इस योजना में ऐसे बच्चों की धात्री देखभाल के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था है, जिससे उन्हें पालन-पोषण के लिए फोस्टर अभिभावकों के सुपुर्द कर दिया जाता है, जिन्हें बच्चे के पालन-पोषण हेतु उपयुक्त भत्ता दिया जाता है । यह स्कीम छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में भी चलती रहेगी ।

शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में योग, जूड़ो तथा लोक नृत्य

2420. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री आस्कर फर्नान्डीस :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री पीयूष तिरकी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद ने सुझाव दिया है कि देश भर के स्कूलों को योग, जुड़ो तथा लोक नृत्यों जैसी गतिविधियों को शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में पढ़ाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना में अन्य क्या सुझाव हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह प्रस्ताव राज्य सरकारों को भी भेजा है;

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं; और

(ङ) योजना को कब तक लागू किया जाएगा ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए गए "दस वर्षीय स्कूली पाठ्यचर्या-एक ढांचा" नामक दस्तावेज में की गई सिफारिशों और दस वर्षीय स्कूली पाठ्यचर्या संबंधी श्री ईश्वर भाई जे० पटेल समीक्षा समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा

प्रशिक्षण परिषद ने "कक्षा 1 से 10 तक के लिए शारीरिक शिक्षा संबंधी पाठ्यचर्या का एक प्रारूप" तैयार किया है जिसमें योग, जूड़ो और लोक नृत्यों जैसे कार्यकलापों को शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है।

(ख) पाठ्य-विवरण का प्रारूप व्यापक है और यह क्रमिक पाठ्य विवरण है, जिसमें कक्षा 1 से 10 तक के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम और एच्छिक कार्यकलापों के उन विषयों की जानकारी दी गई है जो छात्रों द्वारा चुने जा सकते हैं। इसका उद्देश्य अच्छा स्वास्थ्य और तन्दुरुस्ती, शारीरिक योग्यता, तंत्रिका-मांस-पेशी समन्वय, खेल कूद में दक्षता और अंततः एक समेकित और संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना है। पाठ्यचर्या में स्वदेशी और परम्परागत शारीरिक कार्यकलापों को भी समुचित स्थान दिया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा पाठ्यचर्या का प्रारूप राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया है। टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के गांवों में डाकघर खोले जाना

2421. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग ने वर्ष 1980-81 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के गांवों में 200 डाकघर खोलने की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुल 300 गांवों में चल डाकघरों के माध्यम से डाक काउन्टर की सुविधाएं दी जाएंगीं और इन क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर कुछ लेटर बक्स लगाए जाएंगे;

(ग) यह डाकघर किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे और डाकघर से कितने लोगों को लाभ होगा;

(घ) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसी प्रकार की कोई अन्य योजना समूचे देश में क्रियान्वित की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो कितने राज्यों में ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा पहले स्वीकार की गई 1980-81 के वार्षिक योजना के अंतर्गत लगभग 300 ग्रामों में डाक काउन्टर सुविधाएं प्रदान करने तथा अतिरिक्त ग्रामीण पत्र पेटियां संस्थापित करने के अतिरिक्त पूर्वोत्तर डाक सर्किल में लगभग 200 ग्रामीण डाकघर खोलने का प्रस्ताव किया गया है। 1980-85 की नई पंचवर्षीय योजना जो कि तैयार की जा रही है, को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों में संशोधन संभावित है। उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए नए डाकघरों की राज्यवार संख्या प्रस्तुत नहीं की जा रही है। सामान्य से ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 2000 की जनसंख्या वाले ग्राम में डाकघर की मंजूरी दी जाती है। पर्वतीय, जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में 1.5 कि० मी० के दायरे में किसी ग्राम या ग्राम समूह में कम से कम 1000 की निर्धारित जनसंख्या होनी चाहिए।

(घ) और (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विकास की योजनाएं अखिल भारतीय आधार पर तैयार की जाती हैं और देश के सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करते हुए इन योजनाओं के अन्तर्गत 16 डाक सर्किल के लिए उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

पटना में बकाया टेलीफोन बिल

2422. **श्री रामवतार शास्त्री :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में टेलीफोन बिलों के कारण बहुत बड़ी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन प्रयोक्ताओं की ओर बहुत बड़ी राशि बकाया है और यह राशि प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी है;

(ग) बकाया राशि की वसूली करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या जिन व्यक्तियों की ओर राशि बकाया है उनके टेलीफोन कनेक्शन काट दिये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : पटना में टेलीफोन बिलों के संबंध में बकाया रकम अधिक नहीं है। किसी भी तरह तीन महीने पुरानी बकाया रकमों की पटना में वर्ष 1979-80 के लिए कुल बिल की गई रकम की प्रतिशतता समूचे भारत के आंकड़ों से कम है।

(ख) तत्काल उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ऐसे 12 टेलीफोन कनेक्शन हैं जिनमें प्रत्येक के संबंध में 15,000 रुपये से अधिक की रकम बकाया है।

(ग) बकाया रकमें वसूल करने के लिए उचित कार्यवाही की जाती है जिसमें यह भी शामिल है :

(1) ऐसे उपभोक्ताओं के, जिन्हें टेलीफोन काटे जाने से छूट प्राप्त नहीं है, टेलीफोन काटना।

(2) टेलीफोन काटने के बाद बकाया रकमें वसूल करने के लिए व्यक्तिगत संपर्क किया जाता है अथवा जहां कहीं आवश्यक हो, निजी पार्टियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाती है।

(3) जब कभी आवश्यक समझा जाता है पुलिस/राजस्व अधिकारियों की सहायता ली जाती है।

(4) उन सरकारी उपभोक्ताओ से, जिन्हें टेलीफोन काटे जाने से छूट प्राप्त है बकाया रकमें वसूल करने के लिए पत्र व्यवहार तथा व्यक्तिगत संपर्क किया जाता है।

(घ) जी हां। फिर भी ऐसे मामलों में जहां कि टेलीफोन काटे जाने से छूट प्राप्त है अथवा जहां कोई विवाद है, टेलीफोन नहीं काटे जाते।

दक्षिणी राज्यों में गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा गोदामों का निर्माण

2423. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों की कुछ गैर-सरकारी कम्पनियों ने केन्द्रीय सरकार को भारतीय खाद्य निगम के लिये गोदामों के निर्माण करने हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत वर्ष राज्य-वार कितने गोदामों के निर्माण के लिये मंजूरी दी गई थी ?

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) गोदामों का निर्माण करने तथा उन्हें गारंटी-बद्ध आधार पर निगम को पट्टे पर देने के लिए प्राइवेट पार्टियों से प्राप्त प्रार्थना पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय-समय पर दिए गए विज्ञापनों के उत्तर में निगम द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं और केन्द्रीय सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) कृषि पुनर्वित्त विकास निगम की योजना के चरण 1 से 3 के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम ने गोदामों का निर्माण करवाने के लिए दक्षिणी भारत में प्राइवेट पार्टियों के साथ कुल 145 करारों को अन्तिम रूप दिया है :

(ग) एक विवरण सलग्न है (विवरण-'क')

विवरण–'क'

प्राइवेट पार्टियों द्वारा वर्ष 1979-80 के दौरान गोदामों का निर्माण करवाने तथा भारतीय खाद्य निगम को सामान्य गारंटीबद्ध आधार पर पट्टे पर देने के लिए जिन करारों को अन्तिम रूप दिया गया है उनके राज्यवार ब्यौरे बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	आवंटित क्षमता
1.	पंजाब	10 लाख मीटरी टन
2.	हरियाणा	4 लाख मीटरी टन
3.	उत्तर प्रदेश	2 लाख मीटरी टन
4.	महाराष्ट्र (गोआ)	0.10 लाख मीटरी टन

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण

2424. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को यह अनुदेश जारी किए हैं कि सूखा–ग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण शुरू किए जाएं जो राहत कार्य का ही एक अग है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने राज्यो को क्या प्रोत्साहन दिया है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में प्रधान मत्री का दौरा करने के बाद अप्रैल, 1980 में सूखे की व्यवस्था के लिए एक 12 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था । इस कार्यक्रम में सूखे से प्रभावित राज्यों में एक अभियान के रूप में शुरू की जाने वाली बड़े पैमाने की वृक्षारोपण की एक योजना शामिल है । यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महार्राष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान के राज्यपालों, मुख्य मंत्रियों को भेजा गया था।

एक पत्र गम्भीर रूप से सूखे से प्रभावित राज्यों को भी जारी किया गया था, जिसमें वृक्षों के रोपण के व्यापक कार्यक्रम के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए व्यवहारिक उपायों का सुझाव दिया गया था। इस पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों के लिए कहा गया था :

(1) तमाम क्षेत्र में छोटी नर्सरियों को शुरू करना।

(2) किसी भी स्थल पर पहले से जारी वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत अवनत क्षेत्रों, स्थायी परती भूमि, कृषि योग्य बेकार भूमि, सड़क के किनारे की पट्टियों इत्यादि में पौध-रोपण के लक्ष्य को बढ़ाना।

(3) जहां पहले कोई कार्यक्रम नहीं था, वहां नया कार्यक्रम शुरू करना; और

(4) कन्टूर ट्रेन्च इत्यादि के पौध-रोपण हेतु पशु रक्षित ट्रेन्च, गड्डों को खोदने के श्रम-प्रधान कार्य को प्राथमिकता देना।

यह भी सुझाव दिया गया कि अधिक व्यापक स्तर पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए काम के लिए अनाज कार्यक्रम का भी लाभ उठाया जाना चाहिये। सबंधित राज्यों के महा-वनपालों के साथ एक बैठक में कार्यक्रमों की समीक्षा करके पत्र पर आगे कार्यवाही की गई।

(ख) केन्द्रीय दलों, जिन्होंने मौके पर मूल्यांकन करने के लिए सूखाग्रस्त राज्यों का दौरा किया था, की रिपोर्टों तथा उनके बारे में राहत संबधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने, जहां आवश्यक समझा गया, राज्यों को केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ-साथ वन रोपण के लिए 1979-80 के दौरान 239.20 लाख रुपये तथा 1980-81 के दौरान 863.00 लाख रुपये की सीमा तक अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी।

खाद्यान्नों की वसूली के लिए दक्षिणी राज्यों में केन्द्र

2425. **श्री के मालन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) दक्षिणी राज्यों में उन केन्द्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है, जिनसे चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की खरीद कर रहा है;

(ख) ऐसे कितने केन्द्र हैं, जहां खाद्यान्नों का लदान ठेकेदारों, सहकारी समितियों, स्वतः विभाग द्वारा और सीधा भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार का सभी केन्द्रों पर खाद्यान्नों के लदान के बारे में समान नीति अपनाने का विचार है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : क) भारतीय खाद्य निगम खरीफ विपणन मौसम 1979-80 के लिए मूल्य समर्थन खरीदारियों हेतु 101 क्रय केन्द्र-आन्ध्र प्रदेश में 99 और पाण्डिचेरी में 2 केन्द्र चला रहा है। भारतीय खाद्य निगम ने आन्ध्र प्रदेश में रबी विपणन मौसम 1980 के लिए 85 ऐसे केन्द्र खोले है। भारतीय खाद्य निगम किसी अन्य दक्षिणी राज्य में खरीदारी नहीं कर रहा है।

(ख) क्रय केन्द्रों पर खाद्यान्नों का लदान करने का कार्य सामान्यतया ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है मांगे गये ब्यौरा एकत्रित किये जाएंगे और उन्हें बाद में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) यह भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी है कि वे केन्द्रों पर कार्य को किसानों के अधिकतम लाभ के लिए विनियमित करें ।

सरोजिनीनगर, नई दिल्ली में टाइप तीन के क्वार्टरों में वाश बेसिन की व्यवस्था

2426. **श्री के० मालन्ना** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के डी० आई० जैड० एरिया, बाबा खड़क सिंह मार्ग आदि के टाइप तीन के क्वार्टरों में वाश बेसिन अथवा सिंक की व्यवस्था की गई है; और

(ख) सरोजिनीनगर, नई दिल्ली में जहां मकानों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें टाइप तीन किया गया है वहां वाश बेसिन/सिंक की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) डी० आई० जैड० एरिया तथा बाबा खड़क सिंह मार्ग के टाइप--III के क्वार्टरों में वाश बेसिन लगाए गए हैं । कुछ क्वार्टरों में सिंक भी लगाए गए हैं ।

(ख) सरोजिनीनगर में टाइप--III के क्वार्टरों का निर्माण 1976 से पहले हुआ था । उनके निर्माण के समय सुख सुविधाओं के स्वीकृत मापदंड में वाश बेसिन/सिंक का प्रावधान नहीं था ।

राज्यों में भूमि अधिकतम सीमा कानून

2427. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के किन-किन राज्यों में भूमि अधिकतम सीमा कानूनों को कड़ाई से लागू किया गया है और इन कानूनों को शेष राज्यों में लागू न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या भूमि अधिकतम सीमा कानूनों को लागू करने में विलम्ब के कारण कुछ लोगों को जमीन में निरन्तर वृद्धि हो रही है और छोटे किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार एक निश्चित अवधि के अन्दर राज्यों में भूमि अधिकतम सीमा कानूनों को कड़ाई से लागू करने की कोई योजना बनाएगीं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) सभी राज्य भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के लिए वचनवद्ध हैं । ऐसे मामलों में जिनमें भूमि से संबंधित संपति अधिकार शामिल है, यह स्वाभाविक है कि उनमें कुछ विलम्ब होगा और सभी राज्यों में कार्यान्वयन की गति एक सी नहीं होगी क्योंकि समस्याएं विभिन्न राज्यों में मौजूद हालतों के अनुसार अलग-अलग होती है ।

(ख) जी नहीं । कृषि संबंधी जन गणना, 1976-77 के अन्तिम परिणामों के अनुसार भारत में (पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर को छोड़कर) 10 हैक्टेयर से ऊपर परिचालित भूमि की जोतों की संख्या 1970-71 के मुकाबले में 3.2 लाख तक गिर गई है । संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के लागू करने के परिणामस्वरूप 16.8 लाख एकड़ भूमि से 11.6 लाख भूमि-

हीन व्यक्तियों को बसाया गया है। इस प्रकार यदि भूमिहीनों की संख्या में कोई वृद्धि भी हो गई थी तो यह भूमि अधिकतम सीमा कानूनों के कार्यान्वयन में हुए किसी विलम्ब के कारण नहीं थी। दूसरी ओर, ग्रामीण श्रमिक जांच, 1974-75 ने 1964–65 में 50.81 प्रतिशत के मुकाबले में वर्ष 1974–75 में भुमि वाले 55.4 प्रतिशत कृषि श्रमिक परिवारों को पंजीकृत किया।

(ग) राज्य सरकारें संशोधित भूमि अधिकतम सीमा कानूनों को कार्यान्वित कर रही हैं। उनसे कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध किया गया है कि आबंटियों के कब्जे में दखलअन्दाजी न हो।

पाली, राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन देने में विलंब

2428. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाली (राजस्थान) में टेलफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) इस समय पाली, राज्स्थान में टेलीफोन कनेक्शन के लिए अधिकतम कितनी अवधि से आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े है और ऐसे आवेदन-पत्र कितने हैं;

(ग) इन मामलों में टेलीफोन लगाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को पाली से इस अशय की शिकायतें मिली हैं कि नये आवेदकों को टेलीफोन दे दिये गये हैं और पुराने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) 15.6.1980 तक 199 आवेदन पत्र विचारधीन थे।

(ख) इस समय सामान्य श्रेणी में एक आवेदन पत्र लगभग तीन वर्ष और दो महीने से विचाराधीन पड़ा है।

(ग) टेलीफोन नहीं दिया जा सका क्योंकि केबुल युग्मों की कमी के कारण तकनीकी कारणों से ऐसा करना सुविधाजनक नहीं था।

(घ) ऐसी तो कोई शिकायत नहीं मिली।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाली (राजस्थान) में नये तारघरों का खोला जाना

2429. **श्री मूल चन्द डागा** क्या ; **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित तारघरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पाली (राजस्थान) के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नये तारघरों के खोले जाने के लिए सरकार को कुल कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

संचार म-त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 137 तारघर तथा शहरी क्षेत्रों में 3 तारघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) 1-4-79 से 20-6-1980 की अवधि के दौरान पाली जिले में (सभी ग्रामीण क्षेत्रों में) तारघर खोलने के लिए कुल 24 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) दो सुझाव स्वीकार कर लिए गये हैं तथा एक सुझाव शीघ्र ही स्वीकार किए जाने की आशा है और 2 सुझावों को अलाभकारी होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है। शेष 19 सुझावों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

गुजरात में कपास का उत्पादन

2430. **श्री अमर सिंह बी० राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात राज्य के किन-किन जिलों में कपास पैदा होती है; और

(ख) इस समय गुजरात राज्य में किस किस्म की कपास पैदा की जाती है ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) गुजरात राज्य के 19 जिलों में से 18 जिलों में कपास का उत्पादन होता है। ये जिले निम्नलिखित हैं :– अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांथा, बड़ौदा, भावनगर, भड़ौच, बुल्सर, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, कैरा, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल राजकोट, साबरकांथा, सूरज तथा सुरेन्द्रनगर।

(ख) गुजरात में सभी तीनों किस्मों अर्थात लम्बे, माध्यम तथा छोटे रेशे वाली कपास पैदा होती है।

भूमि सुधार की प्रगति

2431. **श्री पी० के० कोडियन** :

श्री चित्त बसु :

प्रो० रूप चन्द पाल : क्या ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमि सुधार कानूनों की धाराओं को लागू किये जाने की प्रगति असन्तोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) सरकार का भूमि सुधार का शीघ्रता से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अद्यतन राज्यवार स्थिति क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) व (ख) भूमि सुधार के उपायों के क्रियान्वयन की समूची प्रगति को असन्तोषजनक नहीं माना जा सकता। बिचौलिए काश्तकारों का उन्मूलन, भूमि जोतों पर अधिकतम सीमा तथा काश्तकारों की स्थिति में सुधार महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अधिक सन्तोषजनक कार्यान्वयन में मुख्य बाधायें निम्नलिखित रही हैं :

(1) कानूनों को न्यायालयों में बार-बार चुनौतियां;

(2) सही और अद्यतन भूमि अभिलेखों का अभाव तथा

(3) सामान्यतया राजस्व मशीनरी की अपर्याप्तता के कारण प्रशासनिक विलम्ब।

(ग) राज्य सरकारें संशोधित भूमि अधिकतम सीमा कानूनों को कार्यान्वित कर रही हैं। उनसे कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि आबंटियों के कब्जे में दखलअन्दाजी न हो।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क्षेत्र एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	फालतू घोषित क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	वितरित किया गया क्षेत्र		इस तारीख की स्थिति
			क्षेत्र	लाभभोगियों की संख्या	
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	1084,590	3,78,922	2,60,202	1,74,125	29-2-80
असम	5,74,022	5,00,727	3,12,045	2,53,209	31-1-80
बिहार	2,35,562	1,31,437	1,31,397	1,38,790	31 3-79
गुजरात	47,657	3,837	शून्य	शून्य	29-2-80
हरियाणा	14,647	10,427	4,508	1,267	31-7-79
हिमाचल प्रदेश	1,69,541	92,888	3,949	5,009	31-12-79
जम्मू तथा काश्मीर	—	—	—	—	—
कर्नाटक	1,33,189	अप्राप्य	38,104	7,228	31-3-80
केरल	1,16,605	73,721	48,318	76,092	31-3-80
मध्य प्रदेश	2,52,843	1,39,221	75,125	29,579	29-2-80
महाराष्ट्र	3,61,722	2,78,996	2,78,996	76,237	31-12-79

1. औद्योगिक श्रमिकों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना	1,86,684
2. निम्न आय वर्ग आवास योजना	3,36,914
3. बागान श्रमिकों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना	19,405
4. गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना	1,24,317
5. ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम	68,522
6. मकान स्थल व झोंपड़ी निर्माण योजना व्यवस्था	77,72,447

बाल कल्याण संवर्धन के लिए योजना

2433. **श्री पी० के० कोडियन : क्या समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों में बाल कल्याण संवर्धन के लिए कोई ठोस योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष को मनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष, 1979 के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई थी। राष्ट्रीय कार्य योजना में बाल स्वास्थ्य, पोषाहार, समाज कल्याण, शिक्षा, विधि निर्माण, प्रचार, इत्यादि के क्षेत्रों के लिए ठोस कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त बाल विकास के लिए एक बीस-वर्षीय परिप्रेक्ष योजना तैयार की जा रही है। इस योजना को 5 वर्षीय अवधियों में क्रमशः विभाजित कर दिया जाएगा, जिसमें प्रति पांच वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की भी व्यवस्था होगी।

राष्ट्रीय कार्य योजना में दी गई योजनाओं और कार्यक्रमों को भारत सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और स्वयंसेवी निकायों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। कार्यान्वयन का खर्च कार्यान्वयन के विस्तार और क्षेत्र तथा ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सामुदाय की सहायता पर निर्भर करेगा।

प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र

2434. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों का राज्यवार कुल प्रतिशत कितना है;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं और इसे रोकने के लिए सरकार किस योजना पर विचार कर रही है;

(ग) क्या मुख्य कारण यह है कि इन बच्चों के माता पिता उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं; और

(घ) मिडिल कक्षा तथा 10वीं कक्षा स्तर में शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों संबंधी स्थिति क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) प्राथमिक स्तर (कक्षा-V) की समाप्ति पर स्कूल छोड़ने वालों की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण विवरण-I में दिया गया है ।

(ख) स्कूल छोड़कर जाने वालों के मुख्य कारण तथा उनकी संख्या कम करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सुझाये गये उपायों को दर्शाने वाला एक विवरण विववण-2 में दिया गया है।

(ग) यह एक मुख्य कारण है ।

(घ) मिडिल स्तर (कक्षा-8) की समाप्त तथा निम्न माध्यमिक स्तर (कक्षा-10) की समाप्ति पर स्कूल छोड़ने वालों की राज्यवार दर दर्शाने वाला विवरण विवरण-3 में दिया गया है ।

विवरण-I

प्राथमिक स्तर (कक्षा V) की समाप्ति पर स्कूल छोड़ने वालों की दरें ।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	स्कूल छोड़ने वालों की दरों की प्रतिशतता
1.	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	65.6
2.	असम	38.7
3.	बिहार	72.0
4.	गुजरात	63.7
5.	हरियाणा	41.6
6.	हिमाचल प्रदेश	30.8
7.	जम्मू और काश्मीर	52.6
8.	केरल	6.2
9.	मध्य प्रदेश	75.7
10.	कर्नाटक	67.9
11.	महाराष्ट्र	56.1

1	2	3
12.	मणिपुर	81.5
13.	मेघालय	75.6
14.	नागालैंड	59.3
15.	उड़ीसा	71.6
16.	पंजाब	45.3
17.	राजस्थान	60.9
18.	तमिलनाडु	47.2
19.	त्रिपुरा	73.2
20.	उत्तर प्रदेश	71.0
21.	पश्चिम बंगाल	69.7
22.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	36.0
23.	अरुणाचल प्रदेश	79.9
24.	चंडीगढ़	20.5
25.	दादर तथा नागर हवेली	85.1
26.	दिल्ली	17.5
27.	गोआ, दमन और दीव	49.1
28.	लक्षद्वीप	21.4
29,	मिजोरम	61.9
30.	पांडिचेरी	30.9
	भारत	63.1

टिप्पणी : (1) स्कूल छोड़ने वालों की प्रतिशतता दरों की गणना वर्ष 1972-73 के दौरान कक्षा 1 में दाखिल और वर्ष 1976-77 के दौरान कक्षा 5 में दाखिल बच्चों को ध्यान में रखकर की गई है।

(2) वर्ष 1972-73 के दौरान कक्षा 1 में सिक्किम से संबंधित दाखिला आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतः स्कूल छोड़ने वालों की दरों का उल्लेख नहीं किया गया है।

विवरण-2

प्रारम्भिक स्यर पर स्कूल छोड़ने के मुख्य कारण तथा समस्या को चेक करने के लिए सुझाए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

मुख्य कारण	सुझाए गए उपाय
1. कक्षा I में एकल विन्दु प्रवेश ।	1. सम्पूर्ण प्रारम्भिक स्तर (कक्षा I-VIII) में किसी भी कक्षा में बहु-बिन्दु प्रवेश की व्यवस्था ।

2. वार्षिक प्रोन्नति परीक्षा के परिणामस्वरूप प्रारम्भिक स्तर की किसी भी कक्षा में स्थिरता ।	2. स्थिरता में, भारी कमी तथा इसे दूर करना ताकि प्रत्येक बच्चा प्रत्येक वर्ष एक कक्षा पूरी कर तथा कक्षा VIII पूरी कर लेने तक अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाए, परन्तु यह निरन्तर आवधिक जांच और मूल्यांकन के जरिए सुरक्षात्मक ढंग से होना चाहिये ।
3. भौतिक सुविधाओं जैसे कि संतोषजनक स्कूल भवन, बच्चों के लिए चट्टाईयों तथा फर्नीचर, शिक्षकों के लिये फर्नीचर, शिक्षण उपस्कर, पीने के पानी की सुविधाएं तथा परिसर के अन्दर शौचालय की कमी ।	3. प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की भौतिक सुविधाओं में सुधार ।
4. बच्चों की आवश्यकताओं तथा जीवन परिस्थितियों से पाठ्यक्रम की असंगति ।	4. विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों में, शिक्षा को बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन परिस्थितियों तथा वातावरण के अनुकूल बनाकर पाठ्यचर्या के विकेन्द्रीयकरण के जरिए प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की कोटि में सुधार ।
5. एकल अध्यापक विद्यालयों की पर्याप्त संख्या सहित कम अर्हता प्राप्त तथा अप्रशिक्षित अध्यापक ।	5. शैक्षिक अर्हताओं के अच्छे स्तरों और सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा एक शिक्षक स्कूलों को दो शिक्षक/बहुशिक्षक स्कूलों में बदल कर शिक्षकों की क्षमता में सुधार करना । शिक्षण प्रशिक्षण सहित प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जन संचार साधनों का अधिकाधिक प्रयोग ।
6. अभिभावकों की निर्धनता बच्चों को अभिभावकों की आय तढ़ाने में सहायक होने के लिये घर का काम करना पड़ता है ताकि उनके अभिभावक जीविकोपार्जन के लिये कार्य कर सकें ।	6. समाज के निर्धन वर्गों के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा लेखन सामग्री, निःशुल्क वर्दियां और उपस्थिति छात्रवृत्तियों जैसे प्रोत्साहनों की पर्याप्त व्यवस्था करना । प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों को छोड़

	देने वाले बच्चों के लिए उनकी सुविधा अनुसार उपयुक्त स्थानों तथा समय पर उन्हें अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था करना ।
7. सभी निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की अनुपलब्धता ।	7. सभी निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले समीपवर्ती प्राथमिक और मिडिल स्कुलों का खोला जाना ।
8. बालिकाओं को औपचारिक स्कूलों में सामाजिक अवरोध और खड़किलों को, जब उनके अभिभावक काम पर जाते हैं तो अपने छोटे भाईयों तथा बहनों की भी देखभाल करनी पड़ती है ।	8. सामाजिक बाधाओं पर काबू पाने के लिए अभिभावकों में शिक्षा का प्रचार तथा बड़े पैमाने पर अध्यापिकाओं की नियुक्ति, स्कूल मदर की नियुक्ति और प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की सहायक संस्थाओं के रूप में क्रैच/पूर्व स्कूलों की व्यवस्था ।
9. शिक्षा के प्रति ग्रामीण समुदाय की उदासीनता ।	9. सभी स्कूलों में विशेषकर ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के स्कूलों में स्कूल समितियों का गठन ।
10. निरीक्षण अधिकारियों की कमी ।	10. निरीक्षण स्टाफ को सबल बनाना तथा ब्लाक स्तर तक प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करना ।
11. जाली प्रवेश तथा उपस्थिति की जांच करने का अभाव ।	11. प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में उपस्थिति का अनुश्रवण ।

विवरण-3

मिडिल स्तर (कक्षा 8) तथा निम्न माध्यमिक स्तर (कक्षा 10) के अन्त तक स्कूल छोड़ने वालों की दर

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मिडिल स्तर के अन्त तक स्कूल छोड़ने वालों की प्रतिशतता	निम्न माध्यमिक स्तर के अन्त तक स्कूल छोड़ने वालों की प्रतिशतता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	85.86	88.99
2.	असम	81.26	85.71
3.	बिहार	86.56	90.33

1	2	3	4
4.	गुजरात	75.56	84.11
5.	हरियाणा	55.58	69.90
6.	हिमाचल प्रदेश	59.50	81.42
7.	जम्मू एवं काश्मीर	66.64	72.41
8.	केरल	50.50	70.92
9.	मध्य प्रदेश	74.14	89.41
10.	महाराष्ट्र	75.60	81.65
11.	मणिपुर	85.69	88.86
12.	मेघालय	—	—
13.	कर्नाटक	80.04	86.57
14.	नागालैंड	76.89	88.93
15.	उड़ीसा	84.15	89.10
16.	राजस्थान	75.26	85.86
17.	पंजाव	59.23	75.92
18.	तमिलनाडु	71.41	85.40
19.	त्रिपुरा	78.35	87.27
20.	उत्तर प्रदेश	82.56	87.14
21.	पश्चिम बंगाल	78.59	83.60
22.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	60.11	83.80
23.	अरुणाचल प्रदेश	81.48	93.43
24.	चण्डीगढ़	26.32	16.87
25.	दादर और नागर हवेली	92.84	93.01
26.	दिल्ली	34.51	41.34
27.	गोआ, दमन और दीव	69.92	79.60
28.	लक्षद्वीप	62.59	86.79
29.	मिजोरम	—	—
30.	पांडिचेरी	55.71	77.10
	भारत	77.21	85.18

टिप्पणी : 1. मिडिल स्तर के अन्त तक स्कूल छोड़ने की दरों का आँकलन वर्ष 1969-70 में कक्षा 1 के दाखिले तथा वर्ष 1976-77 में कक्षा 8 के दाखिले को ध्यान में रखकर किया गया है ।

2: निम्न माध्यमिक स्तर के अन्त तक स्कूल छोड़ने वालों की दरों का आँकलन वर्ष 1967-68 के दौरान कक्षा 1 के दाखिले तथा 1967-68, 1976-77 के दौरान कक्षा 10 के दाखिले को ध्यान में रख कर किया गया है ।

3. मेघालय तथा मिजोरम से सम्बंधित स्कूल छोड़ने वालों के बारे में आंकड़ों का आंकलन कालम 3 तथा 4 में नहीं किया जा सका क्योंकि क्रमशः वर्ष 1969-70 तथा 1967-68 से सम्बंधित आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

4. सिक्किम से संबंधित वर्ष 1969-70 तथा 1967-68 के कक्षा 1 के दाखिले के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे इसीलिये स्कूल छोड़ने वालों की दरें दर्शायी नहीं गई हैं।

हरियाणा में खुले स्थानों पर पड़ा धान

2435. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा में करोड़ों रुपये मूल्य की धान की काफी बड़ी मात्रा भारतीय खाद्य निगम के खुले गोदामों में पड़ी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो धान को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए तथा उचित भण्डारण व्यवस्था किए जाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम के पास 1-6-1980 को खुले भण्डारण (कवर एण्ड प्लिथ) में 10.8 करोड़ रुपये मूल्य का 97,000 मीटरी टन धान था। ऐसे स्टाक ठीक ढंग से उपयुक्त डनेज पर स्टोर किए जाते हैं और विशेष रूप से तैयार की गई पोलीथीन की चादरों से ढके जाते हैं ताकि इन्हें वर्षा से बचाया जा सके। पोलीथीन की चादरों को बांधने के लिए नाइलोन की रस्सियां बचाव करने के लिये प्रयोग की जाती हैं ताकि वे तेज आंधी/तूफान आदि से उड़ न सकें। स्टाक का मौसम से बचाव करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में 'मोनोफिलामेंट नेट तथा कवर टाप्स' भी सुलभ किए जाते हैं। निगम के तकनीकी स्टाफ द्वारा नियमित रूप से स्टाक का निरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है वहां उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम स्टाक का समुचित भण्डारण करने के लिए हरियाणा क्षेत्र में लगभग 2.05 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त ढकी भण्डारण क्षमता का निर्माण करवाने की योजना बना रहा है।

आसाम और पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान

2436. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आसाम और पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) असम व उत्तर-पूर्वी राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण की 1979-80 और 1980-81 में दी गई मंजूरी निम्नलिखित है :

	टाइप-ए	टाइप-बी	टाइप-सी
शिलांग	20	32	24
अगरतला	40	12	16
इम्फाल	4	16	16
कोहिमा	8	16	40
गौहाटी	6	14	2

धान की भूसी उतारने के लिए ऊंची दरों की मांग

2437. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धान की भूसी उतारने वाले गैर सरकारी मिल मालिक धान की भूसी उतार कर चावल तैयार करने के लिए ऊंची दरों की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास कितनी मात्रा में धान है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) पहली मई, 1980 को भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 28.92 लाख मीटरी टन धान में से 13.88 लाख मीटरी टय धान के शैलिंग के लिए अभी ठेका दिया जाना था। धान की शेष मात्रा की शीघ्र शैलिंग कराने के लिए भी सभी सम्भव पग उठाए जा रहे हैं। जहां उचित समझा जाता है वहां मिल मालिकों को उपयुक्त ऊंची दरें दी जा रही हैं। जिन राज्यों में धान कूटने की व्यवस्था उपचब्ध है उन राज्यों को धान भेजी जा रही है। नवम्बर, 1979 और मई, 1980 की अवधि के दौरान पंजाब, हरियाणा और आन्ध्र प्रदेश से कुल 1.61 लाख मीटरी टन धान अन्य राज्यों को भेजी गई थी। प्राइवेट मिलों से धान की मिलिंग कराने जैसे अन्य पगों के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई आवास नीति

2438. **श्री भीकूराम जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी गृह आवंटन नीति का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस नई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गृह-आवंटन नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिस्थिति संतुलन के बारे में समिति

2439. **श्री भीकू राम जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बड़े पैमाने पर नष्ट हो रहे पौधों की दुर्लभ नस्लें लुप्त हो रही हैं, लाल चन्दन तथा चन्दन की लकड़ी, वन्य पशुओं तथा उनकी खालों की तस्करी हो रही है और वन्य-जीवन का विध्वंस हो रहा है जिससे भारी परिस्थिति असंतुलन पैदा हो रहा है;

(ख) क्या परिस्थिति संतुलन बनाये रखने के वैधानिक तथा प्रशासनिक उपाय हेतु केन्द्र सरकार द्वारा गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ग) इसका ब्योरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) (क) जी हां ।

(ख) आशा है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा फरवरी, 1980 में स्थापित समिति अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1980 के अन्त तक प्रस्तुत करेगी ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

बागवानी के लिए शुद्ध पानी का उपयोग

2440. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश सरकारी बस्तियों में बागवानी के लिए लोग शुद्ध पानी का उपयोग करते हैं; और

(ख) उन निवासियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जो बागवानी के लिए शुद्ध पानी उपयोग करते हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) यह सही नहीं है कि अधिकतर सरकारी कालोनियों में बागवानी के लिए लोग स्वच्छ पानी का प्रयोग करते हैं । फिर भी, इस तरह का उपयोग वहां के निवासियों द्वारा किए जाने के इक्के-दुक्के मामले ध्यान में आए हैं ।

(ख) जो निवासी बगीचे के काम के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग करते पाए गए, जहां कहीं संभव हुआ है, उनको मौखिक चेतावनियां दे दी गई हैं ।

भारतीय खाद्य निगम की चावल मिलें

2441. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम अपनी ही चावल मिलें स्थापित करने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार धान से चावल निकालने के लिए क्या कदम उठाएगी ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने अब तक विभिन्न राज्यों में 25 आधुनिक चावल मिलें स्थापित की हैं । भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई कुल वसूली की तुलना में निगम के स्वामित्व की चावल मिलों की क्षमता नाम मात्र है। भारतीय खाद्य निगम अपनी धान की कुटाई करवाने के लिए प्राइवेट मिल-मालिकों के साथ ठेका करता है । अधिशेष राज्यों में पड़े धान के स्टाक की शीघ्र कुटाई करवाने के लिए निगम ने

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब, हरियाणा और आन्ध्र प्रदेश से अन्य राज्यों को 4.36 लाख मीटरी टन धान भेजी है। इस काम पर प्राइवेट चावल मिलों को लगाने की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले उद्योग में संकट

2442. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

चिनसुराह टेलीफोन एक्सचेंज कलकत्ता को स्वचालित व्यवस्था में बदलना

2444. **प्रो० रूपचंद पाल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता टेलीफोन्स के अन्तर्गत चिनसुराह टेलीफोन केन्द्र को स्वचालित व्यवस्था में बदलने के लिए कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) चिनसुराह टेलीफोन एक्सचेंज समूह (चिनसुराह, चंदरनागौर, त्रिबेनी भाटपाड़ा, कल्याणी) को कलकत्ता टेलीफोन स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत लाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) चिनसुराह हस्तचल एक्सचेंज के बदले में एक स्वचल एक्सचेंज की स्थापना हेतु परियोजना की मंजूरी दे दी गई है। भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। उपस्करों के लिए आदेश दे दिए गए हैं। आशा है कि 1982 के दौरान इस एक्सचेंज को चालू कर दिया जाएगा।

(ग) चिनसुराह एक्सचेंज समूह को कलकत्ता टेलीफोन के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि चिनसुराह स्वचल एक्सचेंज के चालू किए जाने पर चिनसुराह के उपभोक्ता सामान्य एस० टी० डी० दरों पर कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में डायल कर सकेंगे।

निरक्षर व्यक्तियों की राज्यों में संख्या

2445. **प्रो० रूपचन्द पाल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में 1980 तक निरक्षर व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी थी; और

(ख) सरकार द्वारा प्रौढ़ व्यक्तियों में साक्षरता लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) निरक्षरों से

संबंधित सूचना केवल जन गणना के भाग के रूप में एकत्र की जाती है। वर्ष 1971 की स्थिति के अनुसार राज्यवार निरक्षरों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा को पहली पंच वर्षीय योजना से ही शैक्षिक आयोजना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अक्तूबर, 1978 में आरंभ किए गए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 13-4-1980 को प्रस्तुत कर दी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है तथा इस कार्यक्रम में किए जाने वाले संशोधनों से सम्बन्धित निर्णय समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रख कर किए जाएंगे।

विवरण

निरक्षकों की संख्या—राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र 1971

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	0-4 आयुवर्ग को छोड़कर निरक्षरों की संख्या		
		पुरुष	महिला	योग
	1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1,16,99,950	1,50,95,453	2,67,95,403
2.	असम	36,86,439	44,31,542	81,17,981
3.	बिहार	1,58,64,784	2,10,28,975	3,68,93,759
4.	गुजरात	54,69,241	78,13,915	1,32,83,156
5.	हरियाणा	25,50,594	32,09,378	57,59,972
6.	हिमाचल प्रदेश	7,53,557	11,05,082	18,58,639
7.	जम्मू और काश्मीर	14,62,886	16,31,285	30,94,171
8.	कर्नाटक	66,13,088	92,29,036	1,58,42,124
9.	केरल	20,91,997	35,01,902	55,93,899
10.	मध्य प्रदेश	1,10,83,651	1,46,64,577	2,57,48,228
11.	महाराष्ट्र	91,12,208	1,42,92,626	3,34,04,834
12.	मणिपुर	2,15,020	3,49,735	5,64,755
13.	मेघालय	8,61,831	2,90,690	5,52,521
14.	नागालैंड	1,47,155	1,63,133	3,10,288
15.	उड़ीसा	52,73,835	77,99,835	1,30,73,670
16.	पंजाब	34,13,665	38,15,380	72,29,045
17.	राजस्थान	75,65,099	92,90,975	1,68,56,074
18.	सिक्किम	71,626	75,243	1,46,869
19.	तमिलनाडु	73,28,534	1,22,25,048	1,95,53,582
20.	त्रिपुरा	3,65,539	4,84,374	8,49,913

1	2	3	4	5
21.	उत्तर प्रदेश	2,55,59,093	3,06,46,808	5,62,05,901
22.	प० बंगाल	1,02,07,175	1,29,37,178	2,31,44,353
23.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	25,318	22,617	47,935
24.	अरुणाचल प्रदेश	1,72,290	1,73,004	3,45,294
25.	चंडीगढ़	31,542	34,936	66,478
26.	दादर तथा नगर हवेली	22,381	57,791	50,172
27.	दिल्ली	5,44,191	6,90,600	12,34,791
28.	गोवा, दमन तथा दीव	1,39,845	2,21,991	31,61,836
29.	लक्षद्वीप	4,407	8,536	12,943
30	मिजोरम	*	*	*
31.	पांडिचेरी	68,451	1,21,090	1,89,541
	भारत	13,18,05,392	17,53,82,735	30,71,88,127

पंजाब में धान की ढुलाई

2446. **श्री गुरचरण सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के पास इस समय धान के कितने बोरे पड़े हुए हैं;

(ख) धान की ढुलाई के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और धान को उचित रूप से ढक कर न रखने के कारण अनुमानत: क्षति कितनी हुई है; और

(ग) दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के पास 1-5-1980 को 18.35 लाख मीटरी टन धान पड़ा हुआ था जिसमें से 15.11 लाख मीटरी टन कैप स्टोरेज (कवर एण्ड प्लिंथ) में रखा गया है ।

(ख) और (ग) धान की कुटाई शीघ्र करवाने के लिए सभी सम्भव पग उठाए जा रहे हैं; जहां उचित समझा जाता है वहां मिल मालिकों को उचित अधिक दरें दी जा रही हैं; पंजाब से अन्य राज्यों, जहां मिलिंग क्षमता उपलब्ध है, को धान भेजा जा रहा है । 1979-80 खरीफ मौसम के दौरान पजाब से अन्य राज्यों को कुल 59.740 मीटरी टन धान भेजा गया था । अन्य मिलों से धान की मिलिंग कराने जैसे अन्य वर्गों के बारे में भी विचार किया जा रहा है ।

*असम में सम्मिलित आंकड़े ।

स्रोत : भारत की जनगणना – 1971

सामाजिक तथा सांस्कृतिक सारणी भाग-II ग-(II)

निगम के लिए यह जरूरी है कि वह समर्थन मूल्य योजना के अधीन पेश की गई धान की समूची मात्रा की खरीदारी करे लेकिन ढके गोदामों में सारा स्टाक रखने के लिए पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध ढकी भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहीं है। ढके गोदाम का उपयोग अधिकाँशत: चावल तथा चीनी के भण्डारण के लिए किया जाता है जिनका बाहर भण्डारण नहीं किया जा सकता है।

पंजाब में धान की लगभग 29,286 मीटरी टन मात्रा प्रभावित हुई है, जिसमें से 570 मीटरी टन की मात्रा क्षतिग्रस्त घोषित की गई है। कैप स्टोरेज में स्टाक को अच्छी हालत में रखने के सभी प्रयत्न किए जाते हैं लेकिन कभी-कभी निगम के नियंत्रण के बाहर के कारणों अर्थात् देवी विपदाओं, बेमौसमी भारी वर्षा, बाढ़ों आदि की वजह से कुछ स्टाक क्षतिग्रस्त हो ही जाते हैं। ऐसे मामले में जो हानि हो सकती है उसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना उपयुक्त नहीं समझा जाता है ।

उड़ीसा में चिलका विकास कार्य

2447. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में वर्ष 1980-81 के दौरान चिलका विकास कार्य आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1979-80 में कोई राशि दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और इस काम में कितनी प्रगति हुई है;

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान चिलका झील के विकास का कार्य शुरू करने के बारे में इस समय उड़ीसा सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा

2448. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6-11 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत लाने संबंधी संवैधानिक निदेश लागू करने में, राज्य-वार क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या कुछ राज्य इस संबंध में अन्य राज्यों से पीछे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या कारण जिम्मेवार हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1 से 5 तक की कक्षाओं के बच्चों का राज्यवार नामांकन दर्शाने वाला विवरण-I (6-11 आयु वर्ग के तदनुरूपी) संलग्न है :

(ख) जी, हां।

(ग) इसके कई कारण हैं और ये प्रत्येक राज्य से अलग-अलग हैं। धीमी प्रगति के लिए जिम्मेवार मुख्य कारण दर्शाने वाला विवरण-2 के रूप में संलग्न है।

(विवरण-I

वर्ष 1978-79 के दौरान राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कक्षा 1 से 5 में दाखिला

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	6-11 आयु वर्ग के बच्चों को दिए गए दाखिले की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	49,25,484 (76.73)
2.	असम	18,81,656 (71.69)
3.	बिहार	63,08,008 (74.09)
4.	गुजरात	38,68,577 (96.49)
5.	हरियाणा	11,73,024 (71. 8)
6.	हिमाचल प्रदेश	4,94,737 (101.51)
7.	जम्मू तथा काश्मीर	4,73,604 (66.59)
8.	कर्नाटक	40,98,417 (91.30)
9.	केरल	31,48,529 (101.17)
10.	मध्य प्रदेश	44,49,946 (61.42)
11.	महाराष्ट्र	78,73,275 (105.74)
12.	मणिपुर	2,00,278 (117.93)
13.	मेघालय	1,85,696 (115.96)
14.	नागालैंड	1,09,293 (143.03)

1	2	3
15.	उड़ीसा	26,11,998 (81.05)
16.	पंजाब	20,50,616 (108.81)
17.	राजस्थान	25,75,381 (58.54)
18.	सिक्किम	37,582 (123.93)
19.	तमिलनाडु	61,20,995 (109.93)
20.	त्रिपुरा	2,09,836 (80.26)
21.	उत्तर प्रदेश	95,42,627 (71.58)
22.	पश्चिम बंगाल	57,77,591 (80.61)
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	23,940 (118.28)
24.	अरुणाचल प्रदेश	49,409 (73.23)
25.	चण्डीगढ़	34,409 (76.71)
26.	दादर तथा नागर हवेली	13,311 (111.39)
27.	दिल्ली	6,23,114 (97.17)
28.	गोआ, दमन और दीव	1,45,843 (114.72)
29.	लक्षद्वीप	6,905 (142.08)
30.	मिजोरम	67,933 (136.86)
31.	पांडिचेरी	74,024 (105.89)
	अखिल भारतीय स्थिति	6,91,56,038 (82.32)

टिप्पणी : 1. 30 सितम्बर, 1978 संदर्भ तिथि के साथ संचालित चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित ।

2. उत्तर प्रदेश में संबंधित आंकड़े अस्थायी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चौथे नामांकन सर्वेक्षण के आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े तदनुरूपी आयु-वर्ग की जनसंख्या के दाखिले की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

विवरण–2

प्रारंभिक शिक्षा में धीमी प्रगति के उत्तरदायी कारण

1. अनामांकित बच्चों में विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, मुख्यतः समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कृषि करने वाले भूमिहीनों, मेहनतकशों और नगरीय गन्दी बस्तियों के बच्चे शामिल होते हैं ।
2. अनामांकित बच्चों में से 2/3 लड़कियां हैं जो निर्धनता एवं सामाजिक बाधाओं के कारण औपचारिक स्कूलों में नहीं जा पातीं ।
3. अनामांकित बच्चों में से तीन चौथाई बच्चे शैक्षिक रूप से पिछड़े—आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के हैं । इन राज्यों में साक्षरता की दर कुछ अन्य उन्नत राज्यों से कम है ।
4. प्रत्येक राज्य में कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं जिनकी प्रगति सुस्पष्ट रूप से कम है ।
5. अभी सभी बस्तियों में बच्चों के घरों से बहुत कम दूरी पर स्कूल उपलब्ध कराए जाने हैं ।
6. वित्तीय संसाधनों की कमी ।
7. गरीब बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और लेखन सामग्री, निःशुल्क वर्दियां और उपस्थिति छात्रवृत्तियों जैसे प्रोत्साहनों की अपर्याप्त व्यवस्था ।
8. माता-पिता की अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीनता, जो उनकी आय बढ़ाते हैं और घरेलू काम काज करते हैं ।
9. बच्चों की आवश्यकताओं और जीवन परिस्थितियों के साथ पाठ्यचर्या की असंगति ।
10. प्रारंभिक स्कूलों में भौतिक सुविधाओं, बच्चों के लिए टिकाऊ चटाइयों और फर्नीचर, शिक्षकों के लिए फर्नीचर, शिक्षण उपस्कर, पीने के पानी की सुविधाओं और परिसर में ही शौचालय की भौतिक सुविधाओं की कमी ।
11. पर्याप्त संख्या में एकल शिक्षक विद्यालयों सहित कम अर्हता वाले और अप्रशिक्षित शिक्षकों का होना ।

12. कक्षा 1 में एकल विषयक प्रवेश का होना ।

13. पर्याप्त संख्या में महिला शिक्षकों का न होना और ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षक क्वार्टरों का न होना ।

दालों के उत्पादन में गतिरोध

2449. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान देश में दालों की वर्षवार मांग और आन्तरिक उत्पादन कितना रहा है; और

(ख) दालों के उत्पादन में गतिरोध अथवा गिरावट के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) उपभोग के लिए दालों सहित खाद्यान्नों की मांग धान्यों, आलू, सब्जियों, मछली, मांस, अण्डा आदि जैसी अन्य प्रतिस्थानी खाद्य-सामग्री की उपलब्धि, दालों और अन्य खाद्य-सामग्री के तुलनात्मक मूल्यों, आय के स्तरों, आबादी की वृद्धि और शहरीकरण की मात्रा आदि पर काफी हद तक निर्भर करती है । इसे दृष्टि में रखते हुये, दालों की मांग के वर्षवार ठीक-ठीक अनुमान लगाना मुश्किल है । वर्ष 1969-70 से 1978-79 तक की अवधि के लिए दालों का कुल आन्तरिक उत्पादन और उपभोग के लिये उपलब्ध मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	उत्पादन (हजार मीटरी टन)	मानव उपभोग के लिए उपलब्ध मात्रा (हजार मीटरी टन)
1969-70	11.691	10,230
1970-71	11,818	10,341
1971-72	11,094	9,707
1972-73	9,907	8,669
1973-74	10,008	8,757
1974-75	10,014	8,762
1975-76	13,039	11,409
1976-77	11,361	9,941
1977-78	11,973	10,475
1978-79	12,170	10,649

वर्ष 1979-80 के लिए ऐसी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) दालों के उत्पादन की स्थिरता के प्रमुख कारण नीचे दिये गये हैं :

(1) दालें सामान्यतया व्यवस्था की कमजोर प्रणालियों की वजह से सीमान्त भूमि में वर्षा से सिंचित परिस्थितियों में उगाई जाती हैं । इसके अतिरिक्त, दालों की फसलें कई कृमि तथा रोगों के प्रति संवेदनशील होती हैं । इन्हीं कारणों से किसान दालों की खेती के लिए आदानों में विनियोजन करने में हिचकिचाते हैं;

(2) दालों की उत्पादकता कम है, क्योंकि इन फसलों की ऐसी कोई अधिक उत्पादनशील किस्में उपलब्ध नहीं हैं जिन पर उर्वरकों का अच्छा प्रभाव पड़ता हो ।

वर्ष 1980-81 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों की मांग

2450. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार से प्रत्येक राज्य ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिये कितने-कितने खाद्यान्न की मांग की है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र द्वारा मांगे गए खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1980-81 के लिए प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र द्वारा मांगे गए खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	मांगी गई मात्रा (मीटरी टनों में)	कैफियत, यदि कोई हो
1.	आंध्र प्रदेश	3,00,000	केवल अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए
2.	असम	37,000	—
3.	बिहार	3,00,000	केवल जून के अन्त तक
4.	गुजरात	1,10,000	—
5.	हरियाणा	1,00,000	—
6.	हिमाचल प्रदेश	60,000	अक्तूबर, 1980 तक
7.	जम्मू तथा काश्मीर	1,50,000	—
8.	कर्नाटक	1,30,000	—
9.	केरल	65,000	—
10.	मध्य प्रदेश	8,42,000	राज्य सरकार के प्रक्षेपों पर आधारित
11.	महाराष्ट्र	2,25,000	—
12.	मणिपुर	अप्राप्त	—
13.	मेघालय	अप्राप्त	—
14.	नागालैण्ड	अप्राप्त	—
15.	उड़ीसा	1,80,000	—
16.	पंजाब	42,539	—
17.	राजस्थान	6,08,000	—
18.	सिक्किम	अप्राप्त	—
19.	तमिलनाडु	1,00,000	—

20.	त्रिपुरा	30,000	
21.	उत्तर प्रदेश	3,00,000	केवल प्रथम तिमाही के लिए
22.	पश्चिम बंगाल	2,10,000	
	केन्द्र शासित क्षेत्र		
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2,074	
24.	अरुणाचल प्रदेश	अप्राप्त	
25.	चन्डीगढ़	अप्राप्त	

भारतीय खाद्य निगम में उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए अनुभव के मामले में छूट

2451. **श्री चन्द्र पाल शैलानी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिये निर्धारित अनुभव में छूट दिये जाने संबंधी उपबन्ध नियमों और विनियमों में विद्यमान है तथा ऐसे मामलों पर लागू होने वाली प्रक्रिया क्या है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्षवार, प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग कुल कितने व्यक्तियों को छूट दी गई;

(ग) उनमें से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों ने गत तीन वर्षों में पदोन्नति के लिये अनुभव में छूट दिये जाने के लिए अभ्यावेदन दिया है, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(च) भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धकों द्वारा उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) निगम का निदेशक बोर्ड, जोकि इस प्रकार की छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकरण है, विशिष्ट परिस्थितियों में किसी विशेष पद अथवा पदों पर पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव में छूट देने के लिए अपनी स्वीकृति देता है और न कि किन्हीं व्यक्तिगत मामलों में। छूट दी गई अपेक्षाओं के आधार पर पदोन्नति वास्तव में जोनल, क्षेत्रीय और जिला अधिकारियों द्वारा श्रेणी II, III और IV के पदों के बारे में की जाती है अतः इस प्रकार की छूट कितने व्यक्तियों को दी गई है, इस संबंध में सूचना निगम के मुख्यालय में तुरन्त उपलब्ध नहीं है और इसे उनके जोनल/क्षेत्रीय/जिला कार्यालयों से एकत्रित करना होगा ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) और (च) अपेक्षित सूचना भारतीय खाद्य निगम के पास तुरन्त उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्रित कर सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

सहकारी समिति रजिस्ट्रार, दिल्ली के लेखा-परीक्षा कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन

2452. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समिति रजिस्ट्रार के लेखा-परीक्षा कर्मचारियों ने नवम्बर, 1979 में अभ्यावेदन के जरिये अपनी शिकायतें व्यक्त की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) जी हां । तथ्य विवरण में दे ए्ये गए हैं ।

(ग) दिल्ली प्रशासन सक्षम प्राधिकरण के रूप में कार्यवाही करने के लिए प्रतिवेदन में उठाये गये मुद्दों से अवगत है ।

विवरण

सहकारी समितियों के कुछ लेखा-परीक्षा कर्मचारियों ने नवम्बर, 1979 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली में सहकारी समितियों के लेखों की लेखा-परीक्षा करने में अनुभव की जा रहीं कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया था । प्रतिवेदन में उठाये गये मुद्दे निम्न-लिखित हैं :

1. लेखा-परीक्षकों को दिये गये समितियों के पते या गलत होते हैं या तो ठीक नहीं होते हैं। न तो समितियों की प्रबन्ध समिति के सदस्य लेखा-परीक्षकों से मिलते हैं और न ही उनके जाने के बाबजूद पूरा रिकार्ड पाया जाता है ।

2. 50 प्रतिशत से अधिक समितियां क्रियाशील नहीं हैं और क्षेत्रों में उनका पता भी नहीं चलता है । क्षेत्र निरीक्षक कनिष्ठ लेखा-परीक्षकों को सही पतों की सूचना नहीं देते हैं ।

3. कनिष्ठ लेखा-परीक्षकों को केवल ऐसी समितियों की सूची देनी चाहिये जिनकी प्राप्ति 3 लाख रुपये से कम हो ।

4. लेखा-परीक्षकों को सप्लाई की जाने वाली सूची से उन समितियों के नाम निकाल दिए जाने चाहियें जो प्राप्ति के आधार पर चार्टर्ड लेखाकारों को सोंपे जाते हैं ।

5. उन समितियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये जो या तो अपने लेखों की लेखा-परीक्षण कराने में रुचि नहीं रखते या जिनकी पिछले दो या तीन से अधिक वर्षों से लेखा-परीक्षा नहीं हुई है ।

6. अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने वाले कनिष्ठ लेखा-परीक्षकों के विरुद्ध सख्त कार्य-वाही की जानी चाहिये ।

7. कनिष्ठ लेखा-परीक्षकों को यात्रा भत्ता दिया जाना चाहिये । ऐसे दौरों के लिये कोई निर्धारित यात्रा भत्ता नहीं है । यह किया जाना चाहिए ।

8. मानदण्डों के अनुसार विभाग को एक माह में छः लेखा-परीक्षण कराने की आवश्यकता है। यह एक अयाथार्थ लक्ष्य है। केवल ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहियें जो स्वरूप में यथार्थ हों और जिन्हें प्राप्त करना सम्भव हो।

स्कूली बच्चों के लिए कापियों के मूल्यों पर नियंत्रण

2453. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूली बच्चों के लिए कापियों के मूल्यों का एक सांविधिक आदेश द्वारा नियंत्रण रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मूल्य 1974 से स्तर पर रखे जाने हैं जो 1976 में और भी कमी हो गए थे और क्या उन्हें इस स्तर पर बनाए रखने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को निर्माताओं से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि पुराने मूल्य स्तर पर कापियाँ सप्लाई करना अलाभप्रद है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि इस स्थिति से जून, 1980 में शुरू हो रहे आगामी शिक्षा वर्ष में कापियों के व्यापार में गंभीर कमी आ जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, नहीं। रियायती दरों पर कागज की आपूर्ति तथा इस कागज पर लगाए गए रियायती शुल्क को ध्यान में रखते हुए अभ्यास पुस्तिका निर्माता संघ के परामर्श से अखिल भारतीय आधार पर 1-1-1976 से कापियों की कीमतों से संबंधित एक समान दर अपनाई गई थी।

(ग) और (घ) वर्ष 1979 में अखिल भारतीय अभ्यास पुस्तिका निर्माता संघ ने कागज की लागत तथा मजदूरी में हुई वृद्धि को देखते हुए, कापियों की कीमत बढ़ाए जाने के लिए अभ्यावेदन दिया था। संघ ने अभ्यावेदन में यह भी संकेत दिया था कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आगामी स्कूल सत्र में अभ्यास पुस्तिकाओं की कमी होने की संभावना है।

(ङ) रियायती कागज से तैयार की गई अभ्यास पुस्तिकाओं की मूल्य संरचना को 16 अप्रैल, 1980 से संशोधित कर दिया गया है।

अखिल भारतीय अभ्यास पुस्तिका विनिर्माता संगठन संघ से अभ्यावेदन

2454. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय अभ्यास पुस्तिका विनिर्माता संगठन संघ ने हाल ही में सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन कब दिया है और उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि संगठन ने ज्ञापन में कहा है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस वर्ष सचमुच अभ्यास पुस्तिकाओं की विकट कमी हो जाएगी; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है अथवा लिये जाने का विचार है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अखिल भारतीय कापी निर्माता संघ/फेडरेशन ने दिसम्बर, 1979 में एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें यह बताया गया था कि कागज की कीमत में हुई वृद्धि और श्रमिकों की मजदूरी को ध्यान में रखते हुए यदि कापियों की कीमत में वृद्धि न की गई तो आगामी स्कूल सत्र में रियायती कागज से बनी कापियों की कमी की सम्भावना हो सकती है।

(घ) रियायती कागज से निर्मित कापियों की कीमतें अप्रैल, 1980 में संशोधित कर दी गई हैं।

भूमि और विकास कार्यक्रम में विलम्ब

2455. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी भूमि के प्रबंध की देख रेख उनके अधीन कार्य कर रहे भूमि और विकास कार्यालय द्वारा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यालय द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन करने में कई वर्षों का समय लगाया जाता है;

(ग) क्या नियमित आवंटन के रूप में संबंधित पार्टियों से धन लिए जाने के पश्चात भी उन पार्टियों को भूमि का कब्जा नहीं दिया जाता है;

(घ) 1 जून, 1980 तक ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी थी जिनमें कि सार्वजनिक संस्थानों से पैसा (धन) तो ले लिया गया हो परन्तु उन्हें भूमि का कब्जा न दिया गया हो; और

(ङ) ऐसे मामलों की संख्या कम करने के लिए इनकी समीक्षा करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) भूमि तथा विकास कार्यालय दिल्ली में भूमि का प्रबन्ध करने अभिकगणों में से एक अभिकरण है। अन्य अभिकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली प्रशासन तथा पुनर्वास विभाग है।

(ख) तथा (ग) सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्थानों को भूमि का आवंटन पूर्वनिर्धारित रियायती दरों पर किया जाता है। वास्तविक अलाटी संस्थाओं की जांच करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस भूमि का उनके द्वारा भली भांति उपयोग किया जाता है, आवंटी संस्थाओं को प्लाटों का आवंटन करने और उन्हें सौंपने से पूर्व कतिपय प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का अनुपालन करना अपेक्षित है। जब वह सभी शर्तें पूरी कर देता है और सौंपे जाने के लिए भूमि उपलब्ध हो तब ही आवंटी को भूमि का कब्जा दिया जाता है।

(घ) सूची संलग्न है।

(ङ) प्रत्येक मामले का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और ऐसे मामलों को निपटाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

नाम	टिप्पणी
1. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी	राउज एवेन्यू में आवास स्थल पर मौजूद बंगलों को खाली करवाने और गिराने के बाद सांस्थानिक क्षेत्र का विकास करने के पश्चात् प्लाटों का कब्जा दिया जाएगा ।
2. जवाहर लाल नेहरू यूथ सेन्टर	
3. –वही–	
4. पंजाबी साहित्य सभा	
5. श्री पुरुषोत्तम हिन्दी भवन न्यास समिति	
6. यंगमैन सिख एसोसिएशन	
7. जमायल ट्रस्ट सोसायटी	
8. युवा भारती ट्रस्ट	
9. मिनिस्ट्री आफ होम अफेयरस	
10. सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजूकेशन	
11. केन्द्रीय विद्यालय संगठन	
12. एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इण्डिया	
13. मोहन सिंह सोशल वेलफेयर एण्ड कलचरल एसोसिएशन	
14. बार कौंसिल	
15. डा. सी. पी. सिंह मैमोरियल ट्रस्ट	पूर्वी मार्ग के प्लाटों का कब्जा सौंपने के कार्य को रद्द कर दिया गया था क्योंकि बृहत्त योजना में भू उपयोग में परिवर्तन करने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सहमति नहीं दी थी । वैकल्पिक स्थल के आवंटन का प्रश्न विचाराधीन है ।
16. चिन्मय मिशन	इस पार्टी ने रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में भूमि का कब्जा लेने से इन्कार कर दिया और लोदी एस्टेट, सांस्थानिक कम्पलैक्स, जहां इसका अभी विकास किया जाना है, में प्लाट देने का प्रस्ताव किया गया है ।
17. यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया	प्लाट का कब्जा कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दिया जाएगा ।

18. सिक्किम गैस्ट हाउस	यह प्लाट सौंपा नहीं जा सकता था क्योंकि दो अनधिवासियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पारित उनके वेदखली आदेशों के विरुद्ध अपील की है और यह मामला न्यायाधीन है।
19. श्री गुरु सिंह सभा किदवई नगर	आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों का अनुपालन न करने के कारण कब्जा देने का कार्य रोक दिया गया है।
20. श्रीराम शक्ति मिशन सैक्टर-6 रामकृष्णपुरम	आवंटी द्वारा परिपूर्ण कानूनी दस्तावेजों के अभाव में कब्जा देने का कार्य रोक दिया गया है।
21. जे. डी. टाइटलर स्कूल न्यू राजेन्द्रनगर	इस पार्टी ने हाल ही में औपचारिकताएं पूरी की हैं और शीघ्र ही कब्जा दे दिए जाने की आशा है।
22. श्री गुरु सिंह सभा नेताजीनगर	कानूनी औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण कब्जा देने का कार्य स्थगित कर दिया गया है।
23. आंध्र एजूकेशन सोसायटी राउज एवेन्यू	कानूनी औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण कब्जा देने का कार्य स्थगित कर दिया गया है।

चीनी कारखानों द्वारा राज्यों/भारतीय खाद्य निगम को चीनी की डिलिवरी

2456. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने चीनी कारखानों ने राज्य सरकारों अथवा भारतीय खाद्य निगम को चीनी की पूरी डिलिवरी नहीं की अथवा आंशिक रूप में डिलिवरी की;

(ख) उन कारखानों के क्या नाम हैं; किस-किस महीने उन्होंने डिलिवरी नहीं की और कितनी-कितपी मात्रा की डिलिवरी नहीं की; और

(न) उनकी उक्त असफलता के लिये चीनी कारखानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम/सीधे अलाटी राज्यों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर, 15 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बयाना जमा करने तथा प्रेषण से संबंधित अनुदेशों की सूचना के बारे में आवश्यक साँविधिक औपचारिकताएँ पूरी करने के बाबजूद चीनी फैक्ट्रियां आबंटित लेवी चीनी पूरी मात्रा में उन्हें सुपुर्द करने में असफल रहीं।

(ख) उपर्युक्त फैक्ट्रियों के नामों, जिस मास में शिकायत प्राप्त हुई और उक्त मास के कोटे के प्रति मास के अन्त को सुपुर्द न की गई मात्राओं का ब्यौरा विबरण में दिया गया है।

(ग) सभी संबंधित 69 फैक्ट्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए और/अथवा उनकी जबाब-तलबी की गई थीं। उनसे प्राप्त उत्तरों की जांच करने पर, अब तक 10 फैक्ट्रियों को दोषी पाया गया है और इन सभी मामलों में विस्तृत केस-हिस्ट्री तैयार की गई थी और उसे संबंधित राज्य सरकारों को इस परामर्श के साथ भेज दिया गया था कि वे इन फैक्ट्रियों के विरुद्ध मुकदमा चलाएं।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी फैक्ट्रियों द्वारा समस्त आबंटित लेवी चीनी पूरी मात्रा में सुपुर्द की जाती है, भारतीय खाद्य निगम/सीधे अलाटी राज्यों को सूचित करते हुए लेवी चीनी आवंटन आदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ा दिया जाता है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम/सीधे अलाटी राज्यों से प्राप्त शिकायतों के अनुसार संबंधित मास में जिन फैक्ट्रियों ने आवंटित की गई लेवी चीनी की पूरी मात्रा सुपुर्द नहीं की थी, उनकी सूची

क्रम संख्या	फैक्ट्री का नाम	जिस महीने में शिकायत की गई	उक्त मास के कोटे के प्रति मास के अन्त को जो मात्रा सुपुर्द नहीं की गई थी। (मीटरी टन में)
1	2	3	4
1.	*यू० पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि० यूनिट सखोटीटांडा, पो० सखोटीटाँड, जिला मेरठ	जनवरी 1980	400.2
2.	*यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० मोहीउद्दीनपुर, जिला मेरठ	,,	947.3
3.	*राजा बुलन्द शुगर कं० लि०, रामपुर, जिला रामपुर	,,	1089.0
4.	*कुन्दन शुगर मिल्स प्रा० लि०, अमरोहा, जिला मुरादाबाद	,,	3530.3
5.	शिव प्रसाद बनारसीदास शुगर मिल्स, बिजनौर, जिला बिजनौर	,,	1753.7
6.	धामपुर शुगर मिल्स लि०, धामपुर, जिला बिजनौर	,,	2131.6
7.	*चान्दपुर शुगर कं० लि०, चांदपुर, जिला बिजनौर	,,	1203.0

1	2	3	4
8.	अपर गंगेज शुगर मिल्स लि०, सिहौरा, जिला विजनौर	जनवरी 1980	3405.3
9.	राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स, प्रा० लि० लक्सर जिला सहारनपुर	,,	1101.9
10.	अमृततर शुगर मिल्स कं० लि० रोहनाकलन, जिला मुजफ्फरनगर	,,	594.4
11.	स्वरूप विजिटेबल प्रोडक्टस इंडस्ट्रीज लि०, मनसुरपुर, जिला मुजफ्फरनगर	,,	643.4
12,	अपर दोआव शुगर मिल्स लि, शामली, जिला मुजफ्फरनगर	,,	961.0
13.	नंगेश्वर लि०, देववंद जिला सहारनपुर	,,	2388.3
14.	किसान कोआप० शुगर फैक्ट्री लि०, सरसवा, जिला सहारनपुर	,,	1249.3
15.	त्रिवेणी इंजी० वर्क्स लि०, (शुगर यूनिट, अपर इंडिया शुगर मिल्स) खतौली, जिला मुजफ्फरनगर	,,	878.6
16.	*महेश्वर खेतान शुगर मिल्स प्रा० लि०, रामकोला, जिला देवरिया	,,	1006.0
17.	*महावीर शुगर मिल्स प्रा० लि०, सिसवा बाजार, जिला गोरखपुर	,,	1219 6
18.	लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स, सहारनपुर, जिला सहारनपुर	,,	241.4
19.	पंजाब शुगर मिल्स कं० लि०, घुघली, जिला गोरखपुर	,,	251.3
20.	*ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स लि०, लक्ष्मीगंज, जिला देवरिया	,,	1213.4
21.	कानपुर शुगर वर्क्स लि०, कठकुईयां फैक्ट्री ब्रांच, कठकुईयां, जिला देवरिया	,,	1089.2
22.	कानपुर शुगर मिल्स लि०, गौरी फैक्ट्री ब्रांच, गौरी बाजार, जिला देवरिया	,,	108.3
23.	*यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, पिपराइच, जिला गोरखपुर	,,	403.1

1	2	3	4
24.	वेलगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, चालीसगांव, जिला जलगांव	जनवरी 1980	@ @
25.	पन्नीजी शुगर एण्ड जनरल मिल्स कं०, पन्नीनगर, बुलन्दशहर	,,	0
26.	किसान कोआ० शुगर फैक्ट्री लि०,	,,	1143.6
27.	बागपत कोप० शुगर मिल्स बागपत, जिला मेरठ	,,	713.9
28.	किसान कोप० शुगर फैक्ट्री लि०, राजपुर पुरनपुरन्नादेह, जसपुर, नैनीताल	,,	@
29.	हरि नगर शुगर मिल्स लि० हरिनगर, जिला चम्पारन	,,	,,
30.	चम्पारन शूगर कं० लि०, चंपतिया फैक्ट्री ब्रांच, चंपतिया, जिला चम्पारन	मार्च 80	,,
31.	भारत शुगर मिल्स लि०, सिघवालिया, जिला सारन	,,	0
32.	न्यू स्वदेशी शुगहैं मिल्स लि०, तरकतिया गंज, जिचा चम्पारन	,,	826.5
33.	मोतीपुर शुगर फैक्ट्री प्रा० लि०, मोतीपुर, जिला मुजफ्फरनगर	,,	41.2
34	गगेण शुगर मिल्स, आनन्दनगर, जिला गोरखपुर	फर० 1980	336.3
35.	रुद्रा विलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, विलासपुर जिला रामपुर		1040.2
36.	श्री दुधगंगा वेदगंगा एस० एस० के लि०, बिदरी, जिला, कोल्हापुर	मई 1980	@
37.	श्री वराना सहकारी शक्कर कारखाना लि०, साहूंनगर, जिला कोल्हापुर	,.	1071.0
38.	भोगवती सहकारी शक्कर कारखाना लि०, साहूनगर, जिला कोल्हापुर	,,	373.7
39	कोल्हापुर, शुगर मिल्स लि०, कोल्हापुर जिला कोल्हापुर	,,	946.3

1	2	3	4
40.	सीतलपूर शुगर वर्क्स लि०, गरौल, जिला वैशाली	मार्च 1980	@
41.	शंकर अग्रो इंडिस्ट्रीज लि०, कपटैनगंज, जिला देवरिया	मार्च 10	705-0
42.	कन्नद, एस. एस. के. लि०, कन्नद, जिला औरंगावाद	निल	—
43.	कालम्बर विभाग एस० एस० के० लि०, कालम्बर, जि० नंदेड	,,	@
44.	बसंत एस० एस० के, लि०, पुसाद, जिला यावतमाल	,,	@
45.	संगमनेर भाग एस० एस० के० लि०, संगमनेर, जिला अहमदनगर	,,	831.2
46.	अमबजोगाई एस० एस० के० लि०, अमबजोगाई, जिला बीड	,,	588.6
47.	जीजामाता एस० एस० के० लि०, दसारविड, जिला बुलदाना	,,	56.8
48.	श्री दिनेश्वर एस० एस० के० लि०, मेंडे, जिला अहमदनगर	,,	45.0
49.	श्री सतपुडा तापी परिसर एस० एस० के० लि०, पुरुषोतमनगर, जिला धुलिया	,,	@
50.	श्री पंजराकन एस० एस० के० लि०, भाडने, जिला धुलिया	,,	640.0
51.	कादा एस० एस० के० लि०, जिला बीद	,,	0
52.	श्री वरीदेश्वर एस० एस० के० लि०, वरीदेश्वर, जिला अहमदनगर	,,	453.0
53.	दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, जिला मेरठ	,,	1691.6
54.	महालक्ष्मी शुगर मिल्स कं० लि०, इकबालपुर, जिला सहारनपुर	,,	713.5
55.	मराठवाडा एस० एस० के० लि०, डोंगरकाडा, जिला पारभानी	,.	@
56.	बेलसुण्ड शुगर कं० लि०, रीघा, जिला सीतामढ़ी	अप्रैल, 1980	@

1	2	3	4
57.	बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, बनमंखी, जिला पुर्णिया	,,	0
58.	मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, जिला मेरठ	,,	@
59.	अवध शुगर मिल्म लि०, हरगांव, जिला सीतापुर	,,	1201.8
60.	शारदा शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, पालिया, जिला खीरी	,,	374.0
61.	एल० एच० शुगर फैक्ट्रिज लि०, पीलीभीत	,,	376.0
62.	हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि०, गोलागोकरननाथ, जिला खीरी	,,	342.7
63.	बाजपुर कोप० शुगर फैक्ट्री लि०, बाजपुर, जिला नैनीताल	,,	2041.4
64.	किच्छा, शुगर क० लि०, किच्छा, जिला नैनीताल	,,	1579.7
65.	किसान कोप० शुगर फैक्ट्री लि०, मझोला, जिला पीलीभीत	,,	936.7
66.	गोविन्द शुगर मिल्स लि०, ऐरा इस्टेट, जिला खीरी	,,	1393.6
67.	गंगेश्वर लि०, देवबन्द, जिला सहारनपुर	,,	1446.4
68.	पारवारा एस० एस० के० लि०, प्रावारा नगर, जिला अहमदनगर	मई 80	33.0
69.	एल० एच० शुगर फैक्ट्रीज लि०, काशीपुर, जिला नैनीताल	अप्रैल 1980	1623.8

डाक-टिकटों और डाक स्टेशनरी छापने के लिए अत्यंत आधुनिक मुद्रणालय

2457. **डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. *जिन फैक्ट्रियों के बारे में राज्य सरकारों 1 से मुकदमा चलाने के लिए कहा गया है ।

2. @ इन मामलों में प्राप्त शिकायतें सुपुर्दगी में विलम्ब करने के बारे में सामान्य स्वरूप की थीं और उनमें किसी विशेष मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया था ।

(क) क्या उच्च स्तर पर डाक-टिकट और डाक स्टेशनरी छापने के लिये सरकार का विचार अत्यन्त आधुनिक मुद्रणालय स्थापित करने का है; और

(ख) पहली अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1980 की अवधि में महीनेवार देश भर में डाक-टिकटों और डाक स्टेशनरी की बिक्री क्या थी ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक के उत्पादन की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने पोस्ट-कार्डों, अन्तर्देशीय-पत्रों और रुपये वाले लिफाफों को छापने के लिए हैदराबाद में एक दूसरा प्रतिभूति मुद्रणालय खोलने का निर्णय किया है । डाक-टिकटों, हवाई-पत्रों और पोस्टल आर्डरों का मुद्रण कार्य प्रतिभूत मुद्रणालय नासिक में जारी रहेगा ।

(ख) 1 अप्रैल, 1979 से 33 मार्च, 1980 की अवधि के दौरान डाक-टिकटों और डाक लेखन सामग्री की बिक्री इस प्रकार थी :

			रुपये
1.	अप्रैल	1979	8,93,64,634
2.	मई	1979	9,83,64,035
3.	जून	1979	7,18,62,962
4.	जुलाई	1979	8,59,64,882
5.	अगस्त	1979	10,79,63,715
6.	सितम्बर	1979	17,92,60,049
7.	अक्तूबर	1979	13,79,16,886
8.	नवम्बर	1979	15,96,05,720
9.	दिसम्बर	1979	13,00,71,264
10.	जनवरी	1980	16,52,11,832
11.	फरवरी	1980	22,35,63,167
12.	मार्च	1980	30,27,28,209
	योग		1,75,18,76,855

निजाम के हीरे जवाहरात को सुरक्षित रखने की मांग

2458. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता ने हैदराबाद के भूतपूर्व निजाम के प्राचीन हीरे जवाहरात को सुरक्षित रूप से रखे जाने की मांग की है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच के लिये एक समिति नियुक्त कर दी है; और

(ग) हीरे जवाहरात जड़ित उन 37 दुर्लभ आभूषणों का अनुमानित मूल्य कितना है, जिन्हें सार्वजनिक नीलामी के लिए प्रस्तुत किया गया था ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) सरकार एक विशेषज्ञ समिति के गठन के लिए पहले से ही कार्रवाई कर चुकी है।

(ग) दिसम्बर, 1977 में किए गए मूल्य-निर्धारण के अनुसार इन 37 जेवरात की कुल कीमत 10 करोड़ रुपये से कुछ कम आंकी गई थी, फिर भी अगस्त, 1979 में प्रस्तावित नीलामी में इन 37 जेवरात के लिए मुख्य बोली 20.30 करोड़ रुपये की लगाई गई थी।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के बारे में कथित असंतोष

2459. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के बारे में व्याप्त असंतोष की जानकारी है, जिसे प्रवेश संबंधी प्रक्रिया में यथोचित सुधार किए जाने की आवश्यकताएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय की दाखिला-प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष केवल अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में ही बहुत बड़ी संख्या में छात्र दाखिल करता है। उदाहरणार्थ इन पाठ्यक्रमों में चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान संभवतः लगभग 25,000 छात्र दाखिला लेंगे। इतने बड़े कार्य में कभी-कभी कठिनाइयां पैदा होती ही हैं। तथापि, विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दाखिला प्राप्त करने में छात्रों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में तैयार की गई विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करने के साथ-साथ विश्वविद्यालय ने इस वर्ष कुछ नए तरीके विकसित किए हैं और विलम्ब से बचने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि दाखिला संबंधी समस्याओं को उपयुक्त ढंग से हल करने के लिए प्रणाली को संम्पूर्ण तौर पर संचालित किया जा सके।

केन्द्रीय मत्स्य निगम में पूंजी निवेश

2460. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मत्स्य उद्योग के लिए पांचवीं योजना में एक करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि इस राशि का पूंजी निवेश किये बिना ही इस निगम को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था; और

(ग) क्या यह निर्णय निगम को हुए घाटे के अतिरिक्त अन्य कारणों पर आधारित था ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। पांचवीं योजना के दौरान 1 करोड़ रु० के प्रावधान में से 25 लाख रु० की रकम शेयर पूंजी के रूप में निगम में लगाई गई थी। शेष राशि में से 63.41 लाख रु० की रकम पांचवीं योजना के अन्त तक समय-समय पर ऋण के रूप में दी गई ताकि निगम को अपनी लगातार हानियों से निपटने में सहायता मिल सके। इस निगम को जारी रखने या बन्द करने का मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

आसनसोल में एक केन्द्रीय विद्यालय के खोले जाने की मांग

2461. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कई वर्षों से आसनसोल जंक्सन के लगभग 45,000 रेल कर्मचारियों, ईस्टर्न कोल कम्पनी लिमिटेड के 50,000 कर्मचारियों और विभिन्न संस्थानों/क्षेत्र विभागों के 50,000 कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सुविधा दिये जाने के लिए आसनसोल में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की लगातार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार के 1,50,000 कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु आसनसोल में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) आसनसोल में एक केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) खोलने की मांग रही है। इस मामले में निर्धारित सर्वेक्षण करने तथा अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

कीटनाशी और कृमिनशी दवाइयों का हवाई जहाज से छिड़काव और गुण नियंत्रण

2462. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशी और कृमिनाशी दवाइयों के हवाई-जहाज से कम क्षेत्र पर छिड़काव और झटिया गुण-नियंत्रण के बारे में गंभीर सोच विचार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार का अब से अधिक क्षेत्र पर सतत रूप से हवाई-जहाज से उपरोक्त दवाइयों के छिड़काव कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) हवाई छिड़काव का कार्य केवल आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। अतः इसके अन्तर्गत कम क्षेत्र लाने का प्रश्न ही नहीं होता। सरकार यह महसूस करती है कि कीटनाशियों के गुण नियंत्रण में सुधार लाने की गुंजाइश मौजूद है। अप्रैल, 1980 में हुये वार्षिक वनस्पति रक्षण सम्मेलन में राज्यों का ध्यान गुण नियंत्रण मशीनरी को तेज करने की ओर आकर्षित किया गया है। केन्द्रीय कृमिनाशी प्रयोगशालाओं में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के उन राज्यों के लिये सुरक्षित रखा गया है जिन्होंने अपनी प्रयोगशालायें स्थापित नहीं की हैं। किये गये उपायों में से एक प्रस्ताव विभिन्न राज्यों में कीटनाशी गुण नियंत्रण व्यवस्था के स्तर के बारे में सूचित करने के लिये क्षेत्रीय आधार पर सर्वेक्षण दलों का गठन करने का है।

(ख) आवश्यकता के आधार पर कार्य के अनुसार हवाई छिड़काव करने का है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

भारत की आवास योजनाओं में अमरीकी सहायता

2463. **श्री तारिक अनवर :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने भारत को गृह निर्माण योजनाओं में इसकी सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा पेश की गई सहायता की योजना के अन्तर्गत वह सरकार इस कार्य सम्पादन की जिम्मेदारी तभी लेगी जबकि संयुक्त राज्य के गैर-सरकारी ऋणदों द्वारा विकासशील देशों में निम्न आय आवास कार्यक्रम को सहायता देने के लिए वास्तव में ऋण दिया जाएगा । ऋण लेने वाले देश को ऋण की वापसी के लिए यू. एस. सहायता को जमानत देनी होगी । ऋणक को अधिकतम ब्याज की दर देनी होगी जो कि चालू दर है और जो यू.एस. के आवास तथा नगर विकास विभाग द्वारा इसी प्रकार के कार्य के लिए देश ऋण के लिए स्वीकृत दर से एक प्रतिशत अधिक है । इसके अतिरिक्त ऋणद "सेवा शुल्क" तथा यू. एस. सहायता जामिन शुल्क लेंगे । ये दोनों मिलकर ऋण का 2 प्रतिशत होगा ।

(ग) इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) में विचार किया गया था और इसको अस्वीकार किया गया था क्योंकि इसकी शर्तें लाभप्रद नहीं थीं ।

संसदीय सचिवालयों के कर्मचारियों के लिए सरकारी मकान

2464. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद की वेतन समिति ने नवम्बर, 1974 के अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि निर्माण और आवास मंत्रालय को संसदीय सचिवालयों को, लोकसभा सचिवालय के मामले में प्रतिवर्ष 50 मकान और राज्यसभा के मामले में 25 मकान, उन्हें अपने कर्मचारियों को आबंटन हेतु दस वर्ष तक देनें चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उस समय से अब तक प्रत्येक सचिवालय को अलग अलग और श्रेणीवार कितने मकान आवंटित किए गए हैं;

(ग) दोनों सचिवाललों की अपेक्षित संख्या में मकान न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस मामले में जैसा कि प्रतिवेदन में कहा गया है शीघ्र कार्यवाही करेगी और यदि हां, तो उनके अपने कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी करने हेतु उन्हें उनका पूरा कोटा कब दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां । 1973 में लोकसभा के लिए सामान्य पूल के विभिन्न वर्गों के 413 मकानों का एक पृथक पूल बनाया गया था जबकि राज्यसभा सचिवालय अभी भी सामान्य पूल के अन्तर्गत आता है ।

(ख) तथा (ग) इस बात के होते हुए भी कि सामान्य पूल में रिहायशी वास की अत्यधिक कमी है किन्तु लोकसभा/राज्यसभा के स्टाफ की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने एक विशेष रूप में यह निर्णय लिया है कि डी. आई. जैड. क्षेत्र में सामान्य पूल के लिए निर्माणाधीन टाइप "ए", "बी" और 'सी' के नए क्वार्टरों का 10 प्रतिशत लोकसभा सचिवालय को दे दिया जाए जिनका समायोजन उनके निर्माणाधीन चरण–I, II और III के क्वार्टरों के साथ करने की शर्त पर होगा। डी-टाइप क्वार्टरों की कमी के कारण जिन्हें सामान्य पूल के निर्माण के क्रैश कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया उनके लिए कोई वचन देना संभव नहीं है। तीन चरणों में निर्माण किए जाने वाले लोकसभा पूल के क्वार्टरों की संख्या और उपर्युक्त वचनबद्धता के अनुसार सामान्य पूल से अब तक उपलब्ध कराए गए क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है :

टाइप	चरण—I, II तथा III में निर्मित किये जाने वाले लोकसभा पूल के क्वार्टरों की संख्या	लोकसभा सचिवालय को सौंपे गए सामान्य पूल के क्वार्टर	लोक/राज्यसभा पूलों को दिए जाने वाले शेष क्वार्टर
ए	64	32	32
बी	75	69	6
सी	107	60	47
डी	8	–	–
	254	161	85

लोकसभा/राज्यसभा के बीच विभाजन उनके द्वारा 2 : 1 के अनुपात से किया जाना है।

(घ) सिवाय टाइप-डी क्वार्टरों के, लोकसभा/राज्यसभा पूल के चरण–I, II और III में बनाए जाने वाले मकानों की संख्या की तुलना में डी. आई. जैड. क्षेत्र में नए निर्माण किए जा रहे क्वार्टरों का 10 प्रतिशत उन्हें दिया जाता रहेगा। सामान्य पूल में चल रही अत्यधिक कमी को देखते हुए इस वचनबद्धता को बढ़ाना संभव नहीं है। यह लोकसभा/राज्यसभा पर निर्भर है कि वे अपनी मांग को पूरा करने के लिए अपने निर्माण कार्यक्रम को और अधिक बढ़ाएं क्योंकि उन्होंने अपने निर्माण कार्यक्रम को पहले ही आरम्भ किया हुआ है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधि विभाग की इमारत

2465. **श्री जैनुल बशर** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विधि विभाग की इमारत बनाने के लिए धनराशि मंजूर की है;

(ख) क्या काम पूरा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, 3.5 लाख रुपये की अनुमानित लागत से इसके विधि संकाय भवन का निर्माण संबंधी प्रस्ताव आयोग द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित किया गया था। तथापि, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को भवन का नक्शा और प्राक्कलन पाँचवीं योजनावधि के अन्त में प्रस्तुत किए गए थे इसलिए विश्वविद्यालय को निर्णय कार्य रोकने तथा इस प्रस्ताव को अपनी छठी योजनागत विकास योजना में शामिल करने की सलाह दी गई थी।

शिक्षा प्राप्त करने हेतु समान अवसर

2466. **श्री जैनुल बशर** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक ऐसी व्यवस्था करने का विचार है जिसके अन्तर्गत देश के सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो सकें;

(ख) क्या सरकार का विचार देश की सभी पाठशालाओं को 'पब्लिक स्कूलों' में बदल देने का है; और

(ग) इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) संविधान के अनुच्छेद 45 में सभी बच्चों के लिए जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना की गई है। सरकार ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता कार्यक्रम के रूप में व्यापक बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1979 के दौरान चावल के उत्पादन में कमी

2467. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979 में चावल के उत्पादन में 117 लाख टन की कमी हुई थी और यह उत्पादन केवल 690 लाख टन रह गया था जब कि वर्ष 1978 में यह उत्पादन 807 लाख टन था; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में उक्त गिरावट के क्या कारण थे ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) तथा (ख) वर्ष 1979-80 के लिए चावल के उत्पादन के अन्तिम अनुमान सभी राज्य सरकारों से अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार 1979-80 के दौरान चावल के उत्पादन में वर्ष 1978-79 के 538.3 लाख मीटरी टन के स्तर की तुलना में तेजी से गिरावट आने की संभावना है। इसका मुख्य कारण देश के कई भागों में भारी सूखा पड़ना है।

भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण

2468. **श्री आर० आर० भोले :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की कार्यकरण के बारे में सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) 1977-78, 1978-79 और 1979-1980 में कार्य-संचालन लागत क्या थी और उन वर्षों में कितनी आर्थिक सहायता दी गई; और

(ग) सरकार भारतीय खाद्य निगम की कार्य-पद्धति में सुधार करने और इसे कार्यक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाएगी ?

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम की आलोचना से संबंधित समाचार समय-समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। किन्हीं विशेष अधिकारियों के विरुद्ध अथवा विशेष घटनाओं के बारे में शिकायतें कभी-कभी सरकार को मिलती हैं।

(ख) संबंधित वर्षों में भारतीय खाद्य निगम की बफर स्टाक की वितरण करने की तथा बफर स्टाक रखने की लागत का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

रुपये प्रति क्विंटल

	1977-78	1978-79	1979-80
			सं० अ०
वितरण लागत	22.12	25.08	21.38
बफर स्टाक रखने की लागत	23.62	24.58	25.68

भारतीय खाद्य निगम को 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान बकायों का भुगतान करने सहित दी गई राजसहायता इस प्रकार थी :

करोड़ रुपयों में

1977-78	1978-79	1979-80 (सं० अन०)
480.00	570.00	600.00

(ग) सरकार भारतीय खाद्य निगम के कार्य की निरन्तर समीक्षा करती रहती है ताकि उसमें सुधार लाया जा सके और उसकी परिचालन संबंधी लागत को कम किया जा सके। तथापि, इस तथ्य को देखते हुए कि बिना किसी आर्थिक लागत के सरकार द्वारा निर्धारित किए

गए मूल्यों पर निगम से खाद्यान्नों की वसूली और उन्हें जारी करने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह एक आत्मनिर्भर संगठन बन सकता है।

'पारथेनियम' घासपात का फैलना

2469. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के अनेक भागों में विशेषकर कर्नाटक राज्य में 'पारथेनियम' घासपात के बड़े पैमाने पर फैलने से भारी संकट पैदा हो गया है;

(ख) क्या इस घास की अनियंत्रित वृद्धि कृषि को भारी हानि पहुंचा रही है और कुछ हद तक यह मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकर है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस घासपात की वृद्धि और इसके फैलाव को रोकने के लिए उपाय करने का है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) सरकार को देश के विभिन्न भागों, विशेषकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में अकृष्य क्षेत्रों, बेकार और बंजर भूमि में पार्थेनियम के उगने की जानकारी है।

(ख) कर्नाटक सरकार से जांच-पड़ताल करने पर पता चला है कि विशेषकर राज्य के उत्तरी जिलों में कुछ कृषि भूमि इस खरपतवार से आच्छादित हो रही है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक कृषि कीट और रोग अधिनियम 1968 के अन्तर्गत पार्थेनियम को हानिकारक खरपतवार घोषित किया है।

(ग) इस खरपतवार से पैदा होने वाले खतरे पर भारत सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों ने विचार किया था तथा राज्य-सरकारों की समस्या पर काबू पाने के लिये उपयुक्त सलाह दी गयी थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों को अनुदान

2470. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1978-79 तथा 1979-80 में विभिन्न राज्यों में (राज्यवार) कालेजों को कितना अनुदान दिया गया; और

(ख) विभिन्न राज्यों में (राज्यवार) प्रत्येक कालेज को दिये जाने वाले अनुदान की मात्रा निश्चित करते समय किन मुख्य बातों पर विचार किया जाता है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) आयोग कालेजों को देय अनुदानों की मात्रा राज्यवार आधार पर निर्धारित नहीं करता। विश्वविद्यालय अनुदान अयोग द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (चा) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक कालेज को सहायता के लिए

आयोग को आवेदन करना होता है। सहायता प्रस्तावों पर आयोग द्वारा विचार किया जाता है और प्रत्येक कालेज को अनुदान प्रत्येक योजना के लिए, जिसके लिए सहायता दी जाती है, निर्धारित सहायता की स्वीकृत पद्धति तथा अन्य मानदंडों के आधार पर संस्वीकृत किये जाते हैं।

माध्यमिक कालेज तथा विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों की संख्या

2471. **श्री ए० के० बालन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक, माध्यमिक, कालेज तथा विश्वविद्यालय के स्तर के अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है और उनका (राज्य-वार) विवरण क्या है; और

(ख) प्राथमिक, माध्यमिक और कालेज स्तर पर गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) चौथे शैक्षिक सर्वेक्षण में एकत्र की गई सूचना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, प्रारम्भिक, माध्यमिक, कालेज तथा विश्वविद्यालय स्तर पर वर्ष 1978-79 के लिए शिक्षकों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) सार्वजनिक तथा निजी संस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे शिक्षकों का ब्यौरा दर्शाने वाला विववण-II संलग्न है।

विवरण-I

चौथे शैक्षिक सर्वेक्षण, 1970 से उपलब्ध हुई सूचना के अनुसार प्रारम्भिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय/कालेज स्तर पर शिक्षकों की राज्यवार स्थिति

राज्य/सघ शासित क्षेत्र	प्रारम्भिक (प्राथमिक मिडिल)	माध्यमिक (उच्चतर माध्यमिक सहित)	विश्वविद्यालय विभाग तिश्वविद्यालय कालेज	सम्बद्ध कालेज
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	1,33,208	44,85	2,998	11,290
2. असम	71,788	18,914*	490*	5,329
3. बिहार	1,86,186	31,237	8,350	4,711
4. गुजरात	1,21,037	36,258	1,734	6,102
5. हरियाणा	43,801	9,937	769	3,310
6. हिमाचल प्रदेश	23,300	4,215	229	634
7. जम्मू और काश्मीर	26,944	6,542	218	1,357
8. कर्नाटक	1,08,907	28,512	2,115	10,829
9. केरल	1,20,661	53,831	607	9,845

*मणिपुर शामिल किया गया

1		2	3	4	5
10.	मध्य प्रदेश	1,72,974	25,511	1,162	8,197
11.	महाराष्ट्र	2,53,809	72,985	2,505	17,314
12.	मणिपुर	14,054	1,774	××	××
13.	मेघालय	8,081	1,275	×103	×801
14.	नागालैंड	7,155	1,201	——	——
15.	उड़ीसा	98,673	21,157	667	4,765
16.	पंजाब	74,736	18,340	1,449	6,451
17.	राजस्थान	85,704	35,744	1,950	4,888
18.	सिक्किम	1,907	193	✻	✻
19.	तमिलनाडु	2,06,481	48,167	2,368	15,470
20.	त्रिपुरा	9,058	2,101	✻	✻
21.	उत्तर प्रदेश	3,33,012	77,677	6,213	13,682
22.	पश्चिम बंगाल	1,94,629	38,681	✻✻2,838	✻✻13,893

×× असम में शामिल किया गया।

× मेघालय, नागालैण्ड और मिजोरम के लिए संयुक्त आंकड़े।

✻ पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया।

✻✻ त्रिपुरा तथा सिक्किम में शामिल हैं।

1	2	3	4	5
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1,508	234	×××	×××
24. अरुणाचल प्रदेश	2,050	274	(छ)	(छ)
25. चंडीगढ़	1,772	617	×××	×××
26. दादर और नगर हवेली	348	69	——	——
27. दिल्ली	30,127	12,271	2,070	3,956
28. गोआ, दमन और द्वीप	5,526	2,057	+	+
29. मक्ष्यद्वीप	297	114	———	————
30. मिजोरम	3,331	733	++	++
31. पांडिचेरी	3,139	769	(ज)	(ज)
भारत	23,44,100	5,96,237	38,835	1,42,824

××× पंजाब में शामिल किया गया।

(छ) असम में शामिल किया गया।

+ महाराष्ट्र में शामिल किया गया।

++ मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के लिए संयुक्त आंकड़े।

(ज) तमिल नाडु में शामिल किया गया।

विवरण-II

निजी और सार्वजनिक संस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या (30-9-1978 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	संस्था का स्वरूप	सार्वजनिक क्षेत्र राजकीय तथा स्थानीय निकाय	निजी क्षेत्र सहायता प्राप्त तथा गैर सहायया प्राप्त	कुल
1.	प्राथमिक स्कूल	11,37,570	1,49,929	12,87,499
2.	मिडिल स्कूल	6,21,718	1,92,841	8,14,559
3.	माध्यमिक स्कूल	2,35,603	3,14,494	5,50,097
4.	उच्चतर माध्यमिक स्कूल	1,16,548	1,71,634	2,88,182
5.	विश्वविद्यालय विभाग/ विश्वविद्यालय कालेज	38,835	...	38,835
6.	सम्बद्ध कालेज	87,532	55,292	1,42,824

टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने के बारे में मंत्री की याद्दच्छिक शक्तियां

2472. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मंत्री और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री को किसी भी श्रेणी में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने के बारे में याद्दच्छिक शक्तियां प्राप्त हैं;

(ख) कितने मामलों में ऐसे आदेशों का पालन किया गया था और कितने मामलों में उनका पालन नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो सभी मामलों में ऐसे आदेशों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) प्राथमिकता के आधार पर किसी भी श्रेणी में टेलीफोन कनेक्शनों के मंजूर किये जाने के लिए "टेलीफोन आबंटन नियमों" के अन्तर्गत संचार मंत्री और संचार राज्य मंत्री को कोई अलग से अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

(ख) और (ग) इन मामलों में व्यक्तिगत आधार पर कार्यवाही की जाती है और इसकी कोई समेकित सूची तत्काल उपलब्ध नहीं है।

निःशुल्क शिक्षा के लिए पश्चिम बंगाल को आंशिक आवंटन

2473. **श्री पीयूश तिरकी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने यह घोषणा की है कि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजन हेतु और अधिक राशि आवंटन करने के लिए मंजूरी देने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना हेतु पश्चिम बंगाल सरकार के लिए क्या सहायता वृद्धि की गई है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने, 1 जनवरी, 1981 से कक्षा दस के आगे उच्चतर माध्यमिक (जमा 2) स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का अस्थायी निर्णय किया है।

(ग) स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में कदम उठाना उन्हीं का काम है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पेड़ काटने पर रोक लगाने हेतु राज्यों को केन्द्र द्वारा निदेश

2474. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को कुछ सुझाव दिये गये हैं जिनसे वनों में पेड़ों के और काटे जाने पर रोक लग सकती है;

(ख) क्या पेड़ों को काटे जाने के फलस्वरूप देश में बाढ़ आती है और अचानक भू-स्खलन होता है; और

(ग) क्या सरकार ने नये वृक्ष रोपण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किये हैं;

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) यदि पेड़ों की कटाई के बाद प्राकृतिक रूप से पुनरुत्पादन न हो या पेड़-पौधों को न लगाया जाए तो बाढ़ तथा भू-स्खलन बढ़ जाते हैं।

(ग) जी हां।

चीनी के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिये की गई कार्यवाही

2475. **श्री विरधी चन्द्र जैन** :

श्री टी० आर० शमन्ना : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान देश में, राज्य-वार, चीनी का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) चीनी के मूल्यों में वृद्धि रोकने और उन पर नियंत्रण रखने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और की जा रही है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को समय-समय पर जारी किये गये निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारें उन निदेशों का पालन कर रही हैं;

(ङ) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने काला बाजार निवारण अधिनियम का पालन किया है अथवा उसे लागू किया है और उसका क्या परिणाम निकला है; और

(च) केन्द्रीय सरकार चीनी के मूल्यों पर कब तक नियंत्रण कर सकेगी ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाले दो विवरण संलग्न हैं (विवरण I और II) ।

(ग) और (घ) पिछले कुछेक महीनों के दौरान, चीनी के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए जिन विभिन्न उपायों को लागू करने का निर्णय किया गया था उनके बारे में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों को कई एक पत्र लिखे गए थे। इनके अलावा मुक्त बिक्री की चीनी की उपलब्धता और मूल्य प्रवृत्ति पर निगाह रखने के लिए उपायों में सुधार करने तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित विभिन्न उपायों के प्रत्युत्तर में राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा करने के बारे में विचार विमर्श करने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने राज्य खाद्य मंत्रियों/राज्यपालों के सलाहकारों का सम्मेलन 24-4-1980 को बुलाया था और उसके बाद 23-5-80 को राज्य के खाद्य सचिवों की एक बैठक भी बुलाई थी । इन बैठकों में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने चीनी के व्यापार में कदाचार करने वाले समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया था । हाल ही में 21 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि वे जारी किए गए अनुदेशों का कड़ायी से अनुपालन कर रहे हैं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त अद्यतन सूचना संलग्न विवरण सं० III में दी गई है ।

हालांकि सरकार चीनी के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के बारे में सभी प्रयास कर रही है, लेकिन मूल्यों को कब तक नीचे लाना सम्भव होगा इस संबंध में समय सीमा बनाना कठिन है । तथापि, सरकार चीनी के मूल्यों के रुख पर निरन्तर निगाह रखे हुए है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है, और भी कार्रवाई की जाएगी ।

विवरण-I

1977-78, 1978-79 और 1979-80 मौसम के दौरान राज्यवार चीनी का उत्पादन

(लाख मीटरी टन)

राज्य	1977-78	1978-79	1979-80 अनुमानित
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	18.63	14.63	10.16
बिहार	2.86	2.58	1.63
असम	0.07	0.11	0.07
पंजाब	0.99	0.94	0.53
हरियाणा	1.48	1.33	0.92

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजन हेतु और अधिक राशि आवंटन करने के लिए मंजूरी देने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना हेतु पश्चिम बंगाल सरकार के लिए क्या सहायता वृद्धि की गई है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने, 1 जनवरी, 1981 से कक्षा दस के आगे उच्चतर माध्यमिक (जमा 2) स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का अस्थायी निर्णय किया है ।

(ग) स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में कदम उठाना उन्हीं का काम है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

पेड़ काटने पर रोक लगाने हेतु राज्यों को केन्द्र द्वारा निदेश

2474. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को कुछ सुझाव दिये गये हैं जिनसे वनों में पेड़ों के और काटे जाने पर रोक लग सकती है;

(ख) क्या पेड़ों को काटे जाने के फलस्वरूप देश में बाढ़ आती है और अचानक भू-स्खलन होता है; और

(ग) क्या सरकार ने नये वृक्ष रोपण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किये हैं;

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) यदि पेड़ों की कटाई के बाद प्राकृतिक रूप से पुनरुत्पादन न हो या पेड़-पौधों को न लगाया जाए तो बाढ़ तथा भू-स्खलन बढ़ जाते हैं ।

(ग) जी हां ।

चीनी के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिये की गई कार्यवाही

2475. **श्री विरधी चन्द्र जैन** :

श्री टी० आर० शमन्ना : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान देश में, राज्य-वार, चीनी का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) चीनी के मूल्यों में वृद्धि रोकने और उन पर नियंत्रण रखने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और की जा रही है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को समय-समय पर जारी किये गये निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारें उन निदेशों का पालन कर रही हैं;

(ङ) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने काला वाजार निवारण अधिनियम का पालन किया है अथवा उसे लागू किया है और उसका क्या परिणाम निकला है; और

(च) केन्द्रीय सरकार चीनी के मूल्यों पर कब तक नियंत्रण कर सकेगी ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाले दो विवरण संलग्न हैं (विवरण I और II) ।

(ग) और (घ) पिछले कुछेक महीनों के दौरान, चीनी के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए जिन विभिन्न उपायों को लागू करने का निर्णय किया गया था उनके बारे में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों को कई एक पत्र लिखे गए थे। इनके अलावा मुक्त विक्री की चीनी की उपलब्धता और मूल्य प्रवृत्ति पर निगाह रखने के लिए उपायों में सुधार करने तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित विभिन्न उपायों के प्रत्युत्तर में राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा करने के बारे में विचार विमर्श करने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने राज्य खाद्य मंत्रियों/राज्यपालों के सलाहकारों का सम्मेलन 24-4-1980 को बुलाया था और उसके बाद 23-5-80 को राज्य के खाद्य सचिवों की एक वैठक भी बुलाई थी । इन वैठकों में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने चीनी के व्यापार में कदाचार करने वाले समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया था । हाल ही में 21 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि वे जारी किए गए अनुदेशों का कड़ायी से अनुपालन कर रहे हैं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त अद्यतन सूचना संलग्न विवरण सं० III में दी गई है ।

हालांकि सरकार चीनी के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के बारे में सभी प्रयास कर रही है, लेकिन मूल्यों को कब तक नीचे लाना सम्भव होगा इस संबंध में समय सीमा बनाना कठिन है । तथापि, सरकार चीनी के मूल्यों के रुख पर निरन्तर निगाह रखे हुए है और जव कभी आवश्यक समझा जाता है, और भी कार्रवाई की जाएगी ।

विवरण-1

1977-78, 1978-79 और 1979-80 मौसम के दौरान राज्यवार चीनी का उत्पादन

(लाख मीटरी टन)

राज्य	1977-78	1978-79	1979-80 अनुमानित
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	18.63	14.63	10.16
विहार	2.86	2.58	1.63
असम	0.07	0.11	0.07
पंजाव	0.99	0.94	0.53
हरियाणा	1.48	1.33	0.92

1	2	3	4
पश्चिमी बंगाल	0.14	0.10	0.03
उड़ीसा	0.17	0.20	0.10
मध्य प्रदेश	0.69	0.62	0.25
राजस्थान	0.45	0.34	0.11
महाराष्ट्र	20.96	21.05	14.01
गुजरात	3.10	2.97	2.24
आन्ध्र प्रदेश	4.05	3.11	2.01
कर्नाटक	5.74	4.89	3.00
तमिलनाडु	4.68	4.91	3 95
केरल	0.23	0.23	0.18
पांडिचेरी	0.22	0.26	0.17
नागालैण्ड	0.07	0 09	0.07
गोआ	0.09	0.08	0.06
अखिल भारत	64.62	58.44	39.49

विवरण-2

चीनी के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गये उपाय

सरकार द्वारा चीनी के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए जो कई एक उपाय किए गये हैं, वे इस प्रकार हैं :

1. मान्यता प्राप्त व्यापारियों की स्टाक रखने की सीमा को कम कर दिया गया है;
2. राज्य सरकार के प्राधिकारियों के माध्यम से स्टाक रखने की सीमा को कड़ाई से लागू करवाना और जमा स्टाक को बाहर निकलवाने के कार्यों में तेजी लाना;
3. जहाँ कहीं सौदा स्टाक की प्रत्यक्ष सुपुर्दगी के साथ-साथ न किया गया हो वहां एक थोक विक्रेता द्वारा दूसरे थोक विक्रेता को चीनी बेचने पर प्रतिबन्ध लगाना;
4. 10 दिनों की अवधि के अन्दर स्टाक को वेचने के लिए मान्यता प्राप्त व्यापारियों पर प्रतिवन्ध लगाना;
5. मुक्त बिक्री की चीनी की बिक्री और प्रेषणों से संबंधित सूचना पर निगाह रखना इस संबंध में चीनी मिलों के लिए संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों को साप्ताहिक बिक्री और प्रेषणों के ब्यौरे देना अनिवार्य कर दिया गया है;
6. मई और जून, 1980 के लिए मुक्त बिक्री के अतिरिक्त कोटे निर्मुक्त करना; और
7. 2 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय ।

विवरण-3

चीनी के स्टाक रखने की सीमा लागू करने और उसके जमा स्टाक को बाहर निकलवाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही

1. अरुणाचल प्रदेश	जिला अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे मंत्रालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए चीनी तथा खण्डसारी के स्टाक रखने की सीमा को फिर लागू किए जाने और उसको कड़ाई से लागू करने के बारे में तुरन्त कार्यवाही करें ।
2. पाण्डिचेरी	मिल डिपो से एक बार एक क्विंटल की दर से सीमित तरीके से लाइसेंसशुदा थोक तथा खुदरा व्यापारियों को चीनी का दिया जाना जारी रखा गया है । केवल कुछ चुनीदा थोक व्यापारियों को एक समय पर अधिक बोरियां दी जाती हैं। अतः व्यापारी स्टाक रखने की सीमा के ठीक अन्दर चीनी का केवल बहुत थोड़ा स्टाक स्थायी तौर पर अपने पास रखते हैं । तथापि, चीनी व्यापारियों के परिसरों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ।
3. हरियाणा	चीनी के छिपे स्टाक को बाहर निकलवाने के अभियान और स्टाक रखने की सीमा लागू करने के कार्य को पहले ही तेज कर दिया गया है । पुलिस के पास 61 मामले दर्ज किए गये हैं और 9.30 लाख रुपये मूल्य की 1726 क्विंटल चीनी पकड़ी गई है और 53 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये । समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है ।
4. राजस्थान	स्टाक रखने की सीमा को कड़ाई से लागू करने, साथ में जमा स्टाक को बाहर निकलवाने के अभियान को चलाने के बारे में हमारे निर्देशों को पाते ही राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों से कहा था कि वे उचित कार्यवाही करें । राज्य के मुख्यालय में स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है । आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन 18 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये ।
5. दिल्ली	प्रत्यावर्तन तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है । ऐसी एक शर्त बना दी गई है कि प्रत्येक लाइसेंस प्राप्तकर्त्ता को मिलों से वसूल की गई चीनी के ब्यौरों को 24 घण्टे के अन्दर विभाग को बताना होगा जिसमें चुंगी रसीद तथा जी० आर० रसीद आदि का उल्लेख हो । थोक व्यापारियों को दूसरे थोक व्यापारी को चीनी बेचने की मनाही कर दी गई है। खाद्य तथा पूर्ति विभाग के प्रत्यावर्तन स्टाफ और पुलिस विभाग के अधीन कार्यरत स्पेशल सेल द्वारा समय-समय पर विशेष छापे मारने की व्यवस्था की जा रही है । चोर बाजारी निवारक तथा आवश्यक वस्तु पूर्ति अनुरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अधीन पांच चीनी व्यापारियों को नजरबंद किया गया था । उपर्युक्त

अधिनियम के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा सभी पांचों व्यक्ति मुक्त कर दिए गये थे।

6. केरल — राज्य भर में पुलिस विभाग के संबंधित विंग के साथ मिलकर नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा छापे मारे जा रहे हैं। 2-6-1980 तक 9278 छापे मारे गए और 625.93 क्विंटल माल पकड़ा गया। व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

7. असम — स्टाक रखने की सीमा, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ सम्पर्क बनाए रखने, जमा माल को बाहर निकलवाने से संबंधित अभियान को तेज करने और स्टाक को प्रत्यक्ष सुपुर्दगी किए बिना एक थोक बिक्रेता द्वारा दूसरे थोक बिक्रेता को चीनी बेचने की मनाही करने के बारे में राज्य सरकार ने जिला और उप-मंडलीय अधिकारियों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं।

8. आन्ध्र प्रदेश — स्टाक रखने की सीमा निर्धारित कर दी गई है और जमा माल बाहर निकलवाने के अभियान को तेज कर दिया गया है। वर्ष 1980 के दौरान, चीनी से संबंधित नियंत्रण आदेशों के उपबन्धों का विभिन्न प्रकार से उल्लंघन करने के लिए 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

9. दादर तथा नगर हवेली — इस प्रदेश में बेईमान चीनी व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की कोई गतिविधि नहीं।

10. तमिलनाडु — राज्य में 1-2-80 से 10-6-80 की अवधि के दौरान चीनी को बाहर निकलवाने के अभियान में 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

11. पंजाब — जमाखोरी संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे हैं। छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब चीनी व्यापारी लाइसेंसिंग आदेश का उल्लंघन करने के लिए पुलिस के पास 25 मामले रजिस्टर किए गए और 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

12. उड़ीसा — जमाखोरी के विरुद्ध उपाय करने के फलस्वरूप, फिलहाल मुक्त बिक्री की चीनी की जमाखोरी की कोई गतिविधि नहीं है। सट्टेबाजी के माध्यम से चीनी के मूल्यो में वृद्धि करने के लिए 26-2-80 को निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अधीन 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

13. सिक्किम — सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के लिए 2 थोक बिक्रेताओं और 4 खुदरा बिक्रेताओं के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे।

14. पश्चिमी बंगाल — राज्य की पुलिस द्वारा नियमित रूप से छापे मारे जा रहे हैं और बेईमान व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमे चलाए जा रहे हैं। 132

व्यक्तियों के विरुद्ध 1,9 मामले चलाए गए और 13,09,065 रुपये की कीमत की 19532.73 क्विंटल चीनी पकड़ी गई ।

15. नागालैंड — केन्द्रीय सरकार ने प्राप्त सूचना को कार्यान्वयन हेतु जिला प्राधिकारियों को भेज दिया गया है । जमाखोरी की किसी गतिविधि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

16. बिहार — स्थानीय अधिकारियों से कहा गया है कि वे स्टाक रखने की सीमा को लागू करवाने के लिए कड़े उपाय करें और यदि आवश्यक हो तो निवारक नजरबन्दी अधिनियम की सहायता से जमाखोरी के विरुद्ध अभियान को तेज करें । जमाखोरी के विरुद्ध अभियान के अन्तर्गत कई एक छापे मारे गए हैं ।

17. मणिपुर — जमाखोरी के दो मामलों को पकड़ा गया । 43 किलोग्राम चीनी पकड़ी गई । आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन 2 मामले रजिस्टर किए गए ।

नीडाकारा, कायमकुलम और पेराबूर मत्स्य पत्तन का प्रसार

2476. **श्री बी० के० नायर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नीडाकारा में भारी भीड़ को अनुभव करते हुए दक्षिण केरल के समुद्र में मछली पकड़ने की सुविधाओं का विस्तार करने का एक मात्र तरीका नये फानों का विकास करना है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस प्रयोजन के लिये कायमकुलम और पैराबूर में अत्यधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जहां अन्तर्देशीय जल का सभी ओर व्यापक फैलाव है और जिसके समुद्र में जाने का मार्ग छोटा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विकास के लिये इन दो राज्यों की पूरी पूरी छानबीन करने का है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां । मछली पकड़ने वाली नावों के वर्तमान बेड़े की भीड़ से छुटकारा पाने के लिए नीडाकारा मत्स्य पत्तन के विकास संबंधी प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, दक्षिण केरल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विझिंगम मात्स्यकी पत्तन का दूसरे चरण में विकास करने का प्रस्ताव है ।

(ख) तथा (ग) कायमकुलम तथा पेराबूर में सुविधाओं के विकास की आवश्यकता तब ही उत्पन्न होगी, जबकि केरल सरकार के प्रस्ताव के अनुसार माल उतारने तथा चढ़ाने संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था होने के बाद भी नीडाकारा से काम न चले । तथापि, केरल सरकार मछली पकड़ने की बन्दरगाह के रूप में कायमकुलम का विकास करने की संभावना पर विचार कर रही है । इस समय पेराबूर में मत्स्य पत्तन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

———

विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय हमने एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है। मन्त्रालय की तरफ से उसका जबाव आया है लेकिन उस पर किसी का दस्तखत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

श्री रामविलास पासवान : प्रश्न यह है कि यह किसकी तरफ से आया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में मुझसे बात कर लें। उन्होंने मुझे बता दिया है। मैं उनके स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट हूं। यह उनका इरादा नहीं है।

(व्यवधान)

आप मेरे पास आकर इस पर विचार-विमर्श कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उन्होंने एक वैध प्रश्न उठाया है। परन्तु यह पता नहीं चलता कि स्पष्टीकरण मन्त्री की ओर से आया है या किसी और व्यक्ति की ओर से।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय से।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह मन्त्री महोदय की ओर से नहीं आया है। आप कृपया अन्तिम पैराग्राफ को देखें :

"इन परिस्थितियों में मन्त्री जी ने मुझे यह कहने का निदेश दिया है कि उन्होंने सदन से न तो जान-बूझकर कोई तथ्य छुपाए हैं और न ही भ्रामक अथवा गलत बयान दिया है और न ही सदन को गुमराह किया है और न ही उन्होंने सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है।"

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने उसे यह कहने का अधिकार दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव। यह किसने भेजा है ?

अध्यक्ष महोदय : संयुक्त सचिव ने।

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि आप टिप्पणी की प्रति दे रहे हैं तो सदस्य को पता चलना चाहिये कि टिप्पण किसने भेजा है। यह प्रक्रिया का मामला है। आप सदस्य को जो प्रति भेजें वह मूल प्रति होनी चाहिए। वह एक वैध मामला उठा रहे हैं।

अगर आप समझते हैं कि यह प्रिविलेज का मोशन इन आर्डर है, तो आप कम से कम मेम्बर को अपनी बात कहने दीजिए। यदि आप एक्सप्लेनेशन को देखें तो उससे साफ जाहिर है कि यह ब्रीप आफ प्रिविलेज है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको देखा है। पूर्ण अध्ययन के बाद ही मैंने अपना विनिर्णय दिया है। मैं यह जानता हूं। आप नियम 115 के अधीन सूचना भेज सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान : आप उस दिन की सारी कार्यवाही को देखें।

अध्यक्ष महोदय : रामविलास जी, मैंने सारी कार्यवाही का अध्ययन किया है।

श्री रामविलास पासवान : मुझे अफसोस है कि.....

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप एक वाक्य पढ़ लें :

"मन्त्री जी ने यह मान लिया है कि संसद सदस्य श्री रामविलास पासवान संस्थान के रेजिडेंट डाक्टरों के बारे में पूछ रहे हैं और उन्होंने सीधेपन में इसका नकारात्मक उत्तर दे दिया ।"

अगर मन्त्री महोदय इतना नहीं समझ पाये तो कम से कम उन्हें यह तो करना चाहिए था कि वे खेद प्रकट करते कि वे प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पाए । कम से कम इतना तो उन्हें करना ही चाहिए था ।

अध्यक्ष महोदय : उनका यह आशय नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा एक निवेदन है । हम आपके विनिर्णय को मानेंगे । मेरा सुझाव यह है कि जब कभी सम्बद्ध मन्त्रालय कोई टिप्पण भेजता है तो, ठीक जैसे उन्होंने अब वैध मुद्दा उठाया है, सदस्य को पता लगना चाहिये कि टिप्पण कहां से आया है । टिप्पण मुझे भी मिलते हैं । परन्तु आमतौर से मैं यह नहीं जान पाता कि नोट मन्त्रालय से आया है या किसी पत्रकार से । पता ही नहीं क्या हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर ध्यान दिया गया है और ध्यान दिया जायेगा ।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, यह इतना सरल मामला नहीं है जितना कि आपने इसे समझा है । माननीय सदस्य और इस सदन को आपसे यह जानने का अधिकार हैं कि यह पत्र किसकी ओर से आया.....

अध्यक्ष महोदय : उस बात का जवाब पहले दे दिया गया है ।

श्री चन्द्रशेखर : यदि कोई पत्र या दस्तावेज हमें आपके द्वारा दिया जाता है तो सदन को यह बताना आपका कर्त्तव्य है कि वह किसकी ओर से माननीय सदस्य को भेजा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर गौर किया जाएगा ।

श्री चन्द्रशेखर : आपने कहा है कि आप इस मामले पर विचार करेंगे और आप यह स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं हैं कि इस टिप्पण को लिखने वाला कौन है । क्या आप सदन को यह बतायेंगे कि वह किसने लिखा है ?

अध्यक्ष महोदय : किसी प्रकार के स्पष्टीकरण का प्रश्न ही नहीं है । मैंने उस बात को ध्यान में रखा है । भविष्य में, ऐसा ही किया जायेगा ।

श्री चन्द्रशेखर : वह टिप्पण/पत्र किसने लिखा है ?

अध्यक्ष महोदय : संयुक्त सचिव ने ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं दूसरा प्रश्न उठा रहा हूं । मन्त्री महोदय के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया गया है । क्या मन्त्री महोदय को इतना कष्ट गवारा नहीं है कि वे स्वयं उत्तर दे सकें ? आज तो वे उत्तर देने के लिए अपने सचिव से कहते हैं, कल को उप-सचिव से कहेंगे और परसों उनके निजी-सहायक ही यह दायित्व निभाने लगेंगे । यह तो सदन को बहुत हल्के

स्तर पर लेने वाली बात है। यदि वे अपने निजी-सहायक से इस प्रकार का नोट भेजने के लिए कहते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि यह सदन की मान-मर्यादा के अनूरूप होगा ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपको इस सदन को यह आश्वासन देना चाहिये कि जब कभी भी किसी मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न आयेगा उसका मंत्री ही व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देगा। हम किसी अधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को नहीं मानेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूँगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : कल, संसदीय कार्य मन्त्री ने हम सबको एक प्रपत्र भेजा कि हमें चाहिये.....

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री चन्द्रशेखर : मुझे इस मुद्दे पर आपका विनिर्णय चाहिये। संयुक्त सचिव ने उत्तर भेजा है। क्या उसको सदस्य के पास भेजना आपके लिए उचित था ?.. ...

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, फर्ज कीजिए, कोई कागज बिना किसी मुहर के बिना किसी.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने नोट कर लिया है; पर बात गलत है।

श्री मनीराम बागड़ी : सवाल यह है क्या आप उस मेम्बर की बात को सुनेंगे नहीं ? आपने नोट किया है, लेकिन यह गल्ती दफ्तर की है और मेम्बर को पूर्णतया अधिकार है कि वह अपनी सारी बात कहे.....

अध्यक्ष महोदय : यही बात नोट की गई है कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिये।

श्री मनीराम बागड़ी : जो जनतान्त्रिक परम्पराएं हैं.....

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : स्वीकृति नहीं दी जाती।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्वीकृति नहीं है। कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न करें।

** *कार्यवाही* वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एन० के० शेजवालकर (ग्वालियर) : जब किसी सदस्य या मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाता है तो क्या वह अपने सचिव या और किसी अन्य को अपनी ओर से उत्तर देने के लिए प्राधिकृत कर सकता है ? मेरा तो यही प्रश्न है । मेरा निवेदन यह है कि आप ऐसा नहीं कर सकते और उत्तर मन्त्री महोदय द्वारा दिया जाना चाहिये ।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : स्वीकृति नहीं दी जाती ।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : जब यहाँ पर संसद का कोई मसला या सवाल उठता है और आपके जरिये मन्त्री का हमारा सीधा सम्पर्क होता है । कल डायरेक्ट मिनिस्टर साहब अपने सेक्रेटरी को कहने लगे और वह जवाब देने लगे .....दूसरी बात यह गलत कही है कि भोलेपन से गलती से इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो कम से कम इनको माफी मांगनी चाहिए । ये हाउस को लाइटली ट्रीट कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों को देखिए । मेरे पास आइये और नियमों पर विचार-विमर्श कीजिए । क्या आपने नियम देखे हैं ?

श्री रशीद मसूद : यह पार्लियामेंट का मामला है, यह पार्लियामेंट में तय होगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप नियमों के बारे में पूछ रहे हैं । मान लीजिए कि मेरे विरुद्ध ही विशेषाधिकार का मामला है । क्या मुझे अपने निजी सचिव से आपको सूचना भेजने के लिए कहना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय की सलाह से, उनकी अनुमति से, उनकी सहायता से ।

श्री चन्द्रजीत यादव : नहीं; मेरी अनुमति से भी क्या मेरा निजी सचिव आपको सूचना भेजेगा ? क्या आप इसे नियम मानेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वे मन्त्री हैं । मंत्री के सिर पर जिम्मेदारी होती है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप सदन के अभिभावक हैं । आपको अपना विनिर्णय देना ही चाहिये कि क्या मन्त्री महोदय को कम से कम इतना भी शिष्टाचार नहीं दिखाना चाहिए कि एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव का, वे स्वयं ही उत्तर दें । अथवा क्या उन्हें अपने निजी-सचिव या अन्य किसी व्यक्ति को उत्तर देने के लिए कहना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव : नहीं महोदय, इस पर मुझे आपका विनिर्णय चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय बाद में दूंगा । इस प्रकार नहीं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : स्वीकृति नहीं दी जाती ।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे पहले कि आप अपना विनिर्णय दें, कम से कम हमें अपने कक्ष तक तो बुलाईये और यह बताईये कि निजी-सचिव द्वारा भेजे गये नोट से आप किस प्रकार सन्तुष्ट हैं । आप इतना भी नहीं कर रहे हैं और आप अनुमति भी नहीं दे रहे हैं ।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊँगा, आपको सन्तुष्ट करूंगा ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, बागपत के काण्ड को लेकर अखबारों में मेरे खिलाफ जो खबर छपी थी, मैंने आपको उसके शुद्धिकरण के लिए कहा था कि जो बागपत में स्त्रियों के साथ नजायज तरीके से बलात्कार किया है और इसकी खबर पी० टी० आई० के हवाले से हिन्दी समाचार में छपी है । आखिर यह जो आपकी लोकसभा की प्रोसिडिंग्स हैं, अगर इसको गलत ढंग से अखबारों में छापा जाएगा, तो आखिर यह देश का सही दर्शन किस तरीके से होगा, हम जो भी जनता की बात आपके माध्यम से कहते हैं, वह जनता में सही तरीके से कैसे पहुंचेगी ? किस तरीके से बागपत काण्ड को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है, मैं आपसे चाहूंगा कि अखबारों को आप अच्छी तरीके से संभालें और उसकी रिपोर्टिंग को ठीक करायें ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात उस दिन भी कह दी गई थी, उसको आज फिर मैंने देखा है, लेकिन पी० टी० आई० की तरफ से तो ठीक गया है लेकिन अखबारों ने गलत रिपोर्टिंग की है, हम एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे, क्यों ऐसा किया गया है ।

श्री मनीराम बागड़ी : ज्ञानी जैल सिंह जी ने कहा था कि मैं 29 तारीख को जाऊंगा, लेकिन वे नहीं गए । महिला संसद् सदस्य मौके पर गई हैं और अगर इस तरीके ये होम मिनिस्टर.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको टाईम दिया है, आप बोलिए । आप उनसे क्यों बोलते हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी ने और आपने सदन में विश्वास दिलाया है .....

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : महोदव, आपकी अनुमति से मैं श्री मनीराम बागड़ी का हवाला.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने श्री राजेश को अनुमति दे दी है ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, मैं आधे घण्टे से खड़ा हुआ हूं । आपने मुझे टाइम नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको टाइम दिया था । आप नहीं बोले । आपने इनको टाइम दे दिया है मैं इसमें क्या करूं । ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा ।

श्री राजेश कुमार सिंह : बागपत के मामले पर वक्तव्य देने के लिए मैंने नियम 377 के अधीन विशेष अनुमति मांगी थी । यदि आप मुझे विशेष अनुमति दे देते हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि असलियत क्या है । वे इसे राजनीतिक मामला बना रहे हैं । किसी ने .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने तथ्य मांगे हैं । मैं तथ्य मंगा रहा हूं और गृहमंत्री महोदय ने स्वयं वहां जाने का वचन दिया है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : श्री मनीराम बागड़ी बागपत के मामले को हर रोज उठा लेते हैं। तथ्य उन्हें मालूम नहीं हैं। मैं उन्हें दिखा सकता हूं कि वे डाकू थे और जो सच्ची घटना घटी.....

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान) *

श्री चन्द्रपाल शैलानी : अध्यक्ष महोदय, परसों इस सदन के माननीय सदस्य श्री जयपाल सिंह मौके पर मुआयने के लिए बागपत गये थे.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसके लिए आपको अलाऊ नहीं किया है। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी, आपको भी नहीं दे सकता।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी न जाने पाये।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। मैंने तथ्यों की मांग की है और उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। अनुमति नहीं दी जा रही है।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए ?

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : क्या यही तरीका है ? यह तो राज्य का विषय है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। श्री परूलेकर खड़े हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैंने श्री परूलेकर से बोलने को कहा है.....

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : सदन की जांच करवाइये।

अध्यक्ष महोदय : करवा रहे हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला होगा। मैं चाहता हूं कि जांच पूरी की जाये। इंक्वायरी बाद में करेंगे, पहले नहीं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री परूलेकर।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : मैंने सूचना दी थी कि मुझे संसद सदस्यों को लिखे गये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र के बारे में उल्लेख करने की अनुमति दी जाये।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में आप मंत्री महोदय से बात कर सकते हैं। अभी आपको इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

श्री बापू साहिब परूलेकर : अनुमति क्यों नहीं दी जाती ? इससे बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है। मुझे नियम पुस्तिका के नियम 42 की जानकारी है। पत्र में संसद सदस्यों की निन्दा की गई है। पत्र में सुझाव दिया गया है कि हमें सदन में केवल विश्वस्त जानकारी पर आधारित प्रश्न उठाने चाहिये तथा विवरण देने चाहिये; इससे ऐसा लगता है कि मानो सदस्य विश्वस्त जानकारी पर आधारित वक्तव्य नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम 42 के अन्तर्गत तो आता है। हम इसके बारे में आपके साथ चर्चा कर सकते हैं परन्तु आप नियम 42 को पढ़िये। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैंने दिल्ली के निकट शाहदरा स्टेशन पर हुई दुर्घटना के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आप अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय को यहां नहीं उठा सकते। इसके लिए आप मेरे कक्ष में आईये। अब पत्र सभापटल पर रखे जायेगें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय सहकारी आवास महासंघ लिमिटेड के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मैं निम्न पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय सहकारी आवास महासंघ लिमिटेड के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 972/50)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

---

*राष्ट्रीय सहकारी आवास महासंघ लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित के 28 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखे गये थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 973/50)

संगीत, नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे तथा उनका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं संगीत, नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 974/50)

दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1978-79 के प्रमाणित लेखाओं पर लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1978-79 के प्रमाणित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1978-79 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 975/50)

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर ताजा पानी के पम्पिग टैंक में एक गले सड़े शव का पाया जाना

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) : श्रीमन, मैं रेल मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"ताजा पानी के एक पम्पिग टैंक में, जहां से दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी सप्लाई होता है, एक गले-सड़े शव के पाये जाने, जिसके कारण यात्रियों, आगन्तुकों और रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो गया ।"

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : श्रीमान्, 18-6-1980 को प्रातः 8.10 बजे उत्तर रेलवे, दिल्ली के निर्माण निरीक्षक को रिपोर्ट मिली कि स्टेशन की इमारत

की पहली मंजिल पर पानी से बदबू आ रही है। स्टेशन की इमारत की पहली और दूसरी मंजिल को एक अलग पम्प हाउस और जमीन पर बनी पानी की टंकी से पानी सप्लाई किया जाता है जिस-की क्षमता लगभग 7200 गैलन है। रिपोर्ट मिलते ही पंपिग का काम बन्द कर दिया गया और सम्बन्धित क्षेत्र को पानी की सप्लाई रोक दी गयी। बदबू के कारण का पता लगाने के लिए टंकी के भीतरी भाग की जाँच की गयी और यह संदेह हुआ कि अन्दर किसी व्यक्ति/पशु का शव पड़ा है। तत्काल सरकारी रेलवे पुलिस को इसकी रिपोर्ट की गयी।

2. सरकारी रेलवे पुलिस की उपस्थिति में दमकल वालों की सहायता से जमीन पर बनी इस टंकी का पानी पम्प द्वारा बाहर निकाला गया और उसमें के एक मृत व्यक्ति की लाश निकाली गयी। अभी पुलिस की जांच-पड़ताल चल रही है और अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। मंडल रेल प्रबन्धक ने इस सम्बन्ध में एक जांच समिति गठित की है। जांच हो रही है और समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

3. जमीन पर बनी इस टंकी की पिछली बार 16-4-1980 को सफाई की गयी थी।

4. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के प्रति माननीय सदस्यों ने जो गम्भीर चिन्ता और दुःख व्यक्त किया है, उसमें मैं भी पूरी तरह उनके साथ हूं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यदि इस सम्बन्ध में कोई रेल कर्मचारी जिम्मेदार या लापरवाह पाया गया, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुशील भट्टाचार्य : 18 जून, 1980 को दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन के पानी के टैंक में एक गला-सड़ा शव पाया गया। शव-परीक्षण प्रतिवेदन में कहा गया है कि लड़के की मृत्यु 3 दिन पहले हुई थी और मृत्यु डूबने से हुई थी। परसों मैं मोंके पर गया था तथा वहां मैंने इस मामले के बारे में जांच की थी। यह स्थान दिल्ली मेन स्टेशन की आर० एम० एस० बिल्डिग की निचली मंजिल के पास है। वहां मैंने देखा कि मैन होल का दरवाजा दोनों ओर से बंद नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कहानी मत सुनाईये, अपितु अपना प्रश्न पूछिये। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान आप भाषण नहीं दे सकते।

श्री सुशील भट्टाचार्य : यह मामला आत्म-हत्या का है या मानव-हत्या का ? मेन होल का दरवाजा दोनों ओर से बंद क्यों नहीं किया गया था और वह अधिकांश समय खुला क्यों रहता है ? स्टोर के लिए अलग दरवाजा रखने तथा अलग रास्ता बनाने तथा पम्प हाउस के लिए अलग रास्ता बनाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : शव-परीक्षण प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृत्यु डूबने से हुई। यह मामला आत्म-हत्या का है या किसी अन्य प्रकार की हत्या का, इसका पता लगाना पुलिस का काम है। जांच का कार्य चल रहा है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन जब यह मामला उठाया था तो सदन में स्पष्ट रूप से यह एलीगेशन लगाया था कि लाश क्षत-विक्षत थी, कटी हुई थी। इसमें सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना बड़ा टैंक है, उसमें लाश को घुसा दिया गया। अगर उसमें जहर मिला दिया जाता तो क्या होता। यह कोई मामूली बात नहीं है कि लाश पानी की टंकी में चली जाए और आपके मंत्रालय और आपको मालूम न हो और पुलिस.

को इसकी जानकारी शायद है ही नहीं। यह लाश उसमें चली गयी और पब्लिक की तरफ से यह शिकायत की गयी तब आप लोगों ने इस बारे में जाना। तब तक लाखों लोग पानी पी चुके थे। जब अधिकारियों को इसके बारे में शिकायत की गयी तो उन्होंने कहा कि मोटा चूहा मरा हुआ है।

अध्यक्ष जी, दिल्ली के नवभारत टाइम्स में यह निकला है—"टैंकों में शव पड़े रहे, लोग पानी पीते रहे।" जब लोगों ने बहुत हल्ला मचाया तब जाकर उस टंकी को खोला गया और पाया गया कि आदमी की लाश है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस मामले को टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि इस बारे में हम सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए। लाखों आदमी उस टंकी का पानी पी रहे थे। अगर उस पानी को पी करके लोग मर जाते, हम ही पानी पीकर मर जाते। यह मामला बहुत गंभीर है और इसका साधारण ढंग से जवाब नहीं देना चाहिए। एक पानी की टंकी में लाश पड़ी हुई मिली है और दिल्ली के प्रशासन को मालूम नहीं, पुलिस को मालूम नहीं, रेलवे मंत्रालय को मालूम नहीं, रेल प्रशासन को मालूम नहीं। यह मामला कब पता चलता है जबकि यह हाउस में उठता है और एक अखबार की जानकारी के आधार पर उठता है। तब आपको पता चलता है कि लाशें पाई गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपको इसकी जानकारी कब मिली, किस समय मिली? अगर पहले मिल गई थी तो आपने सदन को और देश की जनता को इसके माध्यम से पहले क्यों नहीं बताया? पुलिस विभाग ने पहले क्यों नहीं बताया? यह कोई साधारण बात नहीं है। मैं त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा और कहूंगा कि रेलों के मामले को यदि आपने इस तरह से ढीला छोड़ दिया तो कभी टंकियों में लाशें मिलेंगी और कभी ट्रेन एक्सीडेंट होंगे और कभी और भी ज्यादा भयंकर दुर्घटनाएं होंगी। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को कब इसके बारे में मालूम हुआ कि लाशें पाई गई हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि टंकी की सफाई कितनी देर के बाद की जाती है? उन्होंने बताया है कि 16-4-80 को की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि कितने दिनों के बाद की जाती है और इसके बारे में नियम क्या हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सेफ्टी का उन्होंने क्या प्रबन्ध किया है? कैसे उसमें लाश पहुंच गई? भविष्य में अगर कोई जाकर उसमें जहर डाल दें तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : श्रीमान जी, मुझे समझ नहीं आती कि माननीय सदस्य इस मामले पर इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनसिंह राजदा : (बम्बई दक्षिण) : यह बहुत ही गंभीर मामला है। यदि सदस्य इस मामले पर उत्तेजित नहीं होंगे, तो फिर किस मामले पर उत्तेजित होंगे?

(व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : कृपया मेरी बात मानिये। मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि हम भी उतने ही चिंतित हैं जितने कि माननीय सदस्य। जनता द्वारा शिकायत करने पर हमें मामले की जानकारी उसी दिन प्राप्त हो गई थी, क्योंकि पानी से बदबू आ रही थी और हमने उसी समय पुलिस को सूचना दे दी थी। जांच का कार्य पुलिस के साथ ही आरम्भ किया गया था तथा शव प्राप्त हो गया था और वहां दो चौकीदार हैं, जिनका कार्य पानी के टैंक पर 12-12 घंटे

की ड्यूटी देना है । जो उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही एक अन्य समिति का गठन भी कर दिया गया है जो इस बात की जांच करेगी कि रेलवे की दृष्टि से इस मामले में क्या किया जा सकता है । पुलिस द्वारा अलग से इसकी जांच की जा रही है ।

श्री रामविलास पासवान : मेरे प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं आया है । मैंने पूछा था कि रेल मंत्री को कब मालूम हुआ ? टंकी की सफाई का क्या नियम है ? सेफ्टी के वास्ते आप भविष्य में क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैंने उत्तर दिया है कि देखभाल के लिए लोगों को रखा गया है । दो महीने के अन्दर सफाई करने का नियम है और जब कभी कोई शक हो तब भी सफाई करनी चाहिये यह भी नियम है ।

श्री रामविलास पासवान : जानकारी कब मिली ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : अखबारों में जब देखा उसी वक्त हमको जानकारी मिली ।

(व्यवधान)

मुझे समझ नहीं आता कि तथ्यात्मक ब्यौरे पर भी माननीय सदस्यों को इतना आश्चर्य क्यों होता है, भरपूर प्रयत्न किये गये हैं । पीने के पानी की उचित ढंग से सुरक्षा करने के लिये भी अनेक कदम उठाये गये हैं ।

श्री निरेन घोष : श्रीमान जी, मुझे खेद से यह कहना पड़ रहा है कि मंत्री महोदय द्वारा जो उत्तर तथा स्पष्टीकरण दिया गया है, उसमें जो कुछ वास्तव में हुआ है, उससे बचने का प्रयास किया गया है ।

हमारे पास इस बात की निश्चित जानकारी है कि वहां एक मैन होल है और उसी से पम्प बाहर आ रही है । यह प्रायः खुला रहता है । कामरेड सुशील भट्टाचार्य सम्भवतः वहां इस घटना के घटने के बाद गये थे । उसके बाद तो इसे ढक दिया गया था । परन्तु प्रायः यह खुला रहता है और वहां एक संतरी तैनात रहता है । परन्तु यदि कोई व्यक्ति पिछली ओर से कुछ कर दे, तो उस ओर संतरी का ध्यान नहीं जा सकता । व्यवस्था कुछ ऐसी है । एक अन्य बात यह है कि इस प्रकार के सभी मामलों में यदि कोई कार्यवाही की जाती है तो वह केवल छोटे पदों पर आसीन गरीब कर्मचारियों के खिलाफ की जाती है जो कि उससे भी बुरी बात है । अभी यहां बताया गया है कि मंडलीय प्रबन्धक द्वारा जांच समिति का गठन करने का आदेश दिया गया है । मंडलीय प्रबन्धक द्वारा ही क्यों, रेलवे बोर्ड द्वारा क्यों नहीं ? मंत्रालय द्वारा क्यों नहीं ? यह कोई साधारण मामला नहीं है । यह घटना दिल्ली में घटी है जो कि एक मुख्य स्टेशन है । यह एक गंभीर मामला है । आपने तो हमें यह भी नहीं बताया है कि समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे और वह जो जांच करेंगे, उसके निदेश-पद क्या होंगे ? इस तरह की अनेक घटनायें घटती रहती हैं । मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि एक बार मैं दिल्ली से कलकत्ता के लिए प्रथम श्रेणी में सफर कर रहा था और गाड़ी में न पानी का और न ही बिजली । मैंने इसके बारे में मंत्रालय को लिखा परन्तु उन्होंने इसका उत्तर देने का कष्ट नहीं किया । अतः यह सब कुछ हो रहा है । मेरा प्रश्न यह है कि मेन होल को खुला क्यों रखा गया था और वहां

किसी की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई गई ? मैं जानता हूं कि इसके लिए छोटे-छोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वास्तव में इसके लिए कुछ छोटे कर्मचारी जिम्मेवार हो, तो क्या आप चाहेंगे कि इनके खिलाफ कार्यवाही न की जाये ।

श्री निरेन घोष : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए न्यायायिक जांच कार्रवाई की जायेगी या इसकी जांच के लिए संसद सदस्यों की समिति का गठन किया जायेगा । दिल्ली रेलवे स्टेशन हमारे इतने करीब है कि हम वहां स्वयं जाकर मामले की जांच कर सकते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा किया जायेगा ? क्या आप मंडलीय प्रवन्क्षक या महा प्रवन्धक के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जो कि स्वयं इस समिति का गठन कर रहे हैं ? मुझे मालूम नहीं है कि अभी एक दो दिन पहले दिल्ली में जो रेल दुर्घटना हुई थी, उसके लिए आप किसे जिम्मेवार ठहराने जा रहे हैं । इसके लिए रेलवे बोर्ड को महा-प्रबन्धक को या फिर मंत्रालय को उत्तरदायी ठहराया जायेगा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुख्य विषय पर आइये । सब प्रकार की बातें कहने का प्रयास म कीजिये ।

श्री निरेन घोष : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए शीर्षस्थ अधिकारी उत्तर-दायी नहीं हैं । इसमें आमूल-चूल परिवर्तन अपेक्षित है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा किया जायेगा या नहीं । इस दुर्घटना तथा रेल की अन्य बार-बार होने वाली दुर्घटना तथा रेल की अन्य बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें आमूल-चूल परिवर्तन किगे जायेंगे ? क्या शीर्षस्थ अधिकारियों का दायित्व प्रबन्ध व्यवस्था करना तथा निदेश देना नहीं है, जो कि वह नहीं करते हैं । वे सभी प्रकार की परिलब्धियों का लाभ उठाते हैं । परन्तु इस प्रकार के मामलों में छोटे कर्मचारियों को दोषी ठहरा दिया जाता है । श्री त्रिपाठी जी, आपके उपमंत्री की अपेक्षा यदि आप उत्तर दें तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपका उत्तर भी गंभीर होगा जिससे कि सदस्यों को यह आभास होगा कि आप निश्चय ही इससे चिंतित हैं और इस सम्बन्ध में कुछ करने जा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री त्रिपाठी इसका उत्तर दें तो आपको संतोष हो जायेगा ?

श्री रामविलास पासवान : इसका जबाव माननीय त्रिपाठी जी ही दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, मेरे साथी इसका जवाब दे रहे हैं । माननीय सदस्यों की आज्ञा है कि मैं कुछ जवाब दूं, इसलिए मैं खड़ा हो गया हूं, नहीं तो यह जवाब देने के लिए काफी थे । लेकिन चूंकि सदस्यों की आज्ञा माननी आवश्यक है, इसलिए मैं खड़ा हो गया हूं । अगर मान्यवर यह कहें कि इसका जवाब मुझे ही देना है तो मैं जवाब दे दूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी आज्ञा से ही जवाब दे सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, इसका निर्णय करना तो आपका काम है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : इस प्रकार के सभी निर्णय तो आपके द्वारा लिये जाते हैं । इस प्रकार के निर्णय हम आपके लिए नहीं करते ।

मान्यवर, बात यह है कि घटना बड़ी दुखद है । एक टैंक है, जिसका पानी पम्प किया

जाता है ऊपर के टैंक में, और उस टैंक में म्युनिसिपल वाटर आता है। टैंक जमीन के नीचे है, उसके ऊपर पम्प हाऊस बना हुआ है। एक मेन होल है छोटा सा शायद 2 फुट लम्बा और 2 फुट चौड़ा, उसमें भी 5 पम्पस हैं। मेन होल ढका रहता है हमेशा, यह माननीय सदस्यों का ख्याल गलत है कि वह हमेशा खुला रहता है। वहां दो आदमी रखे गये हैं जिनकी 12-12 घंटे की ड्यूटी है उसको देखने की। उसकी इन्क्वायरी हो रही है, पुलिस भी इन्क्वायरी कर रही है, लाश पुलिस ले गई है, पोस्टमार्टम भी हुआ है। पुलिस की ओर से उसकी जांच–पड़ताल हो रही है। रेलवे डिविजनल मैनेजर ने नियमानुसार सीनियर इलैक्टिकल इन्जीनियर और सीनियर सिविल इन्जीनियर से उसकी नक्वायरी करवाई। हम उस रिपोर्ट की अपेक्षा कर रहे हैं। वह रिपोर्ट आने के बाद जैसा आवश्यक होगा, वैसी कार्यवाही की जायेगी। जब तक हमारे पास वह रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक हम कोई कार्यवाही कैसे करें ?

हमने पम्प हाउस से दोनों इनचार्जों को ससपेंड किया है। एस० ओ० एस०, सब-इंसपेक्टर, ओवरसियर, मिस्त्री को भी हमने समपेंड किया है। रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्यवाही की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री द्वारा वक्तव्य। श्री सी० के० जाफर शरीफ। (व्यवधान)। मैंने मंत्री महोदय को बुलाया है।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय...

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब बातों को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

जैसे ही मैं किसी का नाम लूं, व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। जब तक सभी सदस्य सहयोग नहीं करते, हम कार्यवाही नहीं चला सकते। वास्तव में सत्तारूढ़ दल की अपेक्षा विपक्ष के लिए प्रत्येक क्षण ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस सदन में मैं देखता हूं कि विपक्ष समय बर्बाद कर रहा है। प्रत्येक क्षण, जो बर्बाद कर दिया जाता है, सत्तारूढ़ दल की अपेक्षा विपक्ष के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें प्रसन्नता होगी। कृपया इस सदन का समय बर्बाद न करें।

श्री रामविलास पासवान : माननीय सदस्यों को व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन किसी नियम के अन्तर्गत।

श्री राम विलास पासवान : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री एन० के० वेजवलकर : नियम 376 के अन्तर्गत।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक व्यापक नियम है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : उससे क्या होता है । मैं यह जानता हूं, मैंने इसे आद्योपान्त पढ़ा है । मैं जानता हूं कि यह एक व्यापक नियम है । जब तक आप, जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं, उसे सुनते नहीं, आप कैसे उसको अस्वीकार कर सकते हैं ? पहले आप मेरी बात सुनें और तब आप कह सकते हैं कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना आप कोई बात कैसे उठा सकते हैं ? आप मेरी अनुमति नहीं ले रहे हैं । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । कृपया बैठ जाइए । किसी भी सदस्य को कोई भी मुद्दा उठाने से पूर्व मेरी अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव समाप्त हो चुका है । मैंने वक्तव्य देने के लिए मंत्री महोदय को बुलाया है । मैंने अगला विषय ले लिया है । जब अगला विषय ले चुका हूं और जब मंत्री महोदय वक्तव्य देने लगे हैं तो आप तत्काल खड़े हो गये । किस विषय के अन्तर्गत आप यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ? मैं किसी को खड़े होने ओर कोई विषय उठाने की अनुमति नहीं दूंगा । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । (व्यवधान) आपको अधिकार है । परन्तु इसका नियमों के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए ।

श्री निरेन घोष : आज की कार्यसूची में मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य देने के विषय में कोई प्रविष्टि नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे माननीय सदस्यों को परिचालित कर दिया गया है । ध्यान आकर्षण समाप्त हो चुका है, मैं अगले मद को ले रहा हूं । परन्तु तब आप इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं कृपया मेरा और मंत्री महोदय का सहयोग करें । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री एन० के० शेजवलकर : यह मेरे अधिकार का प्रश्न है । आप मेरे व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न को सुनिए और तत्पश्चात इसे अस्वीकार कीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री एन० के० शेजवलकर : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ।

श्री एन० के० शैजवलकर : नियम 376 के अन्तर्गत ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ?

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नागिरि) : कृपया मुझे भी व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाने की अनुमति दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उनका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न निपटा लेने दीजिए ।

श्री एन० के० शेजवलकर : रेल मंत्री द्वारा सदन को दी गई सूचना यह थी कि पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि यह डूबने का एक मामला है । परन्तु वह नहीं कह सकते···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए । व्यवस्था संबंधी प्रश्न के बारे में विनिर्णय करना है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : परन्तु वह नहीं कह सकते कि यह एक आत्महत्या है अथवा हत्या। चिकित्साशास्त्र की साधारण जानकारी यह बता देगी कि दोनों मामलों में शवपरीक्षण (पोस्टमार्टम) पूरी तरह भिन्न था ··

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं है।

श्री एन० के० शेजवलकर : यदि इस सभा को इस तरह की जानकारी दी जानी है तो उसकी क्या स्थिति होगी ···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं है। मैं इसे रद्द करता हूं। अब मंत्री महोदय को आना है। मैंने मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देने के लिए बुलाया है···

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के क्रम में है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : नहीं, श्रीमान जी। यह एक अलग बात पर है। महोदय हम आपका, उपाध्यक्ष महोदय का हर संभव आदर करते हैं। परन्तु आपकी यह टिप्पणी कि विपक्ष के सदस्य सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है; यह समूचे विपक्ष पर बदनामी थोपना है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : विपक्ष से सम्बद्ध एक सदस्य के रूप में मैंने यह बात कही है। मैं यह देखता हूं कि यदि सदन का समय बर्बाद होता है तो यह विपक्ष का नुकसान है। यह है जो मैंने कहा है। मुझे यह वक्तव्य देने का पूरा अधिकार है।

अब, मंत्री महोदय।

प्रो० पी० जे० कुरियन (भवेलीकारा) : महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। महोदय, आपने यहां एक विनिर्णय दिया कि व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष का एक सदस्य हूं। मैंने कभी भी सदन का समय बर्बाद नहीं किया है। महोदय, कृपया अपने विनिर्णय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दीजिए। व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाने से पूर्व मुझे आपकी अनुमति प्राप्त करनी चाहिए ? आप व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न को सुन सकते हैं और तब अस्वीकार कर सकते हैं

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। मैंने आपकी बातों को सुन लिया है। कृपया नियम 376(2) पढ़ें :

"परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को काम की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारंभ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेगा यदि वह सभा

में व्यवस्था बनाए रखने या सभा के समक्ष कार्य विन्यास के सम्बन्ध में हो।''

अब मंत्री महोदय आएं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न से सम्बन्धित नियम 376(2) में कहा गया है···

उपाध्यक्ष महोदय : वह क्या है ? माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न यह है कि एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाने के लिए उसे पीठानुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कृपया नियम को दुबारा पूरी तरह पढ़े

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं समझता हूं आपने पूरा खण्ड नहीं पढ़ा है। खण्ड (2) कहता है :

''औचित्य प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा।''

यह ठीक है। इसके बाद यह रहता है :

''परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य का कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारंभ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेगा यदि वह सभा में व्यवस्था बनाए रखने या सभा के समक्ष कार्य विन्यास के सम्बन्ध में हो।''

इसलिए, इसमें दूसरा भाग आ जाता है। सदस्य को अपना व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न रखने का अधिकार है और अध्यक्ष उस व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न को सुनेगा। यह नियमों के अनुसार है और यह परम्पराओं के अनुसार है। अब, जहां एक कार्य समाप्त कर दिया गया है और दूसरा शुरू होने जा रहा है, अनुमति आवश्यक है, इसलिए मैं कहता हूं, कृपया अपने विनिर्णय को बदलिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम यह है :

''औचित्य प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा।''

इस समय क्या कार्य हो रहा है ? मंत्री द्वारा व्यक्तव्य दिया जाना। यह मेरा तर्क है। उन्होंने कहा कि उसे एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाने के लिए भी मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है मैंने कहा, अनुमति लेनी चाहिए। मैं अब भी यही कहता हूं कि आपको अनुमति अवश्य लेनी चाहिए। फिर नियम के परन्तुक में कहा गया है;

''परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारंभ होने की बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेगा यदि वह सभी में व्यवस्था बनाए रखने का सभा के समक्ष कार्य विन्यास के सम्बन्ध में हो।''

(व्यवधान)

इसलिए, वह पूरा हो चुका है।

श्री इन्द्रजीत यादव : यह केवल दो मदों की अन्तरावधि के सम्बन्ध में है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल अन्तरावधि की बात है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पूरा हो गया है और मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना है। यह केवल अन्तरावधि की बात है।

श्री इन्द्रजीत यादव : मैं कह रहा हूं कि आपने जो अब यह विनिर्णय दिया, एक सामान्य बात नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने एक सामान्य टिप्पणी नहीं की है । मैं तो केवल विशेष बात का उल्लेख कर रहा था ।

प्रो० मधु दण्डवते : आपका विनिर्णय दो मदों के बीच की अवधि के बारे में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । यह केवल दो के बीच की अवधि है···(व्यवधान) क्या अब भी आप संतुष्ट नहीं हुए हैं ? मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है । मैंने माननीय सदस्य महोदय को भी उत्तर दे दिया है । अब, कृपया बैठ जाइए ।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं उस विषय की बात नहीं कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय मैंने पहले ही आपकी बात का उत्तर दे दिया है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या आप मुझे केवल एक मिनट के लिए कृपा करके अनुमति देंगे ?

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : महोदय नियम यह है कि जब पीठ खड़ी होती है, कोई भी प्रश्न उठाने वाले सदस्य को अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए । परन्तु माननीय सदस्य उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं ।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं वह जानता हूं···(व्यवधान) मैं तो केवल व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में शकधर की टिप्पणियों का उल्लेख कर रहा हूं । कृपया भाग दो, पेज 798 देखें···

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अपनी बातों को बहुत स्पष्ट कर दिया है । मैंने एक सामान्य वक्तव्य नहीं दिया है । यह केवल अन्तरावधि के सम्बन्ध में है ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : यह इन सब बातों पर चर्चा करने का उचित समय नहीं है । पीठ ने अपना विनिर्णय पहले ही दे दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, मंत्री महोदय एक वक्तव्य देंगे ।

इसके बाद मैं अनुमति नहीं दे रहा । कृपया बैठ जाइए (व्यवधान) । मैं किसी को भी कोई भी व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहा । कृपया बैठ जाइए ।

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । मैंने पहले ही व्यवस्था के सभी प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया है । आप उन्हें उठा नहीं सकते । अब, माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य दें ।

———

दिल्ली और दिल्ली-शाहदरा के स्टेशनों के बीच 27-7-1980 को हुई रेल टक्कर के सम्बन्ध में वक्तव्य

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : श्रीमान, मैं बड़े दुख के साथ, 27-6-1980 को उत्तर रेलवे पर हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के सम्बन्ध में बयान देने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन 12 डाउन दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस 22.20 बजे दिल्ली स्टेशन से रवाना हुई और दिल्ली और दिल्ली-शाहदरा स्टेशनों के बीच किलोमीटर 3/28 पर इंजीनियरी कारणों से रुकने के लिए लगाए गये एक अस्थायी संकेतक पर रुक गयी। जब वह वहां रुकी हुई थी तो 45 अप दिल्ली-अमृतसर जनता एक्सप्रेस जो दिल्ली से 22.35 बजे अर्थात् 15 मिनट बाद छूटी थी, लगभग 23.00 बजे 12 डाउन के पिछले हिस्से से टकरा गयी। परिणामस्वरूप, गाड़ी के सबसे पिछले अर्थात् दिल्ली और फर्रुखाबाद के बीच चलने वाले दूसरे दर्जे के खंडीव सवारी डिब्बे का पिछला भाग और रउससे अगले अर्थात् दूसरे दर्जे एवं सामान तथा ब्रेकयान का सामान वाला भाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ये पटरी से भी उतर गये।

12 डाउन एक्सप्रेस के गार्ड से 23.05 बजे दिल्ली कण्ट्रोल में सूचना प्राप्त होने पर, रेलवे डाक्टरों के साथ दिल्ली और गाजियाबाद से चिकित्सायान और दिल्ली से सहायता गाड़ी घटना-स्थल को तुरन्त रवाना कर दी गयी।

इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, 6 व्यक्ति दुर्घटना स्थल पर ही मारे गये और 10 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आयीं जिनमें से एक की अस्पताल में मृत्यु हो गयी और इस प्रकार मरने वालों की संख्या 7 तक पहुंच गयी। गम्भीर रूप से घायल शेष 9 व्यक्तियों में से 8 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में और एक को उत्तर रेलवे सेंट्रल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसके अलावा, 11 व्यक्तियों को साधारण चोटें आयी थीं, उन्हें भी उत्तर रेलवे सेंट्रल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसके अतिरिक्त 49 व्यक्तियों को खरोंच, रगड़ आदि मामूली चोटें आयी थीं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी और उन्हें अपनी यात्रा पर आगे जाने दिया गया।

उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक, कई रेलवे डाक्टरों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए तुरन्त घटना-स्थल पर पहुंच गये। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य यातायात घटना-स्थल पर गये। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ रेल मंत्री भी घटना-स्थल पर गये और दोनों अस्पतालों में घायल व्यक्तियों से मिले।

रेल मंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट-सम्बन्धी को और उन घायलों में से प्रत्येक को जिनके अंगों को काटना पड़ सकता है, अनुग्रह सहायता के रूप में 5,000 रुपये देने की स्वीकृति दी है। जो व्यक्ति गम्भीर और साधारण रूप से घायल हुए हैं, उन्हें क्रमशः 1,000 रुपये और 500 रुपये की अनुग्रह सहायता की स्वीकृति दी गयी है। उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक ने अनुग्रह के रूप में जिस राशि के भुगतान की स्वीकृति दी है, यह भुगतान उसके अलावा किया जायेगा।

रेल संरक्षा आयुक्त, जो पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक स्वतंत्र प्राधिकारी हैं, आज से अपनी जांच प्रारम्भ कर रहे हैं।

समिति के लिए निर्वाचन

पशु कल्याण बोर्ड

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री आर० वी० स्वामीनाथन की ओर से श्री बीरेन्द्र सिंह राव प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

कृषि मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह राव : महोदय, आपकी अनुमति से श्री आर० वी० स्वामीनाथन की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1) (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, पशु कल्याण बोर्ड के निर्वाचन की तारीख से आरंभ होने वाले अगले कार्यकाल के लिए सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव गृहीत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब, 377 के अधीन मामले लिए जायेंगे। श्री सुबोध सेन।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पश्चिमी बंगाल में चाय बागानों को रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई स्थगित किया जाना।

श्री सुबोध सेन (जलपाईगुडी) : ऐसा समाचार है कि कलकत्ता में रेलवे के संचालन निदेशक ने एक आदेश जारी किया है जिसके अन्तर्गत पश्चिमी-बंगाल में चाय-बागानों को सभी व्यवाहारिक उद्देश्यों के लिए जुलाई मास में कोयले की ढुलाई बन्द रहेगी। जुलाई, अगस्त और सितम्बर में, जबकि खूब वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में चाय का अधिकतम उत्पादन होता है। जुलाई के महीने में कोयले की सप्लाई में किसी भी प्रकार के व्यवधान में चाय का निर्माण रूक सकता है। अन्ततोगत्वा, इससे देश के पूर्वोत्तर भाग में, जो कुछ समय से बहुत नाजुक बन गया है, लाखों कामगरों की छटनी हो सकती है। चाय-उत्पादन में किसी भी प्रकार की रुकावट से राज-

कोष को और विदेशी मुद्रा आय की उल्लेखनीय राशि से भी हाथ धोना पड़ेगा । इस अनर्थ को रोकने के लिए भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए ।

(दो) जूनियर डाक्टर्स फैडरेशन, दिल्ली की हड़ताल को रोकने के लिए उपायों के में बारे

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले का उल्लेख करना चाहता हूं ।

जूनियर डाक्टर्स फैडरेशन, दिल्ली ने धमकी दी है कि यदि 4 जुलाई, 1980 तक इसकी मांगें नहीं मानी जातीं तो अगले दिन से अनिश्चितकाल तक दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों में हड़ताल प्रारम्भ हो जायेगी । 16 जून, 1980 को उनकी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल हुई थी । इस बात को देखते हुए कि निवासी-डाक्टर किसी भी अस्पताल की सेवा की रीढ़ की हड्डी और आधारभूत ढांचा होते हैं, जनता को इसके परिणामस्वरूप होने वाले कष्ट का तुरन्त अनुमान लगाया जा सकता है । अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि सरकार हड़ताल को रोकने के लिए सभी कदम उठाए । यह बात तो इस तथ्य से अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि निवासी-डाक्टर संघर्ष की भावना से प्रेरित नहीं हैं कि वे ऐसी उच्च–स्तरीय समिति के गठन के लिए सहमत हैं, जिसमें उनकी मांगों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए फैडरेशन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किए जाए । इस प्रकार के प्रस्ताव के प्रति एक ऐसी सरकार की प्रतिक्रिया अनुकूल होनी चाहिए जो निवासी-डाक्टरों की समस्याओं का समाधान करना चाहती है और ऐसी किसी हड़ताल से लोगों को होने वाली असुविधा तथा कठिनाई का भी निवारण करना चाहती है ।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जैसा कि मुझे पता चला है, जन-स्वास्थ्य मन्त्री के कार्यालय ने, कनिष्ठ डाक्टरों के महासंघ के उस ज्ञापन को स्वीकार करने से मना कर दिया. जिसे वे 20 जून, 1980 को 5 जुलाई से होने वाली अपनी प्रस्तावित हड़ताल के बारे में प्रस्तुत करना चाहते थे । सकारात्मक, रचनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण रुख आवश्यक है । मैं सरकार से, निवासी–चिकित्सकों से उद्देश्यपूर्ण बातचीत करने का अनुरोध करता हूं । मेरा सरकार से निवेदन है कि वह सदन में शीघ्र एक वक्तव्य दे और सदन तथा दिल्ली के लोगों को पुनः यह आश्वासन दे कि प्रस्तावित हड़ताल को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किया जायेगा ।

(तीन) घग्घर बाढ़ परियोजना और राजस्धान नहर परियोजना के कारण पानी के रुकने से किसानों को हुई हानि

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान राजस्थान प्रान्त के उस पीड़ित क्षेत्र की दुर्दशा की तरफ खींचना चाहता हूं जहां लगभग 15 गांवों के रिहायशी मकान और खेती की जमीनें घग्घर बाढ़ परियोजना और राजस्थान नहर के आर० डी० 165 से छोड़े गये पानी से बने सेमें में घिर गई हैं, उससे किसानों का करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है । इन 15 गांवों के किसान भूमिहीन और बेघर हो गये हैं । एक तरफ सरकार बाढ़ नियंत्रित कर के कहीं लोगों को सुरक्षित कर रही है तो दूसरी तरफ उसी बाढ़ के पानी से इन लोगों की तबाही कर रही है तथा पीड़ित लोगों को कोई राहत भी नहीं पहुंचाई जा रही है । पिछले तीन वर्षों से बड़ोपल, मानकथेड़ी, किशनपुरा आदि गांवों के लोगों ने बार-बार

तत्कालीन, "जनता सरकार" से आग्रह किया, हड़तालें कीं मगर इन दुखियों की तरफ जनता सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कहीं सुनवाई न होने पर गत विधान सभा चुनाव में एक गांव मानकथेड़ी वे तो मतदान का बहिष्कार भी कर दिया। प्रजातंत्र में ऐसा बहिष्कार प्रजातंत्र को ही एक चुनौती है। बेसहारा लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष 19-5-80 से 16-6-80 तक क्रमिक भूंख हड़ताल भी की परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों के कोई ध्यान न दिये जाने पर, बेबस लाचार होकर 17-6-80 से दो व्यक्तिवों ने सूरतगढ़ में आमरण अनशन कर रखा हैं। ये दोनों हीं न्यक्ति मरणासन्न हैं।

अतः यदि सरकार ने समय पर इनकी मागें मानकर राहत न पहुंचाई तो इनके प्राण पखेरू उड़ जायेंगे और सरकार पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग जायेगा। इस बात को लेकर क्षेत्र के लोगों में बहुत रोष व्याप्त है। इसलिए मेरी भारत सरकार से विनती है कि इस गम्भीर समस्या पर अविलम्ब कार्यवाही करने के आदेश राजस्थान सरकार को देकर, उन पीड़ित व्यक्तियों की मांगे मानी जाये तथा उस क्षेत्र की इस विकट समस्या, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रहीं है, का कोई स्थायी समाधान निकालने की व्यवस्था की जाये।

(चार) हिमाचल प्रदेश में सेव उत्पादकों को आर्थिक सहायता देने के बारे में।

श्री चिन्तामणि जेना (बालांसोर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं :

महोदय, हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सेव-पट्टी में ओलावृष्टि से हुई भारी हानि से हिमाचल प्रदेश में तवाही और लाखों सेव-उत्पादकों में निराशा उत्पन्न हो गई है।

इस वर्ष 3,50,000 सेव-पार्टियों के अनुमानित उत्पादन के मुकाबले उत्पादन केवल 1,88,000 पेटियों या इससे भी कम का होगा। इससे देश में सेवों का बड़ा अभाव पैदा हो जायेगा। चूंकि सेव-उत्पादकों ने सेव उत्पादन के लिए करोड़ों ही रुपये व्यय किये हैं अतः उन्हें भारी हानि हुई है? राज्य का बागबानी विभाग अपनी अल्प वित्तीय क्षमता से गरीब सेव उत्पादकों को हुआ घाटा पूरा नहीं कर सकता।

अतः संघ सरकार को उन्हें राहत पहुंचाने के लिए वित्तीय सहायता करनी चाहिये ताकि गरीब सेव-उत्पादक निराश और उदासीन होकर भविष्य में सेवों के उत्पादन का काम छोड़ ही न दें।

(पांच) कोचीन पत्तन के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण केरल में वाणिज्यिक गतिविधियां समाप्त होने के वारे में :

***श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट)** : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का निम्नलिखित मामला सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं।

कोचीन बन्दरगाह के गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण केरल का वाजिज्यिक जीवन ठप हो गया है। लगभग 50 करोढ़ रुपये का माल बन्दरगाह पर जमा ही गया है। और सहस्रों लोग वेरोजगार हो गये हैं।

देश को लगभग आधे समुद्री-उत्पादव का कोचीन बन्दरगाह से ही निर्यात होता है। सोवियत संघ को और मिश्र को जाने वाला माल बन्दरगाह पर पड़ा है। ओलम्पिक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सोवियत संघ द्वारा संविद चाय और शृंगार-प्रसाधन भी इनमें सम्मिलित

*मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हैं। इसी प्रकार केरल की काजू-निर्माणियों को वितरण के लिये आयातित 4200 टन कच्चे काजुओं में से 2,009 टन का लदान नहीं हुआ है। यदि कच्चे-काजू समय पर उपलब्ध न कराए गये तो निर्माणियों को बन्द कर देना पड़ेगा और इससे सहस्रों मजदूर बेकार हो जायेंगे। बन्दरगाह पर लगे समुद्री-उत्पाद के ढेरों से शीतन-भण्डार भरे पड़े हैं। इन वस्तुओं को दूसरी बन्दरगाहों पर ले जाने के लिए, सिससे वहां से उन्हें निर्यात किया जा सके, कोई प्रशीतितन्वाहन नहीं है और न ही कोई अन्य प्रबन्ध है, गोदी कर्मचारी रविवार की छुट्टी की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। बन्दरगाह-प्राधिकारियों ने हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया है और वे उस बात पर अड़े हुए हैं। बन्दरगाह को एक करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। अतः केन्द्रीय सरकार से मेरा निवेदन है कि वह हस्तक्षेप करके इस मामले को निपटाए।

बजट (सामान्य) 1980-81—सामान्य चर्चा-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में 1980-81 के सामान्य बजट पर आगे बहस होगी। श्री मरोरंजस भक्त अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन कुछ सुझाव दे रहा था। वित्त मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गये 1980-81 के सामान्य बजट के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि विकासाभिमुख बजट में हमें अपने ध्यान में इस महत्वपूर्ण पहलू को रखना होगा जो कि श्रमिक वर्ग और मजदूरों से सम्बद्ध है। चूंकि हर पहलू से, हम चाहे जो योजना बनाएं, चाहे जो नीति अपनाएं, बजट को जो चाहें दिशा दें, जब तक हमारा तन्त्र उनको साथ लेकर नहीं चलता और उनको उचित ढंग से लागू नहीं करता, हम कुछ भी तो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जो कुछ हमने देखा है कि प्रशासन में अकुशलता काफी वृद्धि पर है और सभी क्षेत्रों में कम उत्पादन हो रहा है। जिला प्रशासन कार्य हमारे देखने में बड़ा ही निकृष्ट लगता है। महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं, ब्रिटिश राज्य के समय बड़े ही वरिष्ठ आई० सी० एस० अधिकारी जिले के प्रशासन का भार सम्भाला करते थे। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार दक्ष कार्यान्विती और उचित ढंग से कार्य संचालन पर अधिक बल देती थी। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् क्या हुआ है ? स्वतन्त्रता के बाद हमने देखा है कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी सदैव केवल दिल्ली या राज्य-राजधानी में, जो कि सत्ता-केन्द्र है, में ही रहना पसंद करते हैं। कनिष्ठ अधिकारी ही जिला प्रशासन को सम्भालते हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि पूरे देश में सभी स्तरों पर जिला प्रशासन की हालत खराब है। अब, उदाहरण-स्वरूप हमारे देश की मजदूरी-संरचना को लीजिए। इस तथ्य से तो आप परिचित ही होंगे कि यदि किसी व्यक्ति को 100 रुपये मूल वेतन मिलता है तो उसे भत्ते के रूप में 75 रुपये या 100 रुपये अथवा इससे भी अधिक मिलते हैं। तृतीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर, सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के वेतनमानों को संशोधित किया गया है। अब, हमारे देखने में आता है कि ये सभी वास्तविकता से दूर हैं और इनकी पूरी समीक्षा करना आवश्यक है।

महोदय, आप देखेंगे कि रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में समान सेवाओं में रेत वर्मचारी-

गणों में गहरी असमानता, भेद-भाव व्याप्त है। उदाहरणस्वरूप, जो व्यक्ति किसी बैंक में लिपिक या सहायक की नौकरी पाने में सफल हो जाता है उसे सरकारी विभागों में काम करने वाले निम्न श्रेणी लिपिक से कहीं अधिक वेतन मिलता है। मेरे विचार से सरकारी कार्यालयों में सेवारत लिपिकों को बैंक के लिपिकों से लगभग 200 या 300 रुपये कम मिलते हैं। वेतन में इतना अधिक अन्तर है कि कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है। जब तक हम उस समस्या पर गहराई से विचार नहीं करते, श्रमिक-वर्ग और वेतनभोगियों की समस्याओं को हल नहीं करते, तब तक हम अपने देश के आर्थिक विकास को उचित दिशा नहीं दे सकेंगे।

महोदय, सरकार ने तृतीय वेतन आयोग नियुक्त किया और उसे 10 वर्ष हो चुके हैं। अब एक और वेतन आयोग बिठाने की आवश्यकता है और विद्यमान मूल्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसे विभिन्न वर्गों के वेतन-ढांचों पर गहराई से विचार करना चाहिए।

अब, अखिल भारतीय प्रथम श्रेणी सेवा को ही लीजिए। हम देखते हैं कि बहुत ही साधारण प्रकार के छात्र सेवा में भर्ती हो रहे हैं। यदि ऐसी ही स्थिति है तो हम अच्छे प्रशासन की कैसे आशा कर सकते हैं, कैसे हम द्रुत आर्थिक विकास कर सकते हैं और विकास योजनाओं को लागू कर सकते हैं। परम मेधावी और योग्य छात्र निजी क्षेत्र में रोजगार ढूंढते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार एक और वेतन आयोग की नियुक्ति की घोषणा करे और वह आयोग सर्वप्रथम अखिल भारतीय सेवा भर्ती नीति और श्रमिक-वर्ग के वेतन पर भी विचार करे। एक राष्ट्रीय वेतन-नीति होनी चाहिये। जब तक हम वास्तविकता पर आधारित, भारतीय परिस्थितियों पर आधारित एक राष्ट्रीय वेतन-नीति नहीं बना लेते, तब तक। हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को उचित दिशा नहीं दे सकते, क्योंकि समाज का यही वर्ग तो उत्पादन को बढ़ायेगा और देश की प्रगति के लिए हमें उनकी कुशल सेवा की महती आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में एक और आवश्यक बात यह कहनी है कि सरकार ने रेल कर्मचारियों, डाक-तार कर्मचारियों और आयुध-निर्माणी कर्मचारियों के लिये बोनस की घोषणा कर दी है। ठीक है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। यह उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के आधार पर किया गया है कि बोनस तो आस्थगित भुगतान होता है और यह दिया ही जाना चाहिये। मैं यह बता देना चाहता हूं कि रेलवे, डाकतार और आयुध-निर्माणियों के कर्मचारियों के अतिरिक्त सरकार के विभिन्न विभागों/मन्त्रालयों में ऐसे कर्मचारी हैं जो रेलवे, डाकतार और आयुध निर्माणियों से सम्बन्धित काम ही करते हैं। इन कर्मचारियों को भी बोनस देने पर विचार किया जाए। ऐसा हो सकता है कि वे अनुत्पादक-सेवा में रत हों, परन्तु चूंकि वे भी उन विभागों से सम्बद्ध कार्य कर रहे हैं तो वे भी बोनस के हकदार हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में 'चेतन सा मिल' नाम से वन विभाग के अधीन एक आरा घर है। इसे वाणिज्यिक एकक घोषित किया गया है। यह आरा घर निर्माणी नियमों के अधीन कार्य करेगा और उसके कर्मचारियों के झगड़ों, विवादों को औद्योगिक-विवाद अधिनियम के अनुसार हल किया जायेगा। परन्तु जब कभी भी बोनस की बात आती है तो उन्हें मना कर दिया जाता है।

प्रत्येक राज्य में एक बिजली बोर्ड होता है, परन्तु अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसा कोई बिजली-बोर्ड नहीं है। वहां पर तो केवल एक राज्य बिजली विभाग है और वे ही उसका प्रबन्ध चला रहे हैं। वहां सेवारत कर्मचारी भी बोनस के हकदार हैं, परन्तु आप वह दे नहीं रहे

हैं। वहां पर एक समुद्री कर्मशाला भी हैं जहां पर सभी प्रकार की मरम्मत का काम होता है। आप उनसे कहते हैं कि चूंकि वे सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए वे बोनस के हकदार नहीं हैं। इसी प्रकार इस संघ राज्य क्षेत्र में कोई राज्य परिवहन निगम नहीं है और विभाग ही इसे अपने कर्मचारियों से चला रहा है और उसके कर्मचारियों को भी बोनस देने से इन्कार किया जा रहा है। इस प्रकार बोनस देने के मामले में कर्मचारियों के बीच स्पष्ट भेद-भाव बरता जाता है। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें।

बजट प्रस्तावों और अपने भाषण में भी वित्त मन्त्री महोदय ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम पर पर्याप्त बल दिया है। यह एक नेक प्रयास है और मैं पूर्ण मनोयोग से इसका समर्थन करता हूं। परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह भी सलाह दूंगा कि इस कार्यक्रम में कुछ निगरानी प्रणाली भी होनी चाहिये। इस कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सरकार राज्यों को चावल या गेहूं दे रही है। परन्तु इस कार्यक्रम को लागू करते समय यदि कोई राज्य सरकार यह दावा करती है कि वह ही चला रही है और केन्द्र सरकार इस कार्यक्रम में सहायता नहीं प्रदान कर रही है तो, लोगों को सही स्थिति समझाने के लिए कुछ न कुछ कार्यवाही तो करनी ही पड़ेगी। देश के लोगों को जानना चाहिये कि इस कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता देकर चला रही है और वे देश के गरीब लोगों के कल्याणार्थ चावल और गेहूं दे रही है। राज्य सरकार तो एक अभिकरण मात्र है जो इस कार्यक्रम को लागू करता है। केन्द्रीय सरकार को निगरानी प्रणाली लागू करनी चाहिये जिससे वह यह देख सके कि राज्य सरकारें लोगों को गुमराह न कर सकें।.....

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : वे किस प्रकार गुमराह करते हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : कभी-कभी राज्य सरकार कहती है कि वह गेहूं और चावल वितरित कर रहे हैं.....

श्री दीनेन भट्टाचार्य : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से ही तो सारा रुपया खींचती है।

श्री मनोरंजन भक्त : किसी प्रकार की छीना झपटी नहीं होती, वे तो एक प्रणाली के अन्तर्गत काम करते हैं।

महोदय, इस कार्यक्रम के बारे में मुझे एक बात और कहनी है। इस काम के बदले अनाज कार्यक्रम को लागू करने की प्रक्रिया के लिए एक समिति होनी चाहिये जिसमें लोक प्रतिनिधि न हों, ताकि इस कार्यक्रम को कारगरदंग से लागू किया जा सके।

महोदय, सामान्य बजट पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये जाने के लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि मन्त्री महोदय मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मन्त्री जी ने 1980-81 का जो बजट इस सदन में पेश किया है, मैं समझता हूं कि एक परम्परा से हटकर उन्होंने उस को पेश किया है जिसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

इस सरकार को जिस परिस्थिति में जिम्मेदारी मिली है, वह किसी से और पूरे देश से छिपी नहीं है। जो आर्थिक समीक्षा सरकार ने इस सदन में पेश की है उसके आधार पर अगर इस देश की आर्थिक स्थिति को देखें तो वह बहुत ही शोचनीय है, खासकर 1979-80 का साल

इस देश के लिये बहुत कठिन वर्ष रहा है। कृषि के सम्बन्ध में आर्थिक समीक्षा में जो कुल उत्पादन के आंकड़े दिये गये हैं, पिछले साल के मुकाबले में करीब 10 प्रतिशत उत्पादन कम हुआ है, जब कि 1977-78 में 14.5 परसेंट था और 1978-79 में 3.4 परसेंट। इसी प्रकार 1979-80 में कुल औद्योगिक उत्पादन 0.8 सरसेंट कम हुआ। परन्तु बहुत सी जीवनोपयोगी चीजों की उत्पादन में बहुत अधिक कमी हुई। जैसे इस्पात 8.4 परसेंट, सीमेंट 9.1 परसेंट सूती कपड़ा 5.7 परसेंट, चीनी 26.2 परसेंट और वनस्पति 7.7 परसेंट कम पैदा किया गया। रोज-मर्रा के उपयोग में आने वाली चीजों का उत्पादन कम होने की वजह से अर्थ-व्यवस्था पर असर पड़ा है। जहां तक विद्युत पावर जेनीरेशन का सम्बन्ध है, 1978-79 में 12.1 परसेंट की वृद्धि हुई, जबकि 1979-80 में 2.0 परसेंट की वृद्धि हुई।

इस प्रकार सारी आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय रही है। इन कठिन परिस्थितियों में भी वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के लिए बहुत अच्छे ढंग से बजट पेश किया है, यह तारीफ की बात है।

विरोध पक्ष के सदस्यों ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों और पावर्टी लाइन से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवेलपमेंट के लिए एलीकेशन गत वर्ष से करीब करीब डबल किया गया है—1979-80 में इस सैक्टर के लिए 1811 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जबकि इस साल 2247 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा लैंडलैस लोगों के लिए हाउस साइट्स की व्यवस्था करने के लिए 50 करोड़ रुपये और खादी, विलेज और स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये जितने भी प्रावधान किये गये हैं, ग्रामीण क्षेत्रों और गरीबी की रेखा से नीचे के लोग उनसे कुछ न कुछ लाभ जरूर उठायेंगे। इसलिए यह कहना गलत है कि इस बजट में ग्रामीण और गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया हैं।

वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक राहत दी है उन्होंने हथकरधा और कुटीर उद्योगों के माध्यम से खेतिहर श्रमिकों और कारीगरों की समस्याओं को सुलझाने और उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया है। उससे ग्राम्य जीवन और ग्रामीण लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। उन्होंने आम उपभोक्ता वस्तुओं के सम्बन्ध में राहत की घोषणा की है, जिसमें कंट्रोल का कपड़ा भी शामिल है। कंट्रोल का कपड़ा आम गरीब लोगों के उपयोग में आता है, अतः इस राहत का लाभ उन्हें मिलेगा। इसी प्रकार सिलाई की मशीन और साईकल के लिए भी राहत दी गई है, जो बहुत सराहनीय है। उत्पादन-शुल्क और सीमा-शुल्क में 42 करोड़ रुपये की राहत दी गई है। इस बजट में 282 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया गया है, वह मंहगाई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत कम है। विरोधी दल के बहुत से सदस्य सोचते थे कि चुनाव के बाद यह सरकार भारी कर लगायेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में मुद्रा-स्फीति और बढ़ते हुए भावों को रोकना अपना पहला कर्त्तव्य माना है और इसलिए उन्होंने कुछ उद्योगों में भी राहत देने की घोषणा की है। उदाहरण के लिए आयातित मशीनों और उपकरणों के सीमा-शुल्क में कुछ राहत दी गई है। इसके अलावा करों में अवकाश देने की जो घोषणा की गई है, वह भी स्वागत-योग्य है।

परन्तु यह तभी सफल हो सकते हैं जबकि उत्पादन की और भी जो आवश्यक वस्तुयें हैं वे समय पर उपलब्ध कराई जायें। आज की जो परिस्थिति है उसमें उद्योगों के लिए इन सब सुविधाओं के बावजूद और बहुत सी उपयोगी चीजें हैं जिनको सही समय पर मोहैया नहीं कराया तो मैं समझता हूं उसका उल्टा असर हो सकता है। बिजली की भी यही स्थिति है। अगर कहीं पर बिजली है तो कहीं पर कोयला नहीं और कहीं पर कोयला है तो कहीं पर कच्चा माल नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर माननीय वित्त मंत्री जी सोचते हैं कि वे मुद्रास्फीति और बढ़ते हुए भावों को रोकने में सफल होंगे तो यह तभी संभव हो सकता है जब इन सारी चीजों को समय पर मोहैया कराया जाए।

माननीय वित्त मंत्री जी ने बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो अधिक कर का प्रावधान किया है, मैं समझता हूं इसके माध्यम से मंत्री महोदय अधिक धन एकत्र कर लेंगे/लेकिन जब तक इसको वे उत्पादन के क्षेत्र में नहीं लगायेंगे, मैं समझता हूं जो बढ़ते हुए भाव हैं उनको रोकना मुश्किल हो जायेगा। गैर उत्पादक व्यय में 29 करोड़ की वृद्धि की गई है और 1417 करोड़ के घाटे का अनुमान है, ऐसी स्थिति में उत्पादन के क्षेत्र में अगर सही समय पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया तथा उनके लिए आवश्यक चीजें मोहैया नहीं कराई गईं तो, वित्त मंत्री जी ने मुद्रास्फीति और भावों को रोकना जो अपना पहला कर्त्तव्य माना है, उसमें सफलता प्राप्त करना मुश्किल होगा। माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट कमेटी बनी है, उसके माध्यम से मैं समझता हूं वे इन समस्याओं का निराकरण करने में सफल हो सकेंगे।

माननीय वित्त मंत्री जी ने जो इनकम टैक्स के सम्बन्ध में 10 हजार की सीमा को बढ़ाकर 12 हजार किया है वह भी बहुत अच्छा कदम है, परन्तु मैं समझता हू जो ब्याज की दर है उसमें भी अगर वे थोड़ी बहुत बढ़ोत्तरी करते तो उससे बचत की भावना को और बल मिलता। पश्चिमी देशों में बचत बढ़ाने के लिए ब्याज अधिक दिया जाता है, अधिक ब्याज का लालच दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक बचत हो सके।

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं। आपने ट्राइवल सब-प्लान में 70 करोड़ का प्रावधान रखा है। गत दो वर्षों, 1978-79 और 1979-80 में भी 70 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। इस बार हम आशा करते थे कि ट्राइवल सब-प्लान में कम से कम सौ और सवा सौ करोड़ के बीच में प्रावधान रखा जायेगा परन्तु शायद मंत्री जी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारा निवेदन है कि ट्राइवल सब-प्लान के प्रावधान में बढ़ौतरी की जानी चाहिए क्योंकि एरिया रेस्ट्रिक्शन्स हट जाने से इसके बेनिफिशरीज में काफी बढ़ोतरी हो गई है। इसको 70 करोड़ से बढ़ाकर सौ और सवा सौ करोड़ के बीच में रखना जाहिए– यह हमारा निवेदन है।

मंत्री जी ने बजट में बहुत सी राहतें दी हैं लेकिन एक राहत और भी बहुत वाजिब थी—खेल-कूद के सामान पर राहत। आज इस देश की नयी पीढ़ी गलत दिशा में भटक रही है, गलत रास्ते पर जा रही है, अगर खेल-कूद का सामान सही दामों पर मिल सके तो मैं समझता हू उनको गलत दिशा में जाने से रोका जा सकया है। आज खेल-कूद के सामान पर काफी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है जिसके कारण बच्चों के लिए उसको खरीदना असम्भव हो गया है। मंत्री जी को इस पर भी विचार करता चाहिए। खेल-कूद के सामान पर भी एक्साइज कम करके राहत दी जानी चाहिए जिस प्रकार से दूसरी चीजों पर राहत दी गई है।

एक बात बीड़ी इन्डस्ट्रीज के मामले में और कहनी है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको ख्याल होगा कि आपके तामिलनाडु में भी बीड़ी इन्डस्ट्रीज का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और केरल में भी है और दोनों प्रदेशों के माननीय सदस्यों ने समय-समय पर इस बात को उठाया है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि 60 लाख से घटाकर 30 लाख की छूट करने से उसमें ऐसी कौन सी राहत पहुंची है या ऐसी कौन सी बात है, जिसको आप दूर करना चाहते हैं। इसकी ओर भी बहुत से माननीय सदस्यों ने समय-समय पर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। अभी आल-इंडिया-बीड़ी-फैडरेशन ने भी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को एक मैमोरेंडम दिया है और इस संबंध में जो कुछ उन्होंने मैमोरेंडम लिखा है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। यह जो राहत आपने दी है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो मिनट का समय और लूंगा। जो बीड़ी इंडस्ट्रीज में आपने ब्रान्डेड और अन-ब्रान्डेड को अलग कर दिया है, इसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब आपने 60 लाख से 30 लाख तक घटाकर राहत दी है तब मैं समझता हुं कि पहले वाली जो स्थिति थी, आप उसी ढंग से उसको कायम करिए और ब्रान्डेड और अन-ब्रान्डेड के बीच जो खाई है, उसको दूर कीजिए और जो समस्या बीड़ी इन्डस्ट्रीज में आई है, उसको सुलझाने के लिए आपको सही कदम उठाना चाहिए, नहीं तो इस का भी असर हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।

अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा, यह जो आपका बजट है, वह एक आशावादी बजट है। यह इसलिए आशावादी है कि इस देश में इस बार वर्षा अच्छी होगी, इस बात की आशा को लेकर आपने यह बजट प्रस्तुत किया है और उसी आधार पर आप समझते हैं, सोचते हैं कि मुद्रास्फीति और बढ़ते हुए भावों को आप रोक सकेंगे।

मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप इस आशा में कामयाब हों और इस साल मानसून अच्छा हो। इस आशा के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, आजकल सदन में 1980-81 के बजट प्रस्तावों पर बहस चल रही है। बजट मेरे सुयोग्य मित्र श्री वेंकटरामन ने 18 जून को प्रस्तुत किया और समाज के विभिन्न वर्गों में इसकी मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। देखने में तो प्रस्तुत बजट बड़ा ही निर्दोष लगता है, लेकिन गहराई में जायें तो यह ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने तो इन शब्दों में बजट प्रस्तावों की सराहना तक कर डाली कि स्वतन्त्रता के बाद का यह सर्वश्रेष्ठ बजट है। सम्भवतया माननीय सदस्य यह भूल गये कि वे पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी के सम्पूर्ण युग की निन्दा कर रहे हैं। सत्ताधारी दल के एक सदस्य द्वारा की गई यह प्रशंसा उन सभी बजटों की निन्दा करना है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रस्तुत किए थे। कहां तक आज देश में व्याप्त स्थिति की बात है, सत्ताधारी दल के सदस्यों ने अपना सारा ध्यान वर्ष 1979-80 पर केन्द्रित कर दिया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि 1979-80 का वर्ष बड़ा ही कठिन था, परन्तु इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाए ? यदि आप जनता सरकार को ही दोष देते रहे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। वर्ष 1979-80 में जनता सरकार केवल 3 मास ही सत्ता में रही। छह मास तक चौधरी चरणसिंह की अध्यक्षता वाली सरकार रही, जिसका कांग्रेस (ई) ने समर्थन किया और बाकी के तीन महीनों में कांग्रेस (ई) की सरकार थी। इस प्रकार इस अवधि के लगभग तीन-चौथाई समय में तो कांग्रेस (ई)

ही सत्ता में रही। अतः, 1979-80 के दौरान अर्थव्यवस्था की जो स्थिति रही उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से तीन मास और अप्रत्यक्ष रूप से छः मास के लिए कांग्रेस (ई) ही उत्तरदायी है। प्रत्यारोपों से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ भी हो, यह बजट एक राष्ट्रीय दस्तावेज है और हमें इसको इसी दृष्टिकोण से देखना है।

मैं वस्तुतः वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि इन अफवाहों के बावजूद भी कि वह वित्त-मंत्री नहीं रहेंगे और वित्त मंत्रालय में बने नहीं रहेंगे, वह इस बजट को प्रस्तुत करने में सफल रहे हैं। परन्तु यहां बने रहने में वे बड़े भाग्यवान सिद्ध हुए हैं। विकृतियों को दूर करने के लिए उनको कठोर परिश्रम करना पड़ा है। मैं वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि जनता सरकार द्वारा 1979 में दी गई राहतों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में प्रदान की गई राहतों और लाभों को उन्होंने बनाए रखा है। मैं वित्त मंत्री महोदय को इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने 1979 के बजट में आई सभी प्रकार की विकृतियों और दोषों, विशेष रूप से अनुमोदित बचतों में दीर्घकालीन निवेशों के लिए कुछ प्रलोभनों और भत्तों सम्बन्धी विकृतियों को दूर कर दिया है। परन्तु वह उन्हें 1978 के स्तर तक नीचे ले आए हैं। उन राहतों को प्रदान करने के लिए 1978 के जनता स्तर को उन्होंने आदर्श माना। मेरे विचार से, इन दो वर्षों में उन्हें एक कदम आगे जाना चाहिये था।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में घोषित कुछ मामूली राहतों का विवेचन करने हेतु लम्बे-लम्बे पैराग्राफों का प्रयोग किया है। परन्तु जो कुछ भी कर उन्होंने अपने बजट में लगाए हैं उसके बारे में उन्होंने केवल तीन-चार पंक्तियाँ कही हैं। उदाहरणस्वरूप, जहां कहीं उन्होंने नियन्त्रित कपड़े, साइकिलों, सिलाई मशीनों जैसी चीजों पर राहत दी वहाँ तो उन्होंने अनेक मदें गिनाई हैं और हर बार उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट से सराहा गया। परन्तु लगाये जाने वाले विशेष उत्पादन-शुल्क के बारे में उन्होंने केवल दो-तीन पंक्तियां ही कही हैं। जैसे कि इससे अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार यह बजट बड़ी ही चतुराई से प्रस्तुत किया गया है।

मद्रास में एक सट्टा-बाजार है। बजट प्रस्तावों पर सट्टा बाजारों में तुरन्त प्रतिक्रिया होती है। इस बजट के प्रति सट्टा-बाजारों की क्या प्रतिक्रिया है? इस सम्बन्ध में एक पैराग्राफ उद्धृत करता हूं।

"1980-81 के केन्द्रीय बजट के प्रति सट्टा-बाजारों की प्रतिक्रियाओं को देखने पर यह पता चलेगा कि इसे उस सीमा तक जितना कि व्यवसायी समुदाय ने प्रारम्भ में सोचा था, नियमित क्षेत्र के लाभार्थ और प्रोत्साहन हेतु अभिकल्पित नहीं किया गया है। 18 जून की शाम को बजट प्रस्तावों की घोषणा के तुरन्त बाद सट्टा बाजारों मे देखने में आई जोरदार सरगर्मी अगले दिन भारी बेचैनी और निराशा में बदल गई। भारी विक्रय के दबाब में आकर शेयरों के भाव गिर गये; 'विल्यू रिक्प्स' पर कहर बरपा हो गया।

24 घन्टे से कम समय के अन्दर-अन्दर बाजार प्रतिक्रिया में आए इस नाटकीय परिवर्तन का कारण यह था कि बजट का गहराई से अध्ययन करने पर व्यापारी-वर्ग और कर-विशेषज्ञ इस निर्णय पर पहुंचे कि अन्तर-निगमित लाभांशों, विशेषकर इन प्रावधानों के पूर्वव्यापी पहलू के सम्बन्ध में कर-छूट और कटौतियों से सम्बद्ध संशोधित प्रावधानों से निगमित-क्षेत्र का अगणित नुकसान होगा।

ऐसा कैसे हो गया कि जो सट्टा-बाजार बजट-प्रस्तावों की उलझनों का निर्धारण करने में बहुत तेज होता है और वह भी सामान्यतया सही-सही, इस बार ऐसा करने में असफल रह गया ? इसका उत्तर यह है कि वित्त-मन्त्री महोदय ने चतुराई से बजट प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत किये कि वे दूर से देखने पर लाभदायक दिखाई दिये और नजदीक से देखने पर ही पता चला कि बात ऐसी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि बजट दस्तावेजों की जितनी अधिक जांच की जाये उतना अधिक इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बजट में बुरी बातों को तो छिपाया गया है और अच्छी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है। विगत में बहुत ही कम वित्तमंत्रियों ने अपने बजटों की कठोर विशेषताओं या कुछ अरुचिकर तथ्यों को छुपाने के लिए इस प्रकार की प्रदर्शन-कला पर जोर देकर सन्तोष प्राप्त करना चाहा है। परन्तु इसका श्रेय उन्हें जाना चाहिये क्योंकि उनसे पूर्व किसी वित्त मंत्री ने इतनी भ्रांतियां पैदा नहीं कीं जितनी कि उन्होंने की हैं।

यह सब मैं उस पत्रिका से उद्धृत कर रहा हूं जो कि विपक्ष की नहीं है। यह 'कान्टाउर' के अन्तिम अंक में दिया गया है। इसके मालिक श्री के० के० बिरला हैं, जिन्हें आप सब भली भांति जानते हैं। उसके कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुन्दर लाल खुराना हैं और श्री खुशवन्त सिंह जी उसके सम्पादक हैं। जिससे आप भली भांति परिचित हैं। इस पत्रिका में इस प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं। इसे बड़ी ही चतुराई से प्रस्तुत किया गया है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस बार उन्होंने बजट का सुव्यवस्थित प्रचार किया है। दूरदर्शन पर सत्ताधारी दल के 30 सांसद थे। प्रत्येक ने इसकी सराहना की। विपक्ष के तो 3 या 4 व्यक्ति ही थे।

यह एक बड़ा ही चालपूर्ण बजट है। यह जादूगर का बजट है इस बजट से मुद्रा स्फीति को भारी बढ़ावा मिलेगा। निस्सन्देह यह बजट सेलसमैन शिप की एक कला है। मैं आपको इतनी ही बधाईयां देने के लिए तैयार हूं कि आपने अपने प्रचार का बड़ा ही अच्छा प्रबन्ध किया। आपकी सेलसमैन शिप की कला उसमें मौजूद है। आपके पक्ष के लोगों ने इस बजट की अधिक आलोचना नहीं की है और आप इसे रखने में सफल रहे हैं, परन्तु इसे मुद्रास्फीति को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा।

श्री वेंकटारमन पिछले वर्ष, उससे एक वर्ष, पूर्व इसी बैंच से घाटे के बजट के बारे में बोले थे। अब मैं ठोस प्रस्तावों की चर्चा करता हूं। आपने कहा है कि 1979-80 के दौरान 1979-80 का 1350 करोड़ रुपये का प्रस्तावित घाटा दुगुणा हो गया। यह 2700 करोड़ हो गया। और अब आप कह रहे है कि यह घाटा 1417 करोड़ रुपये का होगा। मैं कहता हूं कि यह घाटा दुगुणा होता। वित्त मंत्रालय में आंकड़ों का जाल है और संसद को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना है कि राज्य की अर्थ–व्यवस्था को कैसे नियंत्रित किया जाये। इस समय कोई भी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति नहीं है। सभा की यह तीन महत्वपूर्ण समितियां संसद की ओर से राज्य की अर्थ–व्यवस्था पर नजर रखती हैं, जो पिछले एक वर्ष से नहीं हैं। एक वर्ष के अन्दर ये समितियां लगभग 150 प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं, लेकिन मुझे यह देखकर खेद है कि यह सरकार छः महीने के समय बीतने के बावजूद भी इन समितियों का पुनर्गठन नहीं कर पायी है। पिछले वर्ष सितम्बर में मैं अध्यन दल की बैठक के लिए लंदन गया था, जिसका आयोजन राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ ने किया था। ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों तथा मैंने भारत की ओर से ग्रुप चर्चा में भाग लिया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर संसद के नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ती ही

जा रही है। मैं देखता हूं कि आजकल ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है। इस सरकार को इन समितियों के गठन की कोई चिन्ता नहीं है और उस बैठक में मुझे बताया गया कि ब्रिटिश सरकार ने अब 12 समितियों का गठन कर दिया है। यह गम्भीर प्रश्न है। कृपया दल की राजनीति तथा विचार धाराओं से ऊपर उठें और इस बात पर विचार करें कि सामान्य बजट पर चर्चा करने, अनुदानों को पारित करने के अतिरिक्त संसद और किस प्रकार का नियंत्रण रखती है. राज्य की अर्थ–व्यवस्था पर हम किस प्रकार का प्रभावशाली नियंत्रण रख सकते हैं, घाटा कितना होगा, कितनी राशि का नियतन होगा, योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है, भीतरी तथा बाहरी ऋण कितना कितना है, सार्वजनिक ऋण की क्या राशि है और कितनी राशि का नियतन आवश्यक है। इस सभा को इस बारे में कुछ भी नहीं करना है और इसी कारण पिछले वर्ष अर्थात 1979 में इंगलैंड में संसद ने 12 समितियों का गठन किया। कृषि, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान, कला, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, विदेश कार्य, गृह मन्त्रालय, उद्योग, व्यापार, सामाजिक सेवा, परिवहन, खजाना तथा नागरिक पूर्ति के लिए पृथक-पृथक समितियां हैं। ब्रिटेन में अभी हाल में 12 समितियां गठित की गयी हैं और ये सांवधिक समितियां हैं। ये स्थायी समितियां हमारी तीन वित्तीय समितियों के अतिरिक्त हैं। अतः मेरा सुझाव है कि हमारे देश में भी इस प्रकार की समितियां होनी चाहिये और हमें समिति की प्रणाली को इस देश में भी विकसित करना चाहिए ताकि राज्य के वित्तीय तथा राजकोषीय प्रस्तावों पर चर्चा हो सके। यह हो सकता है लेकिन हम इसे नहीं कर रहे हैं। हम केवल आंकड़ों के जाल में फंसे हैं। सभा को आंकड़ों के जाल के बारे में सुनकर आश्चर्य होगा। अब मैं एक बात बता सकता हूं। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बजट का तैयार करना तथा बनाना वित्त मन्त्री की जिम्मेदारी है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा इस बारे में केवल प्रधान मन्त्री को ही विश्वास में लिया जा सकता है और वैसे यह सारा काम वित्त मन्त्री ही का है। किसी व्यक्ति ने किसी एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि बजट बहुत अच्छा है, जिसका श्रेय क, ख, ग, संसद सदस्य को जाता है, जो अब इस सभा का सदस्य नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। इसका श्रेय केवल वित्त मन्त्री को ही जाता है। यहां तक कि केबिनेट को भी इसका पता बजट पेश होने से एक घंटा पहले ही लगता है। इस बारे में होता क्या है ? पिछले वर्ष मैंने जानना चाहा था कि हमारी व्यवस्था की तस्वीर कैसी होगी। मुझे बताया गया कि पिछले वर्ष बजट में राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय आदि आदि शामिल था और मुझे बताया गया कि सरकार को कर से कुल 10,500 रुपये प्राप्त होंगे जिसमें से राज्यों को मिलने वाली 3,200 करोड़ रुपये की राशि कम करने के बाद करों से कुल 7300 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे और गैर कर आय 2500 करोड़ रुपए होगी और पूंजीगत आय 5,200 करोड़ रुपए होगी। इस प्रकार कुल आय 15,000 करोड़ रुपए होगी। मुझे यही आंकड़े बताये गये थे। यह भी बताया गया था कि कुल सरकारी व्यय 11,000 करोड़ रुपए का होगा और शेष 4000 करोड़ रुपए का होगा। 2400 करोड़ रुपए राज्यों को सहायता के रूप में दिए जाने हैं। इसके बाद 1600 करोड़ रुपए बच जाते हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय योजना 6400 करोड़ रुपए की होगी और इस प्रकार 4,800 करोड़ रुपए का घाटा बना रहेगा, जिसे स्वीकार करने के लिए कोई भी वित्त मन्त्री और सरकार तैयार नहीं होगी और इसीलिए यह कहा गया कि इसे कम किया जाए और इसे घटाकर 2000 करोड़ रुपए किया जाए और वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञों ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने 4800 करोड़ के घाटे को कम करके 2000 करोड़ कर दिया। कुल घाटा 1350 करोड़ रुपए का था और

650 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर लगाए गए । क्या यह आंकड़ों का जाल नहीं है ? आपने भी इस बारे में ऐसा ही किया है । इन सब बातों पर कुछ रोक लगानी पड़ेगी । आपने इस बार घाटा दिखाया है । अ.प कहते हैं कि घाटा 1417 करोड़ रुपए का है । यह राजस्व और पूंजी दोनों ओर का योग है । राजस्व की क्या स्थिति है ? जहां तक राजस्व और पूंजी का संबंध है, पिछली बार हमने 1382 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया था, जो कि दुगुणा अर्थात 2700 करोड़ रुपए हो जाता है । राजस्व का हमने 214 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया जो बढ़कर 871 करोड़ रुपए हो गया । इस समय आपका राजस्व घाटा 954 करोड़ रुपए का है । राजस्व का घाटा अधिकतम है, 1979-80 से भी अधिक है । आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ है । 954 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अब तक इस देश में नहीं हुआ था । इस बार यह घाटा राजस्व का है । बाहरी सहायता द्वारा बाहरी तथा भीतरी ऋण और सार्वजनिक ऋण में आपने घाटे को पूरा कर दिया है । हमने ऐसा नहीं किया आपने कितना ऋण लिया है ? आपने 3840 करोड़ रुपए का ऋण लिया है जबकि हमने केवल 2492 करोड़ रुपए का ऋण लिया था । आपने 1348 करोड़ रुपए का अधिक ऋण लिया है । यदि आप बाहरी और भीतरी ऋणों को इससे कम कर दें और यदि आप ऋणों को उसी स्तर पर रखें जिस पर 1979-80 में जनता सरकार ने रखा था, तो घाटा 2700 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा । आप इस प्रकार के आंकड़े देकर लोगों को धोखा क्यों दे रहे हैं और संसद को धोखा क्यों दे रहे हैं । आपका 954 करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा अधिकतम है । आपने पूंजी पक्ष की मदों के घाटे को उस कारण पूरा किया है । अब क्या होगा ? यदि आप वैसा करें तो मुद्रास्फीति में कितनी वृद्धि होगी ? आपने यह बताने का प्रयास किया है कि मूल्य नहीं बढ़ेंगे । आयोजन और घाटे को निचले स्तर पर रखने का क्या उद्देश्य है ? संसदीय तथा विधान सभा चुनावों के दौरान श्रीमती इन्दरा गांधी और कांग्रेस (आई) का मुख्य नारा यह था —"मुझे सत्ता दें, मैं शासन करूंगी, वोट उसे दें, जो सरकार चला सके ।" 7 से 14 जून, 1980 तक ही केवल एक सप्ताह के अन्दर मूल्य 1.7 प्रतिशत बढ़ गए । यह अभूतपूर्व है । जनता शासन के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ था । यदि मूल्य इसी रफ्तार से बढ़ते गये तो मुझे भय है कि चालू वित्त वर्ष के अन्त तक मुद्रास्फीति में 30 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी । घाटा लगभग 3000 करोड़ रुपये का होगा । आपके ये सब आंकड़े बनावटी हैं । यह बजट चालबाजीपूर्ण है । यह उत्पादनोन्मुखी बजट नहीं है । मैं तो इस सीमा तक कह सकता हूं कि देश के जिन लोगों को स्थिरता का वचन दिया गया था, उन्हें धोखा दिया गया है और उनके साथ विश्वासघात किया गया है । लेकिन मूल्य बढ़ते ही जा रहे हैं और लगता है कि इन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं । आपने एक और होशियारी की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं किया है । सरकार ने किया है ।

श्री सतीश कुमार अग्रवाल : लेकिन मुझे मंत्री से आपके द्वारा कहना है : मूल्यों में कितनी वृद्धि होगी ? आपने ब्याज दिया है कि आप मूल्य कम करेंगे । आप उत्पादन शुल्क के बारे में कुछ रियायतें और छूटें दे रहे हैं । मैं आपको कह सकता हूं कि कोई निर्माता और व्यापारी मूल्य कम नहीं करेगा । वे उत्पादन शुल्क की सभी रियायतों को मूल्य में खपा लेंगे । इसका मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा । इससे 1417 करोड़ रुपये का घाटे का बजट बनाया गया है । इससे बैंक की ब्याज की कमाई पर 7 प्रतिशत कर लगाने जा रहे हैं, उत्पादन शुल्क को बहुत सी वस्तुओं पर 5 से 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है, बहुत सी वस्तुओं जो पहले करों से मुक्त थीं उन पर

5 प्रतिशत का उत्पादन कर लगाया है और इन्होंने सिगरेट पर 10 प्रतिशत कर लगाया इस पर यह कर पहले नहीं था। पेट्रोल, डीजल और उर्वरक पदार्थों की भी मूल्य वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं पर इन करों का भार कितना है ? यह केवल इतना ही है। जी नहीं। समग्र करों को उन्होंने दो भागों में बांटा है। वे कहते हैं कि उन्होंने करीब 300 करोड़ रुपये के बराबर कर लगाया है। क्या यह अधिक नहीं है ? 7 जुलाई को क्या हुआ ? उन्होंने सबको दो भागों में बांटा। उन्होंने ठीक 7 जुलाई से ही पेट्रोल, डीजल और उर्वरक पदार्थों पर बजट प्रस्तुत होने के पूर्व करों को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उपभोक्ताओं पर डाले गये करों का कुल भार 3070 करोड़ रुपया है। सीमा कर, उत्पादन कर, ब्याज कर, दूसरे मदों, डाक दरों के माध्यम से 518.90 करोड़ रुपये की आय होती है, उसमें से कुछ रियायतें, जिनकी राशि 42.68 करोड़ रुपये होती है जो घटायी जानी है। उपभोक्ताओं के ऊपर इन करों से कुल 476.22 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता है। इस करारोपण से और पेट्रोल, डीजल, उर्वरक इत्यादि पदार्थों की मूल्य वृद्धि से उपभोक्ताओं पर कुल बोझ 3549.22 करोड़ रुपये का पड़ता है। यह घाटे की बजट की राशि 1417 करोड़ रुपये के साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपये होती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण की राशि अतिरिक्त है, इस ऋण की राशि को वे बनावटी ढंग से कितना भी दिखा सकते हैं। तब यह राशि 5500 करोड़ रुपये होती है। इस प्रकार यह भार इस देश में प्रति व्यक्ति 55 रुपये पड़ते हैं।

यही कर भार है जिसे उपभोक्ताओं के ऊपर लादा गया है। क्या इससे मूल्य वृद्धि नहीं होगी ? वे कैसे कह सकते हैं कि इससे कीमतें नहीं बढ़ेंगीं ? कीमतें आकाश को छूने लगेंगीं। मूल्यों पर नियंत्रण करना बड़ा कठिन हो जायेगा। मैं नहीं जानता कि वे मूल्यों को नियंत्रित कैसे करेंगे।

वे लोग बड़ी नम्रतापूर्वक कहते हैं कि उन्होंने कुछ वस्तुओं को उत्पादन शुल्क से मुक्त रखा है। माननीय उप-मंत्री महोदय विशेष उत्पादन कर की स्थिति से वाकिफ होंगे। विशेष उत्पादन करों को विशेष उपाय के रूप में लगाया गया था, यह स्थायी बनाने के लिये नहीं था। इन लोगों ने इसे स्थायी चीज बना लिया है। जनता शासन के दौरान 43 वस्तुएं थीं और इन 43 वस्तुओं में से बहुत सी वस्तुएं कर मुक्त रखी गई थीं। इन लोगों ने इस सम्बन्ध में क्या किया। केवल कुछ वस्तुओं को ही कर मुक्त किया है। केवल 4 वस्तुओं को ही कर मुक्त किया गया है ये चार पदार्थ केवल पेट्रोलियम उत्पाद हैं। 7 वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क ज्यों का त्यों है। वह 5 प्रतिशत है, और शेष 32 वस्तुओं पर से उत्पादन शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या इस तरह से कीमतों में वृद्धि नहीं होगी ? इन लोगों ने परिष्कृत कॉफी, चाय, स्टार्च, टायर्स, शुद्ध रबर, आदमी के द्वारा बनाये रेशे, सूती धागे, ऊनी व एक्रेलिक धागे, पटसन धागे एवं सभी तरह के आम उपयोग की वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क को 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इन लोगों ने विशेष उत्पादन शुल्क को 5 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने कुछ अन्य चीजों, जिन पर जब हमारी पार्टी सत्ता में थी 5 प्रतिशत का विशेष उत्पादन शुल्क नहीं था, उन पर भी शुल्क को बढ़ा दिया है। इन्होंने करों के जाल का विस्तार किया है। इन्होंने कुछ ही वस्तुओं को कर मुक्त किया है। इन लोगों ने बहुत सी वस्तुओं पर से विशेष उत्पादन शुल्क को 5 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया है और इन्होंने बहुत सी वस्तुओं जैसे—मिठाईयां, बीड़ी, वातित जल और यहां तक

कि खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत का विशेष उत्पादन शुल्क लगाया है। पहली बार इन वस्तुओं पर विशेष उत्पादन शुल्क लगाया गया है। मेरे पास यहां वस्तुओं की एक लम्बी सूची है।

क्या यह उचित है ? उत्पादन शुल्क राजस्व पिछले 10 वर्षों में तीन गुणा बढ़ गया है। सीमा कर शुल्क व्यवहारिक रूप से 400 प्रतिशत बढ़ गया है। उत्पादन शुल्क 300 प्रतिशत बढ़ गया है। इसका औचित्य क्या है ?

आपने आय कर पर अधिभार 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया है। मैं इसे पसंद करता हूं। परन्तु इस आय कर के अधिशुल्क को जारी रखने का औचित्य क्या है ? आप इसे जारी क्यों रखे हुए हैं ? क्या इसका राज्यों के साथ बंटवारा नहीं किया जा सकता है ? मई 1979 में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। उसमें काफी नाराजगी व्यक्त की गई थी। श्री वेंकटारमण को यह बात याद होगी। राज्यों ने रोष व्यक्त किया और कहा कि आप उस अधिशुल्क को क्यों बढ़ाते हैं जिसका राज्यों के साथ बंटवारा नहीं किया जा सकता है ? आप अधिक सीमाशुल्क प्राप्त कर रहे हैं। आप अपने कर जाल का विस्तार कर रहे हैं और केन्द्र सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन राजस्वों को बढ़ाया जाना चाहिये जिनका राज्यों के साथ बंटवारा किया जा सकता है। मुझे बताया गया है कि विशेष उत्पादन शुल्क उनमें से एक है जिसके सम्बन्ध में पश्चिम-बंगाल सरकार के श्री अशोक मित्रा ने प्रतिकूल टीका-टिप्पणी की है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह से मूल्य कम नहीं होगा, बोझ उपभोक्ताओं पर लाद दिया गया है और इसके कारण मूल्य वृद्धि होगी। आपकी अधिसूचनाओं, निर्देशों से मूल्यों में कमी करने के लिये कोई कम प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूल्यों को कम नहीं कर रहा है। आपने सायकिल और बहुत सी वस्तुओं को कर मुक्त किया है। परन्तु क्या आप सोचते हैं कि इसका लाभ उपभोक्ताओं को होगा ? लागत मूल्य में बढ़ोतरी होती है और ये लोग उत्पादन रियायतों को मूल्य-ढांचा में विलीन करने जा रहे हैं। आपके पास मूल्य-नियंत्रण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार के पास मूल्य-नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे यदि कोई उत्पादन-रियायत या छूट किसी विशेष वस्तु पर दी जाती है तो हम यह देखने में सक्षम हो सकें कि इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलता है। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि, कुछ भी नहीं किया गया है। इसके अलावा वे अधिसूचना द्वारा भी कर रहे हैं। क्या मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि उन्होंने फरवरी में पटसन उत्पादन पर उत्पादन शुल्क की अधिसूचना क्या जारी नहीं की थी ? सरकार ने फरवरी में पटसन उत्पादन पर उत्पादन शुल्क लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। बहुत सारी अधिसूचनाएं हैं जिन्हें आप यदा कदा जारी करते रहते हैं; जिनका बजट के दस्तावेजों में उल्लेख नहीं होता है। आप शुल्कों को बढ़ा रहे हैं और साथ ही रियायत एवं छूट भी दे रहे हैं। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं और वह रिकार्ड में है कि इस देश में शक्तिशाली लाबी है जो सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क, खासकर सीमा शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों से अपने पक्ष में सिफारिशें प्राप्त करते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्र के हित में, राज्य कोष के हित में ऐसे तन्त्र की व्यवस्था करें जिससे ये चीजें न हो पायें। वे अनुचित हैं। संसद बजट का अनुमोदन करती है और ये लो—गशक्तिशाली लाबी सीमा कर और इन सब करों से छूट प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से अनुकूल सिफारिशें प्राप्त करने की व्यवस्था करते हैं। इसके लिए आपको बहुत सावधान होना चाहिए।

वित्त मंत्री महोदय ने यह बात बड़ी हिम्मत के साथ बताई कि उन्होंने वार्षिक वित्तीय योजना की लागत को 17 प्रतिशत बढ़ा दिया है। परन्तु आज मूल्य वृद्धि कितनी है। मुद्रा-स्फीति कितनी है। यह 19.9 प्रतिशत है। इस तरह यह अभिवृद्धि संतुलित की गई है। आपने इसे मात्र 17 प्रतिशत बढ़ाया जबकि मुद्रास्फीति 19.9 प्रतिशत है जो कम होने वाली नहीं है। इसलिए जो कुछ भी अतिरिक्त आबंटन योजना के अन्तर्गत प्राप्त होगा उसका व्यवहारिक उपयोग कुछ भी नहीं है क्योंकि वह वास्तव में है ही नहीं। आपको कुछ वित्तीय उपाय करने होंगे जिनसे आम आदमी को राहत मिलेगी।

अब मैं एक शब्द प्रत्यक्ष कर के बारे में कहूंगा। क्या मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वे धारा 80 (ज) को 1972 से प्रभावशील करने के लिए क्यों संशोधन कर रहे हैं? इसका मतलब है कि गत आठ वर्षों में जो मूल्यांकन निष्पादित हो चुके हैं उन्हें फिर शुरू करेंगे। क्या यह उचित होगा ? सदन को पूर्वप्रभावी संशोधनों के बारे में सतर्क होना चाहिये। पिछली बार जब अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था तो आपने पिछड़े वर्गों और वित्तीय संस्थाओं को कुछ रियायतें दी थीं। सिद्धांत की दृष्टि से मैं सहमत था, परन्तु इस आधार पर कि आपको पूर्वप्रभावी संशोधन नहीं लाना था, मैंने विरोध किया था। रियायतों के संबंध में आपने पहले ही 1972 में लोगों को दी है, अब आप धारा 80 (ज) का संशोधन करने जा रहे हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से स्पष्ट बताने के लिए यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन सभी निर्धारणों जिनको अंतिम रूप दिया गया था, घोषित लाभांशों और प्रत्येक चीज जो की गई थी, को पुनः खोजा जायगा। इससे लोगों को बड़ी परेशानी होगी। उसी तरह से मैं हिन्दू अविभक्त परिवार के बारे में भी नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि यदि आप इसे करना चाहते हैं तो करिये। ठीक है, परन्तु लोगों को यह जानकारी दीजिये कि आप इसका संशोधन कर रहे हैं और इसके बाद एच यू एफ हिन्दू अविभक्त परिवार का और कोई वैचारिक विभाजन या आंशिक विभाजन स्वीकार नहीं किया जायेगा। परन्तु इसे आप 1-1-79 से क्यों करते हैं ? इससे मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा। आखिर, हिन्दू अविभक्त परिवार का आंशिक विभाजन बहुत पहले से हो रहा है। अगर इसमें आपको संशोधन करना है तो इसे आप भविष्यप्रभावी बनाइये पूर्वप्रभावी नहीं।

आपने छूट सीमा को 12,000 रुपये तक बढ़ा दिया है। परन्तु वह कलंक अभी भी है। जब आप 12,000 रुपये की सीमा को पार करते हैं तो आपको 8000 रुपये से शुरू करना पड़ता है। वही जैसा कि श्री पटेल ने किया था। आपने भी वही सूत्र अपनाया है। अगर आप 12,000 रुपये की सीमा पार कर चुके हैं तो आप 8000 रुपये की सीमा भी पार करते हैं। इस स्फीति-कारी दुनिया में आप इस सीमा को 15,000 रुपये तक क्यों नहीं बढ़ाते हैं ?

अंत में एक बात के लिए आपसे निवेदन करूंगा। आप इस प्रस्ताव की जांच क्यों नहीं करते हैं ? आपको प्रत्येक 42 पैसे में 2 पैसे आय कर के रूप में मिलता है। आप इसे खत्म कर कुछ अन्य उपायों को क्यों लागू नहीं करते हैं ? आप समूचे कर प्रणाली का सरलीकरण क्यों नहीं करते जो आवश्यक है ? इस चीज के बारे में मैंने पहले की चर्चा में भी वित्त मंत्री महोदय से जिक्र किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है और आपने दिये गये समय से भी अधिक समय ले लिया है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : केवल एक या दो सुझाव और देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ।

आप इसकी जांच क्यों नहीं करते हैं कि वह किया जा सकता है या नहीं ? श्री वेंकटारमण आपने पिछली बार यह बात बताई थी कि हमारे सरकारी क्षेत्र में 15000 रुपये से अधिक पूंजी लगी है । 10 प्रतिशत की सामान्य बैंक दर पर उसे हमें 1500 करोड़ रुपये वापस होना चाहिये और यदि वह व्यापारिक लाभ के लिये है तो उसे 20 प्रतिशत की दर से 3000 करोड़ रुपये वापस करने चाहिए । अगर हमारे सभी व्यापारिक उपक्रम व्यापारिक उद्देश्य से, ठीक से काम करते हैं तो मैं बहुत खुश हूंगा और कहूंगा कि आपने एक राहत दी है कि घाटे की बजट की कोई जरूरत नहीं और न कोई अतिरिक्त करारोपण की आवश्यकता होगी । कृपया एक काम करिये । हमें सरकारी व्यापार के लिये अलग बजट बनाना चाहिए, राज्य व्यापार के लिए अलग बजट बनाना चाहिए, और उन सब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अलग बजट बनाना चाहिए ताकि सदन जान सके कि लाभप्रदता क्या है ? लाभप्रदता सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का मूल आधार या उद्देश्य नहीं है परन्तु ईश्वर के लिए, इस 15,000 करोड़ रुपये की भारी पूंजी को छठी योजना के अंत तक 30,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जायेंगे । कृपया देखिये कि प्रबन्ध का व्यवसायीकरण हो, प्रबन्ध में कर्मचारी भाग लें और शेयर पूंजी में भी इनका हाथ है । आपने सरकारी क्षेत्र के एककों को जनता से निश्चित जमा राशि लेने की अनुमति दी है । इस ढंग से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक संसधानों को गति मिलेगी । परन्तु इस प्रश्न की भी जांच कीजिये उन्हें सही ढंग से सरकारी जनता का क्षेत्र क्यों नहीं बनाया जाता ? आज वे सरकारी क्षेत्र हैं । आपको लोगों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर लेने की अनुमति देनी चाहिये । आप ऐसा करें तो सब कुछ ठीक हो जायेगा और कार्य सुचारु रूप से चलेगा ।

काले धन की बुराई को रोका जाना चाहिये जिसके लिये साहसिक निर्णय का लिया जाना जरूरी है । काला धन और वर्तमान चुनाव प्रणाली एक दूसरे से पृथक नहीं किये जा सकते । आपको दोनों को समाप्त करना चाहिये । काले धन को सफेद धन बनने से रोकने के लिये आपको एक योजना बनानी चाहिये जिसके अन्तर्गत आय कर अधिनियम का संशोधन किया जाना चाहिये और लोगों को उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिये । काला धन समाप्त करने के लिये आपको यह साहसिक कदम उठाना ही चाहिये । इस सुझाव पर क्यों न विचार किया जाये और क्यों न लोगों को उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जाये । काला धन हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत क्षति पहुंचा रहा है । सब काले धन के बारे में बातें करते हैं लेकिन इस साहसिक सुझाव की कोई बात नहीं करता और कोई भी सरकार इसे कार्यान्वित करने के लिये तैयार नहीं.....

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : आपका सुझाव क्या है ?

श्री सतीश अग्रवाल : मैं कहता हूं कि महानगरों से 50 मील दूर राज्यों की राजधानी से 30 मील दूर तथा जिला मुख्यालयों से 20 मील दूर आप लोगों को कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में उद्योग लगाने और पूंजी निवेश करने की अनुमति दें और लोगों को आश्वासन दें कि आय कर विभाग के लोग उनसे आय के स्रोत के बारे नहीं पूछेंगे, लेकिन उद्योग स्थापित होने पर स्वभाविक है कि यह उत्पादन शुल्क से मुक्त नहीं होगा जो उन्हें देना पड़ेगा और उन्हें आय कर भी देना ही पड़ेगा । ग्राम्य जीवन समृद्ध हो जायेगा । यह एक सुझाव है । यदि आपके पास भी कोई सुझाव हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

अभी हाल में कर-अपवंचन विरोधी निदेशालय का गठन किया गया है। मुझे बताया गया है कि लोग कैसे कर का अपवंचन करते हैं। यदि आप देश में कर अपवंचन को रोक लेते हैं तो इसके लिये घाटे की अर्थव्यवस्था करने और अतिरिक्त कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कम से कम 20 प्रतिशत है। यदि हम इसे कम कर सकते हैं और हम इसे रोक सकते हैं तो निश्चय ही इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अन्त में, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बिना राजनैतिक संकल्प वाली टीम के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुझे यह कहने का खेद है। आपका दस्तावेज कितना भी अच्छा हो, आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, जब तक आपकी गाड़ी में ड्राईवर तथा कंडक्टर न हो, उस समय तक वह चल नहीं सकती। जब तक पैट्रोल और टायर न हों, उस समय तक गाड़ी कैसे चल सकती है। रक्षा, उद्योग, इस्पात-खान और स्वास्थ्य केबिनेट स्तर के मंत्री नहीं हैं। आप कैसे चलेंगे ? सरकार मंत्रियों के बिना कैसे चल सकती है। वित्त मंत्रालय में ही आपकी सहायता के लिये तीन व्यक्ति होने चाहियें। आप अकेले कैसे क्या कर सकते हैं। मैं श्री बरोट, जो एक ख्याति प्राप्त वकील हैं, के सामर्थ से इनकार नहीं करता। लेकिन वह केवल उपमंत्री हैं, एक राज्य मंत्री भी नहीं हैं। सारे काम का बोझ आप अकेले कैसे उठा सकते हैं ? जब तक आपके पास पूरी टीम न हो, उस समय तक आप निर्धारित नीतियों को लागू नहीं कर सकते। आप मूल्यों में स्थिरता नहीं ला सकते तथा कोई अन्य लाभदायक काम भी नहीं कर सकते। आप बजट का घाटा 3000 करोड़ रुपये का होगा और मुद्रास्फीति 30 प्रतिशत होगी। बजट इन खतरों से भरपूर है। मैं वित्त मंत्री की सफलता की कामना करता हूं।

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल (अहमदनगर) : मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं। यह बजट कुछ भिन्न परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया है। यह एक विशेष पृष्टभूमि में पेश किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है। आप माईक के नजदीक आयें।

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : इस बात को अब माना जाने लगा है कि देश को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। रेलवे, कोयला विभाग और ऊर्जा विभाग में कोई भी उचित तालमेल नहीं था और रेलवे में भी वैगनों का आवागमन ठीक ढंग से नहीं हो रहा था। उत्पादन में काफी गिरावट आयी है। इन सब बातों के कारण देश को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह बात अच्छी है कि मंत्री महोदय ने इन बातों का ध्यान रखा है और इस बजट को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकार को देश की आर्थिक कठिनाईयों की जानकारी है और सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का निर्णय कर लिया है। मैं इस बात को अनुभव करता हूं कि सरकार ने इस दिशा में सच्चे प्रयत्न किये हैं। पिछले वर्ष से देश को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा जिसके कारण अन्न उत्पादन में कमी हुई है। चीनी के उत्पादन में भी कमी आई है। सरकार ने बजट प्रस्तुत करते समय इस पहलू को ध्यान में रखा है। मंत्री महोदय ने देश की आर्थिक कठिनाइयों का भी ध्यान रखा है।

मंत्री महोदय को इन बातों की जानकारी है। सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि अर्थ-व्यवस्था की बुराइयों को दूर किया जाये और देश की जनता की आर्थिक स्थिति को और अधिक

बिगड़ने से रोका जाये । ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्पादन और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाये बिना हम संकट पर काबू नहीं पा सकते । अत. आर्थिक स्थिरता और विकास लाने के लिये विशेष प्रयत्न किये जायें । इसके लिये सरकार ने प्रयत्न किये हैं कि रेलें सुचारु रूप से समय पर चलें । कोयला और बिजली के उत्पादन में काफी सुधार हो । सरकार इस बात को भी जानती है कि इन तीनों के बीच तालमेल बिना अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता और इसमें स्थिरिता नहीं आ सकती । अतः रेलवे के कार्यकरण में सुधार लाने और कोयला तथा बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने की दिशा में विशेष ध्यान दिया गया है ।

ऐसा करते समय, मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इस देश के गरीब लोगों के साथ सामाजिक न्याय किया गया है । भारत गांवों का देश है और गांवों में हरिजन, आदिवासी आदि-आदि गरीब लोग रहते हैं । इस बात का ध्यान रखने के लिये विशेष प्रयत्न किया गया है कि इन गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो । इसके लिये बजट में अच्छी-अच्छी योजनायें रखी गयी हैं । उदाहरण के लिये काम के बदले अनाज नामक एक योजना भी बजट में है । महाराष्ट्र में यह योजना बहुत ही प्रभावशाली तथा उत्साहजनक सिद्ध हुई है । इससे गरीब लोगों को बहुत राहत मिली है । इस योजना के लागू करते समय महाराष्ट्र में दुर्भिक्ष था । और जब लोग काम की मांग कर रहे थे तो ऐसे भी सुझाव आये कि हमें दान बांटना चाहिये । लेकिन ईमानदारी और स्वभिमान से रहने वाले लोगों ने दान लेने से इनकार किया और कहा कि "हम काम चाहते हैं । हम ईमानदारी से जीना चाहते हैं । हमें सरकार तथा किसी अन्य दान देने वाली संस्था से भिक्षा नहीं चाहिये ।"

इस काम के बदले अनाज कार्यक्रम के फलस्वरूप हम महाराष्ट्र में कई दुर्गम क्षेत्रों में सड़कें बंनाने में सफल हुये हैं । इस बीच सिंचाई के मामले में भी काफी काम हुआ है तथा किसानों की दशा में भी काफी सुधार हुआ है । काम के बदले अनाज कार्यक्रम से बेरोजगारी ही दूर नहीं होगी बल्कि इससे गरीबों को भी काफी राहत मिलेगी, खास कर आदिवासियों और गांव के गरीब लोगों को काफी राहत मिलेगी ।

दूसरे, राष्ट्रीय ग्राम्य रोजगार कार्यक्रम के हमारे गरीब लोगों के लिये काफी लाभदायक है । इन लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये विशेष प्रयत्न किये गये हैं । वित्त मंत्री ने कहा है कि विकास का मुख्य उद्देश्य हरिजनों की स्थिति में सुधार करना है । इसके लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । चुनाव के दौरान हमने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग देखे हैं । उन्होंने महसूस किया था कि चुनाव के बाद उन्हें मकान तथा रोजगार मिल जायेगा उन्होंने महसूस किया कि उनके लिये खाना तथा रोजगार सुनिश्चित ही है । यह योजना इसी उद्देश्य से लागू की गयी है और हम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं । जहां तक ग्रामीणों का सम्बन्ध है, उनके हितों को नहीं भूला गया है ।

देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र संकट के दौर से गुजर रहा है । आदिवासी लोगों की दशा सुधारने के लिये हम करोड़ों रुपये खर्च कर चुके है । लेकिन परिणाम यही है कि इस समय वे कठिनाइयों का सामना कर रहे है । हमारी अर्थ-व्यवस्था कृषि पर आधारित है । आदिवासी दुर्गम क्षेत्रों में

रहते हैं। वे आसानी से बाजारों में नहीं जा सकते। उनकी स्थिति में सुधार करने के लिये 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके लिये हम वित्त मंत्री को बधाई देते हैं।

जिन लोगों के पास मकान नहीं उन्हें झौंपड़े देने के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। बंगले तथा कोठी वाला व्यक्ति इसके महत्व को नहीं समझ सकता। गांव में जाकर आप देखेंगे कि वहां लोग पेड़ों के नीचे रह रहे हैं। अब वह खुश हैं क्योंकि उसे अब झौंपड़ा मिलेगा और करने के लिये काम मिलेगा।

माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस प्रयोजन के लिये बजट में किये गये प्रावधान के लिये बधाई अवश्य दी जानी चाहिए।

जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है निसन्देह, पिछले वर्ष देश को सूखे के कारण अत्याधिक नुकसान रहा है। उत्पादन में बड़ी भारी कमी थी, विशेष रूप से चीनी की जनता पार्टी द्वारा अपनायी गई अदूरदर्शी नीतियों ने देश को अनेक आर्थिक संकटों में डाल दिया।

जहाँ तक चीनी की पूर्ति का संबंध है, बजट ने चीनी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है। चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बजट में वास्तविक तथा सच्चा प्रयास किया गया है।

यह देखकर बहुत संतोष हो रहा है कि ऋण-सुविधाओं को उदार बना दिया गया है और कृषक-वर्गों को विशेष रूप से सीमान्त कृषकों तथा छोटी जोत वालों को अधिक लाभ दिये गये हैं।

श्रीमान, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि में सम्पन्नता इस देश के सामान्य लोगों के भाग्य में दीर्घकाल तक सुधार करेगी। बढ़ते मूल्यों को रोकने, बेरोजगारी को रोकने के लिए सामान्य लोगों को भोजन देने के लिए तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में अवश्य सुधार करना चाहिए तथा इसके लिए कुछ बातें करना जरूरी हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह मेरा सादर निवेदन है कि ऋण सुविधाओं को और उदार बनाया जाए। बीजों की बहुत आसान शर्तों पर नियमित रूप से पूर्ति की जानी चाहिए। अदायगी की शर्त सीमाओं तथा कृषकों की क्षमताओं के भीतर होनी चाहिए। हमें इन बातों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। हमें इस प्रयोजन के लिए दीर्घ कालीन योजना तैयार करनी चाहिए ताकि विकास किया जा सके तथा साथ-साथ में हम मूल्य में स्थिरता ला सकें कृषि उत्पाद का मूल्य अवश्य निर्धारित तथा नियमित किया जाना चाहिए और यदि हम इसको उर्वरकों की सस्ती पूर्ति के साथ करते हैं तो हम आने वाले वर्षों में बजट में घाटे को पूरा कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं के दाम आवश्यक वस्तुओं की कमियों के कारण बढ़ रहे है।

दूसरा मुद्दा जिसे मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि जो लोग अन्धे, विकलांग तथा शारीरिक रूप से अपंग है उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने समाज के इस वर्ग के प्रति ध्यान नहीं दिया है और मुझे आशा है कि वे समाज के इस वर्ग के लिए अधिक धन राशि का कुछ आवंटन करेंगे। वर्तमान बजट ऐसा है जिससे उत्पादन में बृद्धि होने की और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने की संभावना है। इससे बचत को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे रोजगार अवसर भी बढ़ेंगे। हमें आशा है कि इस देश में रहने वाले सामान्य व्यक्ति गरीब आदमी की समस्यायें दूर हो जायेगीं।

मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का सच्चे दिल से समर्थन करता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बजट पर बोलने के लिए अवसर दिये जाने के लिए मैं आपका अति आभारी हूं।

श्री आर० पी० गायकवाड़ (बड़ौदा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों की ओर से माननीय मंत्री महोदय को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये अच्छे बजट के लिये बधाई देने का यह अवसर प्राप्त हुआ है और 1400 करोड़ रु० का घाटा लगभग उससे कम है जो बजट के पहले वर्ष में था। कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि बजट ऐसा प्रस्तुत नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था परन्तु फिर भी यह वाद-विवाद का विषय है और मैं इसको इस सभा के अच्छे शिक्षित सदस्यों तथा साथियों के ऊपर छोड़ता हूं। इस बजट में घाटे को दूर करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिये हाथ में लिये गये उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन पर व्यापक रूप से आधारित करेगा। मुद्रास्फीति के मुख्य रूप से कारण तस्करी तथा काला धन है और यदि इन दो बातों पर सही ढंग से ध्यान न दिया तो हमें गम्भीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। हम विपक्ष में बैठे सदस्यों के लिये यह सिद्ध कर सकते हैं कि आपात काल के दौरान ये दोनों बुराइयां घटती हुई प्रवृति की ओर थीं परन्तु उसके बाद हमारे देश में सरकारी तंत्र इतना कुशल नहीं कि यह इन बुराइयों की देख-रेख कर सकता हो। मैं माननीय मत्री महोदय से इस बात पर ध्यान देने के लिए विशेष सावधानी बरतने का निवेदन करता हू कि ये दोनों बुराइयां नियन्त्रण से न निकल जाएं सुयोग्य वित्त मंत्री महोदय एक जादूगर हैं। उनके पास एक जादू की छड़ी है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस देश के लोगों के सामने एक बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करने में समर्थ होंगे।

राष्ट्रीय आय वेतन-मूल्य नीति के बारे में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है विभिन्न संगठनों में कार्य रत व्यक्तियों के वेतनों में बड़ा अन्तर है। सरकारी क्षेत्र, जीवन बीमा निगम आदि मुख्य दोषी हैं। कुछ संगठनों में कार्य रत व्यक्तियों का वेतन अन्य संगठनों में उन्हीं कर्मचारियों के वेतन से अधिक है। जबकि उच्च वर्ग के लोग सौदेबाजी करने की स्थिति में है और गरीब लोग ऐसा करने में असमर्थ हैं।

अब मैं भूमिहीन मजदूर तथा ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों की ओर ध्यान देता हूं। उनके जीवन में मूल्य वृद्धि एक महत्वपूर्ण बात है। निसन्देह, आय कर छूट 10,000 रु० से बढ़कर 12,000 रु० कर दी गई है जो सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ी राहत है। तो भी यदि मूल्य बढ़ते रहे तो यह इस अधिलाभ को समाप्त कर देगे। इसलिए यह देखना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य न बढ़ें।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्वागत है और यह भूमिहीन तथा ग्रामीण मजदूर के लिए आय का बड़ा भारी स्रोत है। यदि इन बातों की देखभाल तथा प्रबन्ध सही रूप से किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम गरीब लोगों को बहुत राहत पहुंचायेगा।

अब मैं देश की मुख्य समस्याओं में से एक की ओर ध्यान देता हूं। जबकि मानव कई दिनों तक भोजन के बिना जीवित रह सकता है तो पानी एक ऐसी वस्तु है जो थोड़े समय के लिए भी नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए यह बहुत महत्व की बात है कि देश के उन सभी भागों में पेय-जल की पूर्ति की जानी चाहिए जहां इसकी व्यवस्था नहीं है। देश में लगभग 6700 ग्राम ऐसे हैं जहां पीने के पानी की नियमित सप्लाई नहीं है। मैं माननीय मंत्री से इस

मामले को उच्च प्राथमिकता देने के लिए निवेदन करता हूं। यदि लोगों के पास भोजन नहीं भी पहुंचता है तो उनके पास पानी पहुंचना चाहिए। अतः उन सब कार्यक्रमों में इस योजना को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्हें सरकार शुरू करती है।

तब, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित मूलभूत ढांचे का निर्माण करते हैं। इसमें पानी का स्थान प्रथम है, उसके बाद विद्युत का स्थान आता है। विद्युत की स्थिति पिछले कुछ वर्षों से बड़ी असंतोषजनक रही है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है तथा उन ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत की पूर्ति की जानी चाहिए जहाँ विद्युत पहुंची नहीं है ताकि उन ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग चलाए जा सकें और ये शहरी क्षेत्र के इर्द-गिर्द अधिक संख्या में न लग पायें।

अब मैं अपने गुजरात राज्य की ओर ध्यान देता हूं। मेरे राज्य ने अपने को सदैव एक विद्वान अथवा कक्षा में एक मेधावी छात्र के रूप में सिद्ध किया है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, इसका कार्य व्यवहार, तथा पैदावार में बहुत अच्छा रहा है। गुजरात राज्य की ओर से मैं माननीय मंत्री महोदय से हमारे राज्य को धन राशि का अतिरिक्त आवंटन करने का निवेदन करता हूं जो अद्भुत परिणाम दे रहा है। हमारा देश विशाल देश है और जहाँ पैदावार या परिणाम अच्छा है तो हमें उन भागों पर अवश्य ध्यान संकेंद्रित करना चाहिए तथा इस देश में व्याप्त स्थिति में सुधार करना चाहिए। हमें उन भागों को अधिक प्रोत्साहन अवश्य देना चाहिए जिन्होंने अधिक उत्पादिकता दिखाई है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अधिलाभ या पदक के रूप में जो हम विद्वान को अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में देते हैं तो उसी रूप में इस राज्य को कोयले, डीजल अथवा तेल के रूप में अतिरिक्त धनराशि दी जानी चाहिए। मैं यह भी महसूस करता हूं कि यह अन्य राज्यों को अधिक सक्रिय होने के लिए दी गई प्रेरणा के रूप में भी कार्य करेगा। अतः दूसरे राज्यों द्वारा भी मेरे राज्य के कार्य के स्तर तक आने में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

मुझे अधिक नहीं कहना है। बजट एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। मैं अपने राज्य के उस व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में हूं। एक बार फिर मैं मंत्री महोदय को उस गुत्थी को सुलझाने के लिए बधाई देता हूं जो उत्पन्न कर दी गई थी। श्रीमान, मैं आपको भी मुझे सभा के समक्ष बोलने के लिए समय प्रदान करने के लिए, धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर मुझे आशा है कि मंत्री महोदय बेहतर परिणाम देंगे। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, अब श्री टी० एस० नेगी। वे 6 मिनट लेंगे।

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया है। दो तीन दिन से इस पर हो रही चर्चा को मैंने बहुत ध्यान से सुना है। दोनों ओर से काफी कुछ इस बजट के बारे में कहा गया है और सुझाव रखे गए हैं। हमारा देश गांवों में बसता है, खेतीहर मुल्क है। खेती के बारे में वित्त मंत्री ने बताया है कि इसकी पैदावार में दस प्रतिशत की कमी हुई है। इसका कारण यह बताया है कि वर्षा कम हुई और उसी कारण से यह कमी हुई है। मैं चाहता था कि वह बताते कि अगर वर्षा नहीं होगी, तो हमारी खेती की पैदावार कैसे बढ़ेगी और क्या हमें इन्द्र भगवान पर ही निर्भर रहना पड़ेगा ? अगर निर्भर रहना पड़ेगा तो हम सिंचाई के जो उपकरण जोड़ते चले जा रहे हैं सिंचई के लिए, उनका

क्या होगा ? हमारे देश में जितनी नहरें है, ट्यूब वैल हैं, नलकूप हैं उनमें सु सिर्फ 55 प्रतिशत ही हमें सिंचाई के लिए पानी मिलता है । हम को चाहिए कि हम इन नलकूपों को, इन नहरों को ठीक ढंग से काम में लाएं, अच्छी इनकी व्यवस्था करें । मैंने देहरादून में तथा उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में देखा है कि कितने ही ट्यूबवेल वीरान पड़े हुए हैं, उनकी देखभाल का कोई प्रबन्ध नहीं है, उनको आप ठीक ढंग से चला नहीं पा रहे हैं । जिन नहरों को बने हुए पाँच-पांच और सात-सात साल हो गए हैं उन नहरों में पानी नहीं चल रहा है । मैं समझता हूं कि अगर हम इन नहरों, ट्यूब वैलों, नलकूपों आदि की ओर ही तवज्जह देते तो हमें दुगुना पानी सिंचाई के लिए मिल सकेगा था और काफी हद तक पैदावार वढ़ सकती थी । लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है ।

हमारे लायक दोस्तों ने फूड फार वर्क का जिक्र किया है । इस काम के लिए सरकार ने पैसा रखा है । जनता सरकार के जमाने से यह स्कीम चली आ रही है । लेकिन देखने में यह आया है कि पचास प्रतिशत से अधिक गल्ला इस स्कीम का बाजार में बिक रहा है । काम करने वालों के जो मस्टर रोल बनते हैं वे फर्जी, झूठे, गलत और वेबुनियाद बनते हैं । सरकार इस ओर तवज्जह नहीं दे रही है । आपका इस ओर अविलम्ब ध्यान जाना चाहिए ।

बिजली के उत्पादन में कमी हुई । इसका कारण यह बताया गया है कि अच्छी किस्म का कोयला नहीं मिलता है, कोयला ढोने के लिए रेल गाड़ियां नहीं मिलती हैं, उसकी ढुलाई के लिए वैगन नहीं मिलते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? सरकार का एक विभाग अगर ठीक ढंग से काम नहीं करता है तो सरकार को उसको समझाना चाहिए, उससे काम लेना चाहिए ।

यह बताते हैं कि कोयले के साथ राख भी 18 प्रतिशत एक जगह से दूसरी जगह जाती है । क्या उस जगह पर कोल वाशरी का प्रबंध नहीं हो सकता है ताकि धुलकर कोयला भेजा जा सके ? क्या सरकार यह नहीं देख सकती कि कोयला जहाँ जहां से निकलता है वहां से अच्छे किस्म का कोयला आगे पहुंचाया जाये, जिससे 18 प्रतिशत कोयला अधिक ढोया जा सके और भी कौन रोकता है सरकार को कि ज्यादा कोयला पैदा न करने से हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोयला सरकार पैदा करे । सरकार को इस तरफ तवज्जह देनी चाहिये ।

इस बजट में कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता जिससे लगे कि हमारी बेरोजगारी कम होगी या मंहगाई कम होगी या हम कैसे आगे बढ़ेंगे । जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह ठीक बजट है, यह बजट हमको कहीं नहीं ले जा सकता । हमारी अर्थ-व्यवस्था, बेरोजगारी सुलझाने की समस्या और जितनी भी मुल्क के सामने वड़ी-वडी समस्याएं हैं, वह इस वजट से नहीं सुलझ सकतीं और इस बजट से कोई ज्यादा राहत हमको नहीं मिल सकती है, ऐसा मैं मानता हूं ।

इस वजट को पेश करने से पहले ही पेट्रोलियम, डीजल प्रोडक्ट्स आदि की कीमतें बढ़ा दी गई थीं । इस बजट को करीब 1417 करोड़ का डैफिसिट दिखाया गया है । यहां सभी विरोधी दलों के माननीय सदस्यों ने यताया कि यह बजट 4-5 हजार करोड़ क डैफिसिट है लेकिन इसको कम करके 1417 करोड़ का ही डैफिसिट दिखाया गया है । यह धोखा है । इस धोखे से क्या होगा, यह सारा मुल्क समझता है । अगर चीजों की कीमतें घट गईं, बेरोजगारी कम हो गई तो इससे सरकार की वाहवाही होगी, नहीं तो सरकार के खिलाफ लोग होंगे । हम जानते हैं कि मंहगाई

कम नहीं हो सकती है। गरीबी की रेखा के नीचे लोग बढ़े हैं। 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं जिसमें हरिजन और अनुसूचित जाति के लोग भी हैं। 18 प्रतिशत उनकी संख्या है और 42-44 प्रतिशत अन्य लोगों की संख्या है। उनके लिए इस बजट में क्या प्रावधान है? कितने लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं? उन लोगों को राहत नहीं मिली है। इस बजट से 60 प्रतिशत लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। कुल राहत इस बजट में 16 करोड़ की है, अगर हिसाब लगाकर देखा जाए तो एक साल में एक व्यक्ति को 25 से 30 पैसे तक की ही राहत मिलेगी। जो हमारे ऊपर नए टैक्स लगे हैं वह 55 रुपए प्रति व्यक्ति हमारे ऊपर लगे हैं।

टेलीविजन, बड़ी-बड़ी चीजों पर से जितना टैक्स घटा है और एग्रीकल्चरल लैंड पर जो वैल्थ-टैक्स समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उससे किसको फायदा पहुंचा है। मैं समझता हूं कि गांव में जो छोटे-छोटे किसान हैं, उनमें से किसी को इसका फायदा नहीं हुआ है। बड़े-बड़े किसान, बड़े-बड़े घराने, जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, उनको ही फायदा हुआ है, छोटे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है।

एक इम्पार्टेन्ट बात मैं और कहना चाहता हूं जिसका किसी ने जिक्र नहीं किया है। हर साल जब बाढ़ आती है तो सरकार के सारे सम्बन्धित अधिकारी बड़े एक्टिव हो जाते हैं और चारों तरफ हेलीकोप्टर और ट्रेनों आदि से भागते हैं, जगह-जगह ऐसा माहौल बना देते हैं कि शायद कुछ करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही बाढ़ और बरसात खत्म हो जाती है, सब अपनी जगह ऐसे बैठ जाते हैं जैसे सब कुछ ठीक है। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ आई, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, सरकार ने बड़ी योजनाएं बनाई और आश्वासन दिये लेकिन दुःख है कि आज तक कोई इस बारे में आशातीत तरक्की नही हुई है।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर इह मुल्क को तबाही से बचाना है, अगर सरकार चाहती है कि इस मुल्क में बाढ़ें न आयें, तो पहाड़ों पर एफारेस्टेशन बहुत जरूरी है। पहाड़ों पर जंगल काटे जा रहे हैं और सरकार रोक नहीं सकती है, क्योंकि जब तक वहां के लोगों के लिए सब्स्टीट्यूट फ्यूअल का प्रबन्ध नहीं किया जाता है जलाने के लिए, मकान बनाने के लिए और दूसरे कामों के लिए लकड़ी के बदले दूसरी वस्तुएं उपलब्ध नहीं की जाती हैं, जब तक वहां के लोगों के लिए बिजली, गैस, कोयला, मिट्टी के तेल, सीमेंट और लोहे वगैरह का प्रबन्ध सबसिडाइज्ड रेट पर नहीं होता, तब तक जंगलों का कटना बन्द नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है, तो हिन्दुस्तान की तबाही रुक नहीं सकती है, हर साल अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

मैं चाहता था कि वित्त मंत्री पहाड़ों के लोगों को ये चीजें सबसिडाइज्ड रेट पर देने के लिए दस, बीस करोड़ रुपए रख देते, ताकि अरबों रुपयों का नुकसान बचाया जा सके मुझे आशा है कि वह इस सुझाव पर विचार करेंगे।

मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ों की रोक-थाम के लिए पर्वतों पर एफारेस्टेशन की व्यवस्था की जाए।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने 1980-81 का जो बजट सदन में उपस्थपित किया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। एक यथार्थवादी, व्याव-

हारिक, सुदृढ़ और लोकप्रिय बजट लाने के लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं। आम जनता ने इस बजट का हार्दिक स्वागत किया है और जन-मानस में आशा का संचार हुआ है। हमारे समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, जिसमें इस बजट ने विश्वास पैदा नहीं किया है। लोगों ने हमारी नेता, श्रीमती गांधी, के प्रति आस्था व्यक्त की है और साथ ही साथ उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया है कि हमारी पार्टी ने चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किये थे, उन्हें पूरा करने की दिशा में यह बजट एक ठोस, कारगर और क्रान्तिकारी कदम है।

आज हमारा देश चतुर्दिक समस्याओं—आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय से घिरा हुआ है। ऐसे समय में यह बजट उपस्थापित हुआ है। ऐसे परिवेश में यह बजट पेश किया गया है, जबकि विरासत में हमें जनता पार्टी से क्या मिला—मूल्य-वृद्धि, इन्फ्लेशन, लास इन प्रोडेक्शन और रांग डिस्ट्रीव्यूशन सिस्टम जब यह बजट उपस्थापित होने वाला था, उससे पहले यहां तमाम लोगों में निराशा, भय और आशंका की मिश्रित भावना घर कर गई थी कि आने वाला बजट लोगों पर कहर गिरायेगा और गरीब लोगों पर वज्रपात होगा। लेकिन हमारी नेता, प्रधान मंत्री, की दूरदर्शिता और हमारे वित्त मंत्री की विवेकशीलता ने इस देश को ऐसा बजट दिया है, जिसकी कोटि कोटि जनता ने सराहना की है और जिससे हमारे विपक्ष के आलोचक लोगों की आशाओं पर तुषारपात हो गया है।

दो दिन पहले भूतपूर्व वित्त मंत्री, चौ० चरणसिंह, ने सदन में कहा था कि यह बजट गांवों के लिए नहीं है। मैं उनकी इज्जत करती हूं। लोग भी उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि मैं समझती थी कि वह सच को सच कहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नहीं किया, उनका अपना विचार है, लेकिन आम जनता यह मानती है और स्वीकार करती है कि यह बजट डेवेलपमेंट और ग्रोअथ-ओरियेंटिड बजट है। गावों के लिए विकासोन्मुख बजट है। इस बजट में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि सुदूर गांवों में जो जनता बसती है, उस ग्रामीण जनता की बेरोजगारी को दूर करने के लिए विशाल राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ करने का संकेत दिया है। इसके लिए 340 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिससे 80 करोड़ मेनडेज को लाभ पहुंचेगा। हैण्डलूम डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन, हैण्डलूम इंस्टीट्यूट की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे गरीब बुनकर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन्हीं को लाभ होगा। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, वर्षों तक कुटीर उद्योगों को करों से मुक्त किया गया है। यह अनएम्पलायमेन्ट को दूर करने के लिये, बेरोजगारी को हटाने की दिशा में एक ठोस और कारगर कदम है।

इन्सान को जिन्दा रहने के लिए यदि हवा के बाद किसी चीज की जरूरत है तो वह है पानी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बसते हैं उनके लिए पेय जल, रूरल वाटर सप्लाई की योजना शुरू करने की बात है। बजट में इसके लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इस योजना के द्वारा 35 हजार गांवों को पेय जल प्राप्त हो सकेगा। यह गांवों के ही लोगों की सुविधा के लिए है।

पिछले दिन यहां पर विपक्ष की ओर से कहा गया कि यह गरीबों का बजट नहीं है। मैं उनसे विनम्रता के साथ पूछना चाहती हूं कि जो रिक्शा चलाने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं, साइकिल पर चढ़ने वाले हैं, क्या वे लखपती हैं ? क्या उनके पास हजारों हजार रुपए है। मैं जानना चाहती हूं

कि गरीब किसान जो खेतों में काम करते हैं, जो सरकार से बीज और खाद के लिए ऋण लेते हैं क्या वे बड़े-बड़े लैण्डलार्ड हैं ? खेत खलिहान में काम करने वाले जो मजदूर हैं क्या वे अमीर लोग हैं ? इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी महिलायें हैं जो सिलाई करके अपना तथा अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण करती हैं। क्या उद्योगपति घरानों की महिलायें सिलाई का काम करती हैं ? इसलिए मैं समझती हूं जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि कौन सी महिलायें सिलाई करके अपना जीविकोपार्जन करती हैं। इसी प्रकार से प्रशर कुकर की भी बात है। क्या बड़े घरों की महिलायें स्वयं खाना बनाती हैं ? गरीब घरों की जो औरतें हैं उनकी ही सुविधा के लिए यह राहत दी गई है ? (व्यवधान) इसी प्रकार से जो लोग साइकिल पर चढ़ते हैं क्या वे धनी लोग हैं ? शेड्यूल्ड कास्ट, स्पोर्ट्समेन और साइंटिस्ट जो हैं उनके लिए अगर जनता पार्टी की सरकार ने नहीं सोचा तो वे खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार करें क्या उन्होंने सही काम किया ? इन लोगों से हमारे देश का गौरव बढ़ता है। हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी सभी सेक्शन्स के लोगों के इन्ट्रेस्ट्स एवं सेंटीमेंट्स को देखती हैं। मैं तो समझती हूं पिछली सरकार ने बहुत ही जनविरोधी और घटिया किस्म का बजट प्रस्तुत किया था। हरितक्रांति, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी देने की बात कहने वाली सरकार ने बड़े जोरों से नारा लगाया, लोगों को सब्ज बाग दिखाया, लेकिन उन्होंने क्या दिया ? जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए आई लेकिन उसने देश के लिए क्या किया ? देश को उसने क्या दिया ? उसने दिया लेबर अनरेस्ट जिसके परिणाम-स्वरूप 39 मिलियन मैनडेज का नुकसान पहुंचा। स्ट्राइक्स और लाक-आउट्स के कारण 39 मिलियन मैनडेज का नुकसान हुआ और उसकी वजह से 27 सौ करोड़ की डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लेना पड़ा। उसी के कारण आज हम को यह दिन देखना पड़ रहा है। पब्लिक अण्डर-टेकिंग्ज में केन्द्रीय सरकार ने 17 हजार करोड़ रुपया लगाया लेकिन मुझे दु ख के साथ कहना पड़ता है कि 1977-78 में 14 करोड़ का शुद्ध घाटा उठाना पड़ा। यदि 5 प्रतिशत के हिसाब से भी उसमें लाभ होता तो उससे 400 (चार सौ) करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी का जेनरेशन होता और उस पूंजी से दूसरे बड़े-बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जाता और इस देश की अर्थ-व्यवस्था को लाभ होता।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि हमारे जो पब्लिक सैक्टर के अण्डर टेकिंग्स हैं, चाहे वह पावर स्टेशन हों, चाहे कोल-माइन्स हों, चाहे स्टील प्लान्दस हों, चाहे बिजली घर हों, चाहे जो भी प्रतिष्ठान हों, उनमें जो अनुशासनहीनता आई वह पिछली सरकार की देन है, उनकी ढुलमुल नीतियों के कारण, गलत नीतियों के कारण व कमजोर प्रशासन के कारण आई थीं।

मुझे यह कहने में आपत्ति नहीं है कि प्राइवेट सैक्टर की बात यदि कही जाए तो उन्हें मनमानी मूल्य वृद्धि करने की छूट दी गई थी लूट और छूट, यह तो प्राइवेट सैक्टर की आम बात थी और पिछली सरकार उसको जड़वत देखती रही। अभी हाल ही में हमारी प्रधान मंत्री जी ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों को और बड़े-बड़े व्यवसायियों को चेतावनी दी है कि अब समय आ गया है वे समय की गति को पहचानें। यह बड़ा ही समीचीन है।

पिछले वर्षों में, 1977-78, 1978-79, देश में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में 3 परसेंट की गिरावट हुई, बिजली की कमी भी उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है। फैक्ट्रियां बन्द हो गई, सिंचाई के चैनल सूख गए और इस तरह से कारखानों के उत्पादन में व कृषि के

उत्पादन में अप्रत्याशित गिरावट आई है। हमारी प्रधान मंत्री जी ने बिजली की जो कमी है, उसके लिए घोर चिन्ता व्यक्त की है और राज्यों को कहा है कि जो न्यूनतम हमारी आवश्यकता है, उसको 1.0 परसेंट अधिक बिजली पैदा की जाए। गैस टरबाइन एवं मिनी हाइडल-प्रोजैक्ट्स के लिए हमारी सरकार सचेष्ट है और इस दिशा में प्रयत्नशील है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करती हूं कि इस कार्य में शीघ्रता की जाए ताकि बिजली की आपूर्ति की कठिनाई दूर हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं, कि हमने बहुत सुना था, जनता पार्टी और लोकदल की सरकार के बड़े-बड़े नेता लोग कहते थे, कि वे किसान के बेटे हैं, किसानों के मसीहा हैं। मैं चन्द उदाहरण देना चाहती हूं, कृषकों के प्रति उनके कृषक विरोधी रवैए के। चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है, बाजार में चीनी यदि नहीं मिलती है, इसका क्या कारण है? 1977-78 में 70 लाख टन चीनी सप्लस मार्केट में थी, लेकिन इनकी गलत नीतियों के कारण, इनकी अदूरदर्शिता के कारण, 7 लाख टन चीनी का इनडिस्क्रिमिनेटली उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। यदि 10 लाख टन चीनी ये बफर स्टाक में रख लेते, तो यह दिन देखना नहीं पड़ता।

मैं बिहार प्रान्त से आती हूं। हमारे यहां के किसानों का एक डैलीगेशन यहां आया था, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, और श्री भानु प्रताप सिंह जी राज्य मंत्री थे। उस समय गन्ना उत्पादकों का बहुत हैरासमेंट हुआ, उनको हतोत्साहित किया गया और उनको कहा गया कि गन्ना उत्पादन करना आप बन्द कर दो। मैं यह नहीं जानती हूं कि यह उनके रिकार्ड में है या नहीं है, लेकिन मैं सच बात कह रही हूं कि जो किसान यहां से लौटकर गए, वे हतोत्साहित थे। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने कहा है—"गो एंड बर्न देम"। यह स्थिति हमारे यहां क्यों पैदा हुई? पहले हम यहां से चीनी एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज हमें इम्पोर्ट करने की जरूरत पड़ गई। उन्होंने कहा कि आप गन्ना उत्पादन बन्द कर दीजिए, नहीं तो हमें आर्डिनेंस निकालना पड़ेगा। अभी दो-चार दिन पहले हमारे माननीय सदस्य, श्री रामावतार शास्त्री ने कहा कि जब से मैं दिल्ली आया हूं हमें चीनी नहीं मिलती है, मैं ऐसा समझती हूं कि दिल्ली के लोगों को तो चीनी मिल ही जाती है। हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हसलिए दुकानदार उनके स्वास्थ्य का ख्याल करते हैं सरकार को भी उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए इसलिए उनको चीनी नहीं मिली। बरना हम लोगों को तो मिल जाती है।

दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, वह यह है कि जनता पार्टी की अकर्मण्यता, उनकी अक्षमता का जीताजागता नमूना यह है कि छठी योजना को इन्होंने दफना दिया, पांचवीं योजना को पंगु बना दिया और इस तरह से जो योजनाओं को लागू करने में विलम्ब हुआ है, उसकी वजह से हमें एक हजार करोड़ रु० का घाटा उठाना पड़ा है। इस प्रकार से हमारी सरकार को चतुर्दिक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी विकट परिस्थितियों में सर्वांगीण विकास के लिए यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह कल्याणकारी बजट है। हमारी सरकार ने सभी सैक्शन्स के हितों को ध्यान में रखा है।

मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि तीन वर्षों तक जनता पार्टी की सरकार और लोकदल की सरकार गृह कलह और गृह युद्ध में मशगूल रही। इस तरह से चतुर्दिक समस्याओं का

अम्बार लगा दिया कि वह जनता पार्टी की सरकार जनता को बिल्कुल भूल ही गई कि जनता के लिए उनको क्या करना है। इस बात को मैं भूल सकती हूं और आप भूल सकते हैं, लेकिन इतिहास कभी भी इनको क्षमा नहीं करेगा, जिस तरह से उन्होंने हमारे देश की राजनीति के साथ, देश की अर्थ व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है।

मान्यवर, मैं दो शब्द कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगी। हमारा बिहार प्रान्त बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत गरीब है, हर साल बाढ़ और सुखाड़ की चपेट में आता है। सारे हिन्दुस्तान में जितनी क्षति बाढ़ से होती है, उसकी 40 प्रतिशत क्षति केवल हमारे प्रान्त में होती है। इसलिये सबसे पहला सुझाव मैं यह देना चाहती हूं कि वहां बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों की स्थापना कीजिये, ताकि वहां से बेरोजगारी दूर हो सके। बहुत पहले समय से वहां पर पेट्रो-कैमिकल काम्प्लैक्स की स्थापना की बात चली आ रही है। वहां बरौनी की ओल्डैस्ट रिफाइनरी है, सभी तरह के साधन मौजूद हैं, जिनके द्वारा पैट्रो-कैमिकल काम्प्लैक्स की स्थापना हो सकती है। इस सम्बन्ध में हमें पहले भी सरकार की ओर से आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आप से पुनः अनुरोध करना चाहती हूं कि जो अगला बजट बने, उसमें इसका प्रावीजन अवश्य किया जाय।

दूसरी बात—हमारे प्रान्त में करीब 428 करोड़ के खनिज पदार्थ होते हैं, लेकिन रायल्टी के तौर पर हमें मात्र 15 करोड़ रुपया मिलता है, मतलब यह कि 3 प्रतिशत भी मुश्किल से मिलता है जबकि कम से कम मिनिमम 10 प्रतिशत तो हमें मिलना ही चाहिए था, लेकिन यह हमें प्राप्त नहीं होता है। रीजनल इम्बैलेसेज की बात बराबर कही जाती है, उसको दूर करने के लिए सरकार को ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिये। मैं समझती हूं कि हमारी सरकार जिस तरह से प्रगति के लिये सोचती है, जिस तरह से विकास के लिये सोचती है, उसी तरह से हमारी सरकार अवश्य इन विषयों की तरफ ध्यान देगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री रामनाथ दुबे (बांदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस सामान्य बजट के समर्थन के लिए लड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह सचमुच में एक ऐतिहासिक बजट है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि वह एक समाज वादी बजट है, जो कि हर प्रकार से जन-कल्याणकारी है और समाज के सामान्य साधारण व्यक्ति को इससे राहत मिली है। इस बजट का प्रारूप हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस बुद्धिमानी से तैयार किया है, उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। इस बजट में हमारी पार्टी द्वारा किये गये जो वायदे थे, चुनाव घोषणा पत्र में दी गई जो बातें थीं, जिसका प्रारूप हमारे विदेश मंत्री जी ने तैयार किया था और जिसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का दिशा-निर्देश था और जिसमें स्वर्गीय माननीय संजय गांधी जी के सुझाव शामिल थे, उनको इस बजट में कार्य रूप में परिणित करने की चेष्टा की गई है और यह कुशल कार्य हमारे वित्त मंत्री जी का है।

उपाध्यक्ष महोदय, सन 1980 में हमारी पार्टी ने देश का शासन सम्भाला और जिस स्थिति में देश मिला, जैसी अर्थ-व्यवस्था विरासत में मिली है, मैं तो इसको कहूंगा—आर्थिक दुर्व्यवस्था, खोखली अर्थ-व्यवस्था, कर्मचारियों में अकर्मण्यता, अनुशासनहीनता, घटी हुई उत्पादन क्षमता—ये सब हमको विरासत में मिली और इन सब चीजों को सामने रखते हुए और

इन सबका मुकाबला करने की दृष्टि से जो बजट तैयार किया गया है, वह सचमुच में सराहनीय है।

इस बजट में जन-आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित किया गया है। हमारी पार्टी सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है—इस दृष्टि से देश के कोने-कोने के लोगों की जन-आकांक्षाओं को इसमें प्रतिबिम्बत किया है। उसका कारण यह है कि हमारी पार्टी की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो कि जन-जन की नेता हैं और जिनको कि इस बात का आभास है कि हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व से पश्चिम तक हर दिशा में हमारी जनता क्या चाहती है, उनको ज्ञान है लोगों की समस्याओं का और उन समस्याओं की दृष्टि में रखकर इस बजट में जो दिशा निर्देश किया गया है, वह हर प्रकार से जन-आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश का यह बुन्देलखण्ड क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मैं वहां की स्थिति का थोड़ा सा वयान करना चाहूंगा। वहां की भूमि हमवार नहीं है और पेड़ फलदार नहीं हैं। वहां पर सिंचाई का भी कोई साधन नहीं है। ऐसी स्थिति हमारे क्षेत्र की है, जिसकी जनसंख्या लगभग 12 लाख है। जमीन काफी है लेकिन सींचने का कोई साधन नही है। इसलिए उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकी है। इसलिए हमारे क्षेत्र की यह विशेष आवश्यकता है कि वहां पर खेतों के लिए पानी मिले और लोगों के पेट के लिए पानी मिले। वहां पर पीने के पानी का महान संकट है। तो मैं वित्त मंत्री जी को यह सुझाव दूंगा कि इस क्षेत्र में, जहां खेती के लिए पानी का संकट है और जहां लोगों के लिए पीने के पानी का संकट है, पानी की विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है और इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि वहां पर उद्योग नाम की कोई चीज नहीं है और आज तक कभी इस बारे में सोचा भी नहीं गया है। हमारा क्षेत्र गरीबों का क्षेत्र है और विशेष तौर पर हमारा क्षेत्र हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है। उस क्षेत्र में आज तक कोई उद्योग नहीं लगा। मैं तो कहूंगा कि इस बारे में आज तक सोचा भी नहीं गया है कि कोई उद्योग वहाँ पर लगाया जाए। वहाँ पर बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। बांदा जनपद कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ की जनता आम तौर पर कृषि पर अपना जीवन निर्वाह करती है। इस पिछड़े हुए क्षेत्र में कृषि के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए मैं अपने वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूँगा। मैंने इसके पहले भी माननीय प्रधान मंत्री जी के समक्ष पत्र लिखकर मांग की थी कि जिस प्रकार से हिल डेवलपमेंट कमीशन नियुक्त किये गये हैं, उसी प्रकार से बुन्देलखण्ड डेवलपमेंट कमीशन नियुक्त करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इस क्षेत्र की समस्यायों को सुलझाया जा सके। इससे इस पिछड़े हुए क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक उत्थान हो सकेगा और मै विश्वास दिलाता हूं कि अगर खेतों को भरपूर पानी मिलेगा, तो यह क्षेत्र हमारे प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों को भी गल्ला दे सकेगा। ऐसी हमारे इलाके की क्षमता है। लेकिन पानी न मिलने के कारण इस क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

हमारे क्षेत्र में बिजली का अभाव है और बिजली समय से भी नहीं मिल पाती। हमारे क्षेत्र के लिए थर्मल पावर स्टेशन होने चाहिए क्योंकि पानो की कमी है। थर्मल पावर स्टेशन की

विशेष व्यवस्था हमारे क्षेत्र के लिए की जानी चाहिए जिससे वहां पर बिजली उपलब्ध कराई जा सके। सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए ट्यूबवैल्स और दूसरी मशीनें लगाई जानी चाहिएं, जिनसे अधिक सिंचाई हो सके।

इन समस्याओं की ओर मैं विशेष तौर पर वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र का विशेष ध्यान रखते हुए हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए वे विशेष व्यवस्था करें।

इसके साथ ही मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इन सुझावों के साथ मैं, वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, 1980-81 का बजट पेश करते समय माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस चतुराई, कारीगरी और कलाकारी का परिचय दिया है उसके लिए तो उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर गहराई से इन बजट प्रस्तावों का अध्ययन किया जाय तो मेरे जैसे आदमी को यह सोचना पड़ेगा कि इस बजट की जितने कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा की जाय, वह कम है। आज से ढाई हजार वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका मतलब यह कि किसी भी राजा या सरकार का यह कर्त्तव्य बन जाता है कि वह अपनी प्रजा, अपनी जनता के हर व्यक्ति का भला अगर नहीं कर सकती, उसको रोटी कपड़ा और रोजगार नहीं दे सकती, तो कम से कम, अधिक से अधिक लोगों का भला उसे करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों का हित करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को सुख देना चाहिए। लेकिन इस बजट का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने देश के कुछ गिने चुने लोगों का, सीमित लोगों का हित करने के लिए, उनको सुख देने के लिए, उनका भला करने के लिए ही यह बजट पेश किया है।

आजादी के 33 साल बाद आज जब हम देखते हैं कि वह बच्चे जिनको शिक्षा मिलनी चाहिए, वे बच्चे जिनको अच्छे कपड़े पहनने को मिलने चाहिए, जिनको अच्छा भोजन मिलना चाहिए, वे आज बाजारों में जूठे दोने और कुल्हड़ चाट कर अपने पेट की ज्वाला शांत करते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। 33 साल की आजादी के बाद आज इस देश में हर बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था नहीं, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि वे बच्चे जिनका भविष्य नहीं बन पा रहा है और यह सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है वे बच्चे आज मेहनत करने पर मजबूर होते हैं और नतीजा यह होता है कि जवानी में ही वे मर जाते हैं और बुढ़ापा तो वे देख ही नहीं पाते। मेरे बहुत से साथियों ने कहा है इस देश में आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही है, मैं जानना चाहता हूं कि इस बजट में उन लोगों के शिए क्या प्रावधान है ? इस बजट में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों के लिए क्या प्रावधान है। आप देश के अन्दर किसी भी एम्पलायमेंट एक्सचेंज पर जायें किसी भी जिले के सदर मुकाम पर जायें तो शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की लाइन पाएंगे और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश की अस्सी प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या देहातों में रहती है। लेकिन इस बजट में जितने लोगों की भलाई की बात कही गई है और सोची गई है वह शहर के लोगों के लिए सोची गई है और उन्हीं के लिए इसमें प्रावधान है। आज भी

अधिकांश गांव ऐसे हैं जहां कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, पांच पांच हजार से ज्यादा आबादी के गांव ऐसे जहां पर अस्पताल नहीं हैं। हमारी माताएं, बहनें जो गर्भवती होती हैं उनके लिए वहां पर जच्चा बच्चा केन्द्र नहीं हैं। वहां सड़कें भी नहीं हैं जिससे कि वे शहर या कस्बे में जाकर अस्पताल में दाखिल हों सकें ओर वहाँ अपने बच्चे को जन्म दे सकें। बहुत सी मौतें इस तरह से हो जाती हैं। आधे से अधिक गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में यह स्थिति है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत के दो सूबे उत्तर प्रदेश और बिहार जहां पर सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, आजादी के 33 साल बाद भी इस सरकार की दुर्व्यवस्था की वजह से, अव्यवस्था की वजह से उन रिसोर्सेज का अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है और वहां पर भी आज इतनी गरीबी और इतनी बेरोजगारी है कि जिसका कोई मुकाबिला नहीं है।

बड़े ताज्जुब के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज भी इस देश में हजारों की तादाद में जाड़े में लोग बगैर कपड़े के मर जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में, गर्मियों में जब लू चलती है तो हजारों लोग लू से मर जाते हैं। उनके जीवन की व्यवस्था का कोई भी साधन सरकार ने अभी तक मुहैया नहीं कराया है।

श्रीमन्, मैं अपने जिले अलीगढ़ पर आता हूं। आज सारे देश में लाखों एकड़ भूमि ऊसर पड़ी हुई है और इस देश में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक इंच भी जमीन नहीं है। अगर उस जमीन को अरखेज बनाया जाए तो इस देश के बहुत से लोगों की रोजी-रोटी की समस्या हल हो सकती हैं। मेरे जिले अलीगढ़ में ही 80 हजार एकड़ जमीन ऊसर है। अगर उसको उपजाऊ बनाकर के गरीबों में बांट दिया जाए तो उनक रोजी-रोटी की व्यवस्था हो सकती है।

मेरा क्षेत्र आगरा, जहां से मैं चुनकर आया हूं। आजादी के बाद से उस क्षेत्र का जितना तिरस्कार और अवमानना हुई है, उसको उस क्षेत्र के लोग समझते हैं। 1947 में हाथरस, कानपुर के बाद सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था। वहां पर दर्जनों सूती मिल थे, तेल के मिल थे और छोटे-छोटे उद्योग धंधे थे। आज वे सब बर्बाद हो चुके हैं केवल एक सूती मिल वहां चल रहा है और वह भी पूरी शिफ्ट्स में नहीं चल पा रहा है। मैं इन्दिरा जी का शुक्रगुजार हूं कि सन् 1971-72 में उन्होंने हाथरस में एक उर्वरक कारखाना लगाने की मंजूरी दी थी। परिस्थितिवश वह खटाई में पड़ा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के चार खाद्य के कारखाने लगने जा रहे हैं। मैं बड़े पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इनमें से एक कारखाना हाथरस में लगना चाहिए। हाथरस मथुरा के नजदीक है। यह कारखाना वहाँ लगना चाहिए जिससे कि वहां के हजारों लोगों को रोजी-रोटी मिल सके और वहां पर एक खुशहाली का वातावरण पैदा हो जाए और लोगों को सुख चैन की सांस लेने का मौका मिले। इससे वहां के लोग यह सोचने पर मजबूर हो जायेंगे कि सरकार का ध्यान हाथरस की तरफ भी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन चार कारखानों में से एक कारखाना हाथरस को अवश्य मिलना खाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का सभय दिया. इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट में सरकार की नीतियों को पैसे की भाषा में लिखा जाता है। एक यह बजट जो हमारे अर्थशास्त्री ने बनाया है, वित्त मंत्री हमारे बड़े गहरे अर्थशास्त्री हैं, क्या यह बजट हमारी ज्वलंत समस्याओं, देश की समस्याओं का निराकरण कर सकेगा ? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने है। आज हमारे देश में विशाल पैमाने पर बेरोजगार लोग हैं। लाखों, करोड़ों की संख्या में गरीब लोग हैं। 22 लाख से ऊपर हमारे देश में बंधुवा मजदूर हैं। उन मजदूरों की हालत क्या है ? उन मजदूरों की हालत यदि देखी जाए तो वह एक बड़ी चिंताजनक हालत है। उनको बड़ी दयनीय हालत से गुजरना पड़ता है। सन् 1976 में हमने उनके लिए कानून बनाया था। हमने सोचा था कि हिन्दुस्तान से बंधुआ मजदूर हट जाएंगे। 22 लाख नहीं आज उससे भी ज्यादा संख्या इन बंधुआ मजदूरों की है। कई प्रान्तों में इनकी गिनती नहीं की गई है। इनमें से 66 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के हैं और 18.3 प्रतिशत शैड्यूल्ड ट्राइवज के हैं। ब्याज ये कितना देते हैं ? 11.6 प्रतिशत बंधुआ श्रमिकों को 40 प्रतिशत से अधिक प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना पड़ता है, 10.5 प्रतिशत को 25% से 40% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना पड़ता है और 45 प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें ब्याज देना ही नहीं पड़ता।

इस प्रकार की जो ज्वलंत समस्यायें देश के सामने मुंह बाए खड़ी हैं क्या इनका निराकरण यह पुराने सांचे में ढला हुआ बजट कर सकेगा ? मैं समझता हूं कि एक क्रान्तिकारी बजट की जरूरत थी जो हमारी इन ज्वलंत समस्याओं का निराकरण कर सकता।

आज हजारों डाक्टर बेकार हैं, हजारों इंजीनियर बेकार हैं, लाखों पढ़े लिखे लोग बेकार फिर रहे हैं। हमारे वित्त उप मंत्री युवा पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं। वे इस बात को जान लें और दीवाल पर लिखी हुई इस चीज को देख लें कि अगर इन ज्वलंत समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो भगवान जाने क्या होगा, कहीं ऐसा न हो कि खूनी क्रान्ति हो जाए। तब क्या होगा मैं नहीं जानता।

विशाल पैमाने पर आज हमारे यहां डिसपैरिटी है। आपने इसको मिटाने का कोई प्रभावशाली प्रोग्राम पेश नहीं किया है। हमारा बजट घाटे का बजट है। आप फारेन एड पर निर्भर करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हमारा सैल्फ रिलायेंस का जो प्रिंसिपल था उसका क्या हुआ ? वह कहां चला गया है ? हम आत्म निर्भर कब होंगे ? आज हमारे ऊपर कर्जा कितना है, फारेन डैट कितना है ? फारेन डैट हमारे ऊपर 8425 करोड़ का है। बीस परसैंट फारेन एड पर हम डिपेड करते हैं। अब आप देखें कि ब्याज हम कितना देते हैं। हिन्दुस्तान कुल जो ब्याज देता है 2557 करोड़ सालाना देता है। देश में और देश के बाहर जो ब्याज दिया जाता है वह इतना बैठता है।

बजट पर इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली में जो आर्टिकल छपा है, उसको मैं यहां पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं :

"पूंजीगत प्राप्तियों में की गई वृद्धि को पूरा करने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप वित्त मंत्री पहले से चले आ रहे बजट के घाटे को निम्न स्तर पर रखने में सफल हुये हैं और वह करदाताओं को यह आभास दिलाने में सफल रहे हैं कि उन्होंने उन पर कोई कर नहीं लगाया है, इसके बावजूद भी सरकार की विदेशी सहायता पर निर्भरता में 269 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई

है जिसका पुनरीक्षित अनुमान 1979-80 के लिए 531 करोड़ रुपये का था तथा जो बढ़कर 800 करोड़ रुपये हो गया है.....अभी हाल ही में सरकार को बहुत अधिक मात्रा में वित्तीय अनुदान तथा वस्तुओं के रूप में ऐसे देशों से सहायता प्राप्त हुई है जिन्हें सरकारी तौर पर 'मित्र विदेशी देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों' की संज्ञा दी जाती है तथा जिनसे वर्ष 1979-80 में 418 करोड़ रुपये प्राप्त हुये थे और जिनसे इस वर्ष 428 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है। इन आंकड़ों को देखकर अब हम आश्चर्य से अपनी भौहें नहीं चढ़ा लेते हैं क्योंकि आजकल हम आत्मनिर्भरता की बात नहीं करते हैं और विदेशी सहायता को बिलकुल न लेने के लक्ष्य को भी हम चुपचाप भूलते जा रहे हैं।"

तो यह सैल्फ रिलायेन्स कब होगा हिन्दुस्तान में ? हिन्दुस्तान में अगर बच्चे-बच्चे पर कर्जा हो बाहर के करोड़ों रुपये पर हम निर्भर रहें, हमारी आर्थिक हालत खराब हो, 30 करोड़ लोग विलो पावर्टी लाइन हों, ऐसी हालत में हम एक बजट लाते हैं और उस पर अभिमान करते हैं। अभिमान करना पड़ता है क्योंकि हमने बहुत अच्छा बजट पेश किया है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन समस्याओं को मिटाने का कोई तरीका है ? बहुत बड़ा तरीका है, आसान तरीका है लेकिन आज हिन्दुस्तान में नौकरी करने वाले लोगों की संख्या 30 लाख है। 30 लाख आदमी हमारी गवर्नमेंट में काम करते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी हालत देखें कि वह किस तरह से बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से यह संख्या बढ़ी है, उन पर कितना खर्च बढ़ रहा है। इस पर यदि कभी गौर फरमायेंगे तो बड़ा दुःख होगा। क्या वित्त मंत्री महोदय अपने तेज चाकू से इस खर्च को कभी घटा सकेंगे ? इस खर्च का वर्णन मैं आपको देना चाहता हूं कि 30 लाख पर कितना खर्च होता है और इनका कितना यूटिलाइजेशन है। इनका 1978-79 में कुल खर्च आता है 56 करोड़ 25 लाख 81 हजार, फिर यह आगे एक साल के बाद 1979 में 61 करोड़ हो गया और उसके बाद 1979-80 में 64 करोड़ हो गया और फिर 79 करोड़ मैं ये फिगर्स ज्यादा डिटेल में देना चाहता था। इस गवर्नमेंट की क्या हालत हो रही है, किस प्रकार से लोग बढ़ते जाते हैं और इसका मैसिव खर्च करोड़ों रुपये तनख्वाह का आता है।

कालिंग अटैंशन के नाम से जो आर्टिकल निकला है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और उसका कुछ रेलवेन्ट पोर्शन यहां बताना चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि मंत्री महोदय इसको पढ़ेंगे। इस आर्टिकल को लिखने वाला 'डक्कन हैरेल्ड' है जो कि 12.2.80 के अंक में निकला है, लिखने वाले बी० बी० कुलकर्णी हैं। वह कहते हैं अपने इस कालिंग अटैंशन में :

अगस्त, 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग को अपना प्रस्तुत करते समय सम्बद्ध अध्ययन दल ने इस अनियमित-वृद्धि का उल्लेख करते हुये कहा : "हम इस तथ्य से सहमत नहीं हैं कि व्यक्तियों की संख्या में जो वृद्धि की गई है, वह मुख्यतः या अधिकांश रूप से कृत्यों या कार्य की मात्रा में होते वाली वृद्धि के कारण हुई है। "जबकि 1939 में सम्पूर्ण केन्द्रीय सरकार का कार्य चलाने के लिए 20 अवर सचिव अपेक्षित थे, आज वह एक छोटे से कार्यालय को चलाने के लिए ही इतने अवर सचिव अपेक्षित हैं।" यद्यपि इसकी कोई कृत्यात्मक आवयकता नहीं थी, तो भी प्रत्येक मंत्रालय के आकार को पूरी सरकार के आकार का बनने दिया गया। राज्य सरकारों ने नई दिल्ली स्थित अपनी मार्गदर्शक सरकार का उत्साहपूर्वक अनुसरण किया।"

"1956 में सरकारी सेवा में 55,340 लाख व्यक्ति थे। इसके केवल 4 वर्षों के बाद ही इनकी संख्या 66,580 लाख हो गई। मार्च 1966 में 93.60 लाख व्यक्ति सेवा में थे।"

"1971 में इनकी संख्या 110 लाख की और 1977 में इनके आंकड़े 141.30 लाख थे।"

पंडित नेहरू ने सेवाओं में इस गैर-योजनाबद्ध वृद्धि को प्रशासनिक जंगल की संज्ञा की। इसमें करोड़ों करोड़ रुपये का खर्चा बढ़ रहा है। तीस लाख आदमी हैं, जिन पर करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, मगर फिर भी उन्हें ओवरटाइम, एलाउंस दिया जाता है। 1974-75 में 55 करोड़ रुपये, 1975-76 में 61.75 करोड़ रुपये, 1976-77 में 49.15 करोड़ रुपये और 1977-78 में 56.21 करोड़ रुपये ओवरटाइम, एलाउंस के रूप में दिये गये। इसमें बड़ी डीटेल में बताया गया है कि इन 33 लाख आदमियों के काम करने का तरीका क्या है। चार घंटों में एक क्लर्क आन एन ऐवेरेज तीन लाइनें लिखता है। इस तरह करोड़ों रुपये का अनप्राडक्टिव एक्सपेंडीचर हो रहा है।

सरकार ने अपनी सर्विसिज को कभी कंट्रोल नहीं किया है। वह नहीं कर सकती है, क्योंकि यह एक आर्गनाइज्ड सैक्टर है। आर्टिकल 309 और 311 में कोई अधिकार नहीं है, चाहे कोई कितना काम करे। एडीशनल सेक्रेटरी, जायंट सेक्रेटरी, डिपुटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी--गाड नोज हाउ मैनी सेक्रेटरीज रखे हुए हैं।

मैं इस आर्टिकल को श्री बरोट को दे दूंगा। इसको पढ़कर वह जरूर इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि किस प्रकार हमारा अनप्राडक्टिव एक्सपेंडीचर बढ़ता जा रहा है। इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है। कौन नाराजगी मोल ले? एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था : "**सरकारी धन को कौन व्यर्थ गंवा रहा है**"। इसमें यह भी लिखा है कि कर-दाताओं की लगभग 60 प्रतिशत धन राशि, जो कि लगभग 11,736 करोड़ रुपये है तथा गैर-योजना व्यय में आती है, उसे व्यर्थ गंवाया जा रहा है।

सब पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में घाटा हो रहा है। हमारे यहां जो खेतरी की कापर प्राजेक्ट है, उसमें 128 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट हुआ है, मगर उसमें 60 करोड़ रुपये का घाटा है। मेरे पास सब पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के आंकड़े हैं कि उनमें कितना इनवेस्टमेंट हुआ है और कितना घाटा होता है। क्या गवर्नमेंट ने किसी अफसर या कर्मचारी को हटाया है? अभी तक आर्टिकल 309 और 311 के अन्तर्गत कोई एक्ट नहीं बना है। रूल्ज चल रहे हैं। जब चाहते हैं, रूल्ज को एमेंड कर देते हैं। ये लोग बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पाते हैं, उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। न जाने तीस लाख लोगों की यह फौज हमारे देश को कहां ले जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इन सभी लोगों को कुछ आंकड़ों के आधार पर ही रोजगार दिया गया है। इसीलिए उन्हें रोजगार में लिया गया है। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें अनावश्यक रूप से नौकरी में लिया गया है?

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान जी, मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह तथ्यों पर आधारित है। मैंने प्रश्न पूछा था और उसके उत्तर में मुझे यह बताया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तथ्यों के अतिरिक्त कुछ नहीं कहते हैं। परन्तु इन सभी लोगों को नौकरी में कुछ नियमों तथा कुछ कार्य के मानदण्डों के अन्तर्गत लिया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : इसका कारण यही है कि यद्यपि 32 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है फिर भी हम सेवाओं के लिए कोई नियम नहीं बना पाये हैं। उनके बारे में अधिनियम लाना

हमारा कर्त्तव्य है ताकि अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें अनुशासित किया जा सके। उन्हें पुराने नियमों के अन्तर्गत ही चलाया जा रहा है। क्योंकि उन्हें शासित करने के बारे में कोई अधिनियम नहीं है, इसीलिए कोई भी मुख्य मंत्री या मंत्री उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : अब मैं आपका ध्यान सीलिंग ला की तरफ खींचना चाहता हूं। आप कहते हैं कि एकोनामिक डिस्पैरिटी आप हटाना चाहते हैं। एकोनामिक डिस्पैरिटी की हालत देखें, 17.25 परसेंट यानी बहुत कम जमीन लोगों के पास रह गई है। सारी जमीन पर सीलिंग लागू नहीं हो पायी। अर्बन लैंड सीलिंग ऐक्ट 1974 के अन्दर पास हुआ। आज आप कहते हैं कि हम उसमें अमेंडमेंट करेंगे, हम उसके अन्तर्गत जमीन नहीं ले सके हैं। आज तक हम उसके ऊपर अमल करके कोई जमीन नहीं ले सके और न उसमें कोई अमेंडमेंट कर सके। हजारों लाखों करोड़ों की जमीन लोगों के पास पड़ी है।

आप काले धन की बात देखिए। एक्साइज ड्यूटी से आफिसर, कस्टम आफिसर्स और इनकमटैक्स आफिसर्स ये कितने मालामाल हो गए? क्या सरकार कभी इसकी जांच करवाएगी कि ये कितने पैसे वाले हो गए हैं और गवर्नमेंट का कितना लीकेज होता है? लीकेज की भरमार है। कहते हैं कि एक पैरेलल एकोनामी ब्लैक मनी की चल रही है। गवर्नमेंट शासन करना चाहती है लेकिन न अर्बन लैंड पर सीलिंग लागू हो सकी, न लैंड सीलिंग लागू हो सकी, न मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू हो सका। 1948 से आज तक वह मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू नहीं किया जा सका।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने कभी काला धन देखा है?

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको बताता हूं, जयपुर के राजघराने से सोना मिला। कितना सोना मिला और जनता पार्टी ने क्या काम किया? बहुत बड़ा काम किया। सारे सोने को वापस दे दिया, थोड़ा सा टैक्स लगाकर .....(व्यवधान).....13 फरवरी 1975 को जो सोना मिला था कांग्रेस राज में जयपुर के अन्दर वह 110 किलो था। इसमें लिखा है कि 110 किलोग्राम सोने के बर्तन पाए गए थे जिसमें 24 किलो का एक हमाम था, 8-8 किलो की कई सोने की थालियां थीं। और मैं आपको क्या गिनती बताऊं। उस पूरे सोने को जो अरबों रुपये की दौलत थी जनता पार्टी ने क्या किया? वह जनता पार्टी की हुकूमत जो पूंजीवादी हुकूमत थी, तीन साल तक बोलने वाले जिनके नेता, भगवान न अच्छा किया गद्दी टूट गई—राम किसी को मारे नहीं, नहीं राम हत्यारा—वे अपने आप चले गए। यह सारी जो ब्लैक मनी है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप छीन क्यों नहीं लेते? आप को कौन मना कर रहा है?

श्री मूलचन्द डागा : ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि स्मग्लर्स ऐंड फारेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स का ऐक्ट 1976 में पास हुआ और उसके अन्दर क्या हुआ? 13 लाख रुपये केवल उसके अन्दर लिए गए और उस पर खर्चा हो गया साढ़े सत्तर लाख।

मैं एक-एक आंकड़े बताऊं, रेफ्रेन्स सेक्शन से इकट्ठे किए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमने कोई स्टेप्स नहीं लिए, काला धन नहीं निकाला, गवर्नमेंट सर्वेन्टस, राज नेता—इन सभी की पूंजी की जांच नहीं की और ब्लैक मनी को बाहर नहीं निकाला तो फिर दीवालों पर क्या लिखा है उसको आप पढ़ लेना। इस तरह के बजट यहां पर लाकर आप जनता के अरमानों को पूरा नहीं कर सकेंगे। उनके अरमानों को पूरा करने के लिए संविधान एक शस्त्र है। आप संविधान को बदल दीजिए, पूरा बदल दीजिए, लेकिन गरीब लोगों को आप ऊपर लाइये। अगर आप नहीं लाए तो आपसे मांगेंगे नहीं। हम भीख नहीं मांगते, बल्कि खुराक छीन-कर खाते हैं। फिर क्रांति आयेगी जिसकी एक थोड़ी सी झलक आप नार्थ में देख लीजिए। इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि इस प्रकार के बजटों से कोई लाभ नहीं होगा। हमारी पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज में करोड़ों अरबों का घाटा हो रहा है। इतनी ऊंची-ऊंची तनख्वाहें लेकर वहां पर अधिकारी बैठे हुए हैं। एअरकंडीशन्ड कमरों में बैठकर मौज उड़ा रहे हैं। हमारे बरोट जी मजदूरों के नेता हैं, उनको समझना चाहिए और माननीय वित्त मंत्री जी से भी वे कहेंगे कि बजट में ड्रास्टिक चेंजेज की जरूरत है।

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : माननीय वित्त मंत्री जी ने सन् 1980-81 का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। 1979-80 में न केवल हिन्दुस्तान बल्कि सारे विश्व में 10 प्रतिशत की मुद्रास्फीति हुई। इसके साथ-साथ 282 करोड़ का जो कराधान बजट में रखा गया है उसके बाद भी 1640 करोड़ का घाटा हो तो इसको कोई अच्छी बजट व्यवस्था नहीं कही जा सकती है। लेकिन इसका श्रेय पिछली जनता सरकार और भारतीय जनता सरकार को जाता है। पूर्व प्रधान मंत्री जी ने इस बजट के सम्बन्ध में कहा है कि यह पुरानी बोतल में पुरानी शराब है। मैं पूछना चाहूंगा क्या पूर्व प्रधान मंत्री ने शराब चखा है या नहीं ? यदि चखे होते तो वे जरूर पुरानी शराब की तारीफ करते। वे शराब के क्षेत्र में जाकर देखें कि पुरानी शराब का कितना महत्व होता है।

इसके साथ ही साथ हमारे विरोधी भाइयों ने सुझाव भी दिए लेकिन लोकदल की सरकार ने पिछले साल जो 2400 करोड़ का घाटा दिया उसकी पूर्ति आज तक नहीं हो पा रही है। आज उपभोक्ता वस्तुयें जो इतनी मंहगी मिल रही हैं उसका कारण पिछली लोकदल और जनता सरकारें ही हैं।

मैं जिस प्रदेश, मध्य प्रदेश से, यहां पर आता हूं वहां के बीड़ी उद्योग के सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना चाहूंगा। हमारे प्रदेश के 45 जिलों में से 40 जिलों में इसका धंधा होता है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो वहां पर बिना लेवल की बीड़ी बनती है, उसके सम्बन्ध में वित्त मंत्री की स्पीच में कहा गया है कि लागू छूट की उदार सीमा जो इस समय 60 लाख बीड़ी प्रति निर्माता प्रतिवर्ष है, इस सीमा को कम करके 30 लाख बीड़ी प्रति निर्माता प्रति वर्ष कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां जो कारीगर होते हैं, वे वीकर-सैक्शन्स के होते हैं, हरिजन व आदिवासी होते हैं। हमारे यहां पर कारपोरेशन्स हैं, जो तेंदू की पत्ती तुड़वाती हैं और उस पत्ती को ये बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के लोग, पूंजीपति लोग 90 पैं० पर के. जी. के हिसाब से लेते हैं और जो बीड़ी बनाने

वाले छोटे लोग हैं, कारीगर हैं उनको 4, 4.50 रु० प्रति किलो के हिसाव से देते हैं और 10 पैं० जर्दा और तम्बाकू का अलग से देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने यह चीज भी हास्यास्पद होगी कि जिस तरह से पगड़ी दी जाती है, उसी तरह से हजारों मजदूरों से लाखों रु० ये पहले जमा करा लेते हैं, फिर उनको काम दिया जाता है। तेंदू की पत्ती दी जाती है व बीड़ी बनाने के लिए जर्दा या तम्बाकू दिया जाता है। हमारी कांग्रेस की जो समाजवादी समाज रचना है, उसके अन्तर्गत आपको देखना होगा कि आपने यह जो वित्तीय बजट बनाया है, जिसमें वीकर-सैक्शन्स के लिए, आदिवासियों के लिए जो बड़ी-बड़ी योजनायें रखी हैं, ये जो बीड़ी बनाने वाले छोटे कारीगर हैं, छोटे तबके के लोग हैं, ये जो पैसा पूंजीपतियों के पास जमा कराते हैं, वह पैसा उनको वापिस नहीं मिलता है। यह कोई सिक्योरिटी नहीं है, इससे ये पूंजीपति लोग काला-बाजारी करते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों की विकास योजनाओं के लिए बजट में अलग से 100 करोड़ रु० की वित्तीय व्यवस्था की गई है। हमारे 18 राज्य, जो आदिवासी प्रधान कहे जाते हैं और उनके साथ-साथ संघ राज्य आ जाते हैं, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि केन्द्र शासन और राज्य शासन के बीच में इस पैसे को खर्च करने के लिए सिर्फ आठ माह का समय मिलता है। पिछले जनता रिजीम में इसी तरह की जो वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को दी थी आदिवासी विकास योजनाओं के लिए, उसमें से 50 लाख रु० हमारे यहां पर लैप्स हुआ। आपको इस पर निगाह डालनी होगी और राज्य शासन को आप निर्देश दें कि जो वित्तीय सहायता देते हैं, उसका सही-सही उपयोग करें।

इस बजट में आपने बताया है कि 70 करोड़ रु० सब-प्लान के लिए रखा है, यह बहुत कम है। यह केवल 18 राज्यों और संघ राज्यों के लिए है। क्योंकि पहले जो शेड्यूल्ड एरिया नान-शैड्यूल्ड एरिया माना जाता था, उसमें भी बहुत से क्षेत्रों को आपने शैड्यूल्ड एरिया घोषित किया है। उस दृष्टि को देखते हुए यह जो 70 करोड़ रु० की राशि आपने आंकी है, वह बहुत कम है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 करोड़ रु० का जो प्रावधान रखा है, उसका स्वागत करता हूं। इससे हमारे जितने भी वीकर सैक्शन्स के लोग हैं, हरिजन-आदिवासी भाई हैं, उन आठ लाख परिवारों को फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस बजट में कोयला क्षेत्र के लिए 190 करोड़ रु० की वृद्धि की है, इसको बढ़ाकर अब 473 करोड़ रु० किया गया है, यह बहुत ही अच्छा है और विद्युत के लिए जो 274 करोड़ रुपये रखे हैं और पैट्रोल के लिए 215 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 286 करोड़ रुपये रखे हैं—इनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि हमारे वीकर सैकशन्ज को यहां से जितनी भी वित्तीय सहायता मिलती है, खासकर हमारे मध्य प्रदेश में, जहां दो-तिहाई एरिया आदिवासियों का है, वहां जो भी सब-प्लान्ज हों, जैसे कि आपने विद्युत में एक रूरल इलैक्ट्रिफिकैशन की स्कीम चलाई है और जो सहायता दी जाती है, इसमें राज्य शासन को कहा जाता है कि मीन्ज आफ कम्यूनिकेशन्ज राज्य शासन के ऊपर निर्भर करेगा, तो जितने सब-प्लान्ज हैं, योजनायें हैं, उनमें सड़कों को भी जोड़ा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा

एक सुझाव है---जिस तरह से विद्युत के लिए रूरल इलैक्ट्रिफिकैशन कारपोरेशन है, उसी तरह से रूरल रोड-वेज कारपोरेशन बनाई जानी चाहिए ताकि इस कारपोरेशन के तहत जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहां पर सड़कें बनाई जा सकें। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हमारे सभी प्लान्ज धरे-के-धरे रह जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शहडोल क्षेत्र से आता हूं, यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वैसे तो केन्द्रीय शासन और राज्य शासन ने बीकर सैकशन्ज को बहुत रियायतें दे रखी हैं, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों में जितने प्राइवेट औद्योगिक संस्थान हैं इनके द्वारा बीकर सैक्शन्ज का जो शोषण होता है, उसको चैक करने की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

हमारे शहडोल जिले में औरिएन्ट पेपर मिल्ज एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, मैं उसके सम्बन्ध में इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इस मिल की स्थापना के सम्बन्ध में जिन लोगों की जमीनों का एक्वीजीशन किया गया था, उनको पूरा कम्पेन्सेशन नहीं मिला और इस औद्योगिक संस्थान के मालिक लोग उनके साथ झूठे बहाने बनाते रहे। उस समय एक शर्त यह रखी गई थी कि जिन लोगों की जमीनों का एक्वीजीशन हो रहा है, हर परिवार के एक व्यक्ति को इस प्रतिष्ठान में काम दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, परिणाम यह हुआ कि वे लोग आज भिखारी की तरह से इधर-उधर भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, उस स्थान के करीब अमरकंटक से सोन नदी का उदगम है, जो उसी प्रतिष्ठान के किनारे से बहती है और इस कारखाने का तमाम गन्दा पानी सोन नदी में छोड़ा जाता है। पानी के इस भीषण संकट के समय में– आप स्वयं अन्दाजा लगाइये 50-60 मील तक लोगों को इस सोडा मिले हुए गन्दे पानी को इस्तेमाल करना पड़ता है। इस पानी को पीकर लाखों की तादाद में मवेशी मर गये लेकिन उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। शुरू में यह शर्त रखी गई थी कि इस गन्दे पानी का प्योरिफिकेशन करके नदी में डाला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न ही कोई डग-वेल्ज वहां पर खोदे गये। ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में हमारी कांग्रेस की यह नीति रही है कि उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप इस पर तुरन्त ध्यान दें।

इसी सम्बन्ध में मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं—उस क्षेत्र में हमारे गरीब आदिवासियों, अल्प-संख्यक लोगों का बहुत शोषण हो रहा है। इस औद्योगिक प्रतिष्ठान के लग जाने से वहां पर काफी राष्ट्रीय क्षति हो रही है। डी-फारेस्टेशन हो रहा है। आधे मध्य प्रदेश के बांस की खपत ओरिएन्ट पेपर मिल में हो गई है और इसके साथ ही जो 'साल्है' की लकड़ी वहां पर पैदा होती है वह भी इसमें खपत हो रही है, परन्तु उसकी खपत के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह लकड़ी बहुत अच्छा कागज बनाती है, लेकिन इसकी खपत न दिखाकर केवल बांस का खर्चा ही दिखाया जाता है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इस ओर तुरन्त ध्यान दें।

कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में एक और हास्यास्पद चीज आपके सामने रखता हूं। इस औद्योगिक प्रतिष्ठान के मालिकों ने वहां की गरीब जनता को कम्पेन्सेशन के स्थान पर उनको ढोलक और मजीरा दे दिया है और कह दिया है कि तुम लोग जाओ, गावो और बजाओ। यह कहां का न्याय है ? आपको इस ओर देखना चाहिए और इसको चेक करना चाहिए।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपने 2246 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है तथा कृषि के क्षेत्र में कराधान को माफ किया गया है। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि 25 लाख हैक्टेयर असिंचित जमीन में सिंचाई होगी। मैं चाहता हूं कि इसमें जितनी भी मेजर स्कीम्ज हैं उनका बराबर इम्प्लीमेन्टेशन होना चाहिए। अभी मेरे पूर्व वक्ता डागा साहब ने कहा कि यहां पर बहुत से प्लान्ज अधूरे रह जाते हैं उनका सही तरीके से इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता है। इस ओर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा।

यहां पर भीषण अकाल की स्थिति आई है, उसका मुकाबला करने के लिये राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम बनाया गया है और इसके लिए 340 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत 'फूड फार वर्क' का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस बजट में यह भी बताया गया है कि न केवल 'फूड फार वर्क' बल्कि अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। मेरा आपसे नम्र निवेदन है—आज हिन्दुस्तान के आधे से ज्यादा भाग में भीषण अकाल पड़ा हुआ है, पहले तो लोग कहीं भी जाकर काम कर लेते थे, लेकिन इस बरसात के दिनों में हम को ऐसी व्यवस्था भी करनी होगी कि यदि वे काश्तकार हैं तो उनके लिए "सीड" की व्यवस्था भी करनी होगी। यदि हमने ऐसी व्यवस्था नहीं की तो हमारी जमीन खाली पड़ी रह जाएगी। जो लोग डैली-वेजेज पर काम करते हैं, उनके लिए प्रावधान करना होगा कि जिस समय उन का खेती का समय आता है उनके खाने का प्रबन्ध भी शासन को करना होगा, उनके लिये सब्सिडी की व्यवस्था करें या तकावी के रूप में दें तभी यह काम हो सकेगा।

हमारे प्रदेश में और मैं तो कहूंगा कि पूरे सिन्दुस्तान में स्केयरसिटी एरियाज से जो मजदूर अपने अपने प्रदेशों में वापस हो गए हैं उनके सामने काम पाने की दिक्कत आ रही है। मैं केन्द्रीय शासन से यह अपेक्षा करूंगा कि वह इन लोगों की समस्याओं की तरफ भी ध्यान देगी। इसके साथ-ही-साथ फूड फार वर्क के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाती है, उसके अलावा यह चीज भी रखी जानी चाहिए कि स्केयरसिटी मेनुअल को भी लागू किया जाना चाहिए ताकि उस आधार पर लोगों को काम मिल सके, नहीं तो होता यह है कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको तो काम मिल जाता है लेकिन जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, कृषक-मजदूर हैं, उनको काम नहीं मिल पाता है। जब तक आप कोई ऐसा नियम लागू नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : बजट में बहुत अधिक प्रति-उत्पादक कराधान प्रस्तुत न करने के लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो बहुत अधिक सामयिक छूटे दी है, उसके लिए भी बधाई के पात्र है। परन्तु इसके साथ ही बजट में बहुत अधिक वित्तीय बाजीगरी भी है जिसे बहुत कौशल के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बजट में लगभग 43 करोड़ रुपये की छूट सीमा-शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क में दी गई है। परन्तु इसके साथ ही बजट में पूर्ण वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर भी लगाये गये हैं। इसके साथ ही 1417 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान भी लगाया गया है। परन्तु यह घाटे का अनुमान वास्तविकता से बहुत दूर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अनुमान कुछ

ऐसी कल्पनाओं पर आधारित है जो कुछ समय बाद सार्थक नहीं रह जायेगी। उदाहरणार्थ, विदेशी सहायता पर काफी निर्भरता दर्शायी गई है। मैं उसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। मैं फिर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा न्यास निधि की प्राप्तियों से 545 करोड़ रुपये की धन राशि ली गई है जबकि गत वर्ष इसमें से कुछ भी नहीं लिया गया था। हम सभी इस बात को जानते हैं कि अन्तराष्ट्रीय मुद्रा न्यास निधि अब लगभग समाप्त हो चुकी है तथा उसकी पुनः पूर्ति की जानी चाहिये। यदि यह अनुमानित प्राप्तियां प्राप्त न हुई, तो उसका घाटे के बजट प्राक्कलनों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और मुद्रा-स्फीति में काफी हद तक वृद्धि होगी।

बजट केवल मात्र प्राप्तियों तथा व्यय तथा उसके परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ या हानि का केवल गणितीय लेखा ही नहीं होता अपितु इससे अधिक कुछ और भी होता है। बजट का उद्देश्य लाभप्रद वित्तीय नीति का प्रतिपादन करना होता है। अतः इसलिए बजट का मूल्यांकन करते हुये, हमें उन वित्तीय उपायों पर विचार करना चाहिये जिनकी बजट में व्यवस्था की गई है। यह राय पूर्णतया स्पष्ट है कि जो वित्तीय नीतियां बजट में अपनाई गई हैं, उनकी मुख्य विशेषता 1977 के पूर्व से चली आ रही वित्तीय-नीतियों को ही प्रतिपादित करना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले बजट में जो उत्पाद-शुल्क का बोझा डाला गया था, उसे उल्टा जा रहा है। यह उलटाव स्वागतीय है तथा उसके लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। जैसाकि मैंने कहा, यह बहुत सामयिक है परन्तु इसके साथ ही उत्पाद-शुल्क में जो वृद्धि या कटौती की जा रही है, वह निश्चय ही एक ऐसी वित्तीय बाजीगिरी है, जिससे कि बहुत सी वित्तीय भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। इन्हीं वित्तीय भ्रातियों के परिणाम स्वरूप ही यद्यपि जहां उत्पाद-शुल्क कम किया गया है, फिर भी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इस बजट के प्रस्तुत किये जाने के बाद से अनेक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है, यद्यपि उन पर उत्पाद-शुल्क कम कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है।

उदाहरणार्थ टूथ पेस्ट के उत्पाद-शुल्क पर की गई 10 प्रतिशत की बहु-चर्चित कटौती को ही लीजिये। इसका उत्पादन करने में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल ग्लेसरीन तथा ट्यूब्ज के मूल्य में जो वृद्धि हुई है, उससे इस कटौती की सुविधा बेकार हो गई है। इन दोनों वस्तुओं के मूल्यों में पहले ही 30 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। इसके साथ ही नहाने के सस्ते साबुन के उत्पादन-शुल्क में दी गई 5 प्रतिशत की छूट दी गई है। परन्तु नहाने के यह सस्ते साबुन पहले से मंहगे हो गये हैं क्योंकि कास्टिक सोडा तथा सोडा ऐश में 5 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क की वृद्धि कर दी गई है। कास्टिक सोडा तथा सोडा ऐश के उत्पाद-शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि स्पष्ट रूप से हुई है। अब हमें देखना यह है कि कास्टिक सोडा का अधिकतम उपयोग करने वाले उपभोक्ता कौन हैं।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

हमें मालूम है कि कागज, सूती कपड़ा तथा साबुन आदि के उद्योगों में कास्टिक सोडा का प्रयोग बहुत अधिक होता है। कागज उद्योग में यह आशंका है कि इन वित्तीय भ्रांतियों के परिणाम-स्वरूप कागज उत्पादन के मूल्य में 70 रुपये प्रति टन की दर से वृद्धि होगी। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हू कि वह इन तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार करे।

बजट के कुछ चिंतनीय तथा चौंका देने वाले पहलू भी है। उदाहरणार्थ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विदेशी सहायता पर निर्भरता हमें आर्थिक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य से दूर हो जायेगी। हम आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के इस उद्देश्य के लिए कार्यरत थे परन्तु अचानक हमने अपनी नीति उल्टी कर दी। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसे आर्थिक-क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने वाले लक्ष्य को पाने के बारे में भी गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये।

केवल इतना ही नहीं कि आर्थिक-विकास की दर को प्राप्त करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये हैं, परन्तु मैं भी यह कहना चाहता हूं कि बजट में जो उपाय किये गये हैं, वह आर्थिक विकास की दर में बाधा डालने वाले हैं। इनसे उद्योग को आघात पहुंचा है। इसके अनेक उदाहरण लिये जा सकते है बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में 1½ प्रतिशत की वृद्धि को ही लीजिये। जब हमारी आर्थिक विकास की दर बहुत चिंताजनक है, ऐसे समय में बैंक के ऋण की दर में 1½ प्रतिशत की वृद्धि हमारे आर्थिक विकास पर घातक प्रभाव डाल सकती है। कर-विहीनता के आधार में भी परिवर्तन किया गया है। नये औद्योगिक उपक्रमों से पूंजी आय से करों की छूट देने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। मैं यह बात अच्छी रह समझ सकता हूं कि नये औद्योगिक उपक्रमों के बाद कर-विहीनता के आधार पूंजी से बदल पर आय करने का स्पष्ट उद्देश्य पूंजी-निवेश उद्योगों को हतोत्साहित करना ही है। यह बात सभी जानते हैं कि अनेक मामलों में आरम्भिक समय में आय नहीं होती परन्तु आय बाद में जाकर होती है। फिर भी इस कर-विहीनता के सिद्धान्त में जो परिवर्तन किया गया है, उसके एक अन्य कारण पर भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। वह यह है कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् 1972 से लागू किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही अस्वस्थ प्रथा है। वित्तीय नीतियों में भी हमें कुछ मानदण्डों, नैतिकता तथा आचरण का पालन करना पड़ता है। यदि वित्तीय नीतियों को हम भूतलक्षी प्रभावों से लागू करने की प्रक्रिया को अपना लें तो उससे अस्थिरता आरम्भ हो जायेगी जोकि हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए घातक होगी। इसलिए मैं भूतभती प्रभाव से लागू करने के इस सिद्धांत का विशेष रूप से विरोध करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि यह केवल वैध तथा अवैध तरीके से राजस्व कमाने का साधन मात्र है, मैं समझता हूं मंत्री महोदय चाहें तो इस पहलू के बारे में मेरी जानकारी से ठीक कर सकते हैं—कि इस भूतलक्षी प्रभाव से सरकार को लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उद्देश्य केवल आय का नहीं होना चाहिये अपितु उद्देश्य यह होना चाहिये कि हमारी वित्तीय नीतियों की आचार-संहिात अच्छी हो। फर्मों के पूंजीनिवेश के पहले के आंकड़े गलत हो गये हैं। पहले से चली आ रही नीतियों के आधार पर व्यापारिक फर्मों ने आकड़ों की जो गणना की थी, उसे इनके बजट में लिखे एक ही वाक्य से रद्द कर दिया गया है। यह एक ऐसी बात है जिसकी ओर निश्चय ही ध्यान दिया जाना चाहिये तथा विशेष रूप से उस समय जब कि हमारे देश में आर्थिक-विकास की दर का स्तर इतना निराशाजनक है।

मुझे आर्थिक नीति के बारे में कुछ विशिष्ट सुझाव देने हैं। क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि हम बजट के विश्लेषणात्मक अध्ययन के बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं। सर्व प्रथम मैं सरकार से भूतलक्षी प्रभाव के इस सिद्धान्त के दूर करने का निवेदन करना है जिसको मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं।

दूसरे मैं डाक दर सूची में इस संशोधन अथवा वृद्धि पर भी जोरदार आपत्ति करता हूं। आज के बाद पत्र पर 35 पैसे के टिकट लगाने पड़ेंगे। मेरा एक मात्र निवेदन यह है कि पत्र मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा भी प्रयोग किया जाता है, जो रेलवे बजट के परिणामस्वरूप अत्याधिक प्रभावित हुये हैं। इसलिए, जहां तक पत्रों का संबंध है उनके लिए वही 30 पैसे रखे जाने चाहिए।

जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यह बजट शायद गृहणियों को कुछ राहत प्रदान करे परन्तु जहाँ तक अर्थव्यवस्था का संबंध है इसे बजट से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। आर्थिक विकास को सक्रिय करने के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता के लिये मुझे सरकार से जोर देकर कहना चाहिए। मैं उच्चतम सीमा से अधिक उत्पादन होने पर उत्पाद शुल्क छूट को पुनः शुरू करने का सुझाव देता हूं। मैं प्रति वर्ष बचत की 50 प्रतिशत राशि तक पुनः निवेश करने पर कर छूट का भी सुझाव देता हुं। कास्टिक सोडा तथा सोडा ऐश की मूल्य वृद्धि को वापस लेने के लिये मैं पहले ही सरकार से निवेदन कर चुका हूं क्योंकि उनसे सोडा, कागज तथा सूती वस्त्र उद्योग बहुत अधिक प्रभावित हुये हैं जो सामान्य उपभोग की वस्तुयें हैं।

मुझे इस बृहद ग्रामीण कार्यक्रम का स्वागत करते समय, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ कहा है विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है जबकि आप पीठासीन हैं। तथापि मैं यह अवश्य कहूंगा। कि हमें अपने अनुभव से मालूम है कि सरकारी कार्यक्रमों के साथ क्या होता है वस्तुतः निजी क्षेत्र भी रोजगार अवसर उपलब्ध करने में अपनी भूमिका निभाता है। यदि हम मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के सिद्धान्त पर विश्वास रखते हैं तो निजी क्षेत्र को भी कम से कम जहां तक अधिक रोजगार अवसरों को उत्पन्न करने का संबंध है उसमें अपनी समुचित तथा उचित भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए मैं नया रोजगार उपलब्ध करवाने वाले गैर सरकारी नियोजकों को रोजगार अर्थ-सहायता की योजना पर बल देता हूं यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हर वर्ष श्रम-बाजार में अतिरिक्त 50 लाख व्यक्ति आ जाते हैं।

व्यक्तिगत कराधान के मामले में, मैं 12,000 रुपये तक छूट सीमा बढ़ाने का स्वागत करता हूं परन्तु मैं निवेदन करता हूं कि यह अनिच्छा तथा अरुचिकर ढंग से किया गया है क्योंकि जिनकी आय 12,000 रु० से अधिक है उनके लिये कर न लगने की सीमा 8000 रु० ही है यदि छूट सीमा 10,000 रु० से बढ़ाकर 12,000 रु० कर दी जाती है तो पूरी निष्पक्षता से कर न लगने की सीमा भी 8,000 रु० से बढ़ाकर 10,000 रु० कर दी जानी चाहिये।

एक छोटी सी प्रार्थना सामान संबंधी रियायत के संबंध में है। उस मसले को स्पष्ट करने का मेरे पास समय नहीं है परन्तु थोड़ी और छूट तस्करों को नहीं बल्कि उन साधारण व्यक्तियों को दी जाए जो विदेश जाते हैं और वापस आते हैं। निःशुल्क माल ला सकने की सीमा को 1,000 रु० से अधिक कर देना चाहिए। यह 1,000 रु० की सीमा बहुत कम है। यही मुझे निवेदन करना है।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व एक बात और कहता हूं। सरकारी क्षेत्र के एककों के कार्यकरण की एक पूर्ण और गहरी जांच अवश्य की जानी चाहिए। हमारे सरकारी क्षेत्र के एककों से अधिक राजस्व पैदा करने की आवश्यकता है। कर दाताओं के धन का लगभग 15,000

करोड़ सरकारी क्षेत्र में निवेश किया गया है तथा हमें यह जानकर बड़ा खेद है कि राजस्व केवल 193 करोड़ रुपये है अर्थात् 1978-79 में 136 प्रतिशत इसके विपरीत, निजी क्षेत्र में निवेश से प्राप्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार 90 प्रतिशत था। हम मूलभूत ढांचे के बारे में बात करते हैं। प्रगति की कुंजी मूलभूत ढांचे के कुशल कार्यकरण में मिलनी है। परन्तु यह सब मूलभूत ढांचा अथवा अधिकांश मूलभूत ढांचा सरकारी क्षेत्र में स्थित है। इसलिये समय की मांग है कि सरकारी क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य किया जाये, मुझे यह निवेदन अवश्य करना चाहिये कि जब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ऐसी दशा है तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य, कार्य संचालन की पूर्ण जांच की जानी चाहिए ताकि वे भी सही स्तर पर आ सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं भाषणों को सुन रहा हूं जो इस सभा में दिये गये हैं। मेरा विशेष ध्यान विपक्ष के नेताओं के कुछ भाषणों की ओर दिलाया गया है, विशेषकर माननीय चौधरी, माननीय सतीश अग्रवाल, माननीय स्वामी तथा कुछ मित्र।

मैं मानता हूं कि मैं व्यंग चित्रकार का सहारा ले सकता हूं, जिसने विपक्ष के नेताओं का आदर्श चित्र बनाया है, जिन्होंने इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप किया। श्री लक्षमण ने शायद अपने प्रसिद्ध कालम "आपने कहा है" में एक बहुत सही चित्र बनाया है। उसमें विपक्ष नेताओं की एक बैठक है और वे बजट पर चर्चा कर रहे हैं और यह वही है जो वे कहते हैं।

"हमें इसके लिये अवश्य संघर्ष करना चाहिए हो सकता है; इससे लोगों को राहत मिले, भार कम हो तथा विकास को प्रोत्साहन मिले और अर्थ-व्यवस्था में सुधार हो; हमें इसके लिये अवश्य संघर्ष करना चाहिए।"

आपको इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हो और जैसा कि व्यंग चित्र कहता है कि आपको अवश्य विरोध करना चाहिए। जब विपक्ष के नेता यथा श्री स्वामी इस बजट को विशेष रूप से निराशाजनक देखते हैं, तो बजट का फिर से पूरा प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता है और श्री सतीश अग्रवाल जैसे कुछ मित्रों के लिए यह एक चालबाजी, जादूगरी ज्ञात होती है। मैं उनका ध्यान देश के प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा तत्काल की गई टिप्पणियों की ओर सादर आकर्षित करना चाहता हू। शुरू में उनमें कुछ को यहां उद्धृत करूंगा :

'दी टाइम्स आफ इंडिया' में कहा गया है :

प्रो० मधु दंडवते : मुझे मालूम था कि आप उससे शुरू करेंगे। यही आशा थी।

श्री मगन भाई बारोट : **'टाइम्स आफ इण्डिया'** का कहना है मैं उद्धृत करता हूं—

"एक कल्पनामय बजट : कराधान प्रस्तावों का ढांचा तैयार करने और उपलब्ध सीमित स्रोतों के आवंटन दोनों में ही श्री वेंकटारमन ने साहस और कल्पना का परिचय दिया है। गत वर्ष श्री चरणसिंह द्वारा बचत-करों को, रिकार्ड घाटे की वित्तीय व्यवस्था से मिलाने का जो विनाशक निर्णय लिया था, उससे अर्थव्यवस्था को पहुंचे भारी नुकसान को पूरा करने का भी उन्होंने निर्णायक कदम उठाया है।"

फिर 'स्टेटमैन' की बारी आती है जिसमें कहा गया है :

"गत वर्ष टूथ-पेस्ट और साबुनों जैसी मदों पर उच्च-उत्पाद-शुल्क के रूप में श्री चरणसिह द्वारा बड़ी शान से लादे गये भार को जन-साधारण पर से घटाने के लिए भी उन्होंने प्रयास किया है।"

'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कहा गया है :

"देश में श्री आर० वेंकटारमन के 1980-81 के बजट प्रयासों का, शानदार उपलब्धि के रूप में स्वागत किया जायेगा। दल के चुनाव घोषणा-पत्र में लिखित वायदों को पूरा करने और देश को, कीमतों में स्थिरता एवं आर्थिक विकास के युग में फिर से पहुंचाने की उन्होंने शुभ शुरूआत की है।"

मैं और कई एक पत्रों में से उद्धृत कर सकता हूं, परन्तु मैं 'हिन्दू' से ही उद्धरण देकर समाप्त कर दूंगा, जिसमें कहा गया है :

"1980-81 के केन्द्रीय बजट ने देश के आर्थिक विकास में एक नये युग का सूत्रपात किया है।"

यह देश के प्रमुख समाचार पत्रों की टिप्पणी हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : 'नेशनल हैरल्ड'।

श्री मगन भाई बरोट : मैं सोचता हूं कि मुझे यहां रुक जाना चाहिये। मैं और भी कई पत्रों से उद्धरण दे सकता दूं।

यह बजट एक पृष्ठभूमि के आधार पर आया है जिसे मैं चाहूंगा कि माननीय सदन याद कर ले। मैं यह सब कहने को मजबूर हूं। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने आर्थिक सर्वेक्षण पर बहुत ही अधिक जोर दिया था, जिसमें उनका कहना था कि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि हमारा अभिलेखा नामशः, गत तीन वर्षों का अभिलेखा इतना बुरा नहीं था जितना कि अब तक चित्रित किया गया है। अतः मैं और कहीं भी न जाकर उस कथित आर्थिक सर्वेक्षण का ही उल्लेख करूँगा जिसका कुछ विपक्षी सदस्यों ने सहारा लिया है। कुछ विपक्षी सदस्यों ने इसको उद्धृत किया था और मेरे विचार से उत्तर देने और प्रत्युत्तर देने के लिए उसी में से पैराग्राफ उद्धृत करने में मैं भी समान रूप से न्याय संगत रहूंगा।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : संशोधित संस्करण।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा उनसे एकमात्र निवेदन है कि वे उसी आर्थिक सर्वेक्षण से ही उद्धरण दें।

श्री मगन भाई बरोट : मैं तो केवल एक प्रत्युत्तर देने का ही प्रयास कर रहा हूं।

इसमें कहा गया है :

"इस्पात, सीमेंट, गैर-फेरस धातुएँ सूती कपड़े आदि जैसे बड़े उद्योगों में उत्पादन, जिनके लिए वर्ष भर सूचना उपलब्ध रहती है, वर्ष भर में उल्लेखनीय गिरावट दिखाई। वर्ष 1979-80 में विक्रय योग्य इस्पात उत्पादन में 8.4 प्रतिशत की गिरावट आई, सीमेंट

के उत्पादन में 9.1 प्रतिशत की गिरावट आई, सूती कपड़े में 5.7 प्रतिशत, चीनी में 26.2 प्रतिशत और वनस्पति में 7.7 प्रतिशत की गिरावट आई।''

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लोक दल।

श्री मगनभाई बरोट : यह लेखा-जोखा ठीक करना आपका काम है कि आया यह लोक-दल था या जनता पार्टी अथवा आप दोनों इकट्ठे ही श्री एन० पी० के बारे में **आर्थिक सर्वेक्षण** में निम्नलिखित बातें कही गई हैं :

''इस्पात और सीमेंट जैसी वस्तुओं का अभाव, निर्णय लेने में बिलम्ब और निस्संदेह कम कृषि उत्पादन के सम्भावित प्रभाव, सभी निवेश में गिरावट की ओर इंगित करते हैं।''

ऐसी स्थिति थी, जब हमसे ये निर्णय लेने तथा बजट को अन्तिम रूप देने के लिये कहा गया था।

यह कहा जा सकता है कि हर प्रकार से यह बजट लोगों को दिये गये हमारे वायदों को पूरा करता है। लोगों को हमने यह वचन दिया था। हमारी प्रधान मन्त्री महोदया ने लोगों से जाकर कहा था, 'केवल काँग्रेस (ई) ही क्षत-विक्षत होती हुई और दिन पर दिन बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था का उद्धार कर सकती है।'' मैं कुछेक उदारण देकर यह बताऊँगा कि हमने यह किस प्रकार किया है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि कम से कम उन कुछ मदों को तो नवीन शुरूआत के रूप में लें, जिनकी हमने इस बार अपनी अर्थ-व्यवस्था में शामिल करने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि इस्पात, सीमेंट, कोयले, ऊर्जा आदि के उत्पादन में गिरावट के बावजूद, हम अपनी अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं और उस उद्देश्यार्थ समान वितरण ग्रामीण-विकास एवं औद्योगिक विकास की हमारी मुख्य विचारधारा रही है विशेषकर हम लघु-उद्योगों और मध्यम-दर्जे के उद्योगों पर केन्द्रित रहे हैं।

कृपया उन लघु उद्योगों और मध्यम-दर्जे के उद्योगों की ओर देखिए, जो हमारी अर्थ-व्यवस्था में 40 प्रतिशत उत्पादन का योगदान देते हैं और यह देखिए कि हमारी प्रतिक्रिया उनके प्रति क्या रही है। कृपया उन राहतों को देखिए जो हमने उनको प्रदान की हैं। हमीं ने उन्हें कुछ मदों में छूट दी हैं और हमने केवल 5 लाख उत्पादन पर उत्पाद-शुल्क में छूट भी दी है, अपितु इससे आगे 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक के उत्पादन पर 25 प्रतिशत की छूट भी दी है। इसी प्रकार हमने जो राहतें लघु उद्योगों को दी हैं. उनका लाभ, हमें पूर्ण विश्वास है कि उन लोगों को मिलेगा जो देश की अर्थ-व्यवस्था को और ऊँचा उठाना चाहते हैं और निश्चय ही उन्हें श्री इन्द्रजीत गुप्त का यह आरोप भी सहना पड़ेगा कि सारा धन कुछ अमीर लोगों और कुछेक धनी घरानों के हाथों में सिमटता जा रहा है। आप देखेंगे कि लघु-उद्योगों और मध्यम-दर्जे के उद्योगों की स्थिति अब सुधर जायेगी तथा ऊँचे घरानों की प्रतियोगिता को मुकाबला करने के लिए वे अब अधिक अच्छी स्थिति में आ जायेंगे और इसी में हमारे आर्थिक विकास और सामान्यतया उत्पादन में हमारे विकास की आशाएं बंधी हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में किए गये हमारे वितरण की बात करने से पहले, मैं उस आरोप का खण्डन करना चाहता हूँ जो कि आमतौर से लगाया गया है, यह कहा गया था, ''देखिए, आप

चालवाज हैं, यह जादूगरी है, केवल दो दिन पहले ही या कुछ दिन पूर्व ही आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें वढ़ाईं और लाखों-करोड़ों रुपये बटोरने का रास्ता ढूंढ लिया। रेल किराये में वृद्धि की और ऐसी ही अन्य बातें कहीं और फिर आराम से आप कहते हैं कि आपके वजट में कर नहीं लगाए गए हैं। मैं समझता हूं कि सच्चाई को ईमानदारी और स्पष्टता से सामने रखना चाहिए और विपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि मुझे कुछ तथ्य उजागर करने की अनुमति दी जाए।

पैट्रोल की कीमतों में अन्तिम वृद्धि कब हुई थी ? यह वृद्धि 17 अगस्त, 1979 को हुई थी। देखिए. सारे विश्व में ही स्थिति बदल चुकी है, तब से लेकर तेल निर्यातक देश संगठन अनेक बार कीमतों में वृद्धि कर चुका है और अगस्त, 1979 में आयातित कच्चे तेल की औसत भार कीमत 1255 प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर 1943 रुपए प्रति मीट्रिक टन हो गयी है। इसके कारण हमारे तेल-शोधक कारखानों पर लगभग 1043 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार इस वर्ष पड़ा है। आयातित पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भी वृद्धि हुई और इस प्रकार 525 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा। इस प्रकार इस उद्योग पर कुल भार 2,466 करोड़ रुपए के लगभग पड़ा। 8 जून से होने वाली कीमतों में वृद्धि से 2,100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। इसका मतलब है कि जिस मूल्य वृद्धि का हमें भुगतान करना है, उसकी भी पूर्ति इससे नहीं होगी। अतः, उन कीमतों में वृद्धि करते समय हमने जो कुछ किया है वह उन कीमतों को बराबर करना है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के अन्तर्गत इन वस्तुओं के लिए हैं। यदि सम्भव हुआ तो मैं इस प्रकार स्वयं को स्वीकार्य बनाऊँगा, इन वस्तुओं की वृद्धि का अर्थ वह नहीं है जो कुछ बजट से प्राप्त कर रहे हैं और इसीलिए हम कम कर लगा रहे हैं। नही श्रीमान ! ये वे चीजें हैं जिनकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी।

यह आपकी अपनी चीज नहीं है। इसे आप किसी और जगह से खरीद रहे हैं और उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। हमने तो इसे बराबर करने का प्रयास किया है और उसमें भी घाटे को पूरा करने के लिए अपने राजकोष में कुछ रख छोड़ना है। अतः मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि बजट को चालबाजी न समझें चूंकि अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी अनिवार्यताएं हैं जो कि निश्चय ही हमारे नियन्त्रण में नहीं हैं, अपितु हमारे नियन्त्रण से बाहर हैं और वह भी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के कारण प्रभावित हैं।

उस धन को ही लीजिए जिसे हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसको खर्च कैसे कर सकते हैं ? मेरे विचार में परीक्षा यह है कि हमारा आवंटन क्या है और सम्माननीय सदन से मेरा यह अनुरोध है कि इस पर इसी दृष्टिकोण से विचार करें। हमारा विचार है, कि भारत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और उसी उद्देश्य से अपने बजट-इतिहास में प्रथम वार, केन्द्र और राज्यों के सभी बजटों में पाये जाने वाले कार्यक्रमों अतिरिक्त हरिजनों के कार्यक्रमों के के लिए हमने अलग से 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कुलमिलाकर पाँच वर्षों में 500 करोंढ़ रुपये वितरण के लिये चाहिए और उनमें से पहली किश्त एकान्तिक रूप से हरिजनों के उद्धार के लिए होगी, जो कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए अलग से रखे गये कार्यक्रमों में सामान्य रूप से हकदार होने के अतिरिक्त, समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रगतिशील उपायों के रूप में काम में लाई जायेगी। ऐसी कुछेक मदें ही

हैं जिनसे यह पता चलेगा कि जो हम उपदेश देते हैं उसमें विश्वास करते हैं और हम केवल उपदेश ही नहीं देते परन्तु हम उसे कार्य रूप भी देते हैं।

मैं 2 या 3 अन्य मदों की भी चर्चा करूंगा। जहां तक हमारा सम्बन्ध हैं, प्रथम बार हमने उस कौशल पर आधारित एक विस्तृत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है, जो स्वयं-सहायता और उपलब्ध स्थानीय स्रोतों के सर्वोत्तम उपयोग के अबसर जुटाने में सहायक होगा। मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि मेरे कुछ मित्रों ने, विशेषकर जो विपक्ष में हैं; यह दावा किया था कि 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम उनके मस्तिष्क की उपज था।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : यह उनका दिया हुआ विचार नहीं था।

श्री मगनभाई बरोट : बात ऐसी नहीं थी। मैं तो सीधे-सीधे ब्यौरा दे रहा हूं। इस विचारधारा पर चर्चा चली थीं और 1976 के अन्त में इसका जन्म हुआ था। मैं जनता पार्टी को निस्सन्देह इसका श्रेय दूंगा कि तदर्थ आधार पर उन्होंने कुछ खर्चा किया परन्तु यह था एक दम से तदर्थ आधार पर। मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रथम बार हम इसे सुदृढ़ आधार पर चालू कर रहे हैं। हम तो इसे एक उचित योजना बना रहे हैं, योजना का रूप दे रहे हैं। हम इसे राष्ट्रीय योजना में सम्मिलित कर रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमने किया क्या है --प्रथमतः न केवल गेहूं अनाज वितरण होगा अपितु उसके साथ-साथ नकद भुगतान भी किया जायेगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुछ हो रहां है वह यह है कि कुछ छोटे-छोटे काम कराये जा रहे हैं। अब हम खाद्यान्न और उसके साथ ही साथ नकद रुपया भी देंगे जिससे वे सीमेन्ट और इस्पाल का क्रय कर सकेंगे और इस प्रकार छोटे-मोटे कामों के अलावा, ग्रामीण आर्थिक विकास में टिकाऊ उपलब्धि होगी। सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 1980-81 के बजट में 340 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस कार्यक्रम के लिए की गई है जिससे वित्त मंत्री के वजट भाषण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 85-90 करोड़ जन दिनों के लिये रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में हमारा सोचने का यही ढंग है।

एक दो बातें और हैं। कुछ दोस्तों ने इस पक्ष से तथा उस पक्ष से भी पीने के पानी का उल्लेख किया है। उन्होंने ठीक ही कहा :

खेत के लिए पानी,
पेट के लिए पानी।

हमने इसका उत्तर देने की चेष्टा की है। इसीलिए हमने पीने के स्वच्छ तथा स्वास्थ्यप्रद पीने के पानी के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और हमें उम्मीद है कि 100 करोड़ रुपए उचित रूप से कम होंगे। अन्य वस्तुओं की व्यवस्था हो सके अथवा नहीं परन्तु हम स्वच्छ तथा दोष रहित पीने का पानी अवश्य देंगे। इस सभा को प्रसन्नता होगी कि हमें पीने की पानी के बारे में चिन्ता है, हमें काम के बदले अनाज देने एवं रोजगार देने की चिन्ता है। निःसन्देह इस बजट की कुछ विशिष्टताएं हैं जो कि हमारी पार्टी की विशेषताएं हैं और बेशक माननीय सदस्य श्री सतीश अग्रवाल ने बताया कि बजट ऐसे व्यक्ति ने बनाया जोकि अब नहीं हैं मैं

चाहता हूं कि उन्हें दृढ़ता से अपनी बात बतानी चाहिए। इस बजट में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है जिसे 'स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण' कहा जा सकता है।

हम कहना चाहते हैं कि बिना परिवार नियोजन के हमें कैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। या तो हमें अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा अथवा हम विनाश को प्राप्त होंगे। इसलिए हमने इस बजट में शिक्षा के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिसमें से 140 करोड़ रुपए परिवार कल्याण के लिए होंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री की देख रेख में ही बनाया गया है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया। निश्चय ही बजट हमारी पार्टी के दर्शन का द्योतक है तथा हमारे लोकप्रिय नेता का लक्ष्य है। इस देश के इतिहास में युवा नेता संजय गांधी ने पहली बार परिवार नियोजन के कार्य को दृढ़ता से लिया तथा कहा "हमारे समक्ष यह समस्या है।"

प्रो० एन० जी० रंगा : उसमें यह साहस था।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि बजट में यह उपबन्ध किया जाना हमारे महान नेता श्री संजय गांधी के प्रति श्रद्धाञ्जलि है तथा परिवार नियोजन हमारा एक बड़ा लक्ष्य है तथा हम परिवार नियोजन के लिए लोगों को शिक्षित करेंगे तथा जनसंख्या की समस्या के समाधान के लिए अति श्रेष्ठ परिणाम पा सकेंगे। और दिवंगत नेता श्री संजय गांधी के प्रति श्रद्धाञ्जलि दे पायेंगे। शिक्षा के बारे में हमने स्पष्ट बताया है कि लोगों को परिवार कल्याण की शिक्षा देने के लिए 140 करोड़ रुपए निर्धारित किये गये हैं।

यदि मुझसे पूछा जाये तो मैं कह सकता हूं कि गुजरात राज्य में परिवार नियोजन का एक भी मामला बाध्यता से नहीं किया गया। पूरे देश में गुजरात परिवार नियोजन में सबसे आगे है। मुझे उम्मीद है कि थोड़े अनुभव के साथ तथा 140 करोड़ रुपए से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन का असर हो सकता है। अंत में, श्रीमान...

प्रो० मधु दंडवते : परिवार कल्याण के बारे में कोई दो राय नहीं हैं। किस परिवार का प्रश्न है ?

श्री मगन भाई बरोट : देश के लोग जानते हैं कि मैं क्या उत्तर दूंगा। मैं माननीय सदस्य प्रो० मधु दंडवते को बताना चाहता हूं कि किस परिवार का यह देश सम्मान करता रहा है। देश पिछले पचास वर्ष से इस परिवार का सम्मान करता रहा है तथा जब यह परिवार विद्यमान है उसका सम्मान करता रहेगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य हताश और आक्रामक क्यों हैं। इस बजट में हमने कोयला खानों तथा तेल की खुदाई की व्यवस्था की है, न केवल यही बल्कि इस देशवासियों में विश्वास पैदा करने की भी चेष्टा कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि इस राष्ट्रीय उद्देश्य में हमारा साथ दें तथा देखें कि पूरा देश इस बजट का स्वागत करे। राष्ट्र हमारे साथ हो। आज प्रकृति भी हमारे साथ है। अंडमान से हमें तेल मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में नये तेल के कुओं की खोज हुई है। मानसून से वर्षा की सुखद खबरें प्राप्त हो रही हैं। आकाश पाताल हमारे साथ हैं। आप विपक्ष के सदस्य हमारा साथ दें, अन्यथा देश के लोग आपको क्षमा नहीं करेंगे।

श्री बी० आर० भगत (सीतामढ़ी) : श्रीमान, मैं देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं क्योंकि जिस रेल से मैं यात्रा कर रहा था वह चार घंटे देरी से आई तथा प्रातः कालीन वर्षा

के कारण हमें स्टेशन से घर पहुंचने में 2½ घंटे लग गये। वर्षा इतनी तेज तो नहीं थी परन्तु नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। श्रीमान, किसी भी तरह आम लोगों को राहत देने के लिए बजट की प्रशंसा की गई है, जैसा कि वित्त मंत्री ने दावा किया है।

उप मंत्री लोगों को दी गई राहतों का उल्लेख कर रहे थे। परन्तु यदि आप आम लोगों को दी गई राहतों पर विचार करें तो ऐसा नहीं प्रतीत होता कि बजट द्वारा कोई नई दिशा दी गई हो। उदाहरणार्थ आयकर से छूट की सीमा बढ़ाकर 12000 रुपए कर दी गई है। समी वर्गों, निर्धन अथवा धनी, पर आयकर के अधिभार को कम किया गया है। मुझे मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की बात तो समझ में आती है परन्तु उच्च आय वालों को रियायत देने का क्या प्रयोजन है ? उनके लिए इस अधिभार को 20% से घटाकर 10% क्यों किया गया है।

फिर सम्पत्ति कर छूट सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 1½ लाख कर दिया गया है। जीवन बीमा किश्तों आदि की अदायगी पर 5000 रुपए तक पूरी छूट है। परन्तु यदि आप अन्य प्रस्तावों पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि कृषि-सम्पत्ति, सम्पत्ति-कर से मुक्त कर दी गई है। यह कर धनी किसानों पर श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगाया था। उसी नेतृत्व वाली सरकार ने आज इसे समाप्त कर दिया। क्यों ? धनी किसानों को छूट क्यों दी गई। कम्पनियों को 7 वर्ष के लिए होने वाले लाभों पर 25% छूट दी गई। क्यों ? बड़ी कम्पनियों को कर-छूट क्यों दी गई है। यदि आप रिजर्व बैंक द्वारा आंकलित कम्पनियों के लाभों के आंकड़ों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन कम्पनियों ने भारी लाभ अर्जित किये। आपको पता है कि इनके बाजार लगभग सीमित हैं। उत्पादन कम होता है। कम्पनियां जो कुछ भी उत्पन्न करती हैं उस पर भारी लाभ कमाती हैं।

मैं इस प्रणाली और निर्देश को नहीं समझता हूं। सात वर्ष के लिये कम्पनियों को उनके 25 प्रतिशत लाभ पर जब वे सभी समय उच्च लाभ कमा रहे हों कर मुक्त रखा गया है। तत्पश्चात इन कम्पनियों को 50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त मूल्य ह्रास की रियायत भी मिलती है।

उसी तरह से अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिये दी गई राहत का सदन में सब ओर से स्वागत किया गया है। किन्तु इलेक्ट्रानिक उद्योग को और रियायत दी गयी है। इलेक्ट्रानिक उद्योग को और रियायत क्यों दी गयी है ? फिर दूरदर्शन (टेलीविजन) को। दूरदर्शन धनी व उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आवश्यकता की चीज है।

महोदय, मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि यह रियायतों का बजट है इसमें सबके लिये रियायतें दी गयी हैं— धनी और गरीब दोनों को रियायतें दी गई हैं। महोदय, यदि आप गरीबों को दी गई रियायतों को सारणीबद्ध करेंगे तो स्पष्ट रूप से पायेंगे कि मात्रात्मक दृष्टिकोण से आंकड़े कम हैं क्योंकि उनके पास अधिक सम्पत्ति व धनराशि नहीं है। उदाहरण के लिए छोटे उत्पादकों को दी गई उत्पादन शुल्क की छूट केवल 6.50 करोड़ रुपया है जबकि कम्पनियों को केवल एक ही वस्तु पर सात वर्ष के लिए उनके लाभ के 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के बराबर का अतिरिक्त मूल्य ह्रास रियायत को करमुक्त रखने से यह राशि दस करोड़ रुपये होती है।

अतः महोदय, यद्यपि रियायतें स्वागत के योग्य हैं परन्तु ये प्रतिगामी हैं तथापि ये प्रकट नहीं हैं। फलस्वरूप इससे सम्पत्ति और आय की असमानताएं बढ़ेंगी और मैं नहीं समझता कि सम्पत्ति और आय की असमानताओं को बढ़ाना सरकार की उद्घोषित नीति है।

दूसरी बात यह है जिसका कि वित्त मंत्री महोदय ने दावा किया है। वह है कि यह बजट मुद्रास्फीति-विरोधी हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आवश्यक ढांचे का निर्माण करना, उत्पादन को बढ़ाना और ऐसी स्थिति तैयार करना जिससे बजट को उसके ही संसाधनों से वित्त की प्राप्ति हो। घाटे की वित्त व्यवस्था कम से कम हो तथा अर्थव्यवस्था का ह्रास कम हो जिससे मुद्रास्फीति को रोका जा सके। महोदय, अब मेरा इस मामले में वित्त मंत्री महोदय से मतभेद है। मैं उन्हीं की रिपोर्टों में दिये गये आंकड़ों से यह सिद्ध करूँगा कि इस वर्ष के बजट से पिछले वर्ष की तुलना में मुद्रास्फीति कम नहीं होगी।

महोदय, उनका दावा है कि उन्होंने घाटे के बजट को 2,700 करोड़ रुपये से कम कर 1,417 करोड़ रुपये किया है। गत वर्ष कितने का घाटा था जब पिछली सरकार ने बजट बनाया? वह 1,300 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा था। किन्तु वह बढ़कर 2,700 करोड़ रुपये तक हो गया। गारेन्टी क्या है। विरासत में मिले अस्थायित्व एवं अर्थव्यवस्था में विद्यमान तत्वों के कारण इस वर्ष के बजट से मुद्रास्फीति की आग और भड़केगी और उसे फिर नहीं रोका जा सकता और वे जब दूसरे वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करने आयेंगे तब कहेंगे कि इन कारणों से मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं किया जा सका और घाटे का बजट पुनः 2,700 करोड़ रुपये या उससे कम या अधिक होगा। उन्होंने कहा है कि आधार भूत ढांचा यथा कोयला, इस्पात तथा अन्य वस्तुओं के लिए व्यवस्था की गयी है। उन्होंने प्रतिरक्षा बजट की राशि को 300 करोड़ रुपये बढ़ाया है और उर्वरकों के लिए आर्थिक सहायता को खत्म किया है। तत्पश्चात वे दावा करते हैं कि वे उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि इस वर्ष वार्षिक बजट 14 प्रतिशत अधिक है। अतः 7340 करोड़ रुपयें में 767 करोड़ रुपये की अभिवृद्धि हुई है। यह 14.5 प्रतिशत की वृद्धि है। अभी देश में मुद्रास्फीति की दर क्या है? क्या उन्होंने भौतिक लक्ष्यों को बढ़ाया है? वे सभी तथ्यों के साथ सामने क्यों नहीं लाते हैं? मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरा समय बहुत सीमित है। नहीं तो मैं भौतिक लक्ष्य, जिन्हें बढ़ाया गया है उसके सम्बन्ध से दर्जनों उदाहरण उद्घृत कर सकता हूं।

उन्होंने 20 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि की तुलना में बजट में वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था में 14 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। इसके फलस्वरूप क्या होगा? जो कुछ भी व्यवस्था की गयी है उसमें कमी होगी, कोयला, बिजली, शिक्षा, अनुसूचित जाति के लिए कल्याण और अन्य सभी कार्यक्रमों में कटौतियां होंगी। सामान्यतः कटौतियां कल्याण कार्यक्रम में की जाती है। इनमें कटौतियां और कमियां होंगी। अगर वे कार्यक्रमों को पूरा करने में सक्षम हैं तो आवश्यक वित्तीय संसाधन बहुत अधिक होने चाहियें। और यदि इस अवधि के दौरान यदि इस देश में मुद्रास्फीति की दर 20 प्रतिशत के बजाय केवल 10 प्रतिशत भी रहे तो योजना की पूर्ति हेतु बहुत ज्यादा बजट की जरूरत होगी। मुझे भय है कि घाटे का बजट 2700 करोड़ रुपये का होगा या भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मात्रा में धन राशि की कमी होगी। अतः महोदय, स्थिति यह है और उनके इस दावे के संबंध में कि बजट मुद्रास्फीति विरोधी है और वह मुद्रा प्रसारक

तत्वों को नियंत्रण में रखेगा, के सम्बन्ध में मेरा यह तर्क है। यह बिल्कुल ही अनुचित है। बजट के उपबंध ही ऐसे हैं कि इससे बजट स्फीतिकारी होगा। केवल यही बात है। अगर मौसम ठीक रहा, मानसून अच्छी हुई तो कुछ हो सकता है। इस वर्ष खाद्य पदार्थों में 150 लाख टन की कमी आई है। प्रत्येक चीज की उपज में कमी हो रही है। अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है कि वित्त मंत्री महोदय यह खुले रूप में नहीं कहते हैं परन्तु गुप्त ढंग से सोचते हैं कि इसमें सुधार अवश्यम्भावी है क्योंकि यह कमजोर रही है। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन इतना कम है, दूसरे क्षेत्र में उत्पादन इतना कम है, बिजली की स्थिति खराब है, प्रत्येक चीज इतनी खराब है कि सुधार अपरिहार्य है। वे यही सोचते हैं, यह प्रत्याशा करते हैं। परन्तु महोदय, उनके द्वारा प्रावधान करने के बावजूद मुद्रास्फीति रुकेगी नहीं।

मेरा अंतिम प्रश्न यह है। मैं अपनी बात संक्षेप में रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है। मैंने रात में घंटों तक आर्थिक सर्वेक्षण और उनके भाषणों का अध्ययन किया, परन्तु कहीं भी मुझे उनके बजट का दर्शन नहीं मिला। आखिर बजट केवल लेखा जोखा ही नहीं, केवल खर्च और आय का ब्यौरा ही नहीं है। यह एक दर्शन है, यह नीति का यंत्र है, केन्द्रीय सरकार की नीति का महत्वपूर्ण यंत्र है। परन्तु, वर्तमान बजट की नीति क्या है? वर्तमान बजट का निर्देश क्या है? मैं यह कहना चाहता हूं, मुझे ऐसा कहने के लिए खेद है। इसे प्रधान मंत्री जानती हैं या नहीं परन्तु यह उनके द्वारा हमेशा से समाजवादी समाज के विकास के लिए दिये गये वक्तव्य के प्रतिकूल है। बजट अगर दिखाने के लिये भी कल्याणकारी है तो वह पूंजीवादी व्यवस्था के ही विकास का अनुसरण करता है। समयाभाव के कारण मैं केवल कुछ ही उदाहरण दे रहा हूं। अन्यथा मैं उपबन्धों से ही कई उदाहरण दे सकता हूं। क्योंकि जोर किस पर है? अगर कोयला और बिजली के उत्पादन के लिए प्रावधान है तो वह होना चाहिये। जब प्रावधान है तो उत्पादन बढ़ना चाहिए। परन्तु मुख्य जोर किस पर है? मुख्य जोर निजी क्षेत्र पर है। प्रोत्साहन निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है इसी से वे वर्तमान स्थिति का सामना करेंगे। और अब महत्वपूर्ण बात जो मैंने ग्रामीण धनियों के सम्बन्ध में कही है वह है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमने कृषि सम्पत्ति पर सम्पत्ति-कर लगाया है। आप देखिये कि ऋण को सहकारी क्षेत्र में अंशों में बदलने का उपबन्ध किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण नीति जो एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन के बाद बनाई गई थी। आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीकरण के बारे में कहा गया कि क्योंकि कुछ निजी क्षेत्र सरकारी संस्थाओं की सहायता से विकास कर रहे हैं इसलिए परिवर्तन सम्बन्धी खंड पुरःस्थापित किया गया था। इसे पुनः श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में शक्तियों के केन्द्रीकरण को कम करने के लिये—समाजवादी उपाय के रूप में पुरःस्थापित किया गया था। परन्तु मैं पूछता हूं कि इसमें ढील क्यों की गई? किस निर्देश के अधीन? वित्त मंत्री का उद्देश्य क्या है? वे निजी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं क्योंकि उनके तथा इस सरकार के दृष्टिकोण से निजी क्षेत्र ही चुनौतियों का सामना कर सकता है और वही इस वर्तमान आर्थिक संकट के लिए समाधान प्रस्तुत कर सकता है। प्रधान मंत्री हमेशा से यह कहती आ रही हैं और आज भी कहती हैं कि पिछली जनता सरकार पूंजीवाद व्यवस्था के विकास की नीति का अनुसरण कर रही थी और इसलिए यह आर्थिक संकट है। मैं यह कहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय का बजट पूंजीवादी विकास की उसी नीति का पालन करता है और देश में आर्थिक संकट और भी बढ़ेगा। तत्पश्चात, पुनः बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात है। इस सम्बन्ध में

कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है । अगर कोई है तो पूंजीवादी विकास के लिए गुप्त निर्देश है । आर्थिक सर्वेक्षण में लोगों की बेरोजगारी का मुश्किल से ही कोई उल्लेख है । बेरोजगारी की स्थिति काफी निराशाजनक है । यह 10% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है । मैं विभिन्न आंकड़ों को उद्धरित कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं । यह दावा किया गया है कि ग्रामीण रोजगार पर ध्यान दिया गया है । उन्होंने 340 करोड़ रुपये दिये हैं और उप वित्त मंत्री महोदय ने भी कहा है कि इससे 9000 लाख मंडियों का निर्माण किया जायेगा । मेरे पास 1971-1974 के ग्रामीण रोजगार योजना का प्रतिवेदन है । यह प्रतिवेदन योजना आयोग का है । जब योजना बनाई गई थी तो वित्त मंत्री महोदय योजना आयोग के एक विशिष्ट सदस्य थे । मैं रिपोर्ट से उद्धरण पेश करूंगा ।

"सी० एस० आर० ई० ग्रामीण रोजगार की तात्कालिक योजना का अनुभव हतोत्साहपूर्ण था ।"

यही बात है "जो निराशापूर्ण रही है इसका कारण सार्वजनिक कार्यों में कुशल प्रबन्ध का अभाव है । वृहत संगठनात्मक व्यवस्था स्थापित करने पर ही हम शासकीय कार्यक्रम में कुशल प्रबंधन के अभाव को दूर कर सकते हैं। इस प्रतिवेदन में जिलास्तरीय संगठनात्मक योजना के प्रश्न की चर्चा है एक प्रकार की जिलायोजना, जिसके बिना समूची ग्रामीण रोजगार योजना, असफल हुई । इसमें बताया गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्होंने 1971-74 के बीच 142 करोड़ रुपये खर्च किया और करीब 310 लाख मंडियों का निर्माण किया था। यह 1971 में था । मंत्री महोदय ने भी अभी कहा है कि वे इस कार्यक्रम के लिए 340 करोड़ रुपये खर्च करेंगे । परन्तु 1971 और 1980 के बीच मुद्रा स्फीति की दर इतना ऊंचा हो गया कि मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखने से यह 60 प्रतिशत या इससे अधिक हो गया है । अब 340 करोड़ रुपये में 9000 लाख मंडी-निर्माण का उनका प्रावधान है । आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं ? आपके पास कोई संगठन नहीं है । आपके पास कोई योजना नहीं है । अब किस प्रकार की रोजगार व्यवस्था स्थाई रूप से वर्ष भर के लिए होगी । इस व्यवस्था से आप लोगों को वर्ष में 100 दिनों के लिए रोजगार दे सकेंगे । इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । यहां ग्रामीण क्षेत्र में 3600 लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं और आप उन लोगों के लिए 100 दिनों के लिये रोजगार व्यवस्था हेतु 9000 लाख मंडियों का निर्माण करेंगे । यह एक काल्पनिक व्यवस्था है । आप 340 करोड़ रुपये खर्च कर साल में 100 दिनों के लिए 9000 लाख मंडियों का निर्माण कर अधिक सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं । संगठनात्मक असफलता और अन्य चीजें जो ज्यादा गंभीर हैं इन्हें छोड़ने से भी प्रतिवेदन से ही स्पष्ट पता चलता है कि इससे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी । शहरी बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है, शहरी शिक्षित बेरोजगार के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है । रोजगार रजिस्टरों के अनुसार 160 लाख लोग शहरी शिक्षित बेरोजगार हैं और करीब 1600 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। ये शहरों के व शहरी क्षेत्र के गरीब लोग हैं । इन लोगों के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा गया है । यह किस प्रकार का बजट है ? नीति का यह किस प्रकार का यंत्र है ? मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा, शायद उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया है । वे समाजवाद के लिये संकल्पबद्ध हैं ऐसा मैं विश्वास करता हूं ।

वह समाजवाद के लिए वचनबद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भी एक नीति होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि गरीब लोगों को कुछ राहतें दी गई हैं, वे अच्छी हैं और उनका स्वागत है। परन्तु बाकी बजट कुछ प्राप्त करने वाला नहीं है। कम से कम मुद्रास्फीति को तो नहीं रोका जा सकेगा और एक ऐसे समाज की स्थापना नहीं की जा सकेगी जिसमें सामाजिक न्याय हो, समाजवाद हो और सामाजिक विकास हो। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है परन्तु चूंकि मेरे पास समय नहीं है इसलिये मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हू।

इस दृष्टि से बजट निराशाजनक रहा है और एक महान अवसर हाथ से निकल गया है। यह एक ऐसा समय था जब कि माननीय प्रधान मंत्री महोदया के समर्पित तथा मजबूत नेतृत्व में वे कुछ कर सकते थे परन्तु उन्होंने कम से कम इस वर्ष अवसर खो दिया।

श्री रणजीत सिंह (चतरा) : सभापति महोदय, मैं 1980-81 के प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट का समर्थन करने से पहले मैंने विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। गत 2 वर्षों से देश की आर्थिक स्थिति में गंभीर रूप से गिरावट आई है। 1979-80 में कृषि-उत्पादन में 10 प्रतिशत की कमी आई है जब कि 1978-79 में बहुत अच्छी फसल हुई। 1978-79 में औद्योगिक उत्पादन में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जब कि 1979-80 में 3 प्रतिशत की कमी हुई है। 1979-80 की थोक कीमतों के सूचक अंक में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूर्ति सम्बन्धी अचानक मांग के कारण मंहगाई बढ़ गई और वैसी स्थिति हमारे वित्त मंत्री ने इस बजट को प्रस्तुत किया है जिस समय कि गंभीर स्थिति में देश में फैल रही थी। जनता पार्टी, लोकदल की सरकार इस मामले में विफल हो गई थी, इस कारण आर्थिक स्थिति में बहुत चिन्ता बढ़ गई और उत्पादन में कमी आ गई। वैसी स्थिति में इस बजट का मैं समर्थन करता हूं।

इस बजट में बहुत पहलू हैं, यह बजट हमारी पार्टी के सिद्धान्तों पर आधारित है। इसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20-सूत्री कार्यक्रमों और श्री संजय गाँधी के 4-सूत्री कार्यक्रमों को रखा गया है, जिन पर यह आधारित है। इसमें यह बतलाया गया है कि उत्पादन में कमी इसलिये हुई क्योंकि वर्षा की कमी थी, कोयले की कमी थी और रेल वैगनों से माल की ढुलाई पूरी तरह नहीं हुई। ऐसी स्थिति में मैं अपनी सरकार से रिक्वैस्ट करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों सरकार वर्षा पर निर्भर करती है, क्यों नहीं यह सरकार अपना अलग से इन्तजाम करती है, क्यों नहीं सिंचाई का अपना इंतजाम करती है, क्यों नहीं बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करती है ? ऐसी स्थिति में भगवान पर विश्वास कर, वर्षा पर विश्वास कर देश में उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता है। वर्षा की कमी और कोयले की कमी के कारण ही उत्पादन कम नहीं हुआ है बल्कि शासन द्वारा अपने बड़े-बड़े अफसरों पर और कार्पोरेशन्स पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया गया, वह उन पर सुपरविजन अच्छी तरह नहीं कर पाई, इस वजह से हमारे देश में मंहगाई बढ़ गई है।

इस बजट का समर्थन मैं इसलिये भी करता हूं कि इस बजट में आवश्यक वस्तुओं पर शुल्क नहीं लगाया गया है जिससे जनता को बहुत भारी राहत मिली है जैसे कोयला, कुकिंग गैस,

मिट्टी का तेल, डीजल वनस्पति घी, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, साइकिल, कृषि सम्पदा, जीवन रक्षक दवाइयां नहाने का साबुन, टुथ पेस्ट, बल्ब, नये होटल एवं नये जहाज उद्योगों में केन्द्रीय शुल्क में रियायत दी गई है और कुछ पर बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। इस तरह से जनता को इस बजट में बहुत सुविधा दी गई है, राहत दी गई है जिससे करीब 34.75 करोड़ का घाटा होगा किन्तु इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो गरीबी की लाइन से नीचे जनता है, उनको यह बजट बहुत राहत पहुंचायेगा और ऐसे शुल्क के घटने से देश की आर्थिक स्थिति में कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

इस बजट में विकास के कामों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए 40 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे, जिससे उनका उत्थान होगा। हरिजन और आदिवासी देश के गरीब और पिछड़े तबके लोग हैं। उनकी सुविधाओं और उत्थान के लिए 220 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए 140 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था है।

हिन्दुस्तान गांवों का देश है। हमारे 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। मगर अभी उनके लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। गांवों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हथकरघा विकास निगम की स्थापना से लोगों को बहुत सी सुविधायें मिलेंगी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

बीस-सूत्री कार्यक्रम को इस बजट में पूर्ण रूपेण शामिल किया गया है। बंधुआ मजदूरों की प्रथा को खत्म करने का कार्यक्रम 1975 से चला आ रहा है। हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी, इस प्रथा को खत्म करने और मजदूरों के पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करती आ रही हैं। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए इस बजट में 3 करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसी तरह समाज कल्याण के लिए 35.48 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे समाज के गरीब और निम्न स्तर के लोगों का कल्याण होगा।

जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए 19.85 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे 40 वर्ष से ऊपर के लोग शिक्षा प्राप्त करके समाज के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकेंगे। भूमि को समतल और सिंचाई-योग्य बनाने के लिए 45.40 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जो बहुत कम है। हिन्दुस्तान में ऐसे बहुत से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां के लोगों ने सड़क और रेलवे लाइन नहीं देखी है। वहां की जमीन भी बंजर है और लोग भूखों मरते हैं। मेरा सजेक्शन है कि इस मद में और अधिक राशि रखी जाये, ताकि जमीन को समतल और सिंचाई-योग्य बना कर गरीबों को दी जाये।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये रखे गये हैं, जो बहुत कम हैं। बहुत से क्षेत्रों में एक भी उद्योग नहीं है, कोई रोजगार नहीं है और लोग पत्ते खाकर रहते हैं। मेरा क्षेत्र बिहार में चतरा है, जहां आदिवासी और हरिजन रहते हैं। वहां सड़क और रेलवे लाइन नहीं है, कोई उद्योग नहीं है और वहां के लोग भूखों मरते हैं। इसलिए पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए और राशि रखने की जरूरत है। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मद में और रुपयों की व्यवस्था की जाये, जिससे पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण हो सके और वहां की गरीब जनता रोजगार पा सके।

इस बजट में सड़कों पर 114 करोड़ रुपए रखे गए हैं, लेकिन यह रकम उन सड़कों के लिए है, जो वाणिज्य के लिए आवश्यक है या अन्तर्राज्यीय सड़कें हैं। जंगलों तक जाने वाली और गांवों को मिलाने वाली सड़कों के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं की गई है। जंगलों और गांवों में रहने वाले लोग बारिश के दिनों में कई दिनों तक बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां कोई रास्ता नहीं है और कोई सवारी वहां नहीं जाती है।

इसकी ओर न जाने क्यों मन्त्री का ध्यान नहीं गया है। इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि इस पर ध्यान दिया जाय और ऐसे आदिवासी और हरिजन क्षेत्र के गरीबों की रक्षा के लिए, उनके आने जाने के लिए सड़क का निर्माण कराया जाय। इन सभी सुझावों के साथ मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं और रिक्वैस्ट करता हूं कि मेरे सुझावों पर ध्यान देकर गरीब लोगों के लिए सड़क निर्माण, घर, बाजार तथा पानी की व्यवस्था पर अधिक खर्च बढ़ाने की कृपा करें।

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गए बजट का समर्थन करता हूं। मैं बहुत अच्छे तथा कल्याणकारी किस्म के बजट के लिये उन्हें बधाई देता हूं जो उन्होंने अगले वर्ष के लिये यहाँ प्रस्तुत किया है अर्थ। व्यवस्था में पिछले वर्ष गड़बड़ी को देखते हुए वह और भी बधाई के पात्र हैं। मेरे विचार से यह बजट 1979-80 के गत वर्ष के बजट के हानिकारक प्रभावों को कम करता है। मैं समझता हूं अब हम सब की प्राय: एक राय है, शायद कुछ अपबादों को छोड़कर कि पिछले वर्ष की अर्थ व्यवस्था, हमारी सरकार को पिछले वर्ष की बपौती स्फीतिकारी तथा अस्तव्यस्त थी। इसमें स्फीति की क्षमता प्रवृति है। नीतियों में ढुलमुलपन था। कोई तालमेल नहीं था और सरकार का कोई प्रबंध नहीं था क्योंकि वे सदैव आपस में लड़ते रहें, उनके पास सरकार के कार्यों पर ध्यान देने के लिये समय नहीं था। समन्वित नीतियों की कमी भारी घाटे की अर्थ व्यवस्था तथा पर्याप्त कर लगाये जाने के कारण मुद्रा की सप्लाई बढ़ गई।

वर्ष 1978-79 में 1590 करोड़ रु० का घाटा था और इसलिये उन्होंने लोगों, सामान्य लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों, ग्रामीणों तथा प्रत्येक पर भारी कर लगाये थे। वर्ष 1979-80 में यद्यपि पहले अनुमानित घाटा 1300 करोड़ रु० से कम था किन्तु अन्ततः यह 2700 करोड़ रुपये हो गया। नि:सन्देह भारी कर भी लगाये गये इस मुद्रास्फीति की प्रवृति वाली अस्तव्यस्त अर्थ व्यवस्था को देखते हुए जो हमें पिछले दो वर्ष अथवा अधिक से पिछली सरकार के गलत-प्रबंध की वजह से हानिकारक प्रभावों के कारण विरासत में मिली है। इस बजट को न केवल गरीब वर्ग के लिये बल्कि सताये हुये मध्यम वर्गों के लिए भी उत्तम कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह नियमित क्षेत्र के लिए समान रूप से लाभदायक है। मैं अब केवल उन कुछ लाभों का जिक्र करूंगा जो मध्यम वर्ग के लोगों को दिये गए हैं। लघु क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रु० का परिव्यय है। कुटीर उद्योगों तथा उस इलैक्ट्रोनिक उद्योग को भी उत्पादन शुल्क से छूट का लाभ दिया गया है जो इस समय प्रगति के पथ पर है। साईकिलें, सिलाई की मशीनें, बल्ब तथा ब्रुश आदि जैसी उपभोगता वस्तुओं पर भी छूट दी गई है। आयकर से छूट की सीमा 10,000 रु० से बढ़ाकर 12000 रु० करने से मध्यम वर्गों को भी बड़ी राहत मिली है। इस राहत से 6 लाख निर्धारितियों को लाभ होगा, प्रशासन पर दबाव भी कम होगा उन कुछ छोटे लोगों को भी राहत मिली है जिनके पास लगभग 1.5 लाख का धन है। इन राहतों तथा अन्य तरीकों से बजट से

मध्यम वर्ग लाभान्ति हुआ है। मैंने केवल उनमें से कुछ का जिक्र किया है क्योंकि विस्तार से जिक्र करने का मेरे पास समय नहीं है।

जहाँ तक गरीब व्यक्ति का संबंध है, योजना व्यय में वृद्धि 14½% तक की है। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिये आवंटित बजट अनुदान 2247 करोड़ रुपये है। वड़ी तथा मध्यम सिंचाई के लिए 1380 करोड़ रु० आवंटित किया गया है। लघु सिंचाई के लिए 266 करोड़ रु० आवंरित किया गया है। यह आवंटन निश्चित रूप से बहुत से रोजगार पैदा करेगा तथा देश में मुद्रा स्फीति के विरुद्ध भी कार्य करेगा। यदि सही ढंग से प्रवंध किया जाता है। रोजगार गारन्टी योजना के लिए 340 करोड़ रुपए दिया गया है। अनुमान है कि यह 9000 लाख श्रम दिन अथवा अधिक उत्पन्न करेगा। मेरे माननीय मित्र श्री भगत को यह कहते हुए दुख हो रहा था कि इस योजना के बारे में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के प्रतिवेदन से जो संसद सदस्यों को परिचालित किया गया था प्रबंध में कुछ त्रुटियों का पता चलता है यह सच है कि प्रबंधको सही रूप से योजना-बद्ध करना होगा तथा कुशलता से चलना होगा। जब तक कि अफसरशाही समेत हर जगह वेहतर प्रबंध नहीं होगा तब तक न केवल गरीबों मध्यम वर्ग के लिए बल्कि अन्य मजदूरों तथा कृषकों के लिए भी किए गए अच्छे प्रस्तावों तथा आवंटनों को फल प्राप्त करना कठिन होगा। परन्तु मुझे माननीय सदस्यों को जो यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यह रोजगार गारन्टी योजना वेकार है यह अवश्य बताना चाहिए कि अधिक रोजगार तथा अधिक रचनात्मक तथा कल्याणकारी कार्य के लिए शुरू की गई यह एक सर्वोत्तम योजना है। नहर की खुदाई, लघु सिंजाई बड़ी इमारतें, ईंधन तथा बन सुधार कार्य, सड़क कार्य, नाला निर्माण, सामुदायिक कुएं आदि जैसे कार्य जो रोज-गार गारंटी योजना के अन्तर्गत चलाए तथा पूरे किए जाते हैं, रचनात्मक तथा परिणामोन्मुखी कार्य हैं इन परियोजनाओं का निर्माण, नवीकरण या विस्तार उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो इस योजना के अन्तर्गत काम पर लगाए जाते हैं। इसलिए इसका कार्य क्षेत्र सीमित नहीं है। यह एक ऐसी योजना है जो वर्षों तक जारी रहेगी और रोजगार तथा उत्पादन का उत्तरोत्तर विस्तार होगा। नहर की खुदाई लघु सिंचाई कार्य, सड़क निर्माण तथा अन्य सुधार ग्रामीण गरीब व्यक्तियों तथा मध्यम वर्गों के लिए अधिकाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। इससे विकास भी होगा और मुद्रास्फीति भी रुकेगी बजट में इस बात का भी प्रावधान है कि 25 लाख हेक्टेयर और अधिक भूमि की सिंचाई नई परियोजनाओं द्वारा की जाएगी। हमारे दल के 20-सूत्री कार्य-क्रम के कार्यों में से यह एक है। 25,000 और अधिक गांवों को विजली देने का विचार है। 35,000 और अधिक गांवों को पीने के पानी की सप्लाई की जाएगी। गरीबों तथा अनुसूचित जातियों को आवास स्थल दिए जायेंगे और उस प्रयोजन के लिए 50 करोड़ रु० आवटित किए गए हैं। यथा संभव अधिक से अधिक गांवों में डाक घर खोलने का प्रावधान है जैसा कि हमारे माननीय उपमंत्री महोदय ने कहा है, कि आवास स्थलों के लिए आवंटित 50 करोड़ रुपए की राशि से अनुसूचित जातियों को भी लाभ होगा। इससे 8 लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा। इसके अति-रिक्त अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए इस बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। है। यह अलग-अलग राज्यों के इस प्रयोजन के लिए बजट में किए गए आवंटन के अतिरिक्त है। अनुसूचित जन-जाति विकास के लिए 70 करोड़ रुपए दिया गया है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं। गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क भी नहीं लगाया गया है। वे साईकिल रिक्शा के दहने इंजिन, दन्त मंजन, ब्रुश,

बिजली के बल्ब तथा अन्य वस्तुयें जैसी हैं। इन सब प्रस्तावों से स्व-रोजगार तथा ठेकेदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। विकास क्षमता को भी सहायता मिलेगी। निगमित क्षेत्र को भी लाभ दिया गया है। मेरे पास उन राहतों का जिक्र करने के लिए काफी समय नहीं है। जो निगमित क्षेत्र को ही दी गई हैं परन्तु आयात निर्यात बैंक को प्रोत्साहन देना इसका एक दृष्टान्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि बजट में न केवल गरीब लोगों बल्कि मध्यम वर्गों तथा नियमित क्षेत्र के साथ भी न्याय किया गया है।

हमारी विरासत बड़ी खतरनाक है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में नकरात्मक विकास हुआ था। थोक मूल्य सूचकांक में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछली सरकार द्वारा गैर-योजना व्यय अधिक किया गया। 1976 से 1978 तक 19 प्रतिशत मुद्रास्फीति हुई। इन सबके अतिरिक्त सभी व्यापारियों को अपने काले धन का उपयोग करने की छूट थी। चोरबाजारी करने वालों को अपने काले धन का उपयोग करने तथा व्यापारियों को लाभ कमाने तथा सारे माल की जमाखोरी करने की स्वतंत्रता थी। मुद्रास्फीति की लहर चल रही थी। उस दिवालियापन की अर्थ व्यवस्था का सामना करके यह बजट एक कल्याणकारी बजट है। यह बजट पिछली सरकार द्वारा उत्पन्न अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकता है मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि ये सब बजट आवटन समाज के हर वर्ग को निष्पक्ष रूप से दिए गए हैं और यदि हम सब कुशलता और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं तो वे लाभ उठा सकते हैं।

मुझे मालूम है कि एक मंत्रिमंडलीय समिति औद्योगिक गतिविधियों तथा मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने पर तुरन्त ध्यान दे रही है और विद्युत उत्पादन, कोयला उत्पादन में बृद्धि करने तथा परिवहन को सरल और कारगर बनाने में सहायता करने का भी प्रयास कर रही है। श्रीमान, सरकारी क्षेत्र की ओर भी ध्यान देना होगा। ठीक हो या गलत वे सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे है। मैं सुझाव देता हूं। कि यदि कुछ गलत हो जाता है और यदि गलत ढंग से प्रबंध किया जाता हैं तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों तथा प्रबंधकों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जब तक हानियों अथवा गलत प्रबंध के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है तब तक बातें सही नहीं होगी। भारी नुकसान करदाताओं के खर्चे पर है।

हमें इस बात को देखने का भी प्रयास अवश्य करना चाहिए कि आर्थिक सहायता केवल व्यक्तिगत तथा सामाजिक उपयोग के लिये दी जाती है। 1970 में 94 करोड़ रु० से शुरू होकर 1979 में वह बढ़कर 1500 करोड़ रुपए हो गई। यदि हम इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे कि यह आर्थिक सहायता केवल व्यक्तिगत तथा सामाजिक उपभोग के लिए है न कि गलत प्रबंध के कारण हुई हानियों के लिए तो यह एक बेकार का भारी खर्च हो जाएगा और करदाताओं को बढ़ते हुए करों का भार वहन करना पड़ेगा।

श्रीमान, व्यापारी बड़े उत्सुक थे कि करों में वृद्धि होनी चाहिए और उस विचार से उन्होंने मूल्य बढ़ा दिए थे यदि व्यापारी हमें सहयोग नहीं देते और अधिकांश सहयोग नहीं देते हैं तो मूल्यों में स्थिरता लाने की दृष्टि से सरकार के लिए यह आवश्यक है कि उन पर सख्ती करे। सख्ती बरते।

मैं पुनः कहता हूं कि हमारा बजट अच्छा है, यह कल्याणकारी बजट है, यह गरीबों के लिए है परन्तु हमें अवश्य सावधान रहना चाहिए। हमें बजट को ईमानदारी तथा प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। इस देश में अनेक दुश्मन हैं जो यह देखना चाहते हैं कि मूल्य बढ़े। इसलिए

उन पर निगरानी रखना और शायद कठोरता से कार्यवाई करना आवश्यक है, और हम जो करना चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं ।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं माननीय उप वित्त मंत्री का समदर्शी भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था । यह देखकर मुझे बड़ा विचित्र लगा कि आज उप वित्त मंत्री उन्हीं सभाओं की प्रशंसा कर रहे जिनकी प्रधान मंत्री महोदया 1974-75 से प्रतिक्रिया के मुख्यांग के रूप निन्दा करती रही हैं और आये दिन आलोचना करती रही हैं । बड़े दुख की बात कि वे फिर उसी रास्ते पर पहुंच गए हैं जहां से वे लौटे थे ।

मैं उप-वित्त मंत्री के लगातार आश्वासनों से सन्तुष्ट नहीं हूं कि वित्त मंत्री ने चालवाजी का सहारा नहीं लिया है ।

वास्तव में, उप-वित्त मन्त्री महोदय की बात सुनने के बाद भी, मेरा यही मत है । मैं बड़े आश्चर्य में था कि लोक सभा सत्र आरम्भ होने से केवल कुछ ही दिन पूर्व तेल और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि करने की सरकार को इतनी क्या जल्दी थी । विपक्ष की ओर से हमने इसके औचित्य का मामला उठाया । लेकिन अब मुझे विश्वास करना पड़ रहा है कि विपक्ष गलती पर था और वास्तव में दोनों सदनों और जनता को बेवकूफ बनाया गया था । यह कोई संयोग नहीं था, इसे तो जान-बूझकर नियोजित, आकलित करके तब लागू किया गया था । जनता पर जिस भीषण प्रहार की बात पर भारत सरकार विचार कर रही थी, उसको तीन रूपों में विभाजित किया गया था । प्रहार का प्रथम रूप तो 7 जून 80 को देखने में आया जब तेल और उर्वरकों तथा अन्य उप-उत्पादनों की कीमतों में वृद्धि की गई । फिर, रेलवे बजट के रूप में 16 जून को दूसरा प्रहार किया गया । यह सब करने के बाद, वित्त मन्त्री महोदय लोक सभा के समक्ष आकर अपना बजट प्रस्तुत करते हैं और तथाकथित राहतों की घोषणा करते हैं तथा वित्त मन्त्री महोदय के पीछे वाली बैंचों से, जो लोग वित्त मन्त्री महोदय के बाएँ-दाएँ बैठते हैं, मेजें पीट-पीटकर कहते हैं "क्या ही विचित्र बजट है, जो कि वित्त-मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है ।" यह तो ठगी है, चालाकी है । वित्त मन्त्री महोदय 2,000 करोड़ रुपए से अधिक तो तेल की कीमतों में वृद्धि करके लेना चाहते थे और 600 करोड़ रुपये से अधिक उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि करके प्राप्त करना चाहते थे । इन वृद्धियों को बजट-चर्चा के घेरे से अलग रखने के लिए, इसे जान-बूझकर बजट में नहीं रखा गया । प्रहारों को इस प्रकार संजोया, संचालित किया गया कि जिससे सारे के सारे प्रहार एकदम से जनता को सहने न पड़ें तथा जिससे लोग प्रहार की घोरता को अनुभव न कर सकें । धूर्त, चालाक ? सच्चाई है, मेधावी ? बहुत ठीक, परन्तु सारे ही काम में निपुण चालबाजों की चालाकी से हेर-फेर करके अन्त में तुम्हारे लिए इस बजट को लेकर आए हैं । बजट में, पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि में, आपने उर्वरकों की कीमतें 37.93 प्रतिशत, पेट्रोल की 15.65 प्रतिशत, डीजल की 44.30 प्रतिशत बढ़ा दी हैं । आपने डीजल की कीमतों में 44.30 प्रतिशत वृद्धि कर दी है, जबकि आपने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके बिना किसान पनप नहीं सकते, निट्रमन (डामर) की कीमतों में 615 रुपये प्रति मीटरी टन वृद्धि कर दी है तथा विमान-तेल में प्रति किलो-लीटर 1100 रुपये की वृद्धि कर दी है । ये सभी चीजें मिलकर हर वस्तु की कीमत में वृद्धि कर देगीं । आपके रेलवे बजट में ही यात्री-किराये में 10 प्रतिशत की

वृद्धि की गई थी और माल-भाड़े में 15 प्रतिशत की । इसका यह अर्थ हुआ कि जिस किसी भी वस्तु की ढुलाई रेलों से होगी उसकी कीमत बढ़ जायेगी और जो कोई भी रेलों से यात्रा करेगा उसे भी अधिक पैसे देने पड़ेंगे । आप तो मध्यम वर्ग के लिए आंसू बहा रहे हैं । बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली जैसे नगरों में मध्यम वर्ग के कितने लोग आवधिक पासों पर यात्रा करते हैं ? आपने उनके किराओं में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है । इन सब वृद्धियों के बाद, आप यह बजट लेकर जाए हैं और इस बजट में भी आपने कर लगाए हैं । आपकी स्थिति थी क्या ? इसी सरकार ने कहा था कि नये करों का लगाया जाना सम्भव नहीं है । अपने आर्थिक सर्वेक्षण में आपने कहा है :

> "1980-81 में वित्तीय नीति को भारी अड़चनों/प्रतिबन्धों के अधीन संचालित होना होगा । अर्थ-व्यवस्था के विकास में कमी और तेल की कीमतों में वृद्धि से पड़े पर्याप्त बोझ के के विचार से कराधान द्वारा अतिरिक्त स्रोत संघटन का क्षेत्र कुछ सीमा तक सीमित हो जाता है । अतः, अच्छे प्रशासन के द्वारा विद्यमान कर प्रणाली की पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए भारी प्रयत्न की आवश्यकता है ।"

यही उन्होंने **आर्थिक सर्वेक्षण** में लिखा है । यह तेल की कीमतों में वृद्धि से पूर्व और रेलवे-बजट प्रस्तुत करने से पहले लिखा गया था । तेल, उर्वरकों आदि की कीमतों में वृद्धि करने के बाद, माल-भाड़े और यात्री-किराए में वृद्धि के बाद, यह कहते हुए वह यह बजट लेकर आए हैं कि उन्होंने पर्याप्त रूप में कर नहीं लगाए हैं और वे कुछ छूटें दे रहे हैं । कौनसी राहतें वह दे रहे हैं ? वित्त-मन्त्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों पर और अधिक उत्पाद-शुल्क में छूट दे दी है ? यदि वह पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद-कर लगा भी देते तो उसकी मात्रा क्या होती ? उन्होंने 14 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर और 2.5 पैसा प्रति लीटर मिट्टी के तेल पर छूट दी है । पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों पर किसी प्रकार का और अधिक उत्पाद-शुल्क न लगाकर उन्होंने छूट की यह सीमा दिखाई है । इसको ही इस सदन में बहुत बड़ी छूट देकर ढोल पीटा जा रहा है ।

वित्त मन्त्री महोदय के प्रस्तावों के अनुसार, इस वर्ष 147.60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क लगाया जायेगा और 24.80 करोड़ रुपए लोगों से प्राप्त किए जायेंगे । बजट प्रस्तावों से अनुसार, सभी उत्पादन-शुल्क योग्य बस्तुओं पर 5 प्रतिशत विशेष उत्पादन शुल्क लगाया गया है और जहां कहीं उत्पादन-शुल्क पहले से ही लगा हुआ है वहाँ उसे 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है । इसका अर्थ यह हुआ कि दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं मंहगी हो जायेंगी जैसे—चाय, सूती कपड़ा, सूती धागा-तन्तु, पटसन-पदार्थ, टायर और ट्यूब, सीमेंट, दियासलाइयां, कागज, शीशा और शीशे का सामान, जैसी सभी वस्तुएँ ।

सरकार कितना उत्पादन-शुल्क एकत्रित करती है । यदि आप 1950-51 से लेकर 1979-80 तक का उत्पादन-शुल्क का इतिहास देखें तो सरकार द्वारा दैनिक उपयोग की उन वस्तुओं पर एकत्र किए गये उत्पादन शुल्क का ब्यौरा, जिन्हें हमारे देश के लोग जीवन-यापन, जीने के लिए अनिवार्य मानते हैं, निम्न प्रकार हैं :

		एकत्र किया गया उत्पादन-शुल्क (करोड़ों रुपयों में)	
		1950-51	1979-80
चीनी	—	6.41	194.99
चाय	—	3 36	71.40
तम्बाकू	—	31.99	675.20
सूती कपड़े	—	9.26	380.28
साबुन	—	1.50	19.32

इस सबसे बढ़कर, वित्त मन्त्री महोदय 5 प्रतिशत अधिक उत्पादन शुल्क, विशेष-उत्पादन शुल्क लगाने और जहां कहीं यह पहले से ही हैं वहाँ इसमें 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के नये प्रस्ताव लाए हैं।

आओ हम देखें कि वित्त मंत्री महोदय द्वारा दी जाने वाली राहतें क्या हैं, उनकी सीमा और प्रकृति क्या है । वित्त मंत्री महोदय का कहना है कि टूथपेस्ट पर उत्पादन शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जायेगा । जब सदन में इसकी घोषणा की गई तो दूसरी ओर की सभी मेजें थपथपाई जा रही थीं, क्या ही विचित्र छूट है । परन्तु वित्त मंत्री सदन को यह क्यों नहीं बताते कि 1974 तक टूथपेस्ट पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगता था । 1974 में जबकि श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं, टूथपेस्ट पर पहली बार उत्पादन शुल्क लगाया गया । उसके बाद बढ़ते-बढ़ते 20 प्रतिशत तक जा पहुंचा और अब इसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है । और अब वे कहते हैं कि हम यह छूट दे रहे हैं । कितनी उदारता वे दिखा रहे हैं ।

उदाहरणस्वरूप साइकिल को ही लीजिए । इस पर से उत्पादन शुल्क बिलकुल ही हटा लिया गया है । बहुत बढ़िया । मैं इसका स्वागत करता हूं और वित्त मंत्री महोदय को इस पर बधाई देता हूं । परन्तु क्या मैं उनसे यह प्रश्न पूछ सकता हूं जब वे यह कहते हैं कि साइकिल गरीब आदमी की सवारी है तो क्या गरीब लोग अपनी साइकिल उसके रिमों पर ही चलाते हैं या उन पर टायर-ट्यूब भी चढ़ा कर चलाते हैं ? टायर और ट्यूबों की क्या स्थिति है ? टायर-ट्यूबों पर लगने वाले विशेष उत्पादन-शुल्क में वृद्धि हुई है । लेकिन साइकिल पर से उत्पादन शुल्क हटा दिया गया है । एक बार के निवेश के मामले में तो छूट दी गई है परन्तु आवर्ती व्यय के मामले में लागत बढ़ गई है । इन्होंने इस तरह की राहतें दी हैं ।

साबुन के मामले में भी उत्पादन-शुल्क दस प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है । बहुत ठीक । परन्तु कास्टिक सोडे के बारे में क्या कहना है ? कास्टिक सोडे पर उत्पादन शुल्क पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया गया है ।

इतना सब करके, कराधान के क्षेत्र में राहत के रूप में कुल 34,75,00,000 रुपये की छूट दी गई है । लोगों को दी गई राहत की कुल इतनी ही मात्रा है परन्तु अकेले उत्पादन-शुल्क में वे जो कर एकत्रित कर रहे हैं, उसकी मात्रा कुल कितनी है ? उनके बजट प्रस्तावों को मिलाकर इस वर्ष, यह 6,264.81 करोड़ रुपये हो जायेगी । केवल उत्पादन-शुल्क के रूप में ही

लोगों से 6,000 करोड़ रुपये ले रहे हैं और राहत के रूप में 34 करोड़ रुपये दे रहे हैं। और वित्त मंत्री महोदय यहां आकर कहते हैं "देखिए, मैं कितना उदार और दयालु हूं" क्या पाखण्ड, ढोंग इससे भी आगे बढ़ सकता है ?

प्रत्यक्ष करों की बात ही लीजिए, सामूहिक क्षेत्र को करावकाश प्रदान करने के अतिरिक्त, मैं केवल दो पहलूओं पर ही ध्यान केन्द्रित करूंगा।

कृषि संपत्ति के बारे में वित्त मंत्री ने कहा है :

"इस समय धन-कर की उगाही के लिए कृषि सम्पत्ति को भी कर योग्य सम्पत्ति में शामिल किया जाता है। जिस समय कृषि सम्पत्ति को कर की परिधि में लाया गया, तो उस समय यह आशा थी कि इससे समृद्ध वर्ग के कृषकों से संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी परन्तु इस सम्बन्ध में पिछली एक दशक का हमारा अनुभव बहुत निराशाजनक रहा है कृषि सम्पत्ति से धन-कर की जो उगाही की जाती रही है वह आमतौर पर एक करोड़ रुपया प्रति वर्ष से भी कम रही है। कृषि भूमि का मूल्यांकन करने के रास्ते में बहुत कठिनाइयों का अनुभव किया गया है और उसमें परेशान करने को बहुत सी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं।"

इस कर को पूर्ण रूप से समाप्त करने के बारे में वित्त मन्त्री ने उपरोक्त कारण बताया है। मान लो, मैं एक कर-दाता हूं और मैं शिकायत करता हूं कि मेरी आय का मूल्यांकन करते समय मुझे परेशान किया जा रहा है, तो क्या आप आयकर को ही समाप्त कर देंगें ? नहीं।

अब प्रश्न यह है कि वह क्या कारण था जिससे प्रेरित होकर कृषि सम्पत्ति पर कर लगाना आरम्भ किया गया था ? यह कर सबसे पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन-काल में ही आरम्भ किया गया था। वित्त विधेयक 1980 के ज्ञापन के पृष्ठ 27 में इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा गया है :

"वित्त अधिनियम, 1969 में संशोधन किये जाने से पहले कृषि सम्पत्ति पर कोई धन-कर नहीं लगता था। ऐसे लोगों में समानता लाने के लिए कि जिन्होंने गैर-कृषि सम्पत्ति में तथा कृषि सम्पत्ति में अपना पूंजीनिवेश किया हुआ था, वित्त विधेयक, 1969 कर निर्धारण की सीमा में कृषि सम्पत्ति को वर्ष 1970-71 से धन-कर की सीमा में शामिल कर दिया गया।"

अतः कृषि आय तथा गैर-कृषि आय के बीच समानता स्थापित करने के उद्देश्य से इस कर का आरम्भ किया गया था। अब कर लगा देने के बाद आप कहते हैं कि चूंकि इसकी वसूली कर पाना बहुत कठिन है, अतः इसलिए आप इसे समाप्त कर रहे हैं। आपके बजट का यह एक और पहलू है कि आप ग्रामीण कुलकों, भूस्वामियों, पूंजीपतियों तथा सामन्तवादी भूस्वामियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। यदि आप 1977-78 की राष्ट्रीय आय को लें, तो आपको मालूम होगा कि हमारी राष्ट्रीय आय में 39.5 प्रतिशत आय कृषि क्षेत्र की आय थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारी राष्ट्रीय आय का लगभग 40 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र से आता है। अब वर्ष 1970-71 की कृषि जन गणना को ही लीजिए। उसमें बताया गया है कि गांवों के 3.9 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा ही गांवों की कुल कृषि योग्य भूमि के 30·7 प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है। अतः इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारी राष्ट्रीय आय का लगभग 40 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र से

ही आता है और यदि 3.9 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा कृषि योग्य भूमि के 30.7 प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि कुछ कृषि योग्य भूमि को उपयोग में लाया जाये तो उससे लगभग 9000 करोड़ रुपये की आय हो सकती है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप प्रत्येक व्यक्ति पर कर लगाइये परन्तु बात यह है कि उनमें से जो व्यक्ति सब से अधिक अमीर हैं, उन पर कर क्यों न लगाया जाये ? यदि उन पर कर लगाया जाता है तो उनकी कर योग्य संपत्ति 5000 करोड़ रुपए हो जायेगी। इस 5000 करोड़ रुपए पर कर लगाया जा सकता है। परन्तु आप उन पर कर नहीं लगाएंगे क्योंकि आप उनके हितों की सुरक्षा करना चाहते हैं। आप बड़े बड़े भूस्वामियों तथा राज्यों में सामन्तवादी पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षा करना चाहते हैं। आप कभी उन पर कर नहीं लगायेंगे।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उनके बारे में परिवर्तनीय खण्ड का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं जैसे जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, औद्योगिक विकास बैंक आदि ऐसी संस्थायें हैं जो अपने पुंजीनिवेश के 51 प्रतिशत भाग को इक्विटी शेयरों में बदल सकते हैं। यह गैर-सरकारी क्षेत्र पर अंकुश है। परन्तु अब इस 51 प्रतिशत को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के पूंजीपतियों को ऋण आदि देने की छूट होगी और उन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होगा। गैर-सरकारी क्षेत्र को दी गई यह एक अन्य छूट है। यह आपके बजट का एक अन्य पहलू है। अतः इसका परिणाम क्या होगा ? आपने कहा कि आपके बजट में 1411 करोड़ रुपये का घाटा है, ऐसा ही कहा है न ? आपने 540 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार मांगे हैं। परन्तु क्या आपने वास्तव में उधार मांगे हैं ? कृपया व्याख्यात्मक ज्ञापन को देखिए। इसके पृष्ठ 61 में आपने कहा है :

> "वर्ष 1980-81 के बजट में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 540 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किए जाने का अनुमान लगाया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ इस ऋण के लिए बातचीत चल रही है और बातचीत के सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने पर इस ऋण के मिल जाने की आशा है।"

आप इस बात को मानते हैं कि अभी बातचीत चल रही है। आपने अपने व्याख्यात्मक ज्ञापन में इस बात को स्वीकार किया है कि अभी तक ऋण की शर्तों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा सरकार के बीच बातचीत अभी तक चल रही है। मान लीजिए, अन्ततः उनकी शर्तें आप मान सकने में असमर्थ होते हैं, तो फिर आपके बजट का क्या होगा ? मान लो कि उनकी कोई शर्त ऐसी है जिससे देश प्रभुसत्ता तथा स्वतन्त्रता पर आंच आती है तो क्या आप उसको स्वीकार कर लेंगे ? आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। फिर आपने इसे बजट में कैसे शामिल कर लिया है ? यह कैसा बजट है ? इसमें कोई सदेह नहीं है कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। बजट तैयार करने का यह क्या तरीका है ?

आपने सामान्य बीमा निगम, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट से 100 करोड़ रुपए लिए हैं। आपका कहना है कि 100 करोड़ रुपया पूंजी योग्य निधि के रूप में प्राप्त होगा। इन निधियों का 70 प्रतिशत से भी अधिक भाग सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में लगा

होता है और ये सामान्य बीमा निगम, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निवेश योग्य निधियां हैं जो कि पहले ही भारत सरकार के पास हैं। आज आप उसके इलावा 100 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। अभी केवल दो तीन दिन पहले की ही बात है कि सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष ने कहा था कि उनके साथ इस मामले के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्हें केवल समाचार पत्रों में वित्त मन्त्री का भाषण पढ़ने के बाद ही मालूम हुआ कि सरकार सामान्य बीमा निगम, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट से लगभग 100 करोड़ रुपए लेना चाहती है। जब आप जीवन बीमा निगम से 100 करोड़ रुपए लेते हैं, तो निश्चय ही यह 100 करोड़ रुपए उस पूंजीगत निधि के अतिरिक्त होंगे जो निगम पहले ही भारत सरकार तथा अन्य सरकारी क्षेत्रों के पास जमा करवा चुका है। क्या इससे पालिसीधारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ? अतः ऐसा नहीं हो सकता कि आपको केक भी मिले और फिर आप उसे खा भी लें।

इस प्रकार हमारा वास्तविक घाटा 1400 करोड़ रुपए तथा 540 करोड़ रुपये तथा 100 करोड़ रुपये मिलाकर कुल घाटा 200 करोड़ रुपये का हो जायेगा। सम्भव है कि यह इससे भी बढ़ जाये। इस बजट से आप देश के लोगों को क्या बताना चाहते हैं ? भगवान् का धन्यवाद है कि वित्त मंत्री ने 'समाजवाद' के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। सम्भवतः यह पहला अवसर है जबकि उन्होंने समाजवाद के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। (कांग्रेस आई) के आवश्यकता से अधिक उत्साहित कुछ सदस्य समाजवाद की बाते कहते रहते हैं। प्रश्न यह है कि अब हम यहां से कहां जायेंगे ? मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला बजट है। जो अतिरिक्त कर लगाये गये हैं, उससे निश्चय ही मूल्यों में वृद्धि होगी। जब मूल्यों में वृद्धि होगी तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा ? 'इक्नामिक सर्वे' तथा बजट में प्रक्रय मांग का उल्लेख किया गया है। अन्ततः मांग प्रक्रय का तात्पर्य यही है कि श्रमिकों तथा कर्मचारियों की मजूरी पर आघात किया जायेगा। जब मूल्यों में बृद्धि होगी तो कर्मचारी प्रतिपूरक भत्ते की मांग करेंगे, वह अधिक मंहगाई भत्ते की मांग करेंगे और जब वह अधिक मंहगाई भत्ते की मांग करेंगे तो आप उनके प्रजातन्त्रात्मक अधिकारों पर आघात करेंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप उनकी मजूरी पर आघात करने जा रहे हैं। आप देश को कहां ले जा रहे हैं ? आगामी दिनों में मूल्यों में वृद्धि होगी और सभी श्रमिक बढ़ते हुए मूल्यों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करेंगे। वे कहेंगे कि आप उसकी पूर्ति करें। आप उस समय मजदूरों पर बरस पड़ेंगे, उन पर आघात करेंगे।

अन्त में मैं आपको चेतावनी देते हुए सतर्क करना चाहता हूं कि केवल कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह देश को अधिनायकवाद की ओर ले जाना चाहता है। इस बजट के माध्यन से अपने देश को अधिनायकवाद की ओर ले जाने का मार्ग तैयार कर रहे हैं। संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, मूल्यों में वृद्धि हो रही है और आप यह सारा कुछ लोगों के सिर पर लाद देना चाहते हैं। यदि आप अधिनायकवाद का रास्ता अपनायेंगे तो आपके साथ लड़ाई करेंगे। अतः आप सतर्क रहिये। यह 1980 का वर्ष है, 1975-76 का नहीं। यदि आप इस रास्ते पर चलते रहे तो यह देश तथा समाज दोनों के लिए खतरनाक होगा।

इसलिए मेरा परामर्श आपसे यही है कि आप अधिनायकवाद के रास्ते पर मत जाइए। यदि आप वास्तव में लोगों को राहत देना चाहते हैं तो ऐसा मत कीजिए। जब अन्तरिम बजट

प्रस्तुत किया गया था तो उस समय मैंने वित्त मन्त्री से अनुरोध किया था कि उन्हें प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली कुछ वस्तुएं जैसे कि चावल, गेहूं, दालें, चीनी, साबुन और कपड़ा आदि का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिये। उनके मूल्यों का निर्धारण लोगों की क्रय-शक्ति को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए। यदि आप बड़े-बड़े व्यापारियों को 54000 करोड़ रुपयों के बजट में सैकड़ों करोड़ रुपये की राजकीय सहायता दे सकते हैं, तो आप आवश्यक वस्तुओं के लिए 1000 करोड़ रुपये की सहायता क्यों नहीं दे सकते ? यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो मैं इसकी सराहना करूंगा।

यदि आप में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा है, तो मुझे आशा है कि आप ऐसा करेंगे। अन्यथा यह सब बेवकूफी है, गरीबों के लिये बहाये गये नकली आंसू हैं। एक दिन गरीब लोग जो कि अब नींद से जाग रहे हैं, आपको सबक सिखायेंगे।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं वित्त मंत्री को 1980-81 का बजट पेश करने के लिए बधायी देता हूं। मैं एक ही वाक्य में कहूंगा कि यह बजट अच्छा और विकासशील है।

कर और मृत्यु निश्चित है। आप जैसे मौत को नहीं टाल सकते, वैसे ही कर को भी नहीं टाल सकते। यदि आप विकास चाहते हैं तो कर को नहीं टाल सकते। बिना कर लगाये आप कोई भी नई योजना लागू नहीं कर सकते। इसलिये मैं कहूंगा कि बजट के साथ करों का होना भी जरूरी है लेकिन यह पहला मौका है जबकि कर कम लगाये गये हैं। इस बजट के बारे में इतना कह सकता हूं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व के कारण दृष्टिकोण तथा प्रशासन में गतिशीलता है। एक ओर तो हम विकास के लिये आबंटन कर रहे हैं और दूसरी ओर उद्देश्यों को पूरा करने तथा कार्यान्वित करने के लिये प्रशासनिक ढांचा है। जनाकांक्षाओं को तर्कों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। आप जो चाहें कह सकते हैं और हम भी जो चाहें कह सकते हैं। यह एक प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या हम अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं।

मैं एक ही प्रश्न तक अपनी बात सीमित रखता हूं। मैं एक विशेष वर्ग अर्थात आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं। अतः मैं उनके लिये बोलना चाहता हूं। 1980-81 के बजट में उनके लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गयी है ? 1974 में सबसे पहले आदिवासियों के लिये एक छोटी योजना बनायी गयी। उसके बाद इस प्रावधान की राशि में वृद्धि होती गयी लेकिन पिछले तीन वर्षों अर्थात 1977-1978 तथा 1979 में राशि उतनी ही रही। 1980-81 में पहली बार केन्द्र ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये तक मिश्रित योजना बनायी और केन्द्रीय सहायता के रूप में 100 करोड़ रुपये निर्धारित किये। हमारी सरकार का यह नया विकास का दृष्टिकोण है, जनता सरकार का नहीं है। यद्यपि इसके लिये पहले से प्रस्ताव था, फिर भी इसे कार्यान्वित नहीं किया गया। अनवरत योजना में आदिवासी उप-योजना समाप्त की गयी। अतः मैं वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि वे योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत आदिवासी विकास सम्बन्धी कार्य-दल के प्रतिवेदन पर गहरायी से विचार करें। केन्द्रीय मंत्रालयों को आदिवासी क्षेत्रों के लिये राशि निर्धारित करनी चाहिये। अभी तक कोई राशि निर्धारित नहीं की गयी है।

मंत्री कह सकते हैं कि वे मंत्रालयों को इसके लिये कहने जा रहे हैं। लेकिन केन्द्रीय मंत्रालयों ने अभी तक इन योजनाओं के लिये राशि की व्यवस्था नहीं की है। मंत्रालयों के लिये उस समय तक राशि की व्यवस्था बहुत कठिन है जब तक समस्याओं का पता न लग जाये। राज्य सरकारों को भी राज्य क्षेत्रों से राशि निर्धारित करनी चाहिये। लेकिन पहले राज्य इन क्षेत्रों के लिये बराबर के अनुदान में से राशि व्यय करते थे। वे किसी बड़ी परियोजना के लिये राशि का आबंटन करेंगे और कहेंगे कि वे आदिवासी क्षेत्रों की योजना के लिये राशि व्यय कर रहे हैं। मैं अपने ही चुनाव क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। हाल ही में वहां एक परियोजना शुरू की गयी है जिसे ईस्ट वेस्ट एल्युमिनियम प्लांट कहते हैं और इसकी लागत 1500 करोड़ रुपये है। वे कहेंगे कि 1500 करोड़ रुपये आदिवासी उप-योजना क्षेत्र पर व्यय किये गये हैं। अतः आदिवासी लोग इस बड़ी परियोजना से किस प्रकार लाभान्वित होंगे ? आदिवासी क्षेत्र विकसित होगा, लोग नहीं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि व्यय में कोई कटौती न हो और आदिवासी क्षेत्र के लिये निर्धारित राशि किसी अन्य मद पर व्यय न की जाये।

पिछले तीन दिन की चर्चा के दौरान मैं कुछ असमंजस में पड़ गया हूं। मैं बजट में देखता रहा लेकिन कहीं भी विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों की योजना के लिये, राशि का जिक्र नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह कहता हूं कि हम विधायक नहीं हैं, हम संसद सदस्य हैं और हमें अपने चुनाव क्षेत्रों की माँगें पूरी करनी पड़ती हैं। मैं इस असमंजस में हूं कि संसद सदस्य के नाते हमारे कर्त्तव्य क्या हैं और केन्द्र से हम अपने चुनाव क्षेत्रों के लिये किस प्रकार की योजनायें और परियोजनायें ले जायें। हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिये।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना या वार्षिक योजना में इतना-इतना पैसा खर्च किया जायेगा। लेकिन सारे देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या क्या है ? इनकी संख्या देश की जन-संख्या का 1/5 भाग है। अतः केन्द्रीय योजना का कम से कम 1/5 भाग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर व्यय किया जाये। यदि नहीं, तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिये केन्द्र द्वारा आबंटित की जाने वाली राशि में वृद्धि की जाये।

कृषि मंत्रालय ने उड़ीसा, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में टी० डी० ए० की एक नई योजना चलायी है। राशि परियोजना के लिये सीधी मंत्रालय से आनी थी। छोटी योजना के लिये पी० आई० टी० डी० पी० को टी० डी० ए० की तरह राशि सीधे केन्द्र से आनी चाहिये। आदिवासी क्षेत्र की योजना के लिये मंत्रालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि केन्द्रीय मंत्रालय से वे कितनी राशि उपलब्ध करेंगे और राज्य क्षेत्र से कितनी राशि आयेगी। अतः वह हमें यह नहीं बतायेंगे कि विभिन्न मंत्रालयों से हर क्षेत्र के लिये कितनी राशि दी जायेगी। इन सब बातों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक केन्द्रीय मंत्रालय ने कोई योजना तैयार नहीं की है। ऐसा कहते हुये मैं किसी भी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं।

यह दृष्टिकोण का प्रश्न है। गरीब तथा दलित वर्ग का उत्थान करने के लिए अब हमारे पास उचित अवसर है। पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु हमारे पास साधन हैं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या पर विस्तारपूर्वक विचार करें। केन्द्रीय

समन्वय समिति ने राशि के प्रावधान की सिफारिश की है। इसने मंत्रालय-वार विचार किया है। लेकिन मंत्राजयों ने अधिक नहीं दिया है। इस उप-योजना सम्बन्धी परियोजना के लिये बहुत छोटी राशि का प्रावधान किया गया है। यदि मंत्रालय इस पर विचार करना चाहें तो वे पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्र वाले विभिन्न राज्यों के संसद सदस्यों को बता सकते हैं।

हम पहली बार जून के महीने में इस बजट पर विचार कर रहे हैं। मैं पिछले 5 अथवा 6 वर्षों से कहता आ रहा हूं कि हर वर्ष वित्तीय वर्ष 31 मार्च के बजाय 15 जून को समाप्त होना चाहिये ताकि विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं के लिये निर्धारित राशि व्यय की जा सके और परियोजनायें पूरी की जा सकें। ऐसा किया जाने पर योजनाओं और परियोजनाओं को पूरा करने में कोई विलम्ब नहीं होगा। अतः मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह वित्तीय-वर्ष को 15 जून में समाप्त करने सम्बन्धी मेरे सुझाव पर विचार करें ताकि विभिन्न परियोजनायें समय पर पूरी हो सकें। विभिन्न मंत्रालयों सम्बन्धी वित्तीय मामलों पर उन मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की बैठक विचार कर सकती है और वे आदिवासी क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिये राशि निश्चित करने के बारे निर्णय ले सकते हैं। सातवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि इस हेतु पर्याप्त राशि का आवंटन किया जाये। बजट की मुख्य बातों की सराहना करते हुये मुझे आशा है कि वित्त मंत्री अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु पर्याप्त राशि का आवंटन करेंगे। हम सब जानते हैं कि अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। 200 आई० टी० डी० प्रोजेक्ट के लिए 70 करोड़ रुपये की राशि बहुत कम है। अतः मैं वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि इस हेतु अधिक राशि स्वीकृत की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय ने श्री डागा से पूछा था कि क्या उन्होंने काला धन देखा है। श्री डागा इसका समुचित उत्तर नहीं दे सके। इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। कोई भी काला धन नहीं देख सकता। हम यह भी पता नहीं लगा सकते हैं कि काला धन कौन-सा है। मैं पूछता हूं कि "क्या हम भगवान को देख सकते हैं। उसी प्रकार हम भगवान को भी नहीं देख सकते। यह अदृश्य है। देश की अर्थ-व्यवस्था में हम काले धन का पता नहीं लगा सकते। हम सब देश की समस्याओं का समाधन करना चाहते हैं लेकिन कैसे किया जाए। विरोधी दल कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी समाजवाद नहीं ला सकती और इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी उन्हें दोषी ठहराएगी। कई 'वाद' चल रहे हैं, जैसे कि समाजवाद और पूंजीवाद आदि लेकिन पलायनवाद को रोके बिना कोई भी वाद सफल नहीं हो सकता। सभी राजनैतिक दल एक दूसरे को दोषी ठहरा कर बचना चाहते हैं। वे जिम्नेदारी टालना चाहेंगे, जो देश और जनता के हित में नहीं।

हमें देश की सभी समस्याओं पर गहराई से विचार करना है और देखना है कि इनका समाधान करने के लिये क्या कदम उठाये जायें।

इन शब्दों के साथ समाप्त करते हुए मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 1 जुलाई, 1980/10 आषाढ़ 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।